



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का  
राजस्व क्षेत्र तथा  
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  
(सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र) पर प्रतिवेदन  
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



जम्मू और कश्मीर सरकार  
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 1



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का  
राजस्व क्षेत्र तथा  
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  
(सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र) पर प्रतिवेदन  
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

जम्मू और कश्मीर सरकार  
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 1



## विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		ix
विहंगावलोकन		xi-xix
<b>भाग-क: राजस्व क्षेत्र</b>		
<b>अध्याय-1: सामान्य</b>		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व बकायों का विश्लेषण	1.2	6
निर्धारणों में बकाया राशि	1.3	7
विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन	1.4	7
प्रतिदाय मामलों का लंबन	1.5	8
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/ विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	8
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.7	10
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.8	10
लेखापरीक्षा योजना	1.9	12
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.10	12
राजस्व अध्याय की कवरेज	1.11	13
<b>अध्याय-2: निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा (राजस्व क्षेत्र)</b>		
<b>क. सामान्य</b>		
कर प्रशासन	2.1	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	15
<b>ख. निष्पादन लेखापरीक्षा</b>		
<b>परिवहन विभाग</b>		
"वाहनों पर कर अधिरोपण और संग्रहण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.3	19-42
<b>ग. अनुपालन लेखापरीक्षा</b>		
<b>वित्त विभाग (राज्य कर विभाग)</b>		
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की ओर बढ़ने की तैयारी	2.4	43-53

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
खरीद के गलत वर्गीकरण एवं छिपाव के कारण कर का कम उदग्रहण और राजस्व की हानि	2.5	53-54
क्षतिग्रस्त स्टॉक पर कर की वसूली नहीं होना	2.6	55-56
इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत स्वीकृति के कारण कम मांग	2.7	56-57
कारोबार को छिपाने के कारण कर का कम उदग्रहण	2.8	57-58
स्टॉक हस्तांतरण आवक को छिपाने के कारण कर का कम उदग्रहण	2.9	58-59
<b>विधि विभाग</b>		
दरों को गलत लगाने के कारण पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण	2.10	60-61
स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उदग्रहण	2.11	61-62
परित्याग विलेखों पर कम स्टाम्प ड्यूटी लगाना	2.12	62-63
<b>भाग-ख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>		
<b>अध्याय-3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति</b>		
प्रस्तावना	3.1	65
सामान्य	3.1.1	65
जवाबदेही रूपरेखा	3.1.2	66
सांविधिक लेखापरीक्षा	3.1.3	67
सरकार और विधान मण्डल की भूमिका	3.1.4	68
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के योगदान का प्रभाव	3.1.5	68
राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण	3.1.6	69
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	3.1.7	69
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	3.1.8	71

विवरण	संदर्भित	
	पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान	3.1.9	73
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	3.1.10	74
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	3.1.11	76
मुख्य मापदंड	3.1.12	78
निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल	3.1.13	81
ऐतिहासिक लागत और वर्तमान मूल्य के अनुसार निवेश की तुलना	3.1.14	84
निवल मूल्य का हास	3.1.15	85
लाभांश का भुगतान	3.1.16	87
कंपनियों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण	3.1.17	87
ब्याज कवरेज अनुपात	3.1.18	88
ऋण-कारोबार अनुपात	3.1.19	89
उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत सहायता	3.1.20	90
राज्य के निष्क्रिय पीएसयू को बंद करना	3.1.21	91
पीएसयू के लेखाओं पर टिप्पणियां	3.1.22	91
निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ	3.1.23	94
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	3.1.24	94
सीओपीयू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा	3.1.25	96
सीओपीयू की रिपोर्टों का अनुपालन	3.1.26	97
<b>अध्याय-4: निष्पादन लेखापरीक्षा (पीएसयू)</b>		
<b>वित्त विभाग</b>		
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड की कार्यप्रणाली	4	99-184

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
<b>अध्याय-5: अनुपालन लेखापरीक्षा (पीएसयू)</b>		
स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग (जम्मू एंड कश्मीर मेडीकल सप्लाइज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड)		
जम्मू एंड कश्मीर मेडीकल सप्लाइज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दवाइयों तथा उपकरणों की खरीद में कमियां	5.1	185-193
बागवानी विभाग (जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)		
बिक्री न किए गए जूस कंसंट्रेट के कारण निधियों का नुकसान और अवरोधन	5.2	194-195
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग (जम्मू एंड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड)		
सीमेन्ट पीसने और पैकिंग की सांबा यूनिट की क्षमता का कम उपयोग	5.3	196-198
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग (एसआईडीसीओ और जेएंडके इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर)		
निधियों का अवरोधन और अलाभप्रद व्यय	5.4	198-200
श्रम एवं रोजगार विभाग (जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड)		
नई दिल्ली में कार्यालय स्थापित करने पर अनुत्पादक व्यय	5.5	200-201
विद्युत विकास विभाग (जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड)		
ब्याज का परिहार्य भुगतान	5.6	202-203
अलाभप्रद व्यय/ परिहार्य व्यय	5.7	203-205

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
1.1.1	वर्ष 2017-18 के दौरान स्वीकार की गई वसूली और वसूली किए गये मामलों का इकाई-वार विवरण	1.10	207-209
2.3.1	मोटरवाहन कर की दर	2.3.9 और 2.3.11	210-215
2.3.2	सरकारी लेखे में राजस्व जमा करने में देरी के महत्वपूर्ण उदाहरण	2.3.20.1	216
2.3.3	सरकारी लेखे में बैंक ड्राफ्ट के विलंबित जमा के उदाहरण	2.3.20.2	217-218
2.3.4	राजस्व प्राप्तियों के उचित लेखांकन के लिए आवश्यक अभिलेखों के रख-रखाव के संबंध में कार्यालय-वार स्थिति	2.3.20.3	219
2.3.5	पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रतिवेदनों में मोटर वाहन करों पर दर्शाये गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों का धन मूल्य	2.3.21	220-222
3.1.1	31 मार्च 2018 तक राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋणों की स्थिति का विवरण	3.1.7	223-225
3.1.2	31 मार्च 2018 तक राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के रिकॉर्ड्स की तुलना में, जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण, गारंटी का विवरण	3.1.9	226-228
3.1.3 (ए)	सितंबर 2018 तक बकाया लेखाओं वाले राज्य के कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति का विवरण	3.1.10	229-230
3.1.3 (बी)	लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति	3.1.10	231

परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
3.1.4	30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार विद्युत क्षेत्र की छः कंपनियों के कार्य परिणामों और वित्तीय स्थिति का विवरण	3.1.11 (ए) और 3.1.15 (ए)	232-233
3.1.5	30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप दिए गए नवीनतम खातों के अनुसार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के वित्तीय परिणामों का विवरण	3.1.11 (बी)	234-237
3.1.6	30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप दिए गए नवीनतम खातों के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य के पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा)	3.1.12 (बी)	238-239
3.1.7 (ए)	पाँच विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में उनके स्थापना से 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों का विवरण	3.1.13 (ए)	240-241
3.1.7 (बी)	वर्ष 1999-2000 से 2017-18 तक, राज्य के पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) में राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों का विवरण	3.1.13 (बी)	242-245
3.1.8	30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार राज्य के पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के वित्तीय परिणामों का विवरण	3.1.15 (बी)	245-246
4.1.1	बैंक की वित्तीय और कार्य परिणामों की स्थिति	4.6	247-248
4.1.2	परीक्षण जांच किए गए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति मामलों में देखी गई कमियों का विवरण	4.7.5.2	249-252

परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
4.1.3	किसानों/ संयुक्त देयता समूहों की सूची में देखी गई कमियों का विवरण	4.7.5.2	253-254
4.1.4	सांविधिक चल निधि अनुपात (एसएलआर) और गैर-एसएलआर उपकरणों में निवेश	4.7.11	255
4.1.5	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण	4.7.12	256
5.1.1	वार्षिक दर संविदा/ दर संविदा को अंतिम रूप देने में लिए गए समय का विवरण	5.1	257
5.1.2	विलंबित आपूर्ति के लिए फर्मों के प्रति परिसमापित क्षति के गैर-अधिरोपण का विवरण	5.1	258



## प्राक्कथन

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत तैयार किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 82(1) के अन्तर्गत यह प्रतिवेदन परवर्ती केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख के उपराज्यपालों को भेजा जा रहा है।

इस प्रतिवेदन में दो भाग हैं।

### भाग क : राजस्व क्षेत्र

इस भाग में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत संचालित प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

### भाग ख : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

इस भाग में मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानी जाने वाली सरकारी कम्पनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 139 और 143 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधान के अन्तर्गत की जाती है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के अन्तर्गत यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे मामले हैं जो 2017-18 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वे मामले भी, जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। वर्ष 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हो, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।



विहंगावलोकन



## विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन दो भागों में है। भाग-क में राजस्व क्षेत्र के लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं, जिनमें 'वाहनों पर कर अधिरोपण और संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और 'माल और सेवा कर में अंतरण की तैयारी', बिक्री कारोबार के छिपाव, शमन और गलत वर्गीकरण के कारण कर, राजस्व की अल्प उगाही और हानि, इनपुट कर क्रेडिट की गलत अनुमति, स्टॉप शुल्क/ पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण और दरों के गलत अनुप्रयोग पर आठ पैराग्राफ शामिल हैं जिसका निहितार्थ ₹186.62 करोड़ है। कुछ प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

## राजस्व क्षेत्र

### सामान्य

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य की समग्र प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 15.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सरकार द्वारा सर्जित राजस्व (₹13,898.74 करोड़) पूर्ववर्ती वर्ष में 28 प्रतिशत की अपेक्षा कुल राजस्व प्राप्तियों का 29 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 के दौरान शेष 71 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार से हुई थी, जिसमें से 65.59 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में आया था। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान प्राप्तियों में राज्य की कुल प्राप्तियों का 46.79 प्रतिशत हिस्सा है।

*(पैराग्राफ: 1.1)*

वर्ष 2017-18 के दौरान वाणिज्यिक कर (बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर), राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन और कानून विभागों की 402 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 94 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच से अवनिर्धारण/ कर की चोरी/ इनपुट कर क्रेडिट की गलत अनुमति इत्यादि के 33,237 मामलों में कुल मिलाकर ₹377.77 करोड़ दर्शाया गया। वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने 97 मामलों में शामिल ₹2.22 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य कमियों को स्वीकार किया, जो वर्ष 2017-18 और उससे पहले के वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा में बताई गई थी। विभागों ने पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित 19 मामलों में ₹53.38 लाख एकत्र/ वसूल किए।

*(पैराग्राफ: 1.10)*

### निष्पादन लेखापरीक्षा

'वाहनों पर कर का अधिरोपण और संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित दर्शाया गया:

- वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में, राजस्व संग्रहण में कमी 11 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के बीच थी। वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित लक्ष्य, हालांकि 135 प्रतिशत के स्तर तक प्राप्त किए गए थे जो पिछले दो वर्षों के लक्ष्यों की तुलना में काफी कम थे।

**(पैराग्राफ: 2.3.6)**

- आठ (11 में से) चयनित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों/ सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ/ एआरटीओ) में पंजीकृत 21,918 निजी वाहनों के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्रों का निर्धारित समय सीमा के बाद भी नवीकरण नहीं करने के कारण ₹6.12 करोड़ के पंजीकरण शुल्क/ कर की वसूली नहीं हुई।

**(पैराग्राफ: 2.3.8)**

- 91 पंजीकृत डीलरों द्वारा अस्थायी पंजीकरण शुल्क की दरों के गलत अनुप्रयोग के कारण ₹3.54 करोड़ के शुल्क की कम वसूली हुई।

**(पैराग्राफ: 2.3.8.1)**

- अखिल भारतीय/ अखिल जम्मू और कश्मीर मार्ग के यात्री वाहनों के रूट परमिट, जिला रूट परमिट और राष्ट्रीय परमिटों के लंबे समय से अधिकार के गैर-नवीकरण के परिणामस्वरूप ₹11.16 करोड़ के नवीकरण शुल्क/ अतिरिक्त शुल्क की वसूली नहीं हुई।

**(पैराग्राफ: 2.3.11.1 से 2.3.11.3)**

- गुड्स एजेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़, प्रदूषण नियंत्रण जाँच केंद्रों, ड्राइविंग संस्थानों और व्यवसाय प्रमाणपत्रों के लाइसेन्सों का समय पर नवीकरण न करने के परिणामस्वरूप ₹157.04 लाख की वसूली नहीं/ कम वसूली हुई।

**(पैराग्राफ: 2.3.12 से 2.3.16)**

- चयनित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों/ सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों की लेखापरीक्षा की संवीक्षा से, पूर्व-संशोधित दरों पर हाइपोथिकेशन शुल्क प्रभारित करने से 10,239 हाइपोथिकेशन करारों पर ₹1.24 करोड़ का आधिक्य शुल्क तथा 2,479 हाइपोथिकेशन करारों में ₹0.02 करोड़ का अल्प शुल्क प्रभारित करने का पता चला।

**(पैराग्राफ: 2.3.17)**

## अनुपालन लेखापरीक्षा

### वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की ओर बढ़ने की तैयारी

जम्मू और कश्मीर, 'वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)' अधिनियम को लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य था। राज्य कर विभाग ने दावा किया कि उसके पास पर्याप्त आईटी बुनियादी ढांचा था। मौजूदा करदाताओं के कम नामांकन और डेडिकेटेड हेल्प लाइन की स्थापना में विलंब हुआ। राज्य सरकार द्वारा जीएसटी परिषद की सिफारिश पर नियमों/ विनियमों में लगातार बदलाव किए गए, जिससे अधिनियम का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) पूर्ण आईटी समाधान प्रदान करने में सक्षम नहीं है और इस प्रकार जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 रिटर्न दाखिल करने के संबंध में समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। राज्य जीएसटी के प्रावधानों को लागू करने में बँधा हुआ था। क्योंकि इन मामलों में इसकी भूमिका सीमित थी। विभाग को स्थानांतरित किए हुए डीलरों द्वारा प्राप्त सभी परिवर्ती क्रेडिटों का सत्यापन करने और पूर्व-जीएसटी आँकलनों जैसे विरासती मुद्दों को सुलझाने तथा पूर्व-जीएसटी व्यवस्था से संबंधित बकायों की वसूली शीघ्रता और समयबद्ध तरीके से करने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ: 2.4)

राजौरी वाणिज्यिक कर सर्कल के निर्धारण प्राधिकारी द्वारा खरीदों को छिपाने और गलत वर्गीकरण का पता लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप कर, ब्याज और जुर्माने के रूप में ₹6.45 लाख की कम उगाही तथा ₹2.17 लाख के राजस्व की भी हानि हुई।

(पैराग्राफ: 2.5)

निर्धारण प्राधिकारी वाणिज्यिक कर सर्कल, लेह की क्षतिग्रस्त स्टॉक पर कर वसूलने या डीलर द्वारा प्राप्त किए गए इनपुट कर क्रेडिट को वापस करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹9.45 लाख के कर और ब्याज की कम वसूली हुई।

(पैराग्राफ: 2.6)

वर्ष 2011-12 और वर्ष 2012-13 के दौरान ईंधन की खरीद पर डीलर द्वारा प्राप्त किए गए अमान्य इनपुट कर क्रेडिट को अस्वीकृत करने में निर्धारण प्राधिकारी वाणिज्यिक कर सर्कल, उधमपुर-II की विफलता के परिणामस्वरूप ₹8.60 लाख की कम मांग हुई।

(पैराग्राफ: 2.7)

जम्मू और कश्मीर मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 39(5) के तहत डीलर का आंकलन करते समय छिपाए गए कारोबार का पता लगाने में निर्धारण प्राधिकारी वाणिज्यिक कर सर्कल, 'ई' जम्मू की विफलता के परिणामस्वरूप ₹23.04 लाख के कर, ब्याज और जुर्माने का कम उदग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ: 2.8)

डीलर द्वारा 'एफ' प्रपत्रों के प्रति प्राप्त माल के स्टॉक हस्तांतरण का पता लगाने में निर्धारण प्राधिकारी वाणिज्यिक कर सर्कल, 'एन' जम्मू की विफलता के परिणामस्वरूप ₹7.28 लाख के कर, ब्याज और जुर्माने की कम उगाही हुई।

(पैराग्राफ: 2.9)

जुलाई 2013 और अक्टूबर 2016 के दौरान, 71 पंजीकृत गिरवी विलेखों में पंजीकरण शुल्क की सही दर को लागू करने में लेह और कारगिल के पंजीकृत प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹34.06 लाख के पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ: 2.10)

सही दरों को लागू करने में पंजीकरण प्राधिकारी (सब-रजिस्ट्रार बिजबिहारा) की विफलता के परिणामस्वरूप ₹6.72 लाख के स्टाम्प शुल्क और ₹0.05 लाख के पंजीकरण शुल्क की कम उगाही हुई।

(पैराग्राफ: 2.11)

परित्याग विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की सही दर को लागू करने में पंजीकरण प्राधिकारी (सब-रजिस्ट्रार शोपियां) की विफलता के परिणामस्वरूप ₹6.74 लाख के स्टाम्प शुल्क की कम उगाही हुई।

(पैराग्राफ: 2.12)

**भाग-ख** में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल किया गया है जिसमें 'जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड की कार्य प्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दवाईयों और उपकरण की खरीद में कमियों, सीमेंट ग्राइंडिंग-सह-पैकिंग इकाई द्वारा निधियों की हानि/ अवरोधन, अनुत्पादक/ निष्फल/ परिहार्य व्यय और कम क्षमता के उपयोग से संबंधित सात पैराग्राफ सम्मिलित हैं जिसमें ₹3,323.81 करोड़ शामिल हैं। कुछ प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

31 मार्च 2018 तक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत तीन सांविधिक निगमों और 30 सरकारी कंपनियों (नौ निष्क्रिय

सरकारी कंपनियों सहित) सहित 33 पीएसयू थे। इनमें से, एक पीएसयू अर्थात् जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (जुलाई 1998) है। बैंक की कुल प्रदत्त इक्विटी में से, 59.23 प्रतिशत राज्य सरकार के पास है और शेष 40.77 प्रतिशत विदेशी संस्थागत निवेशकों, निवासी व्यक्तियों और अन्य लोगों के पास है। कार्यशील पीएसयू ने 30 सितंबर 2018 तक, अपने अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार ₹8,571.68 करोड़ का वार्षिक कारोबार दर्ज किया। यह कारोबार वर्ष 2017-18 के लिए ₹1,40,887 करोड़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 6.08 प्रतिशत के बराबर था। कार्यशील पीएसयू ने अपने अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार ₹198.15 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया।

(पैराग्राफ: 3.1.1)

### निष्पादन लेखापरीक्षा

जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड (बैंक) को एक बैंकिंग कंपनी के व्यवसाय के रूप में स्थापित करने और जारी रखने; उधार लेना या देना; ऋण और अग्रिम के तहत पैसा उधार देना; विनिमय, हंडियों, प्रॉमिसरी नोट्स, ड्राफ्ट, लेडिंग बिल, ऋणपत्र और अन्य साधनों के बिलों को खरीदने, बेचने, एकत्र करने और सौदा करने के लिए; स्टॉक्स, शेयरों, ऋणपत्र, प्रतिभूतियों और सभी प्रकार के निवेश करने के लिए; विदेशी विनिमय सहित विदेशी मुद्रा खरीदने और बेचने के लिए; और सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से निगमित किया गया था। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए बैंक की एक निष्पादन लेखापरीक्षा में कुछ कमियां सामने आईं। निष्पादन लेखापरीक्षा के कुछ मुख्य अंश निम्नानुसार हैं:

- बैंक ने निगमित प्रशासन से संबंधित सेबी विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था।

(पैराग्राफ: 4.5.1 एवं 4.5.2)

- बैंक द्वारा अर्जित लाभ 2013-14 के दौरान ₹1,182.47 करोड़ से घटकर, 2017-18 में ₹202.72 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का बढ़ना था जो 31 मार्च 2013 तक ₹643.77 करोड़ से बढ़कर, 31 मार्च 2018 को ₹6,006.70 करोड़ हो गई थी। सकल अग्रिम के एनपीए की प्रतिशतता भी मार्च 2013 के अंत में 1.62 प्रतिशत से बढ़कर, मार्च 2018 के अंत में, 9.96 प्रतिशत हो गई। 2016-17 के दौरान बैंक को ₹1,632.29 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ: 4.6)

- बैंक की ऋण नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली समय रहते एनपीए की पहचान करने में विफल रही।

(पैराग्राफ: 4.6.1 एवं 4.6.2)

- यद्यपि 2013-14 से 2017-18 के दौरान, निधि जमा में 24.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, लेकिन पिछले चार वर्षों के दौरान, मार्च 2017 के अंत तक, बैंक के जमा की वार्षिक वृद्धि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के समग्र राष्ट्रीय औसत से काफी कम थी।

(पैराग्राफ: 4.7.2)

- बैंक ने 2013-14 से 2017-18 के दौरान, अग्रिम में 51.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी, वार्षिक वृद्धि (-)1.78 प्रतिशत और 18.28 प्रतिशत के बीच अस्थिर थी। कुल निवल अग्रिम के लिए असुरक्षित अग्रिम का प्रतिशत, मार्च 2014 के अंत में 20.16 प्रतिशत से बढ़कर, मार्च 2018 के अंत में 27.90 प्रतिशत हो गया था।

(पैराग्राफ: 4.7.3)

- समग्र बैंकिंग क्षेत्र के औसत की तुलना में, उद्योग-वार एक्सपोजर के लिए बैंक का संकेद्रण जोखिम अधिक था।

(पैराग्राफ: 4.7.4(i))

- पर्याप्त सुरक्षा कवर, उचित क्रेडिट मूल्यांकन, प्रतिबंधों की पूर्व या बाद की स्थितियों का पालन, नियमित निगरानी आदि के माध्यम से बैंक के हित की सुरक्षा के बिना, ऋण सुविधाओं की स्वीकृति/ जारी करने से न केवल एनपीए को बढ़ावा दिया बल्कि ₹197.98 करोड़ की हानि/ गैर-वसूली, ₹1,599.14 करोड़ की संदिग्ध वसूली और नमूना-जांच किए गए मामलों में, ₹14.10 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ: 4.7.5.2)

- बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों में कमियां पाई गई थीं जिसके कारण, यह अपने कुछ कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान, सुनिश्चित नहीं कर सका।

(पैराग्राफ: 4.7.6)

- बैंक की वसूली नीति के विचलन में, एकमुश्त भुगतान की स्वीकृति के परिणामस्वरूप, नमूना-जांच के मामलों में ₹17.97 करोड़ की मूल राशि को छोड़ना पड़ा।

(पैराग्राफ: 4.7.9.1)

- ₹671.10 करोड़ की मूल राशि और ₹504 करोड़ के अनपेक्षित ब्याज को छोड़ते हुए, बैंक ने 2014-2018 की अवधि के दौरान, परिसंपत्ति पुनःनिर्माण कंपनियों (एआरसी) को दस एनपीए बेचे, आरक्षित मूल्य से नीचे एआरसी को वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री के परिणामस्वरूप, ₹21.89 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ: 4.7.10)

- अविवेकपूर्ण निर्णय लेने, गारंटी को इन्वोक न करने और बैंक के हित की असुरक्षा के कारण, गैर-निष्पादित निवेशों की नमूना-जांच में, ₹180.43 करोड़ की संदिग्ध वसूली/ हानि हुई।

(पैराग्राफ: 4.7.11.2)

- रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिक्स और बैंकिंग एसोसिएट्स की भर्ती में अनियमितताएं देखी गईं।

(पैराग्राफ: 4.10.1)

- बैंक ने एक कार्य/ परियोजना पर, 2016-17 और 2017-18 के दौरान, 53.09 प्रतिशत से 83.82 प्रतिशत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बजट व्यय किया था और 2015-16 से 2017-18 के दौरान, एकल खंड के तहत 49.33 प्रतिशत से 95.27 प्रतिशत तक व्यय किया था जो सीएसआर नीति का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त, बैंक की सीएसआर नीति और कंपनी अधिनियम 2013 के उल्लंघन में, सीएसआर निधि से ₹46.96 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया था।

(पैराग्राफ: 4.11)

### अनुपालन लेखापरीक्षा

दर के संविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी एवं ड्रग्स/ दवाओं, उपकरणों, मशीनरी, उपकरणों की खरीद में देरी/ खरीद न होने का पता चला जिससे जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के सृजन का उद्देश्य सार्थक नहीं हुआ। विलम्ब से आपूर्ति में ₹7.92 करोड़ की परिसमापित क्षति की वसूली न करने के मामले, सात बोलीकर्ताओं को अस्वीकृत करते हुए और आठवें बोलीकर्ता से वार्ता के आधार पर ₹25.48 करोड़ के सीवन मर्दों को खरीदकर आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ देना, ₹3.18 करोड़ की प्राप्ति के बाद भी तीन वर्षों से अधिक समय से राज्य में '102 एंबुलेंस सेवा' का प्रचालन में न होना, जांच प्रयोगशालाओं को पैनल में लेने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने के कारण ₹9.47 लाख के अधिक व्यय के मामले लेखापरीक्षा में सामने आए।

(पैराग्राफ: 5.1)

गुणवत्ता स्वीकार्य नहीं होने के कारण खरीददार द्वारा सेब जूस कंसंट्रेट की अस्वीकृति और बाद में कीमतों में कमी होने के कारण जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड को ₹7.93 लाख का नुकसान होने के अतिरिक्त बिक्री न किए गए स्टॉक के कारण ₹2.03 करोड़ की पूंजी अवरुद्ध हुई।

**(पैराग्राफ: 5.2)**

जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड द्वारा सीमेन्ट पीसने और पैकिंग की सांबा यूनिट की इष्टतम क्षमता का उपयोग करने और निजी पार्टियों/ सरकारी विभागों को उत्पादित सीमेन्ट का विपणन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 2015-18 के दौरान ₹1.26 करोड़ का परिचालनात्मक नुकसान।

**(पैराग्राफ: 5.3)**

पंपोर में जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (आईटीसी) की स्थापना के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप लगभग दस वर्षों के लिए ₹3.94 करोड़ अवरुद्ध हो गए। इसके अलावा, भूमि पर बाड़ लगाने पर ₹1.06 करोड़ का व्यय हुआ और पंजीकरण शुल्क का भुगतान अलाभप्रद रहा और राज्य, राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, क्रेता/ विक्रेता वार्ता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संव्यवहारों के साथ ही विदेशी बाजारों के इंटरफेस से मिलने वाली परिकल्पित सुविधा का लाभ नहीं मिल सका।

**(पैराग्राफ: 5.4)**

बिना किसी सार्थक गतिविधि के नई दिल्ली में अपना कार्यालय स्थापित करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की अनुचित योजना के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के वेतन, परिसर किराए पर लेने और अन्य खर्चों पर ₹47.86 लाख का अनुत्पादक व्यय हुआ।

**(पैराग्राफ: 5.5)**

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 के दौरान कर योग्य आय पर अग्रिम कर जमा करने में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की विफलता के परिणामस्वरूप ₹3.26 करोड़ के परिहार्य ब्याज का भुगतान हुआ।

**(पैराग्राफ: 5.6)**

48 मेगावाट लोअर कलनई हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के डिजाइन, इंजीनियरिंग और कमीशनिंग के लिए संविदा के निष्पादन पर शिथिल पर्यवेक्षण और नियंत्रण के कारण

₹25.30 करोड़ का अलाभप्रद व्यय हुआ। कंपनी प्रति वर्ष 219.30 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाई और परियोजना हेतु लिए गए सावधि ऋण पर ₹17.49 करोड़ का ब्याज देना पड़ा। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड संविदा के कार्य की प्रगति के साथ पीएमसी को परामर्शी शुल्क का चरणबद्ध तरीके से भुगतान करने में विफल रही, जिसके कारण ₹6.57 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। ₹79.20 करोड़ की बैंक/ निष्पादन गारंटी के नकदीकरण के बावजूद कंपनी को ₹11.20 करोड़ का न्यूनतम नुकसान हुआ।

**(पैराग्राफ: 5.7)**



**भाग 'क'**  
**राजस्व क्षेत्र**

**अध्याय-1**  
**सामान्य**





## अध्याय-1

### सामान्य

#### 1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2017-18 के दौरान जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा सृजित कर और गैर-कर राजस्व, वर्ष के दौरान विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय तथा राज्य को सौंपे गए शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों और पूर्व चार वर्षों के संबंधित आंकड़े तालिका-1.1 में उल्लिखित हैं।

तालिका-1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति


(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व					
	कर राजस्व	6,272.74	6,333.95	7,326.19	7,819.13	9,536.40
	गैर-कर राजस्व	2,869.69	1,978.05	3,912.79	4,072.19	4,362.34
	कुल	9,142.43	8,312.00	11,238.98	11,891.32	13,898.74
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	विभाज्य संघीय करों और शुल्कों की निवल आय में हिस्सेदारी	4,142.10	4,477.23	7,813.48	9,488.60	11,911.65
	सहायता अनुदान	13,843.45	16,149.36	16,728.14	20,598.55	22,701.49
	कुल	17,985.55	20,626.59	24,541.62	30,087.15	34,613.14
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)	27,127.98	28,938.59	35,780.60	41,978.47	48,511.88
4.	1 से 3 का प्रतिशत	34	29	31	28	29

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे 2017-18)

2013-14 से 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वर्ष-वार प्रवृत्ति चार्ट-1.1 में दर्शायी गई है।

चार्ट-1.1



वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य की समग्र प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 15.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹13,898.74 करोड़) पूर्ववर्ती वर्ष में 28 प्रतिशत के प्रति कुल राजस्व प्राप्तियों का 29 प्रतिशत था। 2017-18 के दौरान प्राप्तियों का शेष 71 प्रतिशत भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त था, जिसमें 65.59 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था। भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्तियों में राज्य की कुल प्राप्तियों का 46.79 प्रतिशत हिस्सा शामिल था।

1.1.2 वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सृजित कर राजस्व का विवरण तालिका-1.2 में दिया गया है।

तालिका-1.2: सृजित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2016-17 की तुलना में 2017-18 में वास्तविक में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर, जीएसटी सहित	4,578.81	4,601.52	5,276.54	6,011.98	7,104.37	(+) 18.17
2	माल और यात्रियों पर कर	565.53	557.81	666.21	747.88	852.62	(+) 14.00
3	राज्य उत्पाद शुल्क	440.06	466.08	532.82	569.26	833.16	(+) 46.36
4	विद्युत पर कर और शुल्क	276.94	313.40	428.87	89.94	179.20	(+) 99.24
5	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	260.68	247.98	264.23	227.62	307.43	(+) 35.06
6	वाहनों पर कर	134.23	132.34	145.15	149.71	228.11	(+) 52.37


क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2016-17 की तुलना में 2017-18 में वास्तविक में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशत
7	भूमि राजस्व	15.97	14.58	12.18	16.89	29.07	(+) 72.11
8	अन्य	0.52	0.24	0.19	5.85	2.44	(-) 58.29
	कुल	6,272.74	6,333.95	7,326.19	7,819.13	9,536.40	

(स्रोत: राज्य बजट 2018-19 और वित्तीय लेखे 2017-18)

चार्ट-1.2 में विभिन्न कर राजस्वों की वर्ष-वार प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

चार्ट-1.2

(₹ करोड़ में)



वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि 14 प्रतिशत से 99.24 प्रतिशत के बीच में थी जो 'वस्तुओं और यात्रियों पर कर', 'राज्य वस्तु और सेवा कर सहित बिक्री, व्यापार पर कर इत्यादि', स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क 'वाहनों पर कर', 'भूमि राजस्व' और 'विद्युत पर कर और शुल्क' शीर्षों के अंतर्गत था।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान 'अन्य' शीर्ष के तहत लगभग 58.29 प्रतिशत की गिरावट रही थी। गिरावट मुख्य रूप से 'वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य करों और शुल्कों (मनोरंजन कर<sup>1</sup>)' के तहत थी, जिसे 8 जुलाई 2017 से जीएसटी के तहत शामिल कर लिया गया है।

संबंधित विभागों ने 2016-17 की तुलना में 2017-18 में राजस्व बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया:

<sup>1</sup> 2016-17 के दौरान मनोरंजन कर ₹5.85 करोड़ था, जो 2017-18 के दौरान घटकर ₹2.44 करोड़ रह गया

**बिक्री, व्यापार, आदि पर कर:** वृद्धि मुख्य रूप से जीएसटी के कार्यान्वयन, नई कर व्यवस्था के तहत कुछ करों<sup>2</sup> के सम्मिलन, बेहतर निगरानी और कर आधार में वृद्धि के कारण हुई थी।

**राज्य उत्पाद शुल्क:** जीएसटी लागू होने के बाद 31.5 प्रतिशत की दर से लाइसेन्स धारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के शराब उत्पादों की बिक्री पर अतिरिक्त निर्धारण शुल्क की वसूली के कारण वृद्धि हुई, जो पहले वैट के तहत एकत्र की जाती थी।

**बिजली पर कर और शुल्क:** वृद्धि मुख्य रूप से बेहतर निगरानी और केंद्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से बिजली की बुनियादी संरचना में सुधार के कारण हुई थी।

**स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क:** वृद्धि मुख्य रूप से सरकार द्वारा अधिसूचित संपत्ति की बाजार दरों में वार्षिक वृद्धि और पंजीकरण की संख्या में वृद्धि के कारण हुई थी।

**वाहनों पर कर:** वृद्धि मुख्य रूप से वाहनों<sup>3</sup> के पंजीकरण में वृद्धि और विभिन्न प्रकार के वाहनों के शुल्क/ करों<sup>4</sup> की दरों में संशोधन के कारण हुई थी।

**भूमि राजस्व:** वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व सारांशों को जारी करने और चौकीदारी उपकरण के संग्रह में वृद्धि के कारण हुई थी, जो लंबे समय से देय थी।

1.1.3 वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान सृजित किए गए गैर-कर राजस्व का विवरण तालिका-1.3 में इंगित किया गया है।

तालिका-1.3: सृजित किए गए गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व के शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1	विद्युत	1,533.09	1,427.73	1,477.22	2,770.24	3,150.94	(+) 13.74
2	वानिकी और वन्य जीवन	67.90	70.85	67.84	14.40	18.12	(+) 25.83
3	पुलिस	56.75	19.97	34.11	67.63	32.70	(-) 51.65
4	अलौह, खनन और उद्योग	53.35	48.50	57.23	42.74	47.46	(+) 11.04
5	जल आपूर्ति और स्वच्छता	38.03	36.90	45.77	51.99	93.07	(+) 79.02
6	लोक निर्माण कार्य	23.57	23.13	27.55	21.14	47.96	(+) 126.87
7	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	15.70	22.69	22.53	21.86	26.02	(+) 19.03
8	ब्याज प्राप्तियाँ	12.80	13.58	96.35	18.62	19.44	(+) 4.40
9	अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ	1,068.50	314.70	2,084.19	1,063.57	926.63	(-) 12.88
	<b>कुल</b>	<b>2,869.69</b>	<b>1,978.05</b>	<b>3,912.79</b>	<b>4,072.19</b>	<b>4,362.34</b>	

(स्रोत: राज्य बजट 2018-19 और वित्तीय लेखे 2017-18)

<sup>2</sup> मूल्य वर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, एन्ट्री कर, सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उदगृहीत सेवाओं पर कर और मनोरंजन कर


<sup>3</sup> वाहनों के नए पंजीकरण में 2016-17 के दौरान 1,22,638 से 2017-18 के दौरान 1,69,243 तक वृद्धि हुई

<sup>4</sup> पंजीकरण प्रभारों में ₹200 से ₹600, व्यापार प्रमाण पत्र में ₹200 से ₹500, आयातित मोटर वाहनों में ₹800 से ₹5000 इत्यादि की वृद्धि हुई

चार्ट-1.3 में विभिन्न गैर-कर राजस्वों का वर्ष-वार रुझान दर्शाया गया है।

चार्ट-1.3

(₹ करोड़ में)



ब्याज प्राप्तियों, अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग, बिजली, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, वानिकी और वन्य जीवन, जल आपूर्ति और स्वच्छता और सार्वजनिक निर्माण कार्यों से वास्तविक संग्रहण में 4.40 प्रतिशत और 126.87 प्रतिशत के बीच की वृद्धि हुई थी। इसके अतिरिक्त, 'पुलिस' और 'अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ' शीर्षों के तहत प्राप्तियों में 12.88 प्रतिशत और 51.65 प्रतिशत के बीच गिरावट रही थी।

संबंधित विभागों ने पिछले वर्ष के संबंध में 2017-18 में राजस्व में वृद्धि/ कमी के निम्नलिखित कारण बताए:

**विद्युत:** वृद्धि मुख्य रूप से बेहतर निगरानी और केंद्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं<sup>5</sup> के कार्यान्वयन के माध्यम से बिजली की बुनियादी संरचना में सुधार के कारण हुई।

**वानिकी और वन्य जीवन:** वृद्धि मुख्य रूप से अधिक निष्कर्षण, लघु वन उत्पादों की बिक्री और अन्य प्राप्तियों, पेड़ों की अधिक नीलामी/ नर्सरी से पौधों की बिक्री आदि के कारण हुई।

**जल आपूर्ति और स्वच्छता:** वृद्धि मुख्य रूप से जल की टैरिफ दरों में संशोधन और नए कनेक्शनों को नियमित करने/ शामिल करने के कारण हुई।

**लोक निर्माण कार्य:** वृद्धि मुख्य रूप से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए विभिन्न दूरसंचार एजेंसियों से एजेंसी शुल्क में वृद्धि के कारण हुई थी।

<sup>5</sup> जैसे आरएपीडीआरपी-बी, पीएमडीपी, डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस, एसएयूबीएचएजीवाई आदि

**चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य:** वृद्धि मुख्य रूप से रोगियों की संख्या में वृद्धि/ परीक्षण/ जांच की संख्या में वृद्धि के अलावा, पार्किंग अनुबंध/ कैंटीन और चिकित्सा दुकानों के किराए/ निजी नर्सिंग होम/ प्रयोगशालाओं के पंजीकरण शुल्क में संशोधन, अनुपयोगी मर्दों की नीलामी, ड्रग्स और खाद्य नियंत्रण संगठन के तहत अधिक दुकानों के कवरेज में वृद्धि के कारण हुई।

**अलौह, खनन और उद्योग:** राज्य के सभी जिलों में जिला खनिज कार्यालयों की स्थापना के कारण वृद्धि हुई, जिसके कारण उचित निगरानी, निष्कर्षण के पर्यवेक्षण, जब्ती के साथ अवैध निष्कर्षणों की जाँच और अपराधों के शमन के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया।

**पुलिस:** गिरावट मुख्य रूप से स्थानीय निकायों/ अन्य संगठनों से कम प्राप्तियों और राज्य में हवाई अड्डों पर प्रदान किए गए पुलिस सेवा प्रभागों के प्रति एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों में देरी के कारण आई थी।

## 1.2 राजस्व बकायों का विश्लेषण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों पर 31 मार्च 2018 तक राजस्व की बकाया राशि ₹1,566.94 करोड़ थी, जिसमें ₹844.75 करोड़ पाँच साल से अधिक अवधि से बकाया थे, जैसा कि तालिका-1.4 में वर्णित है।

तालिका-1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व के शीर्ष	दिनांक 31 मार्च 2018 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2018 तक पाँच वर्षों से अधिक अवधि की बकाया राशि	विभाग के जवाब
1.	बिक्री/ वैट, व्यापार आदि पर कर	1,410.41	781.68	विभाग ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे डिमांड का नोटिस जारी करना (दस्तक), मेमो जारी करना, बैंक खातों को जब्त करना और उसके बाद अचल संपत्ति की कुर्की करना, इसके अलावा, बकाया की वसूली सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए।
2.	यात्री कर	22.01	15.78	
3.	मोटर स्पिरिट कर	0.09	0.09	
4.	मनोरंजन कर	0.21	0.21	
5.	चुंगी कर	28.24	28.00	
6.	राज्य उत्पाद शुल्क	18.99	18.99	
7.	वाहनों पर कर	86.99	विभाग के पास समय-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है	
	<b>कुल</b>	<b>1,566.94</b>	<b>844.75</b>	इन बकाया के संबंध में विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई थी।

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा)

### 1.3 निर्धारणों में बकाया राशि

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, निर्धारण हेतु देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों और वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने हेतु लंबित मामलों की संख्या का विवरण, जोकि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा बिक्री कर/ वैट और निर्माण कार्य संविदाओं पर कर के संबंध में प्रस्तुत किए गए थे, तालिका-1.5 में दिया गया है।

तालिका-1.5: निर्धारणों में बकाया राशि

राजस्व के शीर्ष	आदि शेष	वर्ष 2017-18 के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल निर्धारण देय	वर्ष 2017-18 के दौरान मामलों का निस्तारण	वर्ष के अंत में शेष	निपटान का प्रतिशत (कॉ. 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री कर/ वैट	12,002	15,668	27,670	18,679	8,991	68
निर्माण कार्य संविदाओं पर कर	30,256	36,320	66,576	17,925	48,651	27

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा)

निर्धारण के लिए देय कुल मामलों में से, बिक्री कर/ वैट के संबंध में केवल 68 प्रतिशत और निर्माण कार्य संविदा पर कर के 27 प्रतिशत निर्धारण मामले पूरे किए गए थे। विभागों द्वारा 2017-18 के दौरान कम निर्धारणों के कारणों की सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2019), यद्यपि यह कारण मांगे गए थे।

सरकार लंबित आवधिक रूप से निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा तय करने पर विचार करे और निर्धारण को अंतिम रूप देने की प्रगति की निगरानी के लिए एक प्रणाली स्थापित करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभाग के अधिकारियों द्वारा इस निर्धारित समय सीमा का पालन किया जा रहा है।

### 1.4 विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन

विभाग द्वारा यथा प्रतिवेदित पता लगाए गए कर अपवंचन के मामलों, अंतिम रूप दिए गए मामलों और सृजित अतिरिक्त कर मांग के ब्यौरे तालिका-1.6 में दिए गए हैं।

**तालिका-1.6: कर अपवंचन**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व के शीर्ष	31 मार्च 2017 को लंबित मामले	2017-18 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/ जांच पूरी हो गई और जुर्माने आदि के साथ अतिरिक्त मांग भी उठाई गई			31 मार्च 2018 को अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित मामले
					मामलों की संख्या	मांग की राशि	वसूल की गई राशि	
1.	बिक्री कर/ वैट	206	1,184	1,390	1,170	12.24	0.55	220
2.	यात्री कर	शून्य	414	414	414	0.03	0.03	शून्य
3.	चुंगी कर	शून्य	330	330	330	0.36	0.36	शून्य
	<b>कुल</b>	<b>206</b>	<b>1,928</b>	<b>2,134</b>	<b>1,914</b>	<b>12.63</b>	<b>0.94</b>	<b>220</b>

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा)

वर्ष 2017-18 के दौरान 1,914 मामलों में उठाई गई ₹12.63 करोड़ की कुल मांग के प्रति ₹0.94 करोड़ की राशि वसूल की गई जो कि कुल वसूली योग्य राशि का केवल 7.44 प्रतिशत है। वसूली की धीमी गति के कारणों को विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया (मार्च 2019)।

**1.5 प्रतिदाय मामलों का लंबन**

विभाग द्वारा यथा प्रतिवेदित वर्ष 2017-18 के आरंभ में लंबित प्रतिदाय मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावों, वर्ष के दौरान प्रतिदायों की अनुमति और वर्ष 2017-18 के अंत में लंबित मामलों की संख्या तालिका-1.7 में दी गई है।

**तालिका-1.7: प्रतिदाय मामलों के लंबन का विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	बिक्री कर/ वैट	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	8	1.93
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावे	7	0.83
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय	8	2.01
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	7 <sup>6</sup>	0.75

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा)

सरकार मामलों के तत्काल निपटारे के लिए प्रभावी कदम उठा सकती है।

**1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/ विभागों की प्रतिक्रिया**

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू और कश्मीर (ए.जी.), सरकारी विभागों के लिए समय-समय पर निरीक्षण आयोजित करता है ताकि संव्यवहारों की जांच और नियमों और प्रक्रियाओं में निर्धारित महत्वपूर्ण लेखांकन और अन्य रिकॉर्डों के रखरखाव को

<sup>6</sup> 2016-17: दो; 2017-18: पांच

सत्यापित किया जा सके। इन निरीक्षणों के बाद लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करते हुए निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) तैयार की जाती है जिन्हें शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए अगले उच्च अधिकारियों को प्रतियों के साथ निरीक्षण किए गए कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किया जाता है। कार्यालाध्यक्षों/ सरकार को आईआर में निहित टिप्पणियों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, आईआर की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के अंदर दोष और चूक परिशोधित करके और महालेखाकार को रिपोर्ट के अनुपालन की सूचना देना अपेक्षित है। विभागाध्यक्षों और सरकार को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की सूचना दी जाती है।

दिसम्बर 2017 तक जारी की गई 811 आईआर से संबंधित ₹1,216.35 करोड़ मूल्य के कुल 4,111 पैराग्राफ, जून 2018 के अंत तक शेष थे जिसका विवरण तालिका-1.8 में दिया गया है।

तालिका-1.8: लंबित निरीक्षण रिपोर्टों का विवरण

विवरण	जून 2016	जून 2017	जून 2018
निपटान के लिए लंबित आईआर की संख्या	711	775	811
शेष लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	3,400	3,875	4,111
शामिल राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	1,276.83	1,176.45	1,216.35

30 जून 2018 तक बकाया आईआर और लेखापरीक्षा टिप्पणियों के विभाग-वार विवरण और वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन, कानून और परिवहन विभाग (राजस्व क्षेत्र) के संबंध में शामिल राशियाँ तालिका-1.9 में उल्लिखित हैं।

तालिका-1.9: निरीक्षण रिपोर्ट/ लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभाग-वार विवरण

(₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	शेष आईआर की संख्या	शेष लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	शामिल धन मूल्य
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	503	3,044	1,002.30
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	राज्य उत्पाद शुल्क	152	376	119.98
3.	मोटर वाहन	मोटर वाहन पर कर	107	414	83.08
4.	कानून	स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क	49	277	10.99
<b>कुल</b>			<b>811</b>	<b>4,111</b>	<b>1,216.35</b>

2017-18 के दौरान जारी की गई 89 आईआर में से केवल चार आईआर के संबंध में कार्यालयों के प्रमुख से जवाब प्राप्त हुए थे। यह इस तथ्य का सूचक है कि आईआर में इंगित किए गए दोषों, चूक और अनियमितताओं को सुधारने के लिए कार्यालयों और विभागों के प्रमुखों ने कार्रवाई शुरू नहीं की। इसके अलावा, कर राजस्व (वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन और कानून विभागों) से संबंधित

लंबित आपत्तियों की चर्चा के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को (क) लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए और निर्धारित समय में महालेखाकार को जवाब भेजने चाहिए (ख) विभागों को लेखापरीक्षा समितियों का गठन करने, इसकी बैठक आयोजित करने और पैराग्राफों के निपटान की प्रगति की निगरानी करने की सलाह देनी चाहिए।

## 1.7 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

31 मार्च 2018 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत वित्त (वाणिज्यिक कर), राज्य उत्पाद शुल्क, कानून (स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण), परिवहन (मोटर वाहन) विभागों के निरीक्षण रिपोर्ट की संक्षिप्त स्थिति, इन रिपोर्टों में शामिल पैराग्राफ और उनकी स्थिति को निम्नलिखित तालिका-1.10 में सारणीबद्ध किया गया है।

तालिका-1.10: निरीक्षण रिपोर्टों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	आदि शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान मंजूरी			वर्ष के दौरान अंत शेष			मंजूरी पैराग्राफों का प्रतिशत
		आई आर	पैराग्राफ	धन का मूल्य	आई आर	पैराग्राफ	धन का मूल्य	आई आर	पैराग्राफ	धन का मूल्य	आई आर	पैराग्राफ	धन का मूल्य	
1.	2013-14	575	2,472	1,023.77	56	515	180.29	14	157	15.77	617	2,830	1,188.29	5
2.	2014-15	617	2,830	1,188.29	59	553	67.00	08	194	24.93	668	3,189	1,230.36	6
3.	2015-16	668	3,189	1,230.36	70	494	76.86	07	140	25.90	731	3,543	1,281.32	4
4.	2016-17	731	3,543	1,281.32	51	403	329.16	28	237	424.04	754	3,709	1,186.44	6
5.	2017-18	754	3,709	1,186.44	89	767	173.79	09	110	41.24	834	4,366	1,318.99	2

प्रत्येक वर्ष के अंत में लेखापरीक्षा पैराग्राफों की मंजूरी और निपटान बहुत कम था, जो लंबित लेखापरीक्षा पैराग्राफ की कुल संख्या के दो प्रतिशत और छह प्रतिशत के बीच था। लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अधिशासी कार्रवाई पर निस्तेज दृष्टिकोण जवाबदेही को कमजोर करता है और राजस्व की परिहार्य हानि के जोखिम को बढ़ाता है। लंबित लेखापरीक्षा पैराग्राफों की संख्या में निरंतर वृद्धि सरकार का ध्यान आकर्षित करती है ताकि प्रत्येक विभाग में लेखापरीक्षा समितियों के गठन सहित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन और निपटान की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा हेतु प्रभावी तंत्र सुनिश्चित किया जा सके।

## 1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

### 1.8.1 कार्रवाई टिप्पणियों का अप्रस्तुतीकरण

राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने जून 1997 में सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में छपे सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर स्व-

प्रेरणा से कृत कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) लोक लेखा समिति (पीएसी) को प्रस्तुत करें, चाहे उन पर समिति द्वारा चर्चा की गई हो या नहीं। इन एटीएन को राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा विधिवत जांच के बाद समिति को प्रस्तुत किया जाना होता है।

यह देखा गया था कि वर्ष 2000-01 से वर्ष 2015-16 तक राजस्व क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अध्यायों में शामिल 110 लेखापरीक्षा पैराग्राफ में से 88 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में स्व प्रेरणा से एटीएन 30 सितंबर 2018 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

### 1.8.2 पीएसी की सिफारिशों पर कृत कार्रवाई

पीएसी द्वारा चर्चा किए गए लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर, कृत कार्रवाई टिप्पणियों की महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा यथावत जांच के बाद ऐसी टिप्पणियों/सिफारिशों की तारीख से छह महीने के अंदर समिति को प्रस्तुत करना होता है। 2000-01 से 2015-16 तक के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राजस्व क्षेत्र में शामिल 110 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से केवल 17 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर 30 सितंबर 2018 तक पीएसी द्वारा चर्चा की गई है। पीएसी द्वारा आंशिक रूप से चर्चा किए गए 12 पैराग्राफों सहित 17 लेखापरीक्षा पैराग्राफ के संबंध में सिफारिशों की गई हैं, हालांकि, समिति की सिफारिशों पर एटीएन 13 पैराग्राफों के संबंध में राज्य सरकार से लंबित है।

### 1.8.3 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले पांच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों की स्थिति, विभाग द्वारा स्वीकार की गई और वसूल की गई राशि तालिका-1.11: में उल्लिखित है।

तालिका-1.11: पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफ

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल पैराग्राफों की संख्या	पैराग्राफों का धन मूल्य	स्वीकृत पैराग्राफों की संख्या	स्वीकृत पैराग्राफों का धन मूल्य	वर्ष 2017-18 के दौरान वसूल की गई राशि	31 मार्च 2018 तक स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति
2012-13	6	244.53	6	244.53	शून्य	0.10
2013-14	5	9.28	5	1.11	शून्य	0.04
2014-15	4	0.76	4	0.76	शून्य	0.10
2015-16	7	124.10	6	88.76	शून्य	0.07
2016-17 <sup>7</sup>	8	2.14	8	2.14	शून्य	0.20
<b>कुल</b>	<b>30</b>	<b>380.81</b>	<b>29</b>	<b>337.30</b>		<b>0.51</b>

<sup>7</sup> लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016-17 को राज्य विधानमंडल में अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया है

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 में शामिल पैराग्राफों के संबंध में, विभाग/ सरकार ने ₹337.30 करोड़ मूल्य की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया, जिनमें से वर्ष 2017-18 तक केवल ₹0.51 करोड़ की वसूली की गई, जो कि स्वीकृत राशि का केवल 0.15 प्रतिशत है। विभाग स्वीकृत मामलों में शामिल देयताओं की वसूली को आगे बढ़ाने और निगरानी करने के लिए उचित कार्रवाई कर सकता है।

### 1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा टिप्पणियों की पिछली प्रवृत्तियों और अन्य मापदंडों के अनुसार उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार के राजस्व और कर प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात् बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग की रिपोर्ट (राज्य और केंद्र), कराधान सुधार समिति को सिफारिशें, पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व आय का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के कारक, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और पिछले वर्षों के दौरान इसका प्रभाव, शामिल होते हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों (वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन और कानून विभागों) की 402 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थीं, जिनमें से 108 (27 प्रतिशत) इकाइयों के लिए योजना बनाई गई थी और 94 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी।

### 1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

#### वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2017-18 के दौरान वाणिज्यिक कर (बिक्री कर/ वैट), राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन और कानून विभागों की 402 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 94 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 33,237 मामलों में कुल ₹377.77 करोड़ के अवनिर्धारण/ कर अपवंचन/ इनपुट कर क्रेडिट की अनियमित अनुमति आदि का पता चला। वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों को 97 मामलों में शामिल ₹2.22 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य कमियां स्वीकार की हैं, जो वर्ष 2017-18 और उससे पहले के वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा में बताई गई थी। विभागों ने पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित 19 मामलों में ₹53.38 लाख एकत्र/ वसूल किए। स्वीकृत वसूलियों के इकाई-वार विवरण **परिशिष्ट-1.1.1** में वर्णित हैं।

### 1.11 राजस्व अध्याय की कवरेज

इस प्रतिवेदन में 'वाहनों पर करों का अधिरोपण और संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है, और आठ पैराग्राफों में ₹186.62 करोड़ का राजस्व निहितार्थ है, जो 'माल और सेवा कर में अंतरण की तैयारी', (खरीद और बिक्री को छुपाने के कारण कर का कम उदग्रहण, और गलत वर्गीकरण) इनपुट कर क्रेडिट की गलत अनुमति, स्टाम्प शुल्क/ पंजीकरण शुल्क की कम उगाही और गलत दरों के उपयोग आदि से संबंधित है। विभागों/ सरकार ने ₹178.34 करोड़ मूल्य की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया है, जिनमें से ₹15.80 लाख की वसूली की जा चुकी है।



**अध्याय-2**  
**निष्पादन तथा अनुपालन लेखापरीक्षा**  
**(राजस्व क्षेत्र)**



## अध्याय-2

### निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा (राजस्व क्षेत्र)

#### क. सामान्य

#### 2.1 कर प्रशासन

##### 2.1.1 बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर/ वस्तु एवं सेवा कर

बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर/ वस्तु एवं सेवा कर सरकारी स्तर पर, सरकार के मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा शासित किए जाते हैं। राज्य के कर विभाग के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण का कार्य राज्य कर आयुक्त को सौंपा गया है। तीन अपर आयुक्तों, (जम्मू एवं कश्मीर डिवीजन प्रत्येक के लिए एक तथा एक कर योजना के लिए), 19 उपायुक्तों, (जम्मू: 09; कश्मीर: 08 तथा मुख्यालय: 01 एवं न्यायिक मामले: 01) तथा 10 सहायक आयुक्तों (जम्मू: 05 कश्मीर: 05) द्वारा राज्य कर आयुक्त के कार्यों में सहयोग किया जाता है। राज्य को 63 राज्य करों के सर्कलों (जम्मू 30; कश्मीर 33) में बांटा गया है, प्रत्येक की अध्यक्षता एक राज्य कर अधिकारी द्वारा की जाती है।

##### 2.1.2 राज्य उत्पाद शुल्क

जम्मू और कश्मीर राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, जम्मू और कश्मीर उत्पाद शुल्क अधिनियम 1901 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उत्पाद शुल्क लगाने के लिए उत्तरदायी है। विभाग की अध्यक्षता उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त द्वारा की जाती है, जिन्हें पांच उप उत्पाद शुल्क आयुक्तों (जम्मू: 04; कश्मीर: 01) और 16 उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारियों (जम्मू: 10; कश्मीर: 06) द्वारा कार्यों में सहयोग प्रदान किया जाता है। 20 डिस्टिलरी/ बॉटलिंग प्लांट हैं जो उत्पाद शुल्क तथा कराधान अधिकारी, डिस्टिलरीज, जम्मू के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

##### 2.1.3 वाहनों पर कर

परिवहन विभाग से प्राप्तियों को केंद्र तथा राज्य मोटर अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है तथा यह परिवहन आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

#### 2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017-18 के दौरान बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर/ राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन और विधि विभाग की कुल 402 इकाइयों में से 94 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच से, 33,237 मामलों में, ₹377.77 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/ कम उदग्रहण का पता चला, जैसा कि तालिका-2.1 में वर्णित है।

तालिका-2.1: लेखापरीक्षा के परिणाम


(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
<b>बिक्री कर, व्यापार/ वैट आदि</b>			
1.	अवनिर्धारण कर	114	25.25
2.	बिक्री/ खरीद के छिपाव के कारण कर अपवंचन	424	128.97
3.	इनपुट कर क्रेडिट की अनियमित/ गलत/ अधिक अनुमति	54	3.52
4.	अन्य अनियमितताएं	266	16.72
	<b>कुल</b>	<b>858</b>	<b>174.46</b>
<b>स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क</b>			
1.	संपत्ति का कम मूल्यांकन/ कम उगाही	621	1.13
2.	गैर-जवाबदेही/ कम जवाबदेही/ कम कटौती	01	0.07
3.	अन्य अनियमितताएं	03	0.35
	<b>कुल</b>	<b>625</b>	<b>1.55</b>
<b>मोटर वाहन कर</b>			
1.	कम कटौती/ गैर और कम जवाबदेही	94	0.01
2.	अन्य अनियमितताएं	31,659	16.56
3.	"वाहनों पर कर अधिरोपण और संग्रहण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा	01	185.19
	<b>कुल</b>	<b>31,754</b>	<b>201.76</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>33,237</b>	<b>377.77</b>

बिक्री, व्यापार, वैट आदि, स्टाम्प शुल्क/ पंजीकरण शुल्क और मोटर वाहन करों पर देखे गए श्रेणी वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष, क्रमशः चार्ट-2.1, 2.2 और 2.3 में दर्शाए गए हैं।


चार्ट-2.1

(₹ करोड़ में)




चार्ट-2.2

(₹ करोड़ में)



चार्ट-2.3

(₹ करोड़ में)



वर्ष के दौरान विभाग ने विभिन्न शीर्षों के तहत ₹53.38 लाख के राजस्व की वसूली की जो पिछले वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे।

## ख. निष्पादन लेखापरीक्षा

### परिवहन विभाग

#### 2.3 “वाहनों पर कर अधिरोपण और संग्रहण” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

परिवहन विभाग राज्य में वाहन चलने को नियंत्रित करता है और वाहनों के पंजीकरण, परमिट देने और फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। विभाग वाहन चालकों, कंडक्टरों को भी लाइसेन्स जारी करता है और वाहन व्यापारियों को व्यापार करने का लाइसेन्स देता है। यह प्रदूषण नियंत्रण केंद्रों को प्राधिकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भी उत्तरदायी है। राजस्व प्राप्तियों की उगाही हेतु विभाग की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

#### मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में, राजस्व संग्रहण में कमी 11 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के बीच थी। वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित लक्ष्य, हालांकि 135 प्रतिशत के स्तर तक प्राप्त किए गए थे जो पिछले दो वर्षों के लक्ष्यों की तुलना में काफी कम थे।

(पैराग्राफ: 2.3.6)

- आठ (11 में से) चयनित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों/ सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ/ एआरटीओ) में पंजीकृत 21,918 निजी वाहनों के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्रों का निर्धारित समय सीमा के बाद भी नवीकरण नहीं करने के कारण ₹6.12 करोड़ के पंजीकरण शुल्क/ कर की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ: 2.3.8)

- 91 पंजीकृत डीलरों द्वारा अस्थायी पंजीकरण शुल्क की दरों के गलत अनुप्रयोग के कारण ₹3.54 करोड़ के शुल्क की कम वसूली हुई।

(पैराग्राफ: 2.3.8.1)

- अखिल भारतीय/ अखिल जम्मू और कश्मीर मार्ग के यात्री वाहनों के रूट परमिट, जिला रूट परमिट और राष्ट्रीय परमिटों के लंबे समय से अधिकार के गैर-नवीकरण के परिणामस्वरूप ₹11.16 करोड़ के नवीकरण शुल्क/ अतिरिक्त शुल्क की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ: 2.3.11.1 से 2.3.11.3)

- गुड्स एजेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़, प्रदूषण नियंत्रण जाँच केंद्रों, ड्राइविंग संस्थानों और व्यवसाय प्रमाणपत्रों के लाइसेन्सों का समय पर नवीकरण न करने के परिणामस्वरूप ₹157.04 लाख की वसूली नहीं/ कम वसूली हुई।

(पैराग्राफ: 2.3.12 से 2.3.16)

- चयनित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों/ सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों की लेखापरीक्षा की संवीक्षा से, पूर्व-संशोधित दरों पर हाइपोथिकेशन शुल्क प्रभारित करने से 10,239 हाइपोथिकेशन करारों पर ₹1.24 करोड़ का आधिक्य शुल्क तथा 2,479 हाइपोथिकेशन करारों में ₹0.02 करोड़ का अल्प शुल्क प्रभारित करने का पता चला।

(पैराग्राफ: 2.3.17)

### 2.3.1 प्रस्तावना

मोटर वाहनों का पंजीकरण, लाइसेन्स/ परमिट जारी करना, और राज्य में शुल्क और करों का उद्ग्रहण और संग्रहण को मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियम 1989, जम्मू और कश्मीर मोटर वाहन कराधान (जेकेएमवीटी) अधिनियम, 1957 तथा जम्मू और कश्मीर मोटर वाहन (जेकेएमवी) नियमावली, 1991 के तहत विनियमित किया जाता है। वीएचएन और एसएआरएटीएचआई सॉफ्टवेयर्स की अवधारणा राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए मूल उत्पाद में विशिष्ट रूप से निर्माण के साथ सेन्ट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1988, के साथ-साथ राज्य मोटर वाहन नियमावली द्वारा अधिदेशित कार्यात्मकता का पता लगाने के लिए की गई है। वीएचएन 4.0 और एसएआरएटीएचआई 4.0 का उन्नत संस्करण जम्मू और कश्मीर राज्य (लेह और कारगिल को छोड़कर) में 25 नवंबर 2016 से लागू किया गया था। हालांकि, लेह में इसे 19 मार्च 2018 से और कारगिल में 26 जुलाई 2018 से लागू किया गया था। वीएचएन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आरटीओ/ एआरटीओ की सभी प्रक्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण ने वाहनों/ नागरिकों की सूचना का संपूर्ण डाटाबेस बनाने की सुविधा प्रदान की है। वीएचएन वाहनों के पंजीकरण, परमिट, कर, फिटनेस और प्रवर्तन पर पूर्ण रिपोर्ट प्रदान करता है। एसएआरएटीएचआई ड्राइवर्स का अखिल भारतीय डाटाबेस प्रदान करता है।

### 2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रधान सचिव (परिवहन) मोटर वाहन विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है और परिवहन आयुक्त कार्यकारी प्रमुख होता है। परिवहन आयुक्त की सहायता तीन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों<sup>1</sup> (आरटीओ) और 19 सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों<sup>2</sup> (एआरटीओ) द्वारा की जाती है। परिवहन आयुक्त राज्य परिवहन प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, एमवी अधिनियम, 1988 के प्रावधानों को लागू करने और प्रशासित

<sup>1</sup> श्रीनगर, जम्मू और कठुआ

<sup>2</sup> अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, बडगाम, गांदरबल, कारगिल, कुलगाम, कुपवाड़ा, लेह, पुलवामा, शोपियां, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा और उधमपुर

करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों<sup>3</sup> (आरटीए) की गतिविधियों का समन्वय और विनियमन करता है। आरटीओ/ एआरटीओ वाहनों के पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्राधिकरण, ड्राइविंग लाइसेन्स जारी करने, एमवीटी (रोड टैक्स) संगृहीत करने, परमिट जारी करने और अधिनियम और नियमों में वर्णित विभिन्न शुल्कों का संग्रहण करने के लिए लाइसेन्स प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

### 2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या:-

- कर उदग्रहण और कर संग्रहण करने के लिए अधिनियमों/ नियमों में प्रावधानों का पालन करने की प्रणाली थी तथा यह कम्प्यूटरीकृत अनुप्रयोग के अनुरूप और पूरक थी;
- विभाग में कार्यरत वीएचएएन और एसएआरएटीएचआई जैसे कम्प्यूटरीकृत अनुप्रयोग पर्याप्त, पूर्ण, सटीक और वांछित परिणाम देने वाले हैं; तथा
- राजस्व लीकेज को रोकने के लिए विभाग में पर्याप्त निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद है।

### 2.3.4 कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

जनवरी 2018 से अगस्त 2018 के बीच, परिवहन आयुक्त कार्यालय, सभी तीनों आरटीओ<sup>4</sup> और आठ (19 में से) एआरटीओ<sup>5</sup> की 2013-14 से 2017-18 की अवधि को शामिल करते हुए, निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। आकार के माप के रूप में एमवीटी प्राप्तियों को लेकर प्रतिस्थापन के बिना आकार के संभावना अनुपात को (पीपीएसडब्ल्यूआर) विधि के आधार पर चयन किया गया था। वाहन रिकॉर्ड्स का चयन सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग विधि और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से किया गया था।

3 जनवरी 2018 को परिवहन आयुक्त के साथ एक एन्ट्री कान्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंडों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सरकार/ विभाग को उनकी टिप्पणियों के लिए अक्टूबर 2018 में भेज दिया गया था। 11 जनवरी 2019 को विभाग के साथ एक एग्जिट कान्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी। एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, विभाग के उत्तरों और मतों को प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

<sup>3</sup> जम्मू, श्रीनगर और कठुआ

<sup>4</sup> जम्मू, कठुआ और श्रीनगर

<sup>5</sup> उधमपुर, राजौरी, सांबा, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा और लेह

### 2.3.5 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम, 1988
- केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियमावली 1989
- जम्मू और कश्मीर मोटर वाहन कराधान (जेकेएमवीटी) अधिनियम, 1957
- जम्मू और कश्मीर मोटर वाहन (जेकेएमवी) नियमावली, 1991; तथा
- विभाग और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र और अधिसूचनाएं।

### 2.3.6 राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति

बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक प्राप्तियां जम्मू-कश्मीर की कुल प्राप्तियों में इसका योगदान और 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान संग्रह की लागत नीचे तालिका में दर्शायी गई है:

तालिका-2.3.1: निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वर्ष-वार राजस्व संग्रहण


(₹ करोड़ में)						
वर्ष	बजट अनुमान (बीई)	वास्तविक प्राप्तियाँ	विभिन्नता अधिकता (+)/ कमी (-) (प्रतिशत)	राज्य द्वारा कर राजस्व का सृजन	कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में एमवीटी	वाहनों की संख्या (लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013-14	151.60	134.23	(-) 17.37 (11)	6,272.74	2.13	11.33
2014-15	159.55	132.34	(-) 27.21 (17)	6,333.95	2.09	12.44
2015-16	183.00	145.15	(-) 37.85 (21)	7,326.19	1.98	13.65
2016-17	199.50	149.71	(-) 49.79 (25)	7,819.13	1.91	14.88
2017-18	168.51	228.11	(+) 59.60 (35)	9,536.40	2.39	16.57

(स्रोत: वित्त लेखे, विभागीय आंकड़े, कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में हैं)

मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियों ने 2013-18 के दौरान बढ़ते रुझान को दिखाया। मोटर वाहन कर प्राप्तियां पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य की अपनी कर प्राप्तियों का लगभग दो प्रतिशत हैं। बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व संग्रहण में 2013-14 से 2016-17 के दौरान कमी 11 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के बीच थी। 2017-18 के दौरान, पिछले वर्ष की प्राप्ति के मुकाबले, राजस्व प्राप्तियों में 52 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। ड्राइविंग लाइसेन्स, व्यापार प्रमाण पत्र, पंजीकरण, हाइपोथिकेशन और फिटनेस शुल्क आदि की दरों में संशोधन के कारण वृद्धि हुई। हालांकि, 2017-18 के लिए निर्धारित लक्ष्य का 135 प्रतिशत के स्तर तक प्राप्त किया गया जो कि वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में काफी कम था। उत्तर में, परिवहन आयुक्त ने कहा (अक्टूबर 2018) कि वित्त विभाग द्वारा वास्तविक

उपलब्धियों पर विचार किए बिना वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य को यांत्रिक रूप से निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष की कमी को ध्यान में रखते हुए 2017-18 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा इसे पूर्ण रूप से प्राप्त किया गया।

### 2.3.7 गतिविधि प्रवाह चार्ट



**स्टेज कैरिज बसें** वे वाहन हैं जो पूरी यात्रा के लिए या यात्रा के चरणों के लिए अलग-अलग यात्रियों द्वारा या उनके लिए भुगतान किए गए किराए या प्रतिफल के लिए चालक को छोड़कर छह से अधिक यात्रियों को ले जाते हैं।

**निजी सेवा वाहन** वे वाहन होते हैं, जो किराए या प्रतिफल के अलावा उनके अन्य व्यापार या व्यवसाय के संबंध में या व्यक्तियों को ले जाने के प्रयोजन हेतु उनके मालिक द्वारा या उसकी ओर से उपयोग किए जा रहे ड्राइवर को छोड़कर, छः से अधिक यात्रियों को ले जाते हैं परन्तु इसमें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोटर वाहन शामिल नहीं होते हैं।

**कॉन्ट्रैक्ट कैरिज** से तात्पर्य एक मोटर वाहन है जो एक यात्री या यात्रियों को किराए या प्रतिफल के लिए स्थान से स्थान तक ले जाता है और अनुज्ञप्तिधारक व्यक्ति द्वारा की गई संविदा के तहत काम पर लगाए गए हैं।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 2.3.8 निजी वाहनों/ दुपहिया वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों का नवीकरण न होना

एमवी अधिनियम, 1988 यह उपबंधित करता है कि परिवहन वाहन के अलावा अन्य मोटर वाहन के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से 15 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नवीकरणीय होगा। आवेदन की प्राप्ति पर, पंजीकरण प्रमाणपत्र का पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण किया जाता है तथा मूल पंजीकरण प्राधिकारी को वास्तविकता सूचित करनी होती है।

वीएचएएन के डाटा विश्लेषण से यह पता चला कि, कुल, 4,31,459 निजी कारें तथा 8,06,001 दुपहिया वाहन 11 चयनित आरटीओ/ एआरटीओ में पंजीकृत थे। जिसमें से वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान 15,075 निजी कारों का तथा 12,672 दुपहिया वाहनों का पंजीकरण आठ<sup>6</sup> आरटीओ/ एआरटीओ में पंजीकरण के नवीकरण के लिए देय था। हालांकि, केवल 5,829 वाहन मालिकों (कार: 4,782; दुपहिया वाहन: 1,047) (21 प्रतिशत) ने अप्रैल 2013 से मार्च 2018 के दौरान अपने नवीकृत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए। शेष 10,293 निजी कारों और 11,625 दुपहिया वाहनों के मालिकों ने न तो पंजीकरण का नवीकरण करवाया और न ही पंजीकरण प्रमाणपत्र को 15 वर्ष की समाप्ति के बाद पंजीकरण प्राधिकारी को सौंपा। विभाग ने पंजीकरण के नवीकरण के लिए इन वाहन मालिकों के प्रति कोई

<sup>6</sup> जम्मू, कठुआ, राजौरी, उधमपुर, सांबा, श्रीनगर, बडगाम, तथा कुपवाड़ा

कार्रवाई नहीं की थी। इन 21,918 वाहनों के संबंध में राजस्व निहितार्थ ₹6.12 करोड़ (पंजीकरण शुल्क/ मोटर वाहन कर<sup>7</sup>) था।

इस विषय में बताए जाने पर, संबंधित आरटीओ/ एआरटीओ और परिवहन आयुक्त ने बताया कि चूककर्त्ताओं को उनके वाहनों के पंजीकरण के नवीकरण के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे और तदनुसार उनसे राजस्व की वसूली की जाएगी। मार्च 2008 में समाप्त अवधि के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के गैर-नवीकरण को पूर्व प्रतिवेदन में बताया गया था।

*आरसी को वापिस न करने पर नजर न बनाए रखने और वीएचएएन 1.0 में रिपोर्ट के सृजन से संबंधित प्रावधान के अभाव के परिणामस्वरूप गैर-ट्रांसपोर्ट वाहनों का पुनः नवीकरण नहीं हुआ। वीएचएएन 4.0 उन वाहनों की सूची बनाने के लिए तिथि-वार तथा पंजीकरण संख्या-वार रिपोर्ट बना सकता है, जिनका पुनः पंजीकरण बकाया है। विभाग को प्रभावी व्यवस्था के लिए एक सक्षम तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि वीएचएएन 4.0 में उपलब्ध विशेषताओं के लाभ को उपयोग में लाया जा सके।*

### 2.3.8.1 डीलरों द्वारा अस्थायी पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण

जेकेएमवी नियमावली 1991 के अनुसार, डीलर को सीएमवी नियमावली 1989 के नियम 81 के तहत वर्णित प्रत्येक बेचे गए वाहन के संबंध में अस्थायी पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। भारत सरकार की अधिसूचना (दिसंबर 2016) के अनुसार, वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में, दिनांक 29 दिसंबर 2016 से प्रभावी अस्थायी पंजीकरण शुल्क की संशोधित दरों का समर्थन संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी के लिए परिवहन आयुक्त द्वारा 11 जनवरी 2017 को किया गया।

दो आरटीओ (जम्मू और श्रीनगर), जो की अस्थायी पंजीकरण जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं, के रिकॉर्ड्स की लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि 11 जनवरी 2017 के बाद से 31 अक्टूबर 2017 तक पंजीकृत 1,08,011 वाहनों के संदर्भ में देय ₹4.97 करोड़ के अस्थायी पंजीकरण शुल्क के प्रति 91 पंजीकृत डीलरों द्वारा केवल ₹1.43 करोड़ की वसूली की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹3.54 करोड़<sup>8</sup> की कम वसूली हुई।

<sup>7</sup> नवीकरण शुल्क: (कार: ₹600; दुपहिया वाहन: ₹300); प्रयोक्ता शुल्क: (कार: ₹200; दुपहिया: ₹100); पाँच वर्षों के लिए मोटर वाहन कर: (कार: ₹3,000; दुपहिया: ₹1,500)

<sup>8</sup> आरटीओ जम्मू: ₹2.32 करोड़; आरटीओ श्रीनगर: ₹1.22 करोड़

आरटीओ जम्मू ने कहा (मार्च 2018) कि अस्थाई पंजीकरण शुल्क की कम वसूली दरों के संशोधन के ऑर्डर की प्रतिलिपि नहीं मिलने के कारण हुई तथा देय राशि डीलरों से वसूल की जाएगी।

विभाग एक ऐसी स्वचालित प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर सकता है जहां विभाग में जारी अधिसूचनाओं को कार्यालयी बेवसाइट पर जारी किया जाए तथा इन्हें विभाग में संबंधित सभी को ई-मेल द्वारा परिचालित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, जहां भी आवश्यक हो सिस्टम सॉफ्टवेयर में अधिसूचित दरों को अद्यतित करने के लिए प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समय-समय पर जारी निर्धारित दरों के अनुसार राजस्व की वसूली की गई है।

### 2.3.9 कर का उद्ग्रहण तथा बकाया करों पर जुर्माना न लगाना

जेकेएमवीटी अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, एमवीटी सभी प्रकार के वाहनों पर निर्धारित दरों पर उद्ग्रहण हैं और एक समान तिमाही किश्तों में अग्रिम रूप से वसूली योग्य है। देय तिथि तक कर का भुगतान न करने पर देय कर के 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लगाया जाएगा। जहां पर किसी वाहन के संबंध में देय कर का भुगतान नहीं किया गया हो, तो वहां विभाग वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर सकता है। यदि किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है तो भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूला जा सकता है। समय-समय पर करों की लागू दरें **परिशिष्ट 2.3.1** में दी गई हैं:-

11 चयनित आरटीओ/ एआरटीओ की कर चूककर्ता रिपोर्ट की संवीक्षा से पता चला कि 40,337 वाहनों के संबंध में ₹27.36 करोड़ के एमवीटी की वसूली नहीं की गई थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

तालिका-2.3.2: आरटीओ/ एआरटीओ की नमूना जांच में बकाया एमवीटी का विवरण

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	कुल जनसंख्या	आपत्तियों में लिप्त मामले	सम्मिलित आरटीओ / एआरटीओ	आपत्ति की प्रकृति	देय राशि	भुगतान की गई राशि	आपत्ति में सम्मिलित मामलों में देय राशि
						(₹ करोड़ में)		
1	बसें	12,603	1,610	11	बकाया एमवीटी	11.78	10.85	0.93
2	मोटर कैब/ शैक्षिक बसें	17,380	1,010	10 <sup>9</sup>	बकाया एमवीटी	3.47	3.20	0.27
3	गुड्स कैरियर/ अन्य वाणिज्यिक वाहन	92,436	22,585	11	बकाया एमवीटी	95.25	76.97	18.28
4	मैक्सी कैब	36,802	4,413	11	बकाया एमवीटी	15.20	14.03	1.17

<sup>9</sup> एआरटीओ अनंतनाग में अनियमितताएं नहीं पाई गईं

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	कुल जनसंख्या	आपत्तियों में लिप्त मामले	सम्मिलित आरटीओ / एआरटीओ	आपत्ति की प्रकृति	देय राशि	भुगतान की गई राशि	आपत्ति में सम्मिलित मामलों में देय राशि
5	तिपहिया वाहन (गुड्स)/ तिपहिया (यात्री)	56,278	10,719	10 <sup>10</sup>	बकाया एमवीटी	14.17	7.46	6.71
	<b>कुल</b>	<b>2,15,499</b>	<b>40,337</b>			<b>139.87</b>	<b>112.51</b>	<b>27.36</b>

लम्बित बकाया की वसूली करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए। “वीएचएएन 4.0” से तैयार की गई रिपोर्ट में ऐसे कर के 2 प्रतिशत प्रति माह की दर पर जेकेएमवीटी अधिनियम 1957 की धारा 7ए के तहत ब्याज की गणना करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जहां किसी वाहन के संबंध में देय कर का भुगतान नहीं किया गया हो और इसकी गणना मैनुअली रूप से की जा सके।

वीएचएएन 4.0” से सृजित 11 नमूना आरटीओ/ एआरटीओ के कर भुगतान के डाटा के विश्लेषण की अप्रैल 2013 से मार्च 2018 की अवधि की रिपोर्ट से यह भी पता चला कि 88,863 मामलों<sup>11</sup> (8 प्रतिशत) में वाहन मालिकों द्वारा कर का भुगतान करने में देरी की गई जिसके लिए 2 प्रतिशत की निर्धारित दर से जुर्माने का उद्ग्रहण नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹10.58 करोड़ के जुर्माने का कम उद्ग्रहण हुआ।

संबंधित आरटीओ/ एआरटीओ तथा परिवहन आयुक्त ने बताया कि बकाया एमवीटी के भुगतान के लिए चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे और नियमों के तहत राजस्व की वसूली की जाएगी। परिवहन आयुक्त ने यह भी कहा (अक्टूबर 2018) कि देरी से कर का भुगतान करने पर जुर्माना लगाने के लिए वीएचएएन सॉफ्टवेयर बनाने हेतु एनआईसी से बात की जाएगी। मार्च 2011 तथा मार्च 2013 को समाप्त पूर्व प्रतिवेदनों में भी इस बात को इंगित किए जाने और विभाग द्वारा इसका पुष्टिकरण (सितंबर 2011), कि मामले पर एनआईसी के साथ बात की जाएगी, के बावजूद भी इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

*चूककर्त्ता वाहन मालिकों से देयताओं की वसूली सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, जब भी वाहन मालिक किसी विशेष नवीकरण के लिए आवेदन करेगा तो जुर्माना/ आर्थिक दंड सहित सभी बकाया देयताओं का संग्रहण करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।*

<sup>10</sup> एआरटीओ लेह में अनियमितताएं नहीं पाई गईं

<sup>11</sup> 10,47,597 मामलों में से

### 2.3.10 परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र

सीएमवी नियमावली 1989 के नियम 62 के साथ पठित एमवी अधिनियम, 1988 के अनुसार, एक परिवहन वाहन को तब तक वैध पंजीकृत नहीं माना जाएगा जब तक उसे फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता, जो शुरुआत में दो वर्षों के लिए वैध होगा तथा इसके पश्चात निर्धारित<sup>12</sup> शुल्क का भुगतान करने पर प्रत्येक वर्ष उसका नवीकरण किया जाएगा।

परिवहन वाहन के संबंध में चयनित 11 आरटीओ/ एआरटीओ में “वीएचएएन 4.0” के डाटा विश्लेषण से पता चला कि मार्च 2018 तक 1,04,635 वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र बकाया थे। 67,538 वाहन (65 प्रतिशत) के फिटनेस प्रमाणपत्र नवीकृत किए जा चुके थे तथा शेष 37,097 (35 प्रतिशत) पंजीकृत वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्रों का नवीकरण नहीं किया गया था। वसूल न किया गया राजस्व ₹122.19 करोड़ था। यह जोखिम है कि ये वाहन सड़कों के लिए उपयुक्त न हो, जिससे प्रदूषण के स्तर को भी बढ़ाने के अलावा यात्रियों/ आने-जाने वालों के जीवन को खतरा हो सकता है।

इसके अलावा, वीएचएएन रिपोर्ट्स के विश्लेषण से ये पता चला कि 16,789 वाहन मालिकों (37,097 में से), जिन्होंने मार्च 2018 तक चयनित आरटीओ/ एआरटीओ से फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया था, ने उसी अवधि में एमवीटी का भुगतान कर दिया था, जिसने यह दर्शाया कि विभाग ने एमवीटी की स्वीकृति से पूर्व वाहनों की फिटनेस पर ध्यान देना सुनिश्चित नहीं किया था।

संबंधित आरटीओ/ एआरटीओ तथा परिवहन आयुक्त ने बताया कि चूककर्त्ताओं को अधिनियम/ नियमों का उल्लंघन करने के लिए नोटिस दिया जाएगा तथा राशि वसूल की जाएगी। यह भी बताया गया कि वाहन मालिकों द्वारा एमवीटी इत्यादि जमा करने के दौरान वाहनों की फिटनेस के लिए एक जांच भी की जाएगी। **मार्च 2008 तथा मार्च 2013 को समाप्त पूर्व प्रतिवेदनों में इस विषय में बताए जाने के बावजूद भी, इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।**

<sup>12</sup> फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने या नवीकरण हेतु शुल्क प्रति वाहन ₹200 की दर पर; वाहन का परीक्षण करने हेतु फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने या नवीकरण के लिए; तीन पहिया/ एलएमवी/ चौपहिया: ₹400 (मैनुअल); मध्यम या एचएमवी: ₹600 (मैनुअल); फिटनेस प्रमाणपत्र की अवधि की समाप्ति के बाद देरी के प्रत्येक दिन के लिए ₹25 का अतिरिक्त शुल्क (15 जनवरी 2018 से प्रभावी, ₹50 उससे पहले)

अपराधों की कंपाउंडिंग के लिए उत्तरदायी राज्य यातायात पुलिस जैसे विभागों और अन्य अधिकारियों<sup>3</sup> के बीच तालमेल बैठाने हेतु एक व्यवहार्य मजबूत तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है ताकि जो वाहन अनुपयुक्त हैं या जिन मामलों में करों का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें सड़कों पर चलने की अनुमति न दी जाए। इसके अलावा, एक स्वचालित प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जिसके तहत इस संबंध में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए वाहन मालिक के मोबाइल फोन पर सूचना/ नोटिस जारी की जा सके।

### 2.3.11 विभिन्न प्रकार के रूट परमिटों का अनुमोदन/ नवीकरण

एमवी अधिनियम 1988, परमिट देने के लिए प्रक्रिया का वर्णन करता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 81 के अनुसार, एक अस्थाई परमिट<sup>14</sup> के अतिरिक्त एक अन्य परमिट पाँच वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा तथा इसकी समाप्ति से 15 दिन पहले इसके नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जेकेएमवी नियमावली, 1991 के नियम 79 तथा 80 में (परिशिष्ट-2.3.1 में दी गई दरें) अन्य बातों के साथ-साथ आवेदन शुल्क, परमिट शुल्क, नवीकरण शुल्क की दरों के साथ परमिट के नवीकरण के लिए विलम्बित आवेदन हेतु अतिरिक्त शुल्क का वर्णन करते हैं।

परिवहन आयुक्त, राष्ट्रीय अखिल भारतीय/ अखिल जेएंडके रूट परमिट जारी करने/ उनके नवीकरण के मामलों को देखते हैं। जिले में रूट परमिटों को संबंधित आरटीओ/ एआरटीओ द्वारा जारी/ नवीकरण किया जाता है। यद्यपि, राज्य के 20 (22 में से) जिलों में जारी जिला रूट परमिटों को जारी करने/ नवीकरण करने का विवरण वीएचएएन पर उपलब्ध है, परिवहन आयुक्त द्वारा जारी राष्ट्रीय/ अखिल भारतीय/ अखिल जेएंडके रूट परमिटों के संबंध में विवरण मार्च 2018 तक वीएचएएन पर उपलब्ध नहीं थे।

#### 2.3.11.1 माल वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहनों के अखिल भारतीय/ अखिल जेएंडके रूट परमिटों का गैर-नवीकरण

अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2018) ने दर्शाया कि परिवहन आयुक्त द्वारा (मार्च 2018 तक) माल वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों के अखिल भारतीय/ अखिल जेएंडके के 1,795 रूट परमिटों में से, 974 परमिटों का एक से 7,403 दिनों के बीच की अवधियों के लिए नवीकरण नहीं किया गया। इन परमिटों के नवीकरण न होने के

<sup>13</sup> जिला न्यायाधीश, डिवीजनल आयुक्त, उप आयुक्त आदि

<sup>14</sup> अस्थाई परमिट सीमित अवधि के लिए जारी परमिट है, जो किसी भी स्थिति में चार महीने से अधिक नहीं होगा। विशेष आयोजनों पर जैसे मेले, धार्मिक सभाओं तथा मौसमी कारोबार के अनुसार अस्थाई परमिट जारी किए जाते हैं

परिणामस्वरूप ₹25.23 लाख<sup>15</sup> के नवीकरण शुल्क/ अतिरिक्त शुल्क<sup>16</sup> की वसूली नहीं हुई तथा ये भी जोखिम है कि ये वाहन वैध परमिट के बिना चल रहे हों।

मार्च 2018 माह के लिए, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की लखनपुर टोल पोस्ट के आयात रिकॉर्ड की नमूना जांच से पता चला कि ऐसे 33<sup>17</sup> वाहनों ने अपने परमिटों के नवीकरण के बिना ही राज्य की सीमाओं को पार कर लिया था। इससे यह प्रमाणित होता है कि ये वाहन चल रहे हैं। **विभाग ने राज्य की सीमाओं को पार करने/ अखिल जेएंडके रूटों पर वैध परमिट के बिना चलने वाले ऐसे वाहनों की जांच करने के लिए कोई नियंत्रण तंत्र विकसित नहीं किया है।**

परिवहन आयुक्त ने बताया (अक्टूबर 2018) कि ऐसे सभी परमिट धारकों को नवीकरण करवाने का नोटिस दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने उन नियमों को भंग करने/ चूककर्त्ताओं के प्रति विशेष अभियान चलाने के लिए जांच दलों का गठन किया है, जिनके मामले में रूट परमिटों का नवीकरण नहीं हुआ है।

### 2.3.11.2 जिला रूट परमिटों का नवीकरण न होना

वीएचएएन से सृजित 10<sup>18</sup> चयनित आरटीओ/ एआरटीओ (24 जनवरी 2018 तक) के संबंध में परमिट रिपोर्टों तथा एआरटीओ, लेह द्वारा बनाए गए मैन्यूअल रिकॉर्डों की जांच ने यह दर्शाया कि 6,619 वाहनों<sup>19</sup> (2,15,499 में से) के जिला रूट परमिटों का एक से 6,508 दिनों के बीच की अवधियों के लिए नवीकरण नहीं किया गया। वसूल न किया गया राजस्व ₹2.60 करोड़ (परमिट शुल्क तथा जुर्माना) था।

इसके अलावा, वीएचएएन रिपोर्टों के विश्लेषण से पता चला कि 5,843<sup>20</sup> वाहनों (लेह के 776 वाहनों को छोड़कर) जिनके परमिट नवीकृत नहीं किए गए थे, में से उसी अवधि में 6,347 मामलों में ऐसे 3,175 वाहन मालिकों ने एमवीटी का एक बार या कई बार भुगतान किया था। ये यह दर्शाता है कि ये वाहन रोड पर वैध परमिट के बिना चल रहे थे। हालांकि, प्रारूप बदलने के कारण जनवरी 2018 के बाद से वाहन, परमिट तथा उसकी वैधता की संपूर्ण जानकारी वाली ऐसी कोई रिपोर्ट वाहन से तैयार नहीं हो सकी, क्योंकि नया प्रारूप केवल वीएचएएन का सारांश तैयार करता है।

<sup>15</sup> आवेदन शुल्क @ ₹30; नवीकरण शुल्क (₹300 भारी और मध्यम परिवहन के लिए तथा ₹125 हल्के वाहनों के लिए); पहले 45 दिनों की देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क @ ₹20 तथा 45 दिनों के बाद प्रति दिन देरी के लिए @ ₹30, बशर्ते अधिकतम शुल्क, नए परमिट जारी करने के लिए वर्णन के अनुसार हो (बड़ी बसें ₹10,000; मध्यम बसें: ₹7,000; छोटी बसें ₹5,000; टैक्सी कैब्स: ₹750)

<sup>16</sup> नवीकरण शुल्क: ₹5.93 लाख; विलंब शुल्क: ₹19.30 लाख

<sup>17</sup> कश्मीर: 01; जम्मू: 32

<sup>18</sup> लेह को छोड़कर जिसे 31.03.2018 तक वीएचएएन पर कम्प्यूटरीकृत नहीं किया गया था

<sup>19</sup> स्टेज कैरेज: 718; गुड्स कैरियर: 3,292; कांट्रेक्ट कैरियर: 2,609

<sup>20</sup> लेह जिले के 776 वाहनों को शामिल नहीं करता है, जिसका डाटा वीएचएएन पर उपलब्ध नहीं है

संबंधित आरटीओ/ एआरटीओ ने बताया कि परमिट के नवीकरण के लिए अनुषंगी संगठनों<sup>21</sup> की सहायता से संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी तथा राशि वसूल की जाएगी। परिवहन आयुक्त ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2018) कि आरटीओ/ एआरटीओ को संबंधित चूककर्त्ताओं को प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपने वाहन का जुर्माने सहित परमिट नवीकरण कराने का नोटिस देने के लिए निर्देश दिया जाएगा। **मार्च 2013 को समाप्त पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताए जाने के बावजूद, इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।**

### 2.3.11.3 राष्ट्रीय परमिटों की मान्यता का गैर-नवीकरण

सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने पूरे देश में माल वाहनों के निरंतर आवागमन के लिए एक कार्य ढांचा उपलब्ध कराने के लिए एक नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली को अंतिम रूप<sup>22</sup> दिया (मई 2010)।

तदनुसार, जम्मू और कश्मीर सरकार ने एसआरओ 387, दिनांक 25 अक्टूबर 2010 के द्वारा, जेएंडके मोटर वाहन नियमावली 1991 में धारा 80 (एच) का समावेश किया जो यह अनुबंधित करती है कि (क) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में चलाने के प्रयोजन हेतु विभिन्न राज्य/ यूटी द्वारा दिए गए राष्ट्रीय परमिट वाले माल वाहनों के सदर्थ में समेकित शुल्क ₹15,000 प्रति वर्ष होगा (ख) उपर्युक्त अनुसार समेकित शुल्क वार्षिक आधार पर संगृहीत किया जाएगा। उक्त अवधि के भीतर शुल्क जमा करने में विफलता के मामले में, प्रति माह ₹100 या उसके भाग की एक अतिरिक्त राशि शुल्क के अलावा जुर्माने के रूप में वसूली योग्य होगी तथा (ग) वो माल वाहन जिनको राज्य परिवहन प्राधिकरण (जम्मू और कश्मीर) द्वारा, जम्मू एवं कश्मीर के अलावा किसी अन्य राज्य और यू.टी. में चलाने के लिए राष्ट्रीय परमिट प्रदान किया गया हो, के संबंध में समेकित शुल्क, को राज्य परिवहन प्राधिकरण (जम्मू एवं कश्मीर) द्वारा ₹15,000 की दर पर प्रति वर्ष एकत्र किया जाएगा तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रति प्राधिकृत शुल्क के रूप में ₹1,000 भी जमा किया जाएगा। संशोधित नियम<sup>23</sup> ₹16,500 प्रति वर्ष प्रत्येक वाहन (संशोधन 01 अप्रैल 2012 से प्रभावी) के राष्ट्रीय परमिट शुल्क के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान करता है।

<sup>21</sup> सहायक उप निरीक्षक के रैंक से ऊपर के सभी यातायात पुलिस अधिकारी, सभी जिला न्यायाधीश तथा डिवीजनल आयुक्त, सभी आरटीओ/ एआरटीओ के पास अपराधों को कम्पाउंड करने का अधिकार है

<sup>22</sup> सरकार के आदेश सं. आरटी-16031/3/2009-टी दिनांक 7 मई 2010 भारत सरकार द्वारा जारी, एमओआरटीएच

<sup>23</sup> सरकार के आदेश सं. आरटी-16031/6/2010-टी दिनांक 2 अप्रैल 2012

मार्च 2018 को राष्ट्रीय परमिट का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका-2.3.3: जम्मू व कश्मीर में जारी किए गए राष्ट्रीय परमिटों की स्थिति

प्रान्त	जम्मू एवं कश्मीर में जारी कुल राष्ट्रीय परमिट	रद्द परमिट	शेष सक्रिय परमिट	लंबित प्राधिकरण
जम्मू	6,397	548	5,849	3,025
कश्मीर	5,708	350	5,358	1,724
कुल	12,105	898	11,207	4,749

अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2018) से पता चला कि 11,207 (5,849 जम्मू और 5,358 श्रीनगर) राष्ट्रीय परमिटों के प्रति 4,749 माल वाहनों के मालिकों ने न तो मान्यताओं को नवीकृत किया और न ही रद्द करने के लिए राष्ट्रीय परमिट को अध्यर्पित किया। विभाग ने चूककर्त्ता को नोटिस भी जारी नहीं किया। इन 4,749 वाहनों में शामिल प्राधिकरण शुल्क की राशि ₹8.31 करोड़ (4,749 x 16,500 + 1,000) थी।

परिवहन आयुक्त ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि चूककर्त्ताओं को उनके परमिट नवीकृत करने और राजस्व की वसूली करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे।

**विभाग उस एमवीटी या किसी अन्य कर के साथ परमिट के नवीकरण को जोड़ने पर विचार कर सकता है जिसका सबसे अधिक पालन किया गया है।**

### 2.3.12 गुड्स एजेंट कारोबार लाइसेन्सों का नवीकरण न होना

जेकेएमवी नियमावली, 1991 यह परिकल्पित करती है कि वाहनों द्वारा माल के संग्रहण, अग्रेषण और वितरण भाड़े पर चलने के कारोबार में लगे एक एजेंट का लाइसेन्स, उसकी स्वीकृति प्रदान करने या नवीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। लाइसेन्स धारक को नया लाइसेन्स प्राप्त करने के समय ₹50,000 की प्रतिभूति जमा करनी अपेक्षित है। एक एजेंट का लाइसेन्स उसकी समाप्ति की तारीख से तीस दिन पूर्व, लाइसेन्स प्राधिकारी को किए गए आवेदन पर नवीकृत किया जा सकता है और यह नियम 137 में निर्दिष्ट शुल्क के अलावा मूल और सभी पूरक लाइसेन्सों, यदि कोई है, के साथ होगा।

परिवहन आयुक्त के रिकॉर्डों की संवीक्षा से पता चला (अप्रैल 2018) कि परिवहन आयुक्त द्वारा जारी कुल 268 एजेंट लाइसेन्सों में से 155 एजेंट लाइसेन्सों को 22 वर्षों तक की अवधि के लिए नवीकृत नहीं किया गया था तथा इसके फलस्वरूप

इन एजेन्टों के संबंध में देय ₹57.47 लाख<sup>24</sup> के नवीकरण शुल्क तथा विलंब शुल्क<sup>25</sup> की वसूली नहीं की जा सकी (मार्च 2018)।

परिवहन आयुक्त ने बताया (अगस्त/ अक्टूबर 2018) कि सभी लाइसेन्स धारकों को 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी से नवीकरण कराने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। ये भी कहा गया कि चूककर्त्ताओं के लाइसेन्स को रद्द करने के लिए कार्रवाई की जाएगी तथा उनके प्रतिभूति जमा से तथा भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी। इस संबंध में वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित (सितंबर 2019) थी। **मार्च 2008** तथा **मार्च 2013** को समाप्त पूर्व प्रतिवेदनों में इस बात को इंगित किए जाने के बावजूद, इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

*विभाग, एक ऑटो प्रणाली विकसित कर सकता है जहां पर गुड्स एजेंट्स को उनके लाइसेन्स के आवधिक नवीकरण के लिए सूचनाएं/ नोटिस उनके मोबाइल फोन/ ई-मेल पते पर जारी की जाएं तथा अधिनियम/ नियमों के वर्णित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।*

### 2.3.13 मोटर परिवहन सेवा लाइसेन्स का नवीकरण न करना

जेकेएमवी नियमावली 1991 परिकल्पित करती है कि मोटर परिवहन सेवा लाइसेन्स धारित व्यक्तियों/ फर्मों को एक वर्ष के बाद, ₹5000 प्रति वर्ष<sup>26</sup> की दर से शुल्क का भुगतान करने के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण को निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन प्रस्तुत कर लाइसेन्सों का नवीकरण करवाना होगा। लाइसेन्स धारक को अपने लाइसेन्स की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर अपने लाइसेन्स के नवीकरण के लिए पंजीकृत प्राधिकरण को आवेदन करना होगा जिसमें विफल होने पर लाइसेन्स धारक पर देरी से नवीकरण करने के लिए ₹200 प्रति दिन अधिभार लगाया जाना था। इसके अलावा, बिना किसी वैध परिवहन सेवा लाइसेन्स के परिवहन कारोबार करने वाले किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों या फर्म/ फर्मों पर ₹30,000<sup>27</sup> तक जुर्माना लगाया जाएगा।

परिवहन आयुक्त (अप्रैल 2018) के रिकॉर्ड की संवीक्षा ने दर्शाया कि परिवहन आयुक्त द्वारा जारी 180 मोटर परिवहन सेवा लाइसेन्सों में से 109 लाइसेन्स धारकों ने 1 से 20 वर्षों के बीच की देरी के बाद अपने लाइसेन्स का नवीकरण नहीं कराया

<sup>24</sup> ₹3,750 की दर से लाइसेन्स शुल्क/ नवीकरण शुल्क; लाइसेन्स नवीकरण के लिए ₹500 की दर से विलंब शुल्क यदि आवेदन 90 दिनों या उसके बाद किया गया है

<sup>25</sup> नवीकरण शुल्क: ₹37.84 लाख; विलंब शुल्क: ₹19.63 लाख

<sup>26</sup> एसआरओ 250 दिनांक 11 अगस्त 2011 के अनुसार संशोधित दरें

<sup>27</sup> एसआरओ 190 दिनांक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार

है, जिसके परिणामस्वरूप ₹73.86 लाख<sup>28</sup> के राजस्व की वसूली नहीं हुई। विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निगरानी तंत्र स्थापित नहीं किया कि लाइसेन्स धारकों द्वारा इन मोटर परिवहन सेवा प्रदाताओं के लाइसेन्सों का नवीकरण किया गया था या नहीं।

परिवहन आयुक्त ने बताया (अगस्त/ अक्टूबर 2018) कि ऐसे सभी लाइसेन्स धारकों को 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी से नवीकरण कराने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। मार्च 2008 तथा मार्च 2013 को समाप्त पूर्व प्रतिवेदनों में इस बात को बताए जाने के बावजूद भी, इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

#### 2.3.14 प्रदूषण नियंत्रण जांच लाइसेन्स का गैर-नवीकरण

वाहनों में उत्सर्जन की जांच करने के लिए, सीएमवी नियमावली, 1989 के तहत प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित किए गए थे।

सरकार की अधिसूचना (दिसंबर 2005) के अनुसार, प्रदूषण जांच केंद्रों को नए प्रदूषण नियंत्रण लाइसेन्स जारी करने के लिए, प्रदूषण जांच केंद्र के पंजीकरण के समय ₹7,000 की निर्धारित शुल्क वसूल किया जाना था और ₹3,000 का नवीकरण शुल्क भी वार्षिक आधार पर वसूल किया जाना था।

परिवहन आयुक्त (अप्रैल 2018) के रिकॉर्डों की संवीक्षा से पता चला कि 103 प्रदूषण नियंत्रण लाइसेन्सों में से, 26 प्रदूषण जांच केंद्रों के लाइसेन्सों को एक से छह साल तक की अवधि के लिए नवीकरण नहीं किया गया है (मार्च 2018), जिसके परिणामस्वरूप ₹1.80 लाख की सीमा तक की राजस्व वसूली नहीं हुई है। इस बात का जोखिम है कि ये केंद्र, अवधि के दौरान बिना वैध लाइसेन्सों के अनाधिकृत रूप से अपना कारोबार कर रहे होंगे।

परिवहन आयुक्त ने (अगस्त/ अक्टूबर 2018) कहा कि लाइसेन्स के नवीकरण के लिए नोटिस भेजे जा चुके हैं। मार्च 2008 को समाप्त पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पहले ही इंगित किए जाने के बाद भी, इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

#### 2.3.15 ड्राइविंग संस्थानों से गैर/ अल्प लाइसेन्स नवीकरण शुल्क की वसूली

सीएमवी नियमावली 1989 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति लाइसेन्सिंग अथॉरिटी द्वारा दिए गए लाइसेन्स के बिना ड्राइविंग स्कूल खोलने या चलाने या मोटर वाहनों को चलाने या सौंपने के लिए कोई निर्देश नहीं देगा। प्रदान किया गया लाइसेन्स पांच

<sup>28</sup> नवीकरण शुल्क ₹41.16 लाख; विलंब शुल्क: ₹32.70 लाख

साल की अवधि के लिए लागू होगा और इसे निर्धारित<sup>29</sup> शुल्क के भुगतान पर इसकी समाप्ति की तारीख से पहले साठ दिनों के भीतर नवीकरण किया जाना चाहिए।

रिकॉर्डों की संवीक्षा से पता चला है कि दो आरटीओ द्वारा जारी किए गए 169 ड्राइविंग संस्थान लाइसेन्सों में से, 70 लाइसेन्स धारकों ने मार्च 2018 तक अपने लाइसेन्सों का नवीकरण नहीं करवाया था। संबंधित आरटीओ के पास निरीक्षण का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, जिससे पता चले कि ये संस्थान निष्क्रिय थे। इस प्रकार, इन लाइसेन्सों के गैर-नवीकरण के परिणामस्वरूप लाइसेन्स नवीकरण शुल्क ₹10.67 लाख<sup>30</sup> की वसूली नहीं की गई है। **इस बात का जोखिम है कि ये संस्थान, वैध लाइसेन्स न होने की अवधि के दौरान अपना कारोबार अवैध रूप से कर रहे होंगे।**

आरटीओ जम्मू में रिकॉर्ड की संवीक्षा से यह भी पता चला कि ड्राइविंग स्कूलों के लाइसेन्स के 18 मामलों में, या तो बिना कोई शुल्क के या कई अवसरों पर एक ही डिमांड ड्राफ्ट/ जीआर का उपयोग करके लाइसेन्सों का नवीकरण किया गया था और परिणामस्वरूप ₹0.77 लाख का कम नवीकरण शुल्क प्राप्त हुआ है।

आरटीओ श्रीनगर (अप्रैल 2018) ने कहा कि लाइसेन्स नवीकरण शुल्क की वसूली के लिए कदम उठाए जाएंगे। परिवहन आयुक्त (अक्टूबर 2018) ने कहा कि संबंधित चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी किया जाएगा ताकि वे अपने संस्थानों के लाइसेन्सों को नवीकृत करवायें और तदनुसार राजस्व की वसूली प्रभावी होगी। **हालांकि, तथ्य यह है कि मार्च 2008 की समाप्ति पर पहले की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित किए जाने के बाद भी, इस संबंध में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।**

*विभाग एक ऐसी प्रणाली तैयार कर सकता है जिसके तहत किसी भी सेवा को प्रदान करने से पहले लागू शुल्क का संग्रहण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, प्रावधानों के अनुपालन के लिए विभाग को केंद्रीयकृत तंत्र या ऑटो प्रणाली को तैयार करने की भी आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत लाइसेन्स धारक को समय-समय पर नवीकरण के लिए सूचना/ नोटिस जारी किए जाते हैं।*

### 2.3.16 व्यापार प्रमाणपत्रों का गैर-नवीकरण

सीएमवी नियमों, 1989 के अनुसार, मोटर वाहन रखने वाले डीलर को पंजीकरण प्राधिकारी से एक व्यापार प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। व्यापार प्रमाणपत्र

<sup>29</sup> सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं.जीएसआर 1183 (ई) दिनांक 29 दिसंबर 2016 के अनुसार संशोधित 28 दिसंबर 2016 तक ₹2,500 तथा 29 दिसंबर 2016 से ₹10,000 की वृद्धि हुई

<sup>30</sup> आरटीओ जम्मू: ₹6.75 लाख; आरटीओ श्रीनगर: ₹3.92 लाख

उचित शुल्क<sup>31</sup> के भुगतान के बाद जारी किया जाता है तथा जारी होने या नवीकरण की तारीख से बारह महीने की अवधि तक लागू रहता है।

चार पंजीकरण प्राधिकरणों<sup>32</sup> में व्यापार प्रमाणपत्र जारी करने/ नवीकरण से संबंधित मैन्युअल रिकॉर्ड की समीक्षा से पता चला कि जारी किए गए 587 व्यापार प्रमाण पत्रों में से 131 डीलरों ने 31 मार्च 2018 को एक से 13 साल के बीच अपने डीलरशिप के संबंध में प्रमाणपत्र का नवीकरण नहीं किया है और विभाग ₹12.47 लाख का शुल्क वसूल नहीं कर सका।

पंजीकरण प्राधिकरणों और परिवहन आयुक्त ने कहा (अक्टूबर 2018) कि डीलरों को व्यापार प्रमाणपत्र नवीकरण के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। यह भी कहा गया कि अधिनियम/ नियमों के उल्लंघन और अपंजीकृत/ अज्ञात डीलरों की पहचान का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा। हालांकि, तथ्य यह है कि मार्च 2008 को समाप्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किये जाने के बावजूद, इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

### 2.3.17 हाइपोथिकेशन शुल्क का आधिक्य/ अल्प प्रभार वसूली

15 जनवरी, 2018 की सरकार की अधिसूचना के अनुसार भाड़े की खरीद/ पट्टे/ हाइपोथिकेशन करार की पुष्टि के लिए शुल्क की दरों को संशोधित<sup>33</sup> किया गया था।

चयनित आरटीओ/ एआरटीओ में 15 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018 की अवधि के लिए रिकॉर्डों की जांच से पता चला है कि इन अधिकारियों ने पूर्व संशोधित दरों पर हाइपोथिकेशन शुल्क वसूलना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप 10,239 हाइपोथिकेशन करारों पर ₹1.24 करोड़ का अधिक प्रभारित शुल्क और 2,479 हाइपोथिकेशन करारों<sup>34</sup> पर ₹0.02 करोड़ का कम प्रभारित शुल्क वसूला गया।

संबंधित आरटीओ/ एआरटीओ और परिवहन आयुक्त ने एनआईसी द्वारा वीएचएएन सॉफ्टवेयर में संशोधित दरों को शामिल न करने के लिए हाइपोथिकेशन शुल्क के उद्ग्रहण के आधिक्य को जिम्मेदार ठहराया। परिवहन आयुक्त (अक्टूबर 2018) ने यह भी कहा कि विभाग हाइपोथिकेशन शुल्क के बारे में वीएचएएन सॉफ्टवेयर को

<sup>31</sup> 28.12.2016 तक मोटरसाइकिल/ अवैध कैरिज: ₹50, अन्य: ₹200, उसके बाद (29.12.2016 से मोटरसाइकिल/ अवैध कैरिज: ₹500, अन्य: ₹1,000)

<sup>32</sup> आरटीओ जम्मू: ₹8.65 लाख; आरटीओ कठुआ: ₹2.29 लाख; आरटीओ श्रीनगर: ₹1.19 लाख; एआरटीओ लेह: ₹0.34 लाख

<sup>33</sup> तिपहिया/ चौपहिया/ एलएमवी; के संबंध में, ₹1500 से ₹300 मध्यम या भारी वाहन के संबंध में, ₹3,000 से ₹500 तथा रद्द करने के संबंध में ₹100 से ₹200

<sup>34</sup> 10,036 अतिरिक्त हाइपोथिकेशन वाहनों के संबंध में अधिक अधिभार: ₹1,20,58,400 तथा 203 वाहनों का सतत हाइपोथिकेशन: ₹3,32,000 (कुल 10,239 वाहन: ₹1,23,90,400); 2,479 वाहनों के संबंध में हाइपोथिकेशन शुल्क रद्द करने हेतु कम अधिभार लगाना: ₹2,47,900

अपडेट करने के लिए एनआईसी से चर्चा की जाएगी। हालाँकि, तथ्य यह है कि जनता से आधिक्य/ कम शुल्क लिया गया था और उसे वापस करने तथा प्रभारित कम राशि वसूल करने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

### 2.3.18 कंडक्टर के लाइसेन्स जारी न करना/ नवीकरण न करना

एमवी अधिनियम, 1988 प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति एक स्टेज कैरिज के कंडक्टर के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह एक कंडक्टर लाइसेन्स नहीं रखता है जो तीन साल तक वैध रहता है। कंडक्टर लाइसेन्स और प्रत्येक नवीकरण के लिए शुल्क, ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए शुल्क का आधा होगा।

चयनित आरटीओ/ एआरटीओ के रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला है कि जारी 729 कंडक्टर लाइसेन्स के विरुद्ध 15,187 स्टेज कैरिज कार्यरत थे, जो दर्शाते थे कि 14,458 स्टेज कैरिज बिना कंडक्टरों के चल रहे थे या जिनके पास कंडक्टर लाइसेन्स नहीं थे, इस प्रकार, यात्रियों/ संपत्ति की सुरक्षा खतरे में थी तथा परिणामस्वरूप कंडक्टर लाइसेन्स शुल्क के कारण ₹56.75 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

संबंधित आरटीओ/ एआरटीओ और परिवहन आयुक्त ने कहा कि एक्ट/ नियमों के उल्लंघन और राजस्व की वसूली के लिए चूककर्त्ताओं पर संयुक्त रूप से सहायक संगठनों की मदद से कार्रवाई की जाएगी।

**विभाग को यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि कहीं कुछ कंडक्टर वैध लाइसेन्स के बिना तो काम नहीं कर रहे हैं।**

### 2.3.19 प्रवर्तन

जेएंडके मोटर वाहन नियम, 1991 के नियम 306 के अनुसार, सहायक उप-निरीक्षक की रैंक से ऊपर के सभी यातायात पुलिस अधिकारी, सभी मोटर वाहन निरीक्षक, सभी जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस के अन्य पर्यवेक्षी अधिकारी, सभी जिला मजिस्ट्रेट/ मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट और डिवीजनल कमिश्नर, सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और उपायुक्त के पास मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 में उल्लिखित विभिन्न यातायात अपराधों पर कार्य करने की शक्तियाँ होंगी। इसके अतिरिक्त, जेएंडके मोटर व्हीकल नियमावली 1991 के नियम 308 के अनुसार, एक अधिकारी जो मोटर वाहन निरीक्षक या सहायक यातायात निरीक्षक के पद से नीचे की रैंक का नहीं है, जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिए, किसी भी मटेरियल को हटाने के उद्देश्यों के लिए आदेश दे सकता है, जो मोटर वाहन विभाग के चेकिंग स्टाफ तथा/ या यातायात विभाग के कार्य को बाधित करता है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 में 'विशेष अपराधों का संघटन' दिया गया है - (1) धारा 177, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182,

उपधारा (1) या धारा 183 की उपधारा (2), धारा 184, धारा 186, धारा 189, 190 की उपधारा (2), धारा 191, धारा 192, धारा 194, धारा 196, या धारा 198, के तहत इस अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में किया गया कोई भी अपराध सजा योग्य होगा। ऐसे अधिकारी या अधिकारियों द्वारा करने के लिए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार एक सीमा तक इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है। (2) जहां उप-धारा (1) के तहत कोई अपराध किया गया है, अगर हिरासत में है, तो अपराधी को छोड़ दिया जाएगा और इस तरह के अपराध के संबंध में उसके खिलाफ आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने प्रवर्तन प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियाँ पाई हैं:

(i) **वाहन वार अपराधों का समेकन न होना:** मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 180 से 192-ए के तहत दूसरी बार या उसके बाद, अधिक स्पीड पर ड्राइविंग, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग, शराब/ ड्रग्स के प्रभाव में ड्राइविंग, मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर ड्राइविंग करना, तथा दुर्घटना से संबंधित अपराधों, वाहन को असुरक्षित स्थितियों में/ बिना परमिट के उपयोग करने के लिए सजा के साथ या सजा के बिना बड़े हुए जुर्माने का प्रावधान करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि "वीएचएएन 4.0" का न तो प्रवर्तन मॉड्यूल चालू था तथा न ही अपराधों का वाहन-वार विवरण के संबंध में और किसी विशेष अपराध को बार-बार किए जाने का डाटा अनुरक्षित किया गया था। इस तरह के डाटा के रखरखाव से बड़े हुए संयुक्त शुल्क के उद्ग्रहण के लिए बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। हालांकि, इस तरह के तंत्र की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा में बार-बार होने वाले अपराधों पर बड़े हुए संयुक्त शुल्क के प्रावधान को लागू करना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(ii) **ओवरलोड वाहन:** आरटीओ कठुआ (अगस्त 2018) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अप्रैल 2013 और मार्च 2018 की अवधि के दौरान 2,828 ओवरलोड वाहन लखनपुर टोल पोस्ट पर एमवी अधिनियम की धारा 194 के तहत निर्धारित शुल्क दिए बिना, मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) के नोटिस से बच गए। अपराध को रोकने में विफलता के परिणामस्वरूप न्यूनतम जुर्माने ₹56.56 लाख (₹2,000 की दर के आधार पर) के राजस्व की हानि हुई।

(iii) **जुर्माने की वसूली से संबंधित अभिलेख का रखरखाव न करना:** एआरटीओ सांबा की कंपाउंड बुक की तुलना में चालान बुक की जांच से पता चला है कि हालांकि कार्यालय द्वारा वाहनों के दस्तावेजों को रखा गया था और वाहनों को संबंधित पुलिस स्टेशन की अभिरक्षा में जब्त/ रखा गया था, लेकिन परिवहन आयुक्त/ एआरटीओ के न्यायालय/ कार्यालय में उपस्थित होने के लिए चालान में किसी निर्धारित तारीख का

उल्लेख नहीं किया गया था। अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि विभाग द्वारा चालान बुक और अपराधियों द्वारा जमा कराए गए जुर्माने से संबंधित किसी अभिलेख का रखरखाव नहीं किया गया था।

### 2.3.20 आंतरिक नियंत्रण

किसी विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि इसकी गतिविधियों को निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार और किफायती, दक्षपूर्ण और प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सके। विभाग में नियंत्रण तंत्र का मार्गदर्शन अधिनियमों, नियमों, अनुदेशों आदि द्वारा किया जाता है ताकि सरकार के संसाधनों की सुरक्षा की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार द्वारा राजस्व व्यवस्थित तरीके से प्राप्त किया जा रहा है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इन नियमों का पालन करने में चूक हुई है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

#### 2.3.20.1 सरकारी खाते में राजस्व प्राप्तियों का विलंबित प्रेषण/ हस्तांतरण

जम्मू और कश्मीर वित्तीय संहिता खंड-1 यह निर्धारित करता है कि एक दिन के दौरान एकत्रित विभागीय प्राप्तियों को उसी दिन कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि सात (11 नमूना जांच में से) आरटीओ/ एआरटीओ<sup>35</sup>, ने उसी दिन कोषागार में ₹45 से ₹9.78 लाख तक के रैंज की राजस्व प्राप्तियां प्रेषित नहीं की गई थीं। इसके अलावा, आरटीओ जम्मू में, ₹0.37 लाख से ₹7.79 लाख के बीच राजस्व प्राप्तियां 26 और 314 दिनों के बीच की अवधि के लिए राजकोष में प्रेषित नहीं की गई थीं।

शुल्क, जुर्माना और करों के रूप में एकत्रित राजस्व को पाँच कार्यालयों<sup>36</sup> द्वारा संबंधित जम्मू और कश्मीर बैंक शाखाओं की आठ चालू शाखाओं के खातों में सरकारी खाते/ राजकोष में बाद के प्रेषण के लिए जमा किया गया था। हालांकि, इन खातों में एकत्र किए गए राजस्व को उसी दिन सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया था और एक से 293 दिनों तक की अवधि के लिए ₹300 से ₹3.59 करोड़ की नकद शेष राशि को अनुचित रूप से रोका गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹28.05 लाख की न्यूनतम ब्याज<sup>37</sup> हानि हुई। विलंबित जमा के कुछ महत्वपूर्ण मामले **परिशिष्ट-2.3.2** में दर्शाये गए हैं।

सरकारी खाते में राजस्व प्राप्तियों के समय पर हस्तांतरण/ प्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में पर्याप्त उपाय नहीं किए गए थे और बैंक के साथ खातों का

<sup>35</sup> आरटीओ श्रीनगर, एआरटीओ रजौरी, एआरटीओ बारामूला, एआरटीओ अनंतनाग, एआरटीओ बडगाम, एआरटीओ कुपवाडा, एआरटीओ लेह

<sup>36</sup> सिविल सचिवालय, परिवन आयुक्त, आरटीओ जम्मू, एआरटीओ रजौरी, एआरटीओ सांबा

<sup>37</sup> 11 सितंबर 2017 तक 4 प्रतिशत की दर पर तथा इसके बाद 3.5 प्रतिशत की दर पर बचत खाते पर जेके बैंक का प्रचलित ब्याज

समय-समय पर मिलान भी नहीं किया गया था। परिवहन आयुक्त ने कहा (अक्टूबर 2018) कि संबंधित आरटीओ/ एआरटीओ से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उन्हें भविष्य में देरी से प्रेषण से बचने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

### 2.3.20.2 राजस्व का गलत प्रबंधन

विभाग में बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त राजस्व में निम्नलिखित कमियाँ दर्शायी गई हैं:

- परिवहन आयुक्त के कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट कई नकद वाले स्थानों/ काउंटरों पर प्राप्त किए गए थे और इन स्थानों से, मुख्य कैश बुक से गुजरे बिना सीधे बैंक में भेजे गए थे जिसके कारण सरकारी खाते में उनके समाशोधन और हस्तांतरण की निगरानी नहीं की जा सकती थी। परिवहन आयुक्त ने (अक्टूबर 2018) कहा कि इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे।
- परिवहन आयुक्त कार्यालय, आरटीओ जम्मू, आरटीओ कठुआ, एआरटीओ उधमपुर, एआरटीओ सांबा में बैंक को संग्रहण के लिए भेजे गए बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से वसूल किए गए राजस्व/ प्राप्तियों की मासिक समायोजन प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सरकारी खाते में वसूल की गई और जमा की गई राशि के संबंध में वास्तविक स्थिति इन कार्यालयों में उपलब्ध नहीं थी उनकी निगरानी नहीं की गई थी। परिवहन आयुक्त ने (अक्टूबर 2018) कहा कि इस संबंध में नोटिस जारी किए जाएंगे।
- पांच<sup>38</sup> चयनित कार्यालयों में यह देखा गया कि बैंक में ₹21.42 लाख की राशि वाले 35 बैंक ड्राफ्ट जमा करने में एक से 371 दिनों के बीच देरी हुई थी और इन ड्राफ्टों को संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा, एक से 118 दिनों की देरी के बाद सरकारी खाते में जमा किया गया। महत्वपूर्ण देरी के कुछ मामलों का विवरण **परिशिष्ट-2.3.3** में दिया गया है। परिवहन आयुक्त ने जवाब दिया (अक्टूबर 2018) कि संबंधित कार्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

**नकद/ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजस्व संग्रह की प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।**

### 2.3.20.3 नकद रिकॉर्डों का अनुरक्षण न करना

सरकारी खाते में राजस्व प्राप्तियों का समय पर संग्रहण, लेखांकन और प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए, जेएंडके वित्तीय संहिता विभिन्न रिकॉर्डों के अनुरक्षण का प्रावधान करती है जिसमें अन्य बातों के साथ कैश बुक, प्रेषण रजिस्टर, जीआर<sup>39</sup> बुक

<sup>38</sup> परिवहन आयुक्त, आरटीओ जम्मू, आरटीओ कठुआ, एआरटीओ उधमपुर, एआरटीओ सांबा

<sup>39</sup> सामान्य रसीद बुक

का स्टॉक रजिस्टर, सहायिकी कैश बुक (कार्यालय जहां कई काउंटर्स पर नकदी एकत्र की जाती है) आदि सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि (परिशिष्ट-2.3.4) में विस्तृत अनुसार चयनित कार्यालयों में इन रिकॉर्डों को निर्धारित तरीके से अनुरक्षित नहीं रखा गया था और सरकारी प्राप्तियों के लेखांकन न होने/ वसूली न होने और उनके सरकारी खाते में प्रेषण न होने/ विलंब से होने का जोखिम है। इन कार्यालयों में बैंक समायोजन भी नहीं किया जा रहा था।

परिवहन आयुक्त ने (अक्टूबर 2018) कहा कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया जाएगा कि वे कैश रिकॉर्ड को अब ठीक से अनुरक्षित करें और उनका समायोजन भी करें।

#### 2.3.20.4 प्रशासनिक निरीक्षण तथा आंतरिक लेखापरीक्षा

अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर एक अधीनस्थ कार्यालय का प्रशासनिक निरीक्षण आवश्यक है ताकि परिवहन संसाधनों और कार्यालय की कार्यप्रणाली की आवश्यक जांच और नियंत्रण किया जा सके, जो कि आयुक्त द्वारा 2013-18 के दौरान चयनित 11 आरटीओ/ एआरटीओ में से 9<sup>40</sup> के संबंध में नहीं किया गया था।

इसके अलावा, (कुल चयनित 22 में से 11) आरटीओ/ एआरटीओ के चार<sup>41</sup> कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, निदेशक लेखापरीक्षा, वित्त विभाग द्वारा की गई थी तथा उनकी रिपोर्टें प्रतीक्षित थी। परिवहन आयुक्त ने (अक्टूबर 2018) जवाब दिया कि आवधिक प्रशासनिक निरीक्षण और कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि उनके कामकाज को सुव्यवस्थित किया जा सके।

*विभाग के आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि वित्तीय संहिता में प्रदान किए गए सभी नियमों का अनुपालन किया जा सके।*

#### 2.3.21 पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

पिछले कुछ समय के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनो में, मोटर वाहनों पर करों को शामिल करने वाली चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं हैं। इन निष्पादन लेखापरीक्षा में ₹62.05 करोड़ के एमवीटी, शुल्क, जुर्माने के कम संग्रहण से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल थे, जैसा कि *परिशिष्ट-2.3.5* में दर्शाया गया है। राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति ने अब तक इन पैराओं पर चर्चा नहीं की है। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं में शामिल लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रति वसूली की स्थिति सरकार/ विभाग से प्रतीक्षित है। यद्यपि पंजीकरण, परमिट और लाइसेन्स का

<sup>40</sup> आरटीओ जम्मू तथा एआरटीओ बारामूला के अतिरिक्त

<sup>41</sup> आरटीओ जम्मू, एआरटीओ राजौरी, एआरटीओ अंनतनाग, एआरटीओ बारामूला

नवीकरण न होने, बकाया करों/ राजस्व की गैर-वसूली और कम वसूली आदि जैसे मुद्दे को उपरोक्त प्रतिवेदनों में उठाया गया था, फिर भी ये कमियां अभी भी हैं।

### 2.3.22 निष्कर्ष

वैधता समाप्ति के बाद वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण न करने, वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र जारी न करने, वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में परमिट का नवीकरण न करने, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के लाइसेन्सों/ व्यापार प्रमाणपत्रों का नवीकरण न होने जैसी प्रणालियों की विफलताओं से न केवल निर्धारित शुल्क की वसूली नहीं हुई अपितु कुछ श्रेणियों के वाहनों को अनधिकृत चलने या कुछ सेवा प्रदाताओं द्वारा अनधिकृत व्यवसाय करने का जोखिम भी हुआ। पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए जाने के बावजूद भी, कई क्षेत्रों में निरंतर कमियां थीं। बकाया कर वसूलने के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए थे। कर के गैर/ विलंबित भुगतान के लिए जुर्माना/ दंड नहीं लगाया गया था। प्रणाली में संशोधित दरों का अद्यतन करने में देरी के कारण अस्थायी पंजीकरण शुल्क को कम और हाइपोथिकेशन शुल्क को अधिक प्रभारित किया गया। इस तथ्य के बावजूद कि संहिता में प्रावधान मौजूद हैं, सरकारी खाते में बैंक ड्राफ्ट जमा करने में देरी हुई।

परिवहन आयुक्त ने (अक्टूबर 2018) कहा कि उनके वैध कर्तव्यों को पूरा करने में आरटीओ और एआरटीओ की ओर से कम प्रयास किए गए हैं, जिसके कारण प्रतिवेदन में कुछ कमियों को उजागर किया गया है। यह भी कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

*बताए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित हैं। विभाग समान मामलों की व्यापक जांच करने के लिए कार्रवाई शुरू करे और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करे।*

## ग. अनुपालन लेखापरीक्षा

### वित्त विभाग

#### (राज्य कर विभाग)

### 2.4 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की ओर बढ़ने की तैयारी

#### 2.4.1 परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जम्मू कश्मीर राज्य में 8 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यिक आपूर्ति (मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति और पांच निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों<sup>42</sup> को छोड़कर) पर संघ (सीजीएसटी) और राज्यों (एसजेएसटी) द्वारा अलग-अलग लेकिन एक साथ जीएसटी<sup>43</sup> की उगाही की जा रही है। इसके अलावा, वस्तुओं या सेवाओं (आयात सहित) की अंतर-राज्य आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लगाया जा रहा है और संसद के पास आईजीएसटी के उद्ग्रहण का विशेष अधिकार है। जीएसटी के लागू होने से पहले, जम्मू एंड कश्मीर वैल्यू एडेड टैक्स (जेएंडके वीएटी) अधिनियम, 2005 के अनुसार, बाद के डीलरों द्वारा बिक्री की श्रृंखला में वस्तुओं की इंद्रा-स्टेट बिक्री पर मूल्य वर्धित कर (वीएटी) उद्ग्रहण था तथा सीएसटी अधिनियम, 1956 के अनुसार, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की बिक्री पर केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम (सीएसटी) उद्ग्रहण था।

राज्य सरकार को जेएंडके वीएटी अधिनियम के प्रावधानों को विनियमित करने का अधिकार दिया गया था, जबकि वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटीसी) की सिफारिश पर जीएसटी से संबंधित प्रावधानों को केंद्र और राज्य द्वारा विनियमित किया जा रहा था जिसे जीएसटी से संबंधित मामलों पर सिफारिश करने के लिए केंद्र और सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व के साथ गठित किया गया था। राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर वस्तु और सेवा कर (जेएंडके जीएसटी) अधिनियम, 2017 और जम्मू और कश्मीर वस्तु तथा सेवा कर नियमावली, 2017 को अधिसूचित किया (जुलाई 2017) जहां विभिन्न करों<sup>44</sup> को सम्मिलित किया गया था।

<sup>42</sup> पेट्रोलियम उत्पाद: कच्चा, उच्च गति डीजल, पेट्रोल, विमानन टरबाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस

<sup>43</sup> केंद्रीय जीएसटी: सीजीएसटी और राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी: एसटीजीएसटी/ यूटीजीएसटी

<sup>44</sup> मूल्य वर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1962 और मनोरंजन कर के तहत लगाया गया सेवाओं पर कर

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) भारत सरकार द्वारा आईटी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। यह करदाताओं का पंजीकरण, कर का भुगतान और रिटर्न दाखिल करने के लिए फ्रंट-एंड आईटी सेवाएं प्रदान करती है। बैक-एंड आईटी सेवाएं अर्थात् पंजीकरण अनुमोदन, करदाता विवरण व्यूअर प्रतिदाय, प्रसंस्करण, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट आदि भी जीएसटीएन द्वारा मॉडल-II<sup>45</sup> राज्यों को प्रदान की जा रही हैं। जम्मू और कश्मीर ने मॉडल-II का चयन किया है।

#### 2.4.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

भारत के संविधान में 101वें संशोधन के बाद से अर्थात् 8 सितंबर 2016 से मार्च 2018 (6 जुलाई 2017 से जम्मू और कश्मीर में प्रभावी) तक की राज्य सरकार/वाणिज्यिक कर विभाग की जीएसटी के क्रियान्वयन से संबंधित गतिविधियों का विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर विश्लेषण किया गया था।

#### 2.4.3 राजस्व की प्रवृत्ति

जम्मू और कश्मीर राज्य में 8 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था तथा जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक गैर-सम्मिलित/ सम्मिलित करों सहित जीएसटी के तहत कुल प्राप्तियां पूर्व वर्ष 2016-17 की उसी अवधि के दौरान पूर्व जीएसटी करों के अन्तर्गत ₹3,887.79 करोड़ के प्रति ₹4,296.79 करोड़ अर्थात् लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि थी। पूर्व-जीएसटी करों और जीएसटी के तहत वास्तविक प्राप्तियां नीचे दी गई हैं:

तालिका-2.4.1: पूर्व-जीएसटी कर और जीएसटी के तहत प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान (बीई)	पूर्व जीएसटी करों <sup>46</sup> के तहत प्राप्तियां	जीएसटी के तहत प्राप्तियां		कुल	प्राप्त मुआवजा	कुल प्राप्तियां	संरक्षित किए जाने वाला राजस्व
			जीएसटी	आईजीएसटी विनियोजन जीएसटी				
2013-14	3,990.00	3,746.00	0	0	3,746.00	0	3,746.00	शून्य
2014-15	3,740.00	3,744.93	0	0	3,744.93	0	3,744.93	शून्य
2015-16	5,123.54	4,396.82	0	0	4,396.82	0	4,396.92	शून्य
2016-17	5,137.56	5,029.20	0	0	5,029.20	0	5,029.20	शून्य

<sup>45</sup> मॉडल-I स्टेट्स: जीएसटीएन द्वारा प्रदान की गई केवल फ्रंट-एंड सेवाएं; मॉडल-II स्टेट्स: जीएसटीएन द्वारा प्रदान की गई फ्रंट-एंड और बैक-एंड दोनों सेवाएं

<sup>46</sup> वीएटी के तहत कर, सामान्य बिक्री कर, शराब और एटीएफ कर जैसे गैर-जीएसटी मदों सहित केंद्रीय बिक्री कर को शामिल करता है, लेकिन मोटर स्प्रीट पर करों को शामिल नहीं करता है

वर्ष	बजट अनुमान (बीई)	पूर्व जीएसटी करों <sup>46</sup> के तहत प्राप्तियां	जीएसटी के तहत प्राप्तियां		कुल	प्राप्त मुआवजा	कुल प्राप्तियां	संरक्षित किए जाने वाला राजस्व
			जीएसटी	आईजीएसटी विनियोजन जीएसटी				
2017-18 (अप्रैल से जून 2017)	6,194.28 <sup>47</sup>	1,387.88	0	0	1,387.88	0	1,387.88	शून्य
2017-18 (जुलाई 2017 से मार्च 2018)		1,502.34	1,000.75	1,610.51	4,113.60	1,137.00	5,250.60	4645.71 <sup>48</sup>

उपरोक्त तालिका पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्तियों में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है।

#### 2.4.4 कानूनी/ सांविधिक तैयारी

राज्य ने जम्मू और कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और जम्मू एवं कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर नियमावली 2017 को अधिसूचित (07 जुलाई 2017) किया। 1 अप्रैल 2018 से अंतर-राज्यीय लेन-देन पर और 1 जून 2018 से अंतर्राज्यिक लेन-देन पर ई-वे बिल प्रणाली लागू की गई। इसके अलावा, राज्य में जीएसटी को लागू करने की सुविधा के लिए आवश्यक अधिसूचनाएं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गईं। राज्य सरकार/ वाणिज्यिक कर विभाग ने जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक जीएसटी के संबंध में 262 अधिसूचनाएं/ परिपत्र/ आदेश जारी किए थे।

#### 2.4.5 विभाग द्वारा आईटी की तैयारी और क्षमता निर्माण के प्रयास

जीएसटीएन द्वारा करदाताओं को तीन फ्रंट एंड सेवाएं अर्थात् पंजीकरण, कर का भुगतान और रिटर्न दाखिल करना प्रदान की जानी थी। चूंकि जम्मू और कश्मीर ने जीएसटी को लागू करने के लिए मॉडल-II का विकल्प चुना था, अतः जीएसटी प्रशासन के लिए पंजीकरण अनुमोदन, करदाता विवरण व्यूअर, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलयूटी) प्रसंस्करण, प्रतिदाय प्रसंस्करण, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट आदि जैसे बैक-एंड एप्लिकेशन जीएसटीएन द्वारा विकसित किए जा रहे थे। जीएसटीएन प्रणाली को उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत साख के आधार पर बनाए गए रोल्स और लॉग-इन आईडी के आधार पर विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है।

<sup>47</sup> आधार वर्ष के आंकड़ों (2015-16: ₹4,766.30 करोड़) के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए परिनियोजित राजस्व था: ₹4,766.30 करोड़ x (1+14/100)<sup>2</sup> = ₹6,194.28 करोड़

<sup>48</sup> जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक नौ महीने की अवधि के लिए जीएसटी के तहत परिनियोजित राजस्व आंकड़ा: ₹6,194.28 करोड़ x 3/4 = ₹4,645.71 करोड़

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा राज्य के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, राज्य कर विभाग ने आईटी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जम्मू और श्रीनगर प्रत्येक में कंप्यूटर लैब स्थापित किए हैं। उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, राज्य कर विभाग ने राज्य भर में 542 कार्यशालाओं का आयोजन किया है, जिसमें 23,660 हितधारकों ने भाग लिया। विभाग ने करदाताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए जम्मू और श्रीनगर प्रत्येक में एक डेडिकेटेड हेल्प लाइन स्थापित (जनवरी 2019) की थी। विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि जीएसटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके पास पर्याप्त आईटी अवसरंचना थी।

#### 2.4.6 जीएसटी को लागू करना

विभाग द्वारा जीएसटी को क्रियान्वित करने में पंजीकरण, प्रवासन, करदाताओं को आवंटन, रिटर्न दाखिल करना, कर का भुगतान, परिवर्ती ऋण, प्रतिदाय जैसे प्रमुख मुद्दे/ चुनौतियाँ का सामना किया गया था।

##### 2.4.6.1 करदाताओं का पंजीकरण

राज्य में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कर योग्य आपूर्ति करने वाला प्रत्येक आपूर्तिकर्ता जिसका एक वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार बीस लाख रुपये से अधिक है तो वह एसजीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन (8 जुलाई 2017) से ठीक पहले पंजीकृत हुए हों या एक मौजूदा कानून के तहत लाइसेंस रखते हों, तो वह नियत दिन से प्रभावी एसजीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा।

- जम्मू और कश्मीर जीएसटी नियमावली 2017 के नियम 8 के अनुसार, सम्मिलित कर के किसी भी मौजूदा कानून के तहत पंजीकृत तथा स्थाई खाता संख्या (पीएएन) रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने ई-मेल पते के साथ मोबाइल नंबर को सत्यापित करके सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से दर्ज कर सकता है। नामांकन होने पर, ऐसे व्यक्ति को अनंतिम आधार पर पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसे एक अनंतिम पंजीकरण प्रदान किया गया है, वह सामान्य पोर्टल पर आवेदन में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। पंजीकरण का एक प्रमाणपत्र पंजीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
- विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वाणिज्यिक कर विभाग में मौजूदा पंजीकृत डीलरों के अनंतिम पंजीकरण और अंतिम पंजीकरण की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका-2.4.2: मौजूदा पंजीकृत डीलरों के नामांकन के संबंध में स्थिति

वैध पैन के साथ मौजूदा पंजीकृत डीलरों की कुल संख्या	जीएसटीएन से प्राप्त अनंतिम आईडी की कुल संख्या (कॉलम-1 के संदर्भ में प्रतिशत)	नामांकित प्राथमिक डीलरों की संख्या (कॉलम-1 के संदर्भ में प्रतिशत)	किया गया पूर्ण नामांकन (कॉलम-1 के संदर्भ में प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
72,256	72,049 (99.71 प्रतिशत)	50,163 (69.42 प्रतिशत)	47,051 (65.12 प्रतिशत)

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना)

हालांकि 99.71 प्रतिशत अनंतिम आईडी जीएसटीएन से प्राप्त हुए थे, तथापि मौजूदा डीलरों में से केवल 65 प्रतिशत ने नामांकन पूरा किया।

### (I) केंद्र और राज्य के बीच करदाताओं का आवंटन

#### (क) वाणिज्यिक कर विभाग तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के मौजूदा पंजीकृत करदाता

जीएसटी परिषद की सिफारिशों के अनुसार, ₹1.50 करोड़ तक का कुल कारोबार करने वाले मौजूदा पंजीकृत करदाता का 90 प्रतिशत तथा ₹1.50 करोड़ से अधिक का कुल कारोबार करने वाले मौजूदा पंजीकृत करदाता का 50 प्रतिशत राज्य को वितरित किया जाना था। जम्मू और कश्मीर के संबंध में केंद्र और राज्य के बीच डीलरों का वितरण सितंबर 2018 में अर्थात् जीएसटी के क्रियान्वयन के 15 महीने बाद किया गया था। विलम्बित वितरण के कारणों को सूचित नहीं किया गया था।

₹1.50 करोड़ से अधिक के कारोबार वाले 6,423 करदाताओं में से, 3,211 करदाता केंद्र को और 3,212 (50 प्रतिशत) राज्य को वितरित किए गए थे। जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर छूट देते हुए शेष सभी करदाताओं को राज्य को वितरित किया गया था।

#### (ख) नए करदाता

कुल कारोबार पर ध्यान दिए बिना सभी नए पंजीकरण राज्य के न्यायाधिकार क्षेत्र में थे। 28 फरवरी 2019 तक नए पंजीकरणों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका-2.4.3: नए पंजीकरणों की स्थिति

28 फरवरी 2019 तक प्राप्त आवेदन	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	अनुमोदित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
62,691	11,375	50,535	607

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना)

28 फरवरी 2019 तक 607 आवेदन लंबित थे; अनुमोदित आवेदनों का प्रतिशत और निरस्त किए गए आवेदनों का प्रतिशत क्रमशः 82 और 18 था।

#### 2.4.6.2 रिटर्न दाखिल करना

जेएंडके जीएसटी नियमावली 2017 के नियम 59 से 61 के अनुसार, कंपोजिशन करदाताओं के अलावा अन्य करदाताओं को फॉर्म जीएसटीआर-1<sup>49</sup>, में माल या सेवाओं की जावक आपूर्ति का विवरण, तथा फॉर्म जीएसटीआर-2<sup>50</sup> में माल या सेवाओं की आवक आपूर्ति का विवरण और फॉर्म जीएसटीआर-3 में मासिक रिटर्न, (जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 के माध्यम से प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्रणाली द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित) दाखिल करना अपेक्षित था, जबकि कंपोजिशन करदाताओं को तिमाही रिटर्न जीएसटीआर-4 में दाखिल करना अपेक्षित था।

नई कर व्यवस्था की शुरुआती अवधि में करदाताओं को हुई कठिनाईयों का समाधान करने के लिए रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन किया गया। जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 की फाइलिंग को स्थगित कर दिया गया था और अगले माह की 20 तारीख तक कर का भुगतान करने के साथ सभी करदाताओं को फॉर्म जीएसटीआर-3ख<sup>51</sup> में एक साधारण मासिक रिटर्न जमा करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा, ₹1.50 करोड़ से कम कारोबार वाले करदाताओं को तिमाही आधार पर जीएसटीआर-1 दाखिल करना था।

#### 2.4.6.3 कर का भुगतान

मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3ख और तिमाही रिटर्न जीएसटीआर-4 देय कर के भुगतान के बाद दाखिल किए जाने की आवश्यकता थी। इसलिए, करदाताओं द्वारा देय कर को समय पर जमा करना सुनिश्चित करने के लिए इन रिटर्न की निगरानी महत्वपूर्ण थी। विभाग द्वारा जुलाई 2017 से फरवरी 2019 की अवधि के लिए दी गई जानकारी के अनुसार, पंजीकृत करदाताओं और उन करदाताओं की स्थिति जिन्होंने जीएसटीआर 3ख में मासिक रिटर्न और जीएसटीआर-4 में तिमाही रिटर्न दाखिल किए, उन्हें नीचे दर्शाया गया है:-

<sup>49</sup> जीएसटीआर-1: (क) पंजीकृत व्यक्तियों को की गई सभी अंतर-राज्य और अंतर्राज्यिक आपूर्ति, तथा अपंजीकृत व्यक्तियों को किए गए ₹2.50 लाख से अधिक मूल्य के बीजक मूल्य की अंतर-राज्य आपूर्ति बीजक वार ब्यौरे (ख) अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई सभी अंतरराज्यिक आपूर्ति तथा अपंजीकृत व्यक्तियों को ₹2.50 लाख तक के बीजक मूल्य की राज्य वार की गई आपूर्ति का समेकित विवरण और (ग) माह के दौरान जारी डेबिट और क्रेडिट नोट, यदि कोई हो

<sup>50</sup> जीएसटीआर-2: (क) पंजीकृत व्यक्तियों या अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी अंतर-राज्य और अंतर्राज्यिक आपूर्तियों के बीजक वार ब्यौरे (ख) माल और निष्पादित सेवाओं का आयात और (ग) आपूर्तिकर्ता से प्राप्त डेबिट और क्रेडिट नोट, यदि कोई हो

<sup>51</sup> जीएसटीआर-3: कंपोजिशन कर दाताओं के अलावा सभी करदाताओं द्वारा मासिक रिटर्न दाखिल किया जाना आवश्यक है

तालिका-2.4.4: डीलरों द्वारा मासिक और तिमाही रिटर्न दाखिल करने से संबंधित विवरण

क्र.सं.	माह	मासिक रिटर्न				त्रमासिक रिटर्न			
		पंजीकृत कर दाताओं की संख्या	पंजीकृत कर दाता जिन्होंने मासिक रिटर्न दाखिल किया		पंजीकृत कर दाता जिन्होंने मासिक रिटर्न दाखिल नहीं किया	पात्र डीलरों की संख्या	पंजीकृत करदाता जिन्होंने मासिक रिटर्न दाखिल किया		पंजीकृत कर दाता जिन्होंने मासिक रिटर्न दाखिल नहीं किया
			संख्या	प्रतिशत			संख्या	प्रतिशत	
1.	जुलाई 2017	49,895	48,912	98	983	5,417	4,256	79	1,161
2.	अगस्त 2017	56,938	54,717	96	2,221				
3.	सितंबर 2017	61,619	58,389	95	3,230				
4.	अक्टूबर 2017	61,963	57,626	93	4,337	9,686	7,623	79	2,063
5.	नवंबर 2017	64,428	58,881	91	5,547				
6.	दिसंबर 2017	66,077	59,825	91	6,252				
7.	जनवरी 2018	68,043	61,052	90	6,991	10,958	7,014	64	3,944
8.	फरवरी 2018	70,292	62,265	89	8,027				
9.	मार्च 2018	71,994	63,461	88	8,533				
10.	अप्रैल 2018	72,923	64,255	88	8,668	9,387	8,184	87	1,203
11.	मई 2018	75,470	65,494	87	9,976				
12.	जून 2018	77,492	66,262	86	11,230				
13.	जुलाई 2018	78,995	67,040	85	11,955	9,375	7,835	84	1,540
14.	अगस्त 2018	80,214	67,634	84	12,580				
15.	सितंबर 2018	81,069	67,947	84	13,122				
16.	अक्टूबर 2018	82,347	68,221	83	14,126	9,391	7,319	79	2,072
17.	नवंबर 2018	83,494	66,796	80	16,698				
18.	दिसंबर 2018	84,692	66,254	78	18,438				
19.	जनवरी 2019	86,258	64,174	74	22,084	तिमाही रिटर्न मार्च 19 के बाद प्रस्तुत करना			
20.	फरवरी 2019	87,367	43,585	50	43,782				
	<b>कुल</b>	<b>14,61,570</b>	<b>12,32,790</b>	<b>85</b>	<b>2,28,780</b>	<b>54,214</b>	<b>42,231</b>	<b>78</b>	<b>11,983</b>

2,28,780 मामलों (15 प्रतिशत) में करदाताओं ने जुलाई 2017 से फरवरी 2019 की अवधि के लिए मासिक रिटर्न दाखिल नहीं किया था। रिटर्न दाखिल करने में माह वार कमी 2 प्रतिशत से 26 प्रतिशत के बीच रही।

इसी प्रकार, 11,983 (22 प्रतिशत) मामलों में कंपोजीशन करदाताओं ने जुलाई 2017 से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए जीएसटीआर-4 में तिमाही रिटर्न दाखिल नहीं किया। तिमाही-वार रिटर्न दाखिल करने में कमी 13 प्रतिशत से 36 प्रतिशत के बीच थी।

चूककर्ताओं द्वारा कर की चोरी के जोखिम के साथ-साथ रिटर्न दाखिल न करना और चूककर्ताओं को भुगतान किए गए कर के संबंध में प्राप्तकर्ताओं द्वारा आईटीसी का दावा किया जाता है।

पंजीकृत डीलरों द्वारा रिटर्न दाखिल न करने/ दाखिल करने में घटती प्रवृत्ति के कारणों की जांच करने की आवश्यकता है और विभाग डीलर द्वारा समय पर रिटर्न दाखिल करने और करों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करे।

#### 2.4.6.4 परिवर्ती ऋण

जम्मू और कश्मीर जीएसटी अधिनियम की धारा 140 के साथ पठित जम्मू और कश्मीर जीएसटी नियमावली के नियम 117 के अनुसार पंजीकृत करदाता जीएसटी व्यवस्था में पूर्व-जीएसटी व्यवस्था (वैट रिटर्न के अनुसार) के आईटीसी<sup>52</sup> की अप्राप्त राशि का अग्रेषण और दावा करने के हकदार थे। पंजीकृत करदाताओं को निर्धारित फॉर्म टीआरएएन-1 में रिटर्न दाखिल करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, एसजीएसटी अधिनियम के तहत 2,029 डीलरों ने ₹51.225 करोड़ में से केवल ₹420.461 करोड़<sup>53</sup> के परिवर्ती ऋण का दावा किया था। लेखापरीक्षा द्वारा राज्य के 8 कर कार्यालयों में 276 मामलों की यादृच्छिक जांच से पता चला कि राज्य के 5 कर कार्यालयों<sup>54</sup> के 14 डीलरों ने अपने वैट रिटर्न में अग्रेषित आईटीसी में अधिक दर्शाए गए ₹37.26 लाख के परिवर्ती ऋण का दावा किया था। एक मामले में, राज्य कर कार्यालय बारामूला के एक डीलर ने अपने वीएटी रिटर्न में दर्शाए गए/ अग्रेषित की तुलना में अपने वैट रिटर्न से आईटीसी के ₹0.84 लाख के कम परिवर्ती ऋण का दावा किया। इससे संकेत मिलता है कि प्राप्त किए गए परिवर्ती ऋण को पहले कर कानूनों के तहत दाखिल किए गए रिटर्न के साथ प्रति सत्यापित नहीं किया गया था।

यह इंगित करने पर, राज्य कर अधिकारी सर्कल “जे” जम्मू (फरवरी 2019) ने कहा कि इस प्रकार के सात मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार के विभागों के न्यायाधिकार क्षेत्र से राज्य कर विभाग को स्थानांतरित किए गए और विलोमतः डीलरों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट के सत्यापन हेतु प्रणाली के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

#### 2.4.6.5 जीएसटी के तहत प्रतिदाय

जीएसटीएन के तहत प्रतिदाय मॉड्यूल परिचालित नहीं था, इसलिए आवेदकों को मैन्युअल प्रणाली के माध्यम से प्रतिदाय की अनुमति दी जा रही है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रतिदाय की स्थिति निम्नानुसार थी:

<sup>52</sup> आईटीसी: इनपुट टैक्स क्रेडिट

<sup>53</sup> जिसमें ₹369.236 करोड़ का सीजीएसटी शामिल है

<sup>54</sup> बारामूला: एक मामला, ₹0.43 लाख; कुपवाड़ा: तीन मामले ₹0.98 लाख; जम्मू (जे) सर्कल: 7 मामले, ₹33.62 लाख; जम्मू (ई) सर्कल: दो मामले, ₹0.08 लाख; जम्मू (के) सर्कल: एक मामला, ₹2.05 लाख

तालिका-2.4.5: प्रतिदाय के मामलों की जानकारी

28.02.2019 तक प्रतिदाय के लिए प्राप्त आवेदन		निर्धारित अवधि में अनुमति प्राप्त प्रतिदाय के आवेदनों की संख्या		निर्धारित अवधि के बाद अनुमति प्राप्त आवेदनों की संख्या		अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या	
करदाताओं की संख्या	राशि (लाख में)	करदाताओं की संख्या	राशि (लाख में)	करदाताओं की संख्या	राशि (लाख में)	करदाताओं की संख्या	राशि (लाख में)
1,154	52.92	344	7.96	0	0	67	0.33

1,154 आवेदनों में से, 344 मामलों में निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिदाय की अनुमति दी गई थी। यद्यपि 67 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया था, शेष 743 आवेदनों की स्थिति उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके अलावा, जीएसटीआर-2 की फाइलिंग के स्थगन के कारण, आईटीसी की, मिलान/ बेमेल रिपोर्ट, विभाग द्वारा आईटी प्रणाली से तैयार नहीं की जा सकी।

इसलिए, जीएसटीआर-3बी में गलत आईटीसी राशि दिखाने वाले अप्रयुक्त इनपुट टैक्स के मामले में प्रतिदाय के दावे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

#### 2.4.7 विरासती मुद्दे

विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, लेखापरीक्षा ने निर्धारण, बकायों की वसूली तथा अन्य संबंधित विषयों के संबंध में विरासती मुद्दों का विश्लेषण किया और इस संबंध में हमारी टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

##### 2.4.7.1 डीलरों का निर्धारण

जम्मू और कश्मीर मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा जम्मू और कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 के तहत 28 फरवरी 2019 को, 2014-15 से 2016-17 की अवधि में निर्धारण के लिए लंबित शेष मामलों के ब्यौरे इस प्रकार थे:

तालिका-2.4.6: लंबित पूर्व जीएसटी निर्धारणों से संबंधी सूचना

विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
	वीएटी	सामान्य बिक्री कर	वीएटी	सामान्य बिक्री कर	वीएटी	सामान्य बिक्री कर
निर्धारण के लिए चयनित मामलों की संख्या	5,827	44,890	6,709	49,818	5,548	58,839
निर्धारणपूर्ण मामलों की संख्या	5,487	13,905	6,050	11,196	4,630	14,375
28.02.2019 तक बकाया मामले	340	30,985	659	38,622	918	44,464

वर्ष 2017-18 के लिए लंबित निर्धारणों के विवरण (7 जुलाई 2017 तक) प्रदान नहीं किए गये। विभाग ने पूर्ववर्ती कर व्यवस्था के तहत लंबित निर्धारणों की मंजूरी देने के लिए कोई योजना या समय सीमा निर्धारित नहीं की थी और इन पर जीएसटी के

साथ-साथ विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई थी। इसके परिणामस्वरूप एक साथ कई कर व्यवस्थाओं में मानव संसाधनों का परिनियोजन किया गया, जो पूर्ववर्ती राज्य अधिनियमों के तहत लंबित निर्धारण के अंतिम रूप को प्रभावित करता है।

सरकार/ विभाग पूर्व-जीएसटी मामलों के शीघ्र निर्धारण के लिए एक तंत्र तैयार कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सरकार के बकाया समयबद्ध तरीके से वसूल हो जाए।

#### 2.4.7.2 बकायों की वसूली

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जीएसटी के तहत विभिन्न सम्मिलित करों के संबंध में बकायों के ब्यौरों की स्थिति निम्न तालिकानुसार थी:

तालिका-2.4.7: पूर्व-जीएसटी करों के तहत बकायों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	वीएटी	सामान्य बिक्री कर	सीएसटी	कुल
07.07.2017 को अदत्त बकाया	572.26	841.90	0.00	1,414.16
08.07.2017 से 28.02.2019 तक प्राप्त नए बकाया	133.05	42.79	0.08	175.92
<b>कुल</b>	<b>705.31</b>	<b>884.69</b>	<b>0.08</b>	<b>1,590.08</b>
28.02.2019 तक प्रभावित वसूली	313.61	32.69	0	346.30
शेष बकाया	391.70	852.00	0.08	1,243.78

यद्यपि, बकाया राशि नियत दिन अर्थात् 7 जुलाई 2017 को ₹1,414.16 करोड़ से 28 फरवरी 2019 को ₹1,243.78 करोड़ तक नीचे आ गई थी। विभाग को, बकाया का निपटान करने के लिए वसूली प्रक्रियाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है।

#### 2.4.8 निष्कर्ष

जीएसटी अधिनियम को लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य जम्मू और कश्मीर था। राज्य कर विभाग ने दावा किया कि उसके पास पर्याप्त आईटी बुनियादी ढांचा था। मौजूदा करदाताओं के कम नामांकन और डेडिकेटेड हेल्प लाइन की स्थापना में विलंब हुआ। राज्य सरकार द्वारा जीएसटी परिषद की सिफारिश पर नियमों/विनियमों में लगातार बदलाव किए गए, जिससे अधिनियम का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ। जीएसटीएन पूर्ण आईटी समाधान प्रदान करने में सक्षम नहीं है और इस प्रकार जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 रिटर्न दाखिल करने के संबंध में समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। राज्य जीएसटी के प्रावधानों को लागू करने में बंधा हुआ था। क्योंकि इन मामलों में इसकी भूमिका सीमित थी। विभाग को स्थानांतरित किए हुए डीलरों द्वारा प्राप्त सभी परिवर्ती क्रेडिटों का सत्यापन करने और पूर्व-जीएसटी

आंकलनों जैसे विरासती मुद्दों को सुलझाने तथा पूर्व-जीएसटी व्यवस्था से संबंधित बकायों की वसूली शीघ्रता एवं समयबद्ध तरीके से करने की आवश्यकता है।

अप्रैल 2019 में सरकार/ विभाग को इस मामले से अवगत कराया गया था, उत्तर (सितंबर 2019) प्रतीक्षित था।

### वित्त विभाग

#### (राज्य कर विभाग)

वर्ष 2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने वाणिज्यिक कर विभाग के 36 निर्धारण सर्कलों की नमूना जाँच की और 232 मामलों में ₹106.23 करोड़ के कम कर उदग्रहण के विषय में बताया जिसमें ₹97.86 करोड़ के कर को सम्मिलित करते हुए 169 मामलों में खरीद को छिपाया, 31 मामलों में ₹1.46 करोड़ वाले माल भाड़े को छुपाना, 22 मामलों में ₹0.91 करोड़ वाले अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ, ₹0.07 करोड़ शामिल करते हुए दो मामलों में ट्रेडिंग अकाउंट में कम टोल टैक्स का प्रकटन और ₹5.93 करोड़ वाले आठ मामलों में स्टॉक ट्रांसफर को छिपाने के मामले शामिल थे। कुछ मामलों में जहां विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी और की गई मांगों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

#### 2.5 खरीद के गलत वर्गीकरण एवं छिपाव के कारण कर का कम उदग्रहण और राजस्व की हानि

राजौरी वाणिज्यिक कर सर्कल के निर्धारण प्राधिकारी द्वारा खरीदों को छिपाने और गलत वर्गीकरण का पता लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप कर, ब्याज और जुर्माने के रूप में ₹6.45 लाख की कम उगाही हुई। ₹2.17 लाख के राजस्व की भी हानि हुई।

जम्मू और कश्मीर मूल्य वर्धित कर (वीएटी) अधिनियम, 2005 में प्रावधान किया गया है कि किसी डीलर द्वारा किसी वर्ष या उसके किसी भाग के लिए निर्धारण किए जाने पश्चात् और निर्धारण प्राधिकरण के पास यह मानने का कारण है कि किसी भी अवधि के संबंध में डीलर संपूर्ण या किसी भी हिस्से का कारोबार निर्धारण से बच गया है, तो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा डीलर को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के उपरांत और इस प्रकार की पूछताछ करने के बाद, जैसा वह आवश्यक समझता है, वह अपने सर्वोत्तम निर्णय का निर्धारण करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकता है, ऐसे कारोबार के संबंध में डीलर से देय कर की राशि और अधिनियम के प्रावधान, जहां तक संभव हो, तदनुसार लागू होंगे। इसके अलावा, अधिनियम यह निर्धारित करता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने कारोबार को छिपाता है या उसके लिए गलत विवरण प्रस्तुत करता है, तो उचित प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को दंडस्वरूप शुल्क या कर के

अलावा, छुपाए गए कर की राशि की दोगुनी राशि का भुगतान करने का निदेश देगा। भुगतान करने में चूक के लिए, डीलर प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ऐसी राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

वाणिज्यिक कर सर्कल, राजौरी के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला है कि एक डीलर<sup>55</sup> ने 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 की पहली तिमाही में किसी दूसरे डीलर, जिसका निर्धारण वाणिज्यिक कर सर्कल-1 जम्मू में हुआ, से ₹153.38<sup>56</sup> लाख की खरीद की थी लेकिन अपने ट्रेडिंग खाते एवं वैट रिटर्न में 140.41<sup>57</sup> लाख की खरीद हेतु संगणित किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹12.97 लाख की खरीद को छिपाया गया। यह भी देखा गया कि डीलर द्वारा 13.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य ₹3.56 लाख की खरीद को 5 प्रतिशत की श्रेणी में गलत संगणित किया गया। डीलर के रिटर्न का निर्धारण करते समय निर्धारण प्राधिकारी, छिपाई गई खरीद और गलत वर्गीकरण का पता लगाने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप कर, ब्याज और जुर्माने के रूप में ₹8.62<sup>58</sup> लाख की कम उगाही हुई।

निर्धारण प्राधिकारी (फरवरी 2017) ने 2011-12 और 2012-13 के लेखा वर्ष के लिए डीलर का पुनर्निर्धारण किया और ₹6.55 लाख<sup>59</sup> की मांग की। हालांकि, यह कहा गया था (जून 2017) कि लेखा वर्ष 2010-11 के लिए पुनर्निर्धारित नहीं किया जा सकता है, चूंकि समय सीमा के कारण मामला बाधित हो गया था।

उपायुक्त वाणिज्यिक कर (न्यायिक) ने (अप्रैल 2018) कहा कि डीलर ने एमनेस्टी स्कीम<sup>60</sup> का लाभ उठाया था और (जुलाई 2017 तक) ₹2.12 लाख की मूल राशि के प्रति ₹2.30 लाख जमा किए। योजना के अनुसार ब्याज और जुर्माने के संबंध में ₹6.60 लाख की मांग माफ कर दी गई थी। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीलर ने कर प्रभार के लिए कारोबार को छिपाया था, परिणामस्वरूप उसकी मांग एमनेस्टी स्कीम के दायरे से बाहर थी और इसलिए, यह क्षम्य नहीं है।

<sup>55</sup> कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्कुट आदि की बिक्री में डील करना

<sup>56</sup> 2010-11: ₹43.73 लाख; 2011-12: ₹61.01 लाख; 2012-13 (पहली तिमाही): ₹48.64 लाख

<sup>57</sup> 2010-11: ₹41.79 लाख; 2011-12: ₹58.50 लाख; 2012-13 (पहली तिमाही): ₹40.12 लाख

<sup>58</sup> 2010-11: ₹2.17 लाख (कर: ₹0.50 लाख; ब्याज: ₹0.66 लाख; जुर्माना: ₹1.01 लाख); 2011-12: ₹1.66 लाख (कर: ₹0.41 लाख; ब्याज: ₹0.44 लाख; जुर्माना: ₹0.81 लाख); 2012-13 की पहली तिमाही: ₹4.79 लाख (कर: ₹1.25 लाख; ब्याज: ₹1.04 लाख; जुर्माना: ₹2.50 लाख)

<sup>59</sup> 2011-12: ₹1.58 लाख (कर: ₹0.39 लाख; ब्याज: ₹0.42 लाख; जुर्माना: ₹0.77 लाख); 2012-13: ₹4.97 लाख (कर: ₹1.23 लाख; ब्याज: ₹1.28 लाख; जुर्माना: ₹2.46 लाख)

<sup>60</sup> 2018 के सरकारी आदेश सं. 39-एफडी के दिनांक 05.02.2018

## 2.6 क्षतिग्रस्त स्टॉक पर कर की वसूली नहीं होना

क्षतिग्रस्त स्टॉक पर कर वसूली करने या डीलर द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापिस करने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप, कर और ब्याज के रूप में ₹9.45 लाख की कम वसूली हुई।

जम्मू और कश्मीर मूल्य वर्धित कर (जेएंडके वीएटी) अधिनियम, 2005 में कहा गया है कि, कोई भी डीलर जो अपने व्यवसाय के लिए किसी पंजीकृत डीलर से या किसी अन्य व्यक्ति से उन परिस्थितियों में कर योग्य वस्तुओं की खरीद करता है, जिस पर उस पंजीकृत डीलर द्वारा कोई कर देय नहीं है, यदि ऐसी खरीद के बाद, राज्य के भीतर या अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान माल नहीं बेचा जाता है या भारत क्षेत्र के बाहर निर्यात किया जाता है तो ऐसे सामानों की खरीद मूल्य पर कर का भुगतान करने के लिए डीलर उत्तरदायी होगा। जेएंडके वीएटी अधिनियम, 2005 में उपबंधित किया गया है कि कर के भुगतान पर खरीदे गए माल के संबंध में, यदि कोई सामान किसी चोरी के या उनके खराब होने के कारण नहीं बेचा जाता है तो किसी पंजीकृत डीलर को किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने अनुमति नहीं दी जाएगी। जेएंडके वीएटी अधिनियम, 2005, चोरी या नष्ट होने के किसी अन्य कारणों से गुम हुए माल के संबंध में प्राप्त, कर क्रेडिट को वापिस करने का प्रावधान करता है। भुगतान करने में चूक के लिए, डीलर प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ऐसी राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

वाणिज्यिक कर सर्कल लेह, के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (अगस्त 2016) कि एक डीलर<sup>61</sup> ने 2010-11 के दौरान अपने ट्रेडिंग खाते से, उस पर लगाए किसी भी कर का भुगतान किए बिना ₹28 लाख के क्षतिग्रस्त स्टॉक को घटा दिया था। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लेखा वर्ष 2010-11 के लिए डीलर के रिटर्न को स्वीकार करते हुए और लेखांकन वर्ष 2011-12 के लिए डीलर का निर्धारण करते हुए, डीलर द्वारा प्राप्त आईटीसी की वापसी या कर की वसूली करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹9.45 लाख<sup>62</sup> के कर और ब्याज का कम उदग्रहण हुआ।

निर्धारण प्राधिकारी (दिसंबर 2016) ने डीलर का पुनर्निर्धारण किया और ₹28 लाख के क्षतिग्रस्त स्टॉक पर प्राप्त आईटीसी को प्रत्यावर्तित कर दिया और ₹8.99 लाख<sup>63</sup> की मांग की (दिसंबर 2016)।

<sup>61</sup> मोटर वाहनों, स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेंट्स, आदि में डील करना

<sup>62</sup> ₹28 लाख के क्षतिग्रस्त स्टॉक पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर; ₹3.78 लाख ब्याज: ₹5.67 लाख

<sup>63</sup> कर: ₹3.78 लाख; अधिनियम की धारा 51 (4) के तहत ब्याज: ₹5.21 लाख

उपायुक्त वाणिज्यिक कर (न्यायिक) श्रीनगर (जुलाई 2018) ने बताया कि डीलर ने एमनेस्टी योजना<sup>64</sup> का लाभ उठाया था और ₹3.78 लाख की मूल राशि जमा की थी। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीलर ने कर प्रभार के लिए कारोबार को छिपाया, परिणामस्वरूप उसकी मांग एमनेस्टी स्कीम के दायरे से बाहर थी और इसलिए, यह क्षम्य नहीं है।

## 2.7 इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत स्वीकृति के कारण कम मांग

वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान ईंधन की खरीद पर डीलर द्वारा प्राप्त किए गए अमान्य इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकृत करने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹8.60 लाख की कम मांग हुई।

जम्मू और कश्मीर वीएटी अधिनियम, 2005 वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाले एक पंजीकृत डीलर से निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए राज्य के भीतर निर्मित सामान की खरीद पर आईटीसी के भत्ते के लिए प्रावधान करता है। आयुक्त वाणिज्यिक कर (फरवरी 2008) ने स्पष्ट किया<sup>65</sup> कि ईंधन की बिक्री आईटीसी का लाभ लेने के योग्य नहीं है। जम्मू और कश्मीर वीएटी अधिनियम, 2005 में निर्धारित किया गया है कि जब कोई डीलर चूक की स्थिति में है या भुगतान करने में चूक के रूप में माना जाता है, तो वह इस चूक की तारीख से प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ऐसी राशि पर, जब तक वह उक्त कर के भुगतान में चूक करना जारी रखता है, साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। जम्मू और कश्मीर वीएटी अधिनियम, 2005 में आगे कहा गया है कि यदि आयुक्त या निर्धारण प्राधिकारी संतुष्ट होता है कि डीलर ने, कर के भुगतान को छिपाने या इससे बचने के लिए/ कर क्रेडिट का लाभ उठाया है जिसके लिए वह हकदार नहीं है, तो डीलर को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद निदेश देगा कि डीलर जुर्माने के माध्यम से, निर्धारित अतिरिक्त कर की दोगुनी राशि के बराबर राशि का भुगतान करे।

वाणिज्यिक कर सर्कल उधमपुर-II (अक्टूबर 2016) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों का कारोबार करने वाले एक डीलर ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की खरीद पर ₹2.14 लाख<sup>66</sup> के आईटीसी का दावा किया, जो उसके लिए अनुमत्य नहीं थी, चूंकि 2011-12 और 2012-13 के लेखांकन वर्षों के दौरान एक ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया गया था। निर्धारण प्राधिकारी (मार्च 2015/ फरवरी 2016), डीलर का निर्धारण करते समय उन वर्षों के लिए

<sup>64</sup> 2018 के सरकारी आदेश संख्या 39-एफडी दिनांक 05.02.2018

<sup>65</sup> 2008 की वर्गीकरण सं.-09 दिनांक 28 फरवरी 2008

<sup>66</sup> 2011-12: ₹91,134; 2012-13: ₹1,22,912

जिसमें डीलर द्वारा एलपीजी पर आईटीसी का दावा किया गया को अस्वीकृत करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹8.60 लाख<sup>67</sup> की कम मांग हुई।

निर्धारण प्राधिकारी (जनवरी 2018) ने डीलर का पुनर्निर्धारण किया और ₹9.24 लाख<sup>68</sup> की मांग की। उपायुक्त वाणिज्यिक कर (न्यायिक) श्रीनगर ने (जून 2018) कहा कि डीलर ने एमनेस्टी योजना<sup>69</sup> का लाभ उठाया था और (मई 2018 तक) ₹2.14 लाख तक की कर राशि जमा की थी। योजना के अनुसार ब्याज और जुर्माने की मांग को माफ कर दिया गया था। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीलर ने कर के लिए प्रभार्य कारोबार को छिपाया था, परिणामस्वरूप सृजित मांग एमनेस्टी स्कीम के दायरे से बाहर थी और इसलिए, यह क्षम्य नहीं है।

## 2.8 कारोबार छिपाने के कारण कर का कम उदग्रहण

जम्मू और कश्मीर मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 39 (5) के तहत डीलर का आंकलन करते समय छिपाए गए कारोबार का पता लगाने के लिए निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप, ₹23.04 लाख के कर, ब्याज और जुर्माने का कम उदग्रहण हुआ।

जम्मू और कश्मीर मूल्य वर्धित कर (वीएटी) अधिनियम, 2005 में प्रावधान किया गया है कि किसी डीलर द्वारा किसी वर्ष या उसके किसी भाग के लिए निर्धारण किए जाने के पश्चात् और निर्धारण प्राधिकरण के पास यह मानने का कारण है कि किसी भी अवधि के संबंध में डीलर संपूर्ण या किसी भी हिस्से का कारोबार निर्धारण से बच गया है, तो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा डीलर को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के उपरांत और इस प्रकार की पूछताछ करने के बाद, जैसा वह आवश्यक समझता है, वह अपने सर्वोत्तम निर्णय का निर्धारण करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकता है, ऐसे कारोबार के संबंध में डीलर से देय कर की राशि और अधिनियम के प्रावधान, जहां तक संभव हो, तदनुसार लागू होंगे। इसके अलावा, यदि कोई भी व्यक्ति अपने कारोबार को छिपाता है या उसके गलत विवरण प्रस्तुत करता है, तो उचित प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को दंड के माध्यम से शुल्क या कर के अतिरिक्त, भुगतान करने के लिए निदेशित करेगा, जो छिपाई गई कर की राशि के दोगुने के बराबर होगी। भुगतान में चूक होने की स्थिति में, डीलर प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ऐसी राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

<sup>67</sup> 2011-12: ₹3,79,291 (कर: ₹91,130; ब्याज: ₹1,05,901; जुर्माना: ₹1,82,260)  
2012-13: ₹4,80,828 (कर: ₹1,22,912; ब्याज: ₹1,12,092; जुर्माना: ₹2,45,824)

<sup>68</sup> 2011-12: ₹4,06,635 (कर: ₹91,134; ब्याज: ₹1,33,241; जुर्माना: ₹1,82,260)  
2012-13: ₹5,17,703 (कर: ₹1,22,912; ब्याज: ₹1,48,967; जुर्माना: ₹2,45,824)

<sup>69</sup> 2018 के सरकारी आदेश संख्या 39-एफडी के तहत 2018, दिनांक 05.02.2018

वाणिज्यिक कर सर्कल 'ई' जम्मू के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला (नवंबर 2016) कि एक डीलर<sup>70</sup> ने 729 ट्रकों<sup>71</sup> के परेषण में सीमेन्ट की अंतर्राज्य खरीद की थी, जिसके लिए वह ₹64.75 लाख<sup>72</sup> के टोल शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। हालांकि, डीलर ने वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए ट्रेडिंग खातों में केवल ₹25.79 लाख<sup>73</sup> के माल भाड़े और टोल टैक्स का भुगतान किया था, ₹42.86 लाख<sup>74</sup> का बिक्री कारोबार<sup>75</sup> छिपाया। इन वर्षों (अगस्त 2014/ जनवरी 2016) के लिए डीलर का निर्धारण करते समय निर्धारण प्राधिकारी, छिपाव का पता लगाने में विफल रहा, परिणामस्वरूप ₹23.04 लाख<sup>76</sup> के कर, ब्याज और जुर्माने का कम उदग्रहण हुआ।

इस ओर इंगित किए जाने पर, निर्धारण प्राधिकारी ने डीलर का पुनः निर्धारण (मार्च 2018) किया और उससे ₹24.40 लाख<sup>77</sup> की माँग की।

उपायुक्त वाणिज्यिक कर (न्यायिक) श्रीनगर ने कहा (जून 2018) कि डीलर ने (मई 2018) फरवरी 2018 की एमनेस्टी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया था और (मई 2018) पहली किस्त के रूप में ₹1.95 लाख का भुगतान किया था। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीलर ने कर के लिए प्रभार्य कारोबार को छिपाया था, इसके परिणामस्वरूप सृजित मांग एमनेस्टी स्कीम के दायरे से बाहर थी और इसलिए, यह क्षम्य नहीं है।

## 2.9 स्टॉक हस्तांतरण आवक को छिपाने के कारण कर का कम उदग्रहण

डीलर द्वारा 'एफ' प्रपत्रों के प्रतिप्राप्त माल के स्टॉक हस्तांतरण का पता लगाने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹7.28 लाख के कर, ब्याज और जुर्माने की कम उगाही हुई।

जम्मू और कश्मीर, वैट अधिनियम 2005, यह बताता है कि किसी भी वर्ष या उसके भाग के लिए किसी डीलर का निर्धारण किए जाने के बाद और यदि निर्धारण प्राधिकरण के पास यह मानने का कारण है कि किसी भी अवधि के संबंध में डीलर

<sup>70</sup> सीमेंट की खरीद तथा बिक्री में डील करना

<sup>71</sup> 3-एक्सल वाहन (2011-12: 358; 2012-13: 371)

<sup>72</sup> 2011-12: ₹30.43 लाख; 2012-13: ₹34.32 लाख

<sup>73</sup> 2011-12: ₹13.75 लाख; 2012-13: ₹12.04 लाख

<sup>74</sup> 2011-12: ₹18.35 लाख; 2012-13: ₹24.51 लाख

<sup>75</sup> जिसमें ₹38.96 लाख की छिपी हुई राशि पर 10 प्रतिशत सकल लाभ भी शामिल है

<sup>76</sup> 2011-12: कर: ₹2.48 लाख; ब्याज: ₹2.77 लाख; जुर्माना: ₹4.95 लाख

2012-13: कर: ₹3.31 लाख; ब्याज: ₹2.91 लाख; जुर्माना: ₹6.62 लाख

<sup>77</sup> 2011-12: कर: ₹2.46 लाख; ब्याज: ₹3.49 लाख; जुर्माना: ₹4.91 लाख

2012-13: कर: ₹3.24 लाख; ब्याज: ₹3.82 लाख; जुर्माना: ₹6.48 लाख

संपूर्ण या किसी भी हिस्से का कारोबार निर्धारण से बच गया है, तो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा डीलर को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के उपरांत और इस प्रकार की पूछताछ करने के बाद, जैसा वह आवश्यक समझता है, वह अपने सर्वोत्तम निर्णय का निर्धारण करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकता है, ऐसे कारोबार के संबंध में डीलर से देय कर की राशि और अधिनियम के प्रावधान, जहां तक संभव हो, तदनुसार लागू होंगे। इसके अलावा, यदि कोई भी व्यक्ति अपने कारोबार को छिपाता है या उसके लिए गलत विवरण प्रस्तुत करता है, तो उचित प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को दंड के माध्यम से शुल्क या कर का अतिरिक्त, भुगतान करने के लिए निदेशित करेगा, जो कि छिपाई गई कर की राशि के दोगुने के बराबर होगी। भुगतान में चूक होने की स्थिति में, डीलर प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ऐसी राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

वाणिज्यिक कर सर्कल 'एन' जम्मू (अप्रैल 2017) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एक डीलर<sup>78</sup> ने स्टॉक हस्तांतरण आवक विवरण में एफ-फॉर्म के संबंध में प्राप्त ₹11.22 लाख कीमत की वस्तुओं के स्टॉक हस्तांतरण का हिसाब नहीं दिया था, जिसके कारण ₹12.90<sup>79</sup> लाख बिक्री का कारोबार छिपाया गया। निर्धारण प्राधिकारी, मूल्यांकन आदेश (मार्च 2016), पारित करते समय, छिपाने का पता लगाने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप कर, ब्याज और जुर्माने के रूप में ₹7.28 लाख<sup>80</sup> की कम उगाही हुई।

निर्धारण प्राधिकारी ने डीलर का पुनर्निर्धारण (मार्च/ जून 2018) किया और ₹7.28 लाख<sup>81</sup> की मांग की।

उपायुक्त वाणिज्यिक कर (न्यायिक) ने (जून 2018) कहा कि डीलर ने फरवरी 2018 में एमनेस्टी योजना<sup>82</sup> के लिए आवेदन किया था और उसने (अप्रैल 2018) में ₹1.82 लाख कर की संपूर्ण मूल राशि का भुगतान किया था। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीलर ने कर प्रभार्य के लिए कारोबार को छिपाया था, जिसके परिणामस्वरूप सृजित मांग एमनेस्टी योजना के दायरे से बाहर थी और इसलिए, यह क्षम्य नहीं है।

<sup>78</sup> पेंट, वार्निश, इत्यादि के पुनः बिक्री में डील करना

<sup>79</sup> 15 प्रतिशत की दर पर आकस्मिकताओं को शामिल करते हुए

<sup>80</sup> कर: ₹1,74,144; ब्याज: ₹2,05,490 तथा जुर्माना: ₹3,48,288

<sup>81</sup> कर: ₹1,74,148; ब्याज: ₹2,05,495; तथा जुर्माना: ₹3,48,297

<sup>82</sup> सरकारी आदेश संख्या 39-एफडी के 2018, दिनांक 05.02.2018 के तहत

## विधि विभाग

2017-18 के दौरान, 46 पंजीकृत कार्यालयों की लेखापरीक्षा नमूना जांच की गई और 633 मामलों में ₹1.82 करोड़ के स्टाम्प शुल्क/ पंजीकरण फीस जिसमें 40 गिरवी पत्र में ₹0.23 करोड़, 149 छोड़े गए विलेख में ₹0.45 करोड़, 248 बिक्री विलेखों में ₹0.58 करोड़ तथा 196 अन्य विलेखों/ दस्तावेजों में ₹0.56 करोड़ शामिल थे। कुछ मामले जहां विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी, उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

### 2.10 दरों को गलत लगाने के कारण पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण

जुलाई 2013 और अक्टूबर 2016 के दौरान, 71 पंजीकृत गिरवी विलेखों में पंजीकरण शुल्क की सही दर को लागू करने के लिए लेह और कारगिल के पंजीकृत प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹34.06 लाख के पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

जम्मू और कश्मीर पंजीकरण अधिनियम एसवीटी 1977 (1920 एडी) में प्रावधान है कि बिक्री विलेखों और गिरवी विलेखों के लिए, जहां दस्तावेज़ में दर्ज राशि या मूल्य ₹1000 से अधिक हो, वहाँ प्रत्येक ₹100 के लिए या ₹1000 से अधिक के हिस्से पर, ₹1.20 की दर से पंजीकरण शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

I. उप रजिस्ट्रार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) (अगस्त 2017) लेह, के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि अप्रैल 2015 और अक्टूबर 2016 के दौरान पंजीकृत 40 गिरवी विलेखों में पंजीकरण प्राधिकरण ने निर्धारित दरों पर पंजीकरण शुल्क नहीं लगाया था। इन 40 गिरवी विलेखों के संबंध में पंजीकरण शुल्क की सही दरों को लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹23.32 लाख<sup>83</sup> के पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

उप-रजिस्ट्रार सीजेएम, (फरवरी/ अगस्त 2018) लेह ने (दिसंबर 2017) कहा कि चूककर्ताओं को वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए थे और पांच चूककर्ताओं से ₹1.27 लाख की राशि वसूल की गई थी। यह भी कहा गया था (जुलाई 2019) कि गिरवी रखने वालों को नए नोटिस भेजे जाएंगे।

II. इसी प्रकार, उप रजिस्ट्रार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कारगिल के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला (अक्टूबर 2016) कि जुलाई 2013 और अक्टूबर 2015 के दौरान पंजीकृत 139 में से 31 गिरवी विलेखों में, पंजीकरण प्राधिकारी ने निर्धारित दरों पर पंजीकरण शुल्क नहीं लगाया था। सही दरों को लागू

<sup>83</sup> देय पंजीकरण शुल्क: ₹33,30,732; अधिभारित पंजीकरण शुल्क: ₹9,99,224; कम पंजीकरण शुल्क: ₹23,31,508

करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹10.74 लाख<sup>84</sup> के पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस ओर इंगित किए जाने के बाद, उप-रजिस्ट्रार सीजेएम कारगिल (फरवरी/ अप्रैल/ अगस्त 2018) ने कहा कि चूककर्ताओं को वसूली के नोटिस (दिसंबर 2017) जारी किए गए थे और (अगस्त 2018) 12 चूककर्ताओं से ₹1.17 लाख की वसूली की गई। मामले के विषय में मई/ जून 2018 में सरकार/ विभाग को अवगत कराया गया था; उनका जवाब (सितंबर 2019) प्रतीक्षित था।

### 2.11 स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उदग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा सही दरों को लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹6.72 लाख की स्टाम्प ड्यूटी और ₹0.05 लाख के पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची I के अनुच्छेद 18 के अनुसार, जहां भूमि या संपत्ति शहरी क्षेत्र में है, वहां स्टाम्प शुल्क बाजार मूल्य के 7 प्रतिशत की दर से और जहां भूमि या संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र में है, वहां बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत के अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जाता है। उपरोक्त अनुसूची के अनुच्छेद 27 के अनुसार उपहार विलेखों के संबंध में भी समान दरें लागू की जानी थीं। एसआरओ 152 दिनांक 31 मार्च 2010 का अवलोकन करें जिसमें जम्मू और कश्मीर सरकार ने निर्देश दिया कि किसी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर खरीदी गई भूमि पर लगाई गई स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की कटौती होगी। हालांकि, यह कटौती उपहार विलेखों पर लागू नहीं थी। इसके अलावा, धारा 23-ए<sup>85</sup> द्वारा प्रदान किए गए किसी भी दस्तावेज़ को जारी नहीं किया जा रहा है, जिसके तहत एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर या किसी निर्दिष्ट संपत्ति के संबंध में एक दावे को छोड़ता है, तो अनुसूची I के अनुच्छेद 48 के अनुसार, स्टाम्प शुल्क संपत्ति के हिस्से के बाजार मूल्य पर दो प्रतिशत की दर, जो भी अधिक हो, पर प्रभारित किया जाता है, जो पंजीकरण अधिनियम की धारा 78 के तहत बिक्री विलेख और गिरवी विलेखों से पंजीकरण शुल्क निर्धारित दरों पर भी प्रभारित होगा, जिस संपत्ति पर दावा छोड़ा गया है।

उप-रजिस्ट्रार (सितंबर 2017/ मार्च 2018) बिजबिहारा के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि अप्रैल 2011 और अगस्त 2017 के दौरान पंजीकृत कुल

<sup>84</sup> देय पंजीकरण शुल्क: ₹14,69,388; प्रभार्य पंजीकरण शुल्क: ₹3,95,135; कम पंजीकरण शुल्क: ₹10,74,253

<sup>85</sup> धारा -23ए में कुछ दस्तावेजों का विवरण दिया गया है, जो बाजार योग्य प्रतिभूतियों के गिरवी रखने से जुड़े हुए हैं, जो करारों के रूप में प्रभार्य हैं

2,986 विलेखों<sup>86</sup> में से, पंजीकरण प्राधिकारी ने 14 विलेखों<sup>87</sup> में निर्धारित दरों पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस नहीं लगायी थी। इसके अलावा, आठ उपहार विलेखों पर महिलाओं के नाम पर जमीन की खरीद पर लागू स्टाम्प शुल्क पर 25 प्रतिशत की छूट अनियमित रूप से दी गई थी। सही दरों को लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹6.72 लाख के स्टाम्प शुल्क और ₹0.05 लाख के पंजीकरण शुल्क कम लगाये गये।

इंगित किए जाने पर, उप-न्यायाधीश बिजबिहारा (फरवरी 2018) ने कहा कि चूककर्ताओं को नोटिस जारी किए जाएं और वसूली की जाए। मई 2018 तक नौ विलेखों में ₹1.37 लाख<sup>88</sup> की राशि वसूल की जा चुकी थी।

मामले के विषय में जून 2018 में सरकार/ विभाग को अवगत कराया गया था; उनका जवाब (सितंबर 2019) प्रतीक्षित था।

## 2.12 परित्याग विलेखों पर कम स्टाम्प ड्यूटी लगाना

परित्याग विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की सही दर को लागू करने में पंजीकरण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹6.74 लाख के स्टाम्प शुल्क की कम उगाही हुई।

स्टाम्प अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 उन दस्तावेजों को निर्धारित करती हैं जो स्टाम्प शुल्क के लिए प्रभार्य हैं। अधिनियम की अनुसूची I के अनुच्छेद 48 के अनुसार कोई दस्तावेज जो जारी नहीं किया गया है जैसा कि धारा 23-ए<sup>89</sup> में प्रावधान है कि अगर एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर या किसी निर्दिष्ट संपत्ति के खिलाफ दावा छोड़ देता है, जिस संपत्ति पर दावा किया गया है, उसके हिस्से पर बाजार मूल्य के दो प्रतिशत की दर, जो भी अधिक हो से स्टाम्प शुल्क वसूला जाना है।

उप रजिस्ट्रार, शोपियां के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि पंजीकरण प्राधिकारी ने अप्रैल 2011 और जून 2014 के दौरान पंजीकृत 14 परित्याग विलेखों में निर्धारित दरों पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया गया था। सही दरों को लागू करने में विफलता के कारण ₹6.74 लाख का कम स्टाम्प शुल्क लगाया गया है।

<sup>86</sup> बिक्री विलेख: 365; विविध विलेख: 2,621

<sup>87</sup> परित्याग विलेख: 08 मामले; अन्य विलेख: 01 मामला और बिक्री विलेख: 05 मामले पंजीकृत अप्रैल 2011 से जून 2017 के दौरान

<sup>88</sup> बिक्री विलेख: 02 मामले (स्टाम्प शुल्क: ₹16,680, पंजीकरण शुल्क: ₹2,400); परित्याग विलेख: 05 मामले (स्टाम्प शुल्क: ₹1,10,000) और उपहार विलेख: 02 मामले (स्टाम्प शुल्क: ₹7,940)

<sup>89</sup> धारा 23-ए में कुछ दस्तावेजों के ब्यौरे दिये गए हैं, जो बाजार योग्य प्रतिभूतियों के गिरवी रखने से जुड़े हुए हैं, जो करारों के रूप में प्रभार्य हैं

उप-रजिस्ट्रार (अप्रैल/ दिसंबर 2017) शोपियां ने कहा कि कम स्टाम्प शुल्क लगाना, अनजाने में हुआ था। आगे यह भी कहा गया है कि दो मामलों में कम स्टाम्प शुल्क वसूल किया गया था तथा अन्य सभी मामलों में नोटिस जारी किए गए।

फरवरी 2018 में मामले के विषय में सरकार/ विभाग को अवगत कराया गया था; उनका जवाब (सितंबर 2019) प्रतीक्षित था।

*इंगित मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग समान मामलों की व्यापक जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है।*



**भाग 'ख'**  
**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**

**अध्याय-3**  
**राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों**  
**की कार्यपद्धति**





## अध्याय-3

### राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

#### 3.1 प्रस्तावना

##### 3.1.1 सामान्य

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) में राज्य सरकार की कंपनियां और सांविधिक निगम शामिल हैं। राज्य पीएसयू लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों को करने के लिए स्थापित किए जाते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2018 तक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के तहत तीन सांविधिक निगमों<sup>1</sup> सहित 33 सार्वजनिक उपक्रम थे (विद्युत क्षेत्र में 6 और गैर विद्युत क्षेत्र में 27)। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से, 24 सक्रिय और नौ निष्क्रिय थे (विद्युत क्षेत्र में चार और गैर विद्युत क्षेत्र में पांच)। एक पीएसयू अर्थात् जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड को (जुलाई 1998 में) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। बैंक की कुल प्रदत्त इक्विटी में से, 59.23 प्रतिशत राज्य सरकार के पास है और शेष 40.77 प्रतिशत विदेशी संस्थागत निवेशकों, निवासी व्यक्तियों और अन्य<sup>2</sup> लोगों के पास है। वर्ष 2017-18 के दौरान, कोई भी पीएसयू निगमित/ बंद नहीं किया गया।

दो विद्युत उत्पादन कंपनियां नामतः जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी) और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपी) थी। सीवीपीपीपी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी) और पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (पीटीसी) का एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें जम्मू और कश्मीर सरकार ने कोई निवेश नहीं किया है। संयुक्त उद्यम कंपनी में ₹1,051.44 करोड़ (जेकेएसपीडीसी: ₹465 करोड़, एनएचपीसी: ₹582.36 करोड़ और पीटीसी: ₹4.08 करोड़) का निवेश किया गया है। मार्च 2018 तक सीवीपीपीपी का कार्यान्वयन चल रहा है।

राज्य सरकार की ओर से व्यापारिक गतिविधियों को करने के लिए एक विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी, दो विद्युत वितरण कंपनियां और एक विद्युत व्यापार कंपनी निगमित है। हालाँकि कंपनियों को मार्च 2013 और जून 2013 के बीच निगमित

<sup>1</sup> जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन

<sup>2</sup> इंडियन म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, अप्रवासी भारतीय और कॉर्पोरेट निकाय

किया गया है, फिर भी मार्च 2018 तक इन कंपनियों ने अपना परिचालन शुरू नहीं किया है। इन कंपनियों के वाणिज्यिक परिचालन के अभाव में, अभी भी विद्युत विकास विभाग द्वारा विद्युत पारेषण और वितरण गतिविधियाँ की जाती हैं।

30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर पीएसयू के वित्तीय निष्पादन को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। 24 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों ने, अपने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 30 सितंबर 2018 तक ₹8,571.68 करोड़ का वार्षिक कारोबार पंजीकृत किया और ₹198.15 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया। यह कारोबार 2017-18 के लिए ₹1,40,887 करोड़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 6.08 प्रतिशत के बराबर था। मार्च 2018 के अंत तक उनके पास 23,985 कर्मचारी थे।

नौ निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रम, जो पिछले 4 से 28 वर्षों से परिचालित नहीं हैं, में ₹56.60 करोड़ का निवेश है जो शेयर पूंजी (₹55.77 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण (₹0.83 करोड़) के रूप में है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन साल में कोई निवेश नहीं किया है।

### 3.1.2 जवाबदेही रूपरेखा

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 और 143 में निर्धारित की गई है। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी से आशय एक किसी ऐसी कंपनी से है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शेयर पूंजी का हिस्सा 51 प्रतिशत से कम न हो या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा, और वह कंपनी जो ऐसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के तहत एक सरकारी कंपनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से 180 दिनों की अवधि के अंदर सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति सीएजी द्वारा की जानी चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) में यह प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में, कंपनी के पंजीकरण की तारीख से 60 दिनों के अंदर सीएजी द्वारा पहला लेखापरीक्षक नियुक्त किया जाएगा और यदि सीएजी उक्त अवधि के अंदर इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं करता है, तो

कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी के सदस्यों के द्वारा ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी।

इसके अलावा, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा (5) या उप-धारा (7) के तहत कवर की गई किसी भी कंपनी के मामले में, सीएजी द्वारा यदि आवश्यक समझा जाए, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा की जा सकती है और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान इस प्रकार की नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कंपनी या किसी अन्य कंपनी का स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, केंद्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तो ये सभी सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन हैं। 31 मार्च 2014 को या उससे पूर्व प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी।

### 3.1.3 सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कंपनियों (अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में यथा परिभाषित) के वित्तीय विवरण सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किए जाते हैं, जिन्हें अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त किया जाता है। सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत अन्य कार्यों के अलावा कंपनी के वित्तीय विवरणों सहित सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के लिए सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के संबंध में, लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार द्वारा और पूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

### 3.1.4 सरकार और विधानमंडल की भूमिका

राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण रखती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधानमंडल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखांकन और उपयोग की भी निगरानी करते हैं। इसके लिए, सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और सीएजी की टिप्पणियों के साथ-साथ राज्य सरकार की कंपनियों और सांविधिक निगमों के मामले में सीएजी के अलग-अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष अधिनियम 2013 की धारा 394 या जैसे कि संबंधित अधिनियमों में निर्धारित है, के तहत रखी जाएगी। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के तहत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

### 3.1.5 राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के योगदान का प्रभाव

जम्मू और कश्मीर सरकार (जीओजेके) के द्वारा किए गए निवेश पर लाभांश की उचित दर का निर्धारण करने के लिए, अर्थात् इक्विटी पर रिटर्न, नियोजित पूंजी पर रिटर्न और सरकार, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण कारोबार का अनुपात, ब्याज कवरेज अनुपात आदि पर टिप्पणी करके कंपनियों की वित्तीय क्षमता का निर्धारण करने के लिए, अर्थात् राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए इन सार्वजनिक उपक्रमों के प्रभाव और योगदान के विषय में निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए, विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (छः<sup>3</sup>) और विद्युत क्षेत्र के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (27<sup>4</sup>) को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

<sup>3</sup> दो कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम: जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी) और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपी) और चार निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम: (1) जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (2) जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (3) जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और (4) कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

<sup>4</sup> 24 सरकारी कंपनियां और तीन सांविधिक निगम अर्थात्: जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन

तालिका-3.1: जम्मू-कश्मीर के जीएसडीपी के प्रति राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के कारोबार के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अंतिम रूप दिए गए नवीनतम खातों के अनुसार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों <sup>5</sup> का कारोबार	1,220.62	1,220.62	1,119.90	1,119.90	992.46
अंतिम रूप दिए गए नवीनतम खातों के अनुसार गैर-विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का कारोबार	7,048.17	7,449.34	7,296.59	7,238.03	7,579.22
मौजूदा कीमतों पर जम्मू और कश्मीर की जीएसडीपी	95,619	98,370	1,17,187	1,26,847	1,40,887
जम्मू-कश्मीर की जीएसडीपी के प्रति, विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के कारोबार का प्रतिशत	1.28	1.24	0.96	0.88	0.70
जम्मू-कश्मीर की जीएसडीपी के प्रति, गैर-विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के कारोबार का प्रतिशत	7.37	7.57	6.23	5.71	5.38

(स्रोत: सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त सूचना के अनुसार और जम्मू व कश्मीर सरकार, के वित्त विभाग द्वारा दी गई जीएसडीपी के कारोबार के आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है।)

### 3.1.6 राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा विद्युत के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा, किसी भी प्रकार का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण नहीं किया गया।

### 3.1.7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2018 तक, 33 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में, इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण के रूप में किए गए निवेश का सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका-3.2: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	पीएसयू की संख्या	निवेश					
		इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण		कुल	
		जीओजेके	अन्य	जीओजेके	अन्य	जीओजेके	अन्य
विद्युत क्षेत्र में पीएसयू	6*	5.20	1051.44	0	2045.88	5.20	3097.32
विद्युत क्षेत्र के अलावा अन्य पीएसयू ^							
सामाजिक क्षेत्र में पीएसयू	12	89.59	34.58	1098.05	91.86	1187.64	126.44

<sup>5</sup> कारोबार केवल जेकेएसपीडीसी से संबंधित है क्योंकि विद्युत क्षेत्र के छह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से, चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नामतः (1) जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (2) जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (3) जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (4) कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड निष्क्रिय है और सीवीपीपीपी में, जम्मू कश्मीर सरकार ने कोई निवेश नहीं किया है

क्षेत्र	पीएसयू की संख्या	निवेश					
		इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण		कुल	
		जीओजेके	अन्य	जीओजेके	अन्य	जीओजेके	अन्य
प्रतिस्पर्धी वातावरण में पीएसयू	11	486.66	111.24	1185.06	1665.92	1671.72	1777.16
अन्य	4	56.58	0.00	0.00	0.00	56.58	0.00
<b>कुल</b>	<b>33</b>	<b>638.03</b>	<b>1197.26</b>	<b>2283.11</b>	<b>3803.66</b>	<b>2921.14</b>	<b>5000.92</b>

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

\* छह विद्युत क्षेत्र के पीएसयू में से, सिर्फ दो अर्थात् जेकेएसपीडीसी और सीवीपीपीपी सक्रीय हैं। जीओजेके ने सीवीपीपीपी में कोई निवेश नहीं किया है।

^ इसका विवरण परिशिष्ट 3.1.1 में दिया है।

31 मार्च 2018 तक, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इक्विटी के ₹1,056.64 करोड़ के कुल निवेश में से, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा केवल ₹5.20 करोड़ (0.49 प्रतिशत) का योगदान किया गया था। जेकेएसपीडीसी द्वारा ₹2,045.88 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए थे।

राज्य सरकार ने, 2013-14 तक के अंतिम रूप दिए गए खातों के अनुसार पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए जेकेएसपीडीसी को ₹5,753.83 करोड़ योजना निधि के रूप में दिए।

### तालिका-3.3: जेकेएसपीडीसी में योजना निधियों की स्थिति

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अवधि जहां तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	2010-11	2010-11	2011-12	2011-12	2013-14
निवेशित योजना निधि (₹ करोड़ में)	3,857.15	3,857.15	5,346.91	5,346.91	5,753.83

हालांकि, निदेशक मंडल ने इस राशि के प्रति शेयर जारी करने का (मार्च 2013 में) निर्णय लिया, पर कंपनी ने अभी तक शेयर जारी नहीं किए। राज्य सरकार ने जेकेएसपीडीसी को (दिसंबर 2018 में) निर्देश दिया कि कंपनी से राज्य सरकार द्वारा ₹3,668.81 करोड़ की विद्युत खरीद की देयताएँ समायोजित करें और ₹2,588.34 करोड़<sup>6</sup> की इक्विटी राज्य सरकार को जारी की जाए।

संपत्तियों के लिए प्राप्त निधियों के प्रति, राज्य सरकार के बकाया विद्युत बिल का समायोजन, अनियमित और लेजिस्लेटिव विल का उल्लंघन था, क्योंकि सरकार ने निधियों को पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए प्रदान किया था। इसके अलावा, कंपनी के लेखे भी निधियों को पूंजीगत रिजर्वों के रूप में दिखा रहे थे। यद्यपि

<sup>6</sup> इस राशि में, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 में परिसंपत्तियों के हस्तांतरण की लागत भी शामिल है जो टोकन मूल्य पर कंपनी के निगमन के समय ₹916.54 करोड़ और ₹22 करोड़ थी

कंपनी ने सरकार के आदेशों के अनुपालन में अभी तक (नवंबर 2019) शेयर जारी नहीं किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, शेयर पूंजी का उक्त सीमा तक कम विवरण हुआ।

31 मार्च 2018 तक, इन 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण) ₹4,819.54 करोड़ था। इक्विटी के लिए, 16.16 प्रतिशत और दीर्घकालिक ऋण में 83.84 प्रतिशत का निवेश निहित था। कुल दीर्घकालिक ऋणों (₹4,040.89 करोड़) में, 56.50 प्रतिशत (₹2,283.11 करोड़) राज्य सरकार द्वारा निहित किया गया जबकि कुल दीर्घकालिक ऋणों का 43.50 प्रतिशत (₹1,757.78 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया था।

### 3.1.8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

#### (ए) विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार, वार्षिक बजट के माध्यम से, विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को विभिन्न रूपों में जैसे कि इक्विटी, ऋण, अनुदान/ सब्सिडी, माफ किए गए ऋण और वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ऋण के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

बजट के माध्यम से, जेकेएसपीडीसी को वर्ष 2017-18 में ₹135 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था। वर्ष 2015-16 और 2016-17 में, राज्य सरकार से कोई भी बजटीय सहायता प्राप्त नहीं हुई थी।

जम्मू और कश्मीर सरकार, पीएसयू को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता लेने के लिए गारंटी प्रदान करती है। राज्य सरकार ने राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी की सीमा और गारंटी कमीशन/ शुल्क को निर्धारित करने के लिए गारंटी अधिनियम नहीं बनाया है। हालाँकि, एफआरबीएम अधिनियम, 2006 उस सीमा को निर्धारित करता है, जिसके अंदर राज्य सरकार, राज्य की समेकित निधि की सुरक्षा पर गारंटी दे सकती है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने राज्य सरकार की ओर से जारी गारंटी से मिलने वाले दायित्वों को पूरा करने के लिए गारंटी रिडेम्पशन फण्ड का भी गठन (अगस्त 2006 में) किया। वर्ष 2015-16 में, ₹2,499.64 करोड़ से वर्ष 2017-18 में, ₹2,045.88 करोड़ बकाया गारंटी प्रतिबद्धताओं में 18.15 प्रतिशत की कमी हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान, विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा कोई गारंटी शुल्क नहीं दिया गया था।

**(बी) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता (विद्युत क्षेत्र के अलावा)**

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, माफ किए गए ऋण और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के संबंध में इक्विटी में परिवर्तित ऋणों के प्रति बजटीय व्यय के संक्षिप्त ब्यौरे इस प्रकार हैं:

**तालिका-3.4: वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान राज्य के पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के लिए बजटीय सहायता के संबंध में ब्यौरे**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण <sup>7</sup>	2015-16		2016-17		2017-18	
		पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि
1.	इक्विटी पूंजी आउटगो	2	6.85	3	9.56 <sup>8</sup>	4	23.20 <sup>9</sup>
2.	ऋण दिए गए	10	69.19	8	54.77	8	50.82
3.	अनुदान/ सब्सिडी प्रदान किए गए	8	66.44	9	133.30	7	126.85
	<b>कुल आउटगो (1+2+3)</b>	<b>13<sup>10</sup></b>	<b>142.48</b>	<b>13</b>	<b>197.63</b>	<b>12</b>	<b>200.87</b>
4.	माफ किए गए पुनर्भुगतान ऋण	-	-	-	-	-	-
5.	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	1	72.88
6.	जारी की गई गारंटियाँ	1	2.00	1	2.00	1	8.00
7.	गारंटी प्रतिबद्धता	3	47.33	3	60.60	2	98.28

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

विद्युत क्षेत्र के अलावा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान वार्षिक बजटीय सहायता ₹142.48 करोड़ और ₹200.87 करोड़ के बीच रही थी। वर्ष 2017-18 के दौरान, दिए गए ₹200.87 करोड़ की बजटीय सहायता में, ₹50.82 करोड़, ऋण के रूप में, ₹126.85 करोड़ अनुदान/

<sup>7</sup> राशि केवल राज्य बजट आउटगो को वर्णित करती है

<sup>8</sup> राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड में ₹250 करोड़ का निवेश किया जिसके प्रति वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने 3.66 करोड़ शेयर (₹1 प्रति शेयर के अंकित मूल्य के संबंध में ₹67 प्रति शेयर के प्रीमियम पर) जारी किए। शेयर पूंजी में की गई वृद्धि को इसके अनुसार परिलक्षित किया गया है

<sup>9</sup> राज्य सरकार ने, जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड में ₹282 करोड़ का निवेश किया जिसके लिए वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने 3.55 करोड़ शेयर (₹ 1 प्रति शेयर के अंकित मूल्य के संबंध में ₹78 प्रति शेयर के प्रीमियम पर) जारी किए। शेयर पूंजी में की गई वृद्धि को इसके अनुसार परिलक्षित किया गया है

<sup>10</sup> यह आंकड़ा उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या को दर्शाता है जो एक या अधिक शीर्ष अर्थात् इक्विटी, ऋण और अनुदान/ सब्सिडी के तहत बजट से आउटगो प्राप्त कर चुके हैं

सब्सिडी के रूप में और ₹23.20 करोड़ इक्विटी सहायता के रूप में हैं। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी/ अनुदान मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और औद्योगिक संपदा के उन्नयन के लिए प्रदान की गई थी, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम (एससी/ एसटी/ ओबीसी) को अपने वेतन खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान किए गए अनुदान भी शामिल थे।

बकाया गारंटी प्रतिबद्धता जो वर्ष 2015-16 में ₹47.33 करोड़ थी, वह वर्ष 2017-18 में बढ़कर ₹98.28 करोड़ हो गई, इस तरह कुल 107.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान, विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू द्वारा किसी भी गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था।

### 3.1.9 जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋण और बकाया गारंटी के संबंध में दिए गए आंकड़ों का मिलान जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शित आंकड़ों के साथ होना चाहिए। यदि आंकड़ों का मिलान नहीं होता, तो संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और वित्त विभाग को मिलकर अंतरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2018 तक वित्त लेखाओं में दर्शाए गए और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के बीच के अंतर को नीचे दिया गया है:

तालिका-3.5: पीएसयू के रिकॉर्ड की तुलना में, वित्त लेखाओं के अनुसार इक्विटी और ऋण बकाया

(₹ करोड़ में)

के संबंध में बकाया	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि		पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार राशि		अंतर	
	विद्युत क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र के अलावा	विद्युत क्षेत्र <sup>11</sup>	विद्युत क्षेत्र के अलावा	विद्युत क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र के अलावा
शेयर पूंजी	7.45	592.38	5.00	577.26	(-)2.45	(-)15.12
बकाया ऋण	85.05	768.14	0.00	2,282.28	(-)85.05	1,514.14
गारंटी	2,045.88	98.28	2,045.88	98.28	शून्य	शून्य

(स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और वित्त लेखाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विद्युत क्षेत्र के अलावा 22 राज्य पीएसयू<sup>12</sup> में से, 17 पीएसयू के संबंध में पाए गए अंतर को **परिशिष्ट-3.1.2** में दिखाया गया है। आंकड़ों के

<sup>11</sup> केवल जेकेएसपीडीसी के संबंध में ही अंतर था

<sup>12</sup> पांच निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रमों अर्थात् (1) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2) जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (3) तवी स्कूटर्स लिमिटेड, (4) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और (5) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट राँ मटेरियल सप्लाईज आर्गनाइजेशन लिमिटेड के संबंध में डेटा पर विचार नहीं किया गया है

बीच अंतर पिछले कई वर्षों से जारी हैं। अंतरों के मिलान के मुद्दे भी समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विभागों को बताये गए थे। जम्मू एंड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड में ऋण बकाया के संबंध में और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में इक्विटी के संबंध में राशि शेषों में बड़ा अंतर देखा गया।

**यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार और संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को समयबद्ध तरीके से अंतरों का मिलान करना चाहिए।**

### 3.1.10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

24 कार्यशील पीएसयू थे और इन सभी कार्यशील पीएसयू द्वारा वर्ष 2017-18 के लेखाओं को 30 सितंबर 2018 तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

**तालिका-3.6: पीएसयू के लेखाओं की स्थिति**

पीएसयू का स्वरूप	कुल संख्या	पीएसयू की संख्या जिनके लेखे रिपोर्टिंग अवधि <sup>13</sup> के दौरान प्राप्त हुए हैं				30 सितंबर 2018 तक पीएसयू की संख्या जिनके लेखे शेष हैं (शेष में कुल लेखे)
		2017-18 तक लेखे	2016-17 तक लेखे	2015-16 तक लेखे	कुल	
कार्यरत सरकारी कंपनियाँ <sup>14</sup>	21 <sup>15</sup>	3	1	-	4	17 (158)
सांविधिक निगम	3 <sup>16</sup>	-	1	-	1	2(5)
<b>कुल कार्यरत पीएसयू</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>19 (163)</b>
निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ	9 <sup>17</sup>	-	-	-	-	3 (72)
<b>कुल</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>22 (235)</b>

<sup>13</sup> अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 तक

<sup>14</sup> सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और 139 (7) में संदर्भित अन्य कंपनियां शामिल हैं

<sup>15</sup> जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड हालांकि कार्यात्मक है, परन्तु लेखाओं के बकायों पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इसने स्थापना (मार्च 2014) के बाद से अपने लेखाओं को कभी प्रस्तुत नहीं किया है

<sup>16</sup> जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के संबंध में लेखाओं के बकायों पर विचार नहीं किया गया क्योंकि कंपनी ने अपनी स्थापना (जुलाई 1979) के समय से कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया

<sup>17</sup> छः कंपनियों नामतः (1) जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (2) जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (3) जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (4) कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (5) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (6) जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में लेखाओं के बकायों पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इन कंपनियों ने स्थापना के बाद से अपने लेखाओं को कभी प्रस्तुत नहीं किया है

24 पीएसयू में से, तीन सरकारी कंपनियों<sup>18</sup> ने वर्ष 2017-18 के लिए अपने लेखे 30 सितंबर 2018 या उससे पहले सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए और 19 सरकारी कंपनियों के लेखे शेष थे। दो पीएसयू (जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल स्प्लाइज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन) ने स्थापना के समय से ही अपने लेखाओं को प्रस्तुत नहीं किया

प्रशासनिक विभागों के पास इन उपक्रमों की गतिविधियों की देखरेख करने और यह भी सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी है कि इन पीएसयू द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है और अपनाया गया है। शेष लेखाओं को अंतिम रूप देने के ब्यौरे **परिशिष्ट-3.1.3 (ए)** में दिए गये हैं:

जम्मू और कश्मीर सरकार ने ₹657.16 करोड़ (ऋण: ₹636.21 करोड़, सब्सिडी: ₹20.95 करोड़) 19 कार्यशील राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से, 11 के लिए प्रदान किए थे; जिन के लेखाओं को 30 सितंबर 2018 तक भी अंतिम रूप नहीं दिया गया था और 8 पीएसयू जिस अवधि तक उनके लेखे बकाया थे, इस अवधि के दौरान राज्य सरकार ने इनमें कोई भी निवेश नहीं किया था।

सितंबर 2018 तक जिन लेखाओं में बकाया था, उन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश के पीएसयू-वार ब्यौरे **परिशिष्ट-3.1.3 (बी)** में दिए गए हैं।

लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण न केवल संबंधित संविधियों के प्रावधानों का उल्लंघन होता है, अपितु धोखाधड़ी और सार्वजनिक निधि के लीकेज का जोखिम भी होता है। उक्त शेष लेखाओं की स्थिति के मद्देनजर, वर्ष 2017-18 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वास्तविक योगदान को सुनिश्चित नहीं किया जा सका और राज्य के खजाने में उनके योगदान के विषय में राज्य विधानमंडल को भी नहीं बताया जा सका।

यह सिफारिश की जाती है कि वित्त और संबन्धित प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करें कि (i) राज्य पीएसयू लेखाओं में बकायों के परिसमापन के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें (ii) जिन पीएसयू के लेखे बकाया हैं, उन्हें बजटीय सहायता न दी जाए। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को तैयार करने में बाधाओं का पता लगा सकती है और लेखाओं में बकायों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।

<sup>18</sup> सीवीपीपीपी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड और जम्मू एंड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

### सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का स्थापन

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा पर सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन है। ये प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। तीन कार्यशील सांविधिक निगमों में से, किसी भी निगम ने, 2017-18 के लेखे 30 सितंबर 2018 तक प्रेषित नहीं किए थे।

सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं की स्थिति और विधानमंडल में उनके एसएआर के स्थापन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका-3.7: सांविधिक निगमों के एसएआर के स्थापन की स्थिति

निगम का नाम	लेखाओं का वर्ष	एसएआर का स्थापन माह
जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन	2016-17	फरवरी 2018
जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन	2013-14	फरवरी 2018
जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फारेस्ट कॉरपोरेशन	-	स्थापना वर्ष 1996-1997 से ही निगम द्वारा अपने लेखे जमा नहीं किए गए

(स्रोत: जम्मू और कश्मीर विधानसभा द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर संकलित।)

### 3.1.11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

#### (ए) विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरकार द्वारा उपक्रमों में किए गए निवेश पर उचित प्रतिफल प्राप्त करना अपेक्षित है। 30 सितंबर 2018 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, छह विद्युत क्षेत्र कंपनियों की वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणाम के ब्यौरे **परिशिष्ट-3.1.4** में दिए गए हैं।

विद्युत क्षेत्र के पीएसयू में निवेश की राशि ₹2,883.13 करोड़<sup>19</sup> थी जिसमें इक्विटी के रूप में ₹1,056.64 करोड़ और दीर्घकालिक ऋण के रूप में ₹1,826.49 करोड़ थे। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर सरकार ने केवल पांच<sup>20</sup> विद्युत क्षेत्र पीएसयू में ₹5.20 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी का निवेश किया है।

<sup>19</sup> अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दी गई सूचना से भिन्न हो सकती है

<sup>20</sup> चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर, जिसे जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से कोई योगदान नहीं मिला

कार्यशील विद्युत क्षेत्र के पीएसयू में से, सिर्फ जेकेएसपीडीसी ही लाभ अर्जित कर रही थी और पिछले पाँच वर्षों के दौरान, अंतिम रूप दिए गए चार लेखाओं के संबंध में इसका लाभांश ₹433.41 करोड़ और ₹668.95 करोड़ के बीच रहा था।

2015-16 से 2017-18 के दौरान, जेकेएसपीडीसी द्वारा किए गए उत्पादन/ आपूर्तियों की तुलना में, जेएंडके राज्य द्वारा किए गए विद्युत खरीद की स्थिति का विवरण नीचे तालिका में दिया है:

तालिका-3.8: जेकेएसपीडीसी द्वारा उत्पादन/ आपूर्तियों की तुलना में खरीदी गई विद्युत

(ऊर्जा एमयू में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18
1	जेएंडके राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई कुल विद्युत	14,612.12	15,426.00	16,224.30
2	जेकेएसपीडीसी से प्राप्त कुल विद्युत	2,660.55	3,830.95	3,922.33
3	राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई कुल विद्युत में से, जेकेएसपीडीसी से खरीदी गई विद्युत की स्थिति की प्रतिशतता (प्रतिशत में)	18.21	24.83	24.18
4	जेकेएसपीडीसी द्वारा उत्पादित कुल विद्युत	4,178.11	4,966.01	5,274.33
5	जेकेएसपीडीसी द्वारा उत्पादित विद्युत में से, राज्य सरकार को बेची गई विद्युत की प्रतिशतता (प्रतिशत में)	63.68	77.14	74.37

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि, हालांकि जेकेएसपीडीसी अधिकतम उत्पादित (64 प्रतिशत से 77 प्रतिशत के बीच) विद्युत राज्य सरकार को बेचता है, जिससे राज्य की आवश्यकता की केवल 18 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक ही पूर्ति हो पाती है। जेकेएसपीडीसी, 450 मेगावाट बगलिहार-I संयंत्र से उत्पादित विद्युत को छोड़कर, अपने अन्य विद्युत संयंत्रों से विद्युत की संपूर्ण मात्रा राज्य सरकार को बेचता है। बगलिहार-I विद्युत संयंत्र की विद्युत का कुछ भाग, अन्य राज्यों की उपयोगिता हेतु पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (पीटीसी) द्वारा, बेचा जाता है। जेकेएसपीडीसी द्वारा विद्युत के विक्रय के प्रबंधन को विद्युत खरीद अनुबंधों (पीपीए) द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो जेकेएसपीडीसी और संबंधित खरीददारों के बीच में हुए हैं। यह व्यवस्था, परिचालन व रखरखाव के व्यय की पूर्ति के साथ-साथ, ऋण सेवा दायित्वों की पूर्ति के लिए है जो परियोजनाओं के निर्माण हेतु लिए गए थे।

पीटीसी के माध्यम से, विद्युत बिक्री की दर उच्चतम स्तर पर ₹3.60 (अल्पकालिक पीपीए) और ₹3.65 (दीर्घकालिक पीपीए) प्रति इकाई है, इसकी तुलना में, जेकेपीडीडी को ₹1.85 से ₹2.25 प्रति इकाई की दर से बेची जाती है।


### (बी) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन (विद्युत क्षेत्र के अलावा)

30 सितंबर, 2018 तक अपने अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार 27 राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) की वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणामों के ब्यौरे **परिशिष्ट-3.1.5** में दिए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र के अलावा उपक्रमों में कुल निवेश ₹4,219.64 करोड़ था जिसमें ₹590.33 करोड़ की इक्विटी और ₹3,629.31 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण शामिल थे। इसमें से, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने 26 पीएसयू<sup>21</sup> में ₹496.92 करोड़ की इक्विटी और ₹1,692.19 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण से ₹2,189.11 करोड़ का निवेश किया।

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के निवेश की वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार हैं:

**चार्ट-3.1: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) में जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार का कुल निवेश।**



चूंकि हानी वाले पीएसयू का निरंतर विद्यमान रहना, राजकोष पर भारी दबाव का कारण बनता है, अतः यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार सभी हानी वाले पीएसयू की कार्यप्रणाली की समीक्षा करे।

#### 3.1.12 मुख्य मापदंड

एक कंपनी की लाभप्रदता का मूल्यांकन पारंपरिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, इक्विटी पर प्रतिफल और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है। निवेश

<sup>21</sup> जेएंडके बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को छोड़कर, जिसमें राज्य सरकार ने कोई निवेश नहीं किया है

पर प्रतिफल<sup>22</sup> एक निश्चित वर्ष में किए गए लाभ या हानि को इक्विटी और दीर्घकालिक ऋणों के रूप में निवेश किए गए धन से संबंधित है और कुल निवेश के लिए लाभ के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी का उपयोग किया जाता है और इसकी गणना पूंजी द्वारा नियोजित ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी पर प्रतिफल शेयरधारक की निधि<sup>23</sup> द्वारा कर दिए जाने के पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके की गई गणना द्वारा निष्पादन का परिमाण है।

पीएसयू के निष्पादन का आंकलन करने हेतु उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्रयुक्त मूल वित्तीय अनुपातों को नीचे तालिका 3.9 (ए) और (बी) में दिया गया है:

### (ए) विद्युत क्षेत्र के पीएसयू

तालिका-3.9 (ए): विद्युत क्षेत्र के पीएसयू के मूल मापदण्ड

(प्रतिशत में)

मापदंड	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई)	6.72	6.72	10.57	10.57	5.85
निवेश पर प्रतिफल (आरओआई)	4.84	4.84	7.54	7.54	2.78
इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)	4.59	4.59	8.34	8.34	2.87

आरओसीई 5.85 प्रतिशत और 10.57 प्रतिशत के बीच, आरओआई 2.78 प्रतिशत तथा 7.54 प्रतिशत के बीच और आरओई 2.87 प्रतिशत तथा 8.34 प्रतिशत के बीच रही। यह मापदण्ड जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा निवेश की गई (जैसा कि तालिका-3.3 में दर्शाया गया है) योजना निधि पर आधारित हैं।

<sup>22</sup> निवेश पर प्रतिफल = आय से पहले ब्याज और कर (ईबीआईटी)/ नियोजित पूंजी, नियोजित पूंजी = शेयर पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियाँ - स्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं जिनके लिए पीएसयू के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है

<sup>23</sup> शेयरधारक निधि = प्रदत्त पूंजी + मुक्त भंडार - स्थगित राजस्व व्यय - संचित हानियाँ

**(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू**

**तालिका-3.9 (बी): विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू के मूल मापदंड**

(प्रतिशत में)

विवरण	मापदण्ड	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू का कुल (26)	आरओसीई	113.62	38.81	31.24	-91.40	21.69
	आरओआई <sup>24</sup>	218.48	77.76	47.44	-316.07	5.61
	आरओई <sup>25</sup>	-	-	-	-	-
लाभ वाले पीएसयू	आरओसीई*	97.94	41.66	33.33	9.05	25.32
	आरओआई <sup>^</sup>	526.98	251.06	183.41	7.52	140.20
	आरओई	2162.75	870.05	328.15	13.95	83.67
हानि वाले पीएसयू	आरओसीई*	-53.89	-23.90	-28.51	-97.31	-35.01
	आरओआई <sup>^</sup>	-58.93	-55.86	-63.10	-563.34	-55.45
	आरओई	-	-	-	-	-

\* केवल सकारात्मक पूंजी नियोजन वाली कंपनियों पर विचार किया गया।

<sup>^</sup> पाँच<sup>26</sup> कंपनियों को छोड़कर जिन्होंने लाभ और हानि लेखाओं को तैयार नहीं किया।

लाभ में मुख्य अंशदाता जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड रहा। वर्ष 2013-14 से 2017-18 (वर्ष 2016-17 को छोड़कर) के दौरान आरओई/ आरओआई तथा आरओसीई उच्च स्तर पर थे जो मुख्य तौर पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, जो कि सरकारी व्यवसाय के अनुसार एकाधिकारिक/ सुरक्षित वातावरण के अंतर्गत कार्यशील है, द्वारा मुख्यतः अर्जित कर के उपरांत उच्च लाभ के कारण था।

तालिका 3.9 (बी) में आरओसीई की गणना निवेश के अंकित मूल्य पर की गई है। निवेश के वसूले गए मूल्य पर आरओसीई की गणना निम्नानुसार है:

**तालिका-3.10: शेयर प्रीमियम पर विचार करते हुए विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू के लिए आरओसीई**

(प्रतिशत में)

आरओसीई	वर्ष				
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल	107.74	37.51	30.18	-75.55	16.80
लाभ वाले पीएसयू	93.69	40.24	32.21	9.05	19.65
हानि वाले पीएसयू	-53.89	-23.90	-28.51	-79.49	-35.01

<sup>24</sup> आरओआई की गणना में राज्य सरकार की निवेशित इक्विटी के अतिरिक्त, दूसरे निवेश को भी लिया है  
<sup>25</sup> विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू के साथ-साथ हानि वाले गैर विद्युत क्षेत्र के पीएसयू की आरओई को नहीं निकाला जा सका क्योंकि पूरे वर्षों के दौरान शेयरधारक की निधि नकारात्मक रही थी

<sup>26</sup> जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सपलाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड

जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के शेयर प्रीमियम लेखा पर विचार करने के पश्चात् वर्ष 2013-14 और 2017-18 के दौरान आरओसीई (-)75.55 प्रतिशत से 107.74 प्रतिशत के बीच रही। इस अवधि के दौरान, सकारात्मक पूंजी नियोजन वाली (परिशिष्ट-3.1.6 में दिए गए विवरणानुसार) केवल नौ कंपनियों को अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार कर देने से पूर्व लाभ हुआ था। इनमें से, केवल जम्मू एंड कश्मीर एससी,एसटी एंड अदर बैंकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को सिर्फ वर्ष 2013-14 में ही लाभ हुआ था जबकि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड को वर्ष 2016-17 में हानि हुई।

वर्ष 2013-18 के दौरान, आरओआई (-)316.07 प्रतिशत और 218.53 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 2016-17 के दौरान, रिटर्न की नकारात्मक दर मुख्यतः जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा की गई ₹1,632.29 करोड़ की हानि के कारण थी। अन्य वर्षों में, आरओआई मुख्यतः जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभों के कारण उच्चतर थी। विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू की आरओई को नहीं निकाला जा सका क्योंकि समग्र शेयरधारक निधि पूरे वर्षों के दौरान नकारात्मक रही थी।

### 3.1.13 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल

केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश पर प्रतिफल की उपयुक्तता का सही संकेतक नहीं हो सकती है क्योंकि ऐसी गणना पैसे के वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती है। इसलिए, ऐतिहासिक लागत के आधार पर, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा निवेश की गई निधि पर प्रतिफल की गणना के अतिरिक्त, निवेश पर प्रतिफल की गणना पैसे के वर्तमान मूल्य (पीवी) पर विचार करने के बाद भी की गई है। राज्य सरकार के निवेश के पीवी की गणना वहाँ की गई थी जहाँ इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2018 तक इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा निधि का निवेश किया गया था।

इन उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश की पीवी की गणना निम्नलिखित धारणाओं पर की गई थी:

- ब्याज मुक्त ऋण को राज्य सरकार द्वारा निधि निवेशन माना गया है। हालांकि, पीएसयू द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में, पीवी की गणना ब्याज मुक्त ऋणों की कम शेष राशि पर अवधि के दौरान की गई थी। अनुदान/ सब्सिडी के रूप में उपलब्ध निधि को निवेश के रूप में संगणित नहीं किया गया है क्योंकि वे निवेश के लिए अनुकूल नहीं हैं।

- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए, सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए छूट की दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष में निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा वहन की गई लागत को प्रस्तुत करते हैं।

#### (ए) विद्युत क्षेत्र के उपक्रम

विद्युत क्षेत्र के पीएसयू में, राज्य सरकार ने ₹5.20 करोड़ (विवरण **परिशिष्ट-3.1.7(ए)** में) की इक्विटी लगाई थी। इसके अतिरिक्त, पूंजी परिसम्पतियों के निर्माण के लिए, राज्य सरकार ने जेकेएसपीडीसी को ₹5,753.83 करोड़ योजना निधियों के रूप में दिया। ये योजना निधियाँ कंपनी की स्थापना (1994-95) से विभिन्न वर्षों के दौरान दी गई, इसलिए विद्युत क्षेत्र के पीएसयू का निवल वर्तमान मूल्य नहीं निकाला जा सका।

#### (बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू

26 राज्य पीएसयू<sup>27</sup> (विद्युत क्षेत्र के अलावा) जहां राज्य सरकार द्वारा निधि का निवेश किया गया के संबंध में पीएसयू की लाभप्रदता का आकलन करने के लिए निवेश के प्रति कुल आय का एक विश्लेषण किया गया था। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान, इन 26 पीएसयू में निवेश (वर्ष 2016-17 को छोड़कर) पर सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुआ।

26 पीएसयू<sup>28</sup> की पीएसयू-वार स्थिति जिसमें जम्मू और कश्मीर सरकार ने ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निवेश किया था, को **परिशिष्ट-3.1.7 (बी)** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के लिए, सभी पीएसयू से संबंधित राज्य सरकार के निवेश के एनपीवी की समेकित स्थिति नीचे दी गई है:

<sup>27</sup> जम्मू एंड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को छोड़कर, जिसमें जम्मू और कश्मीर सरकार ने कोई निवेश नहीं किया था

<sup>28</sup> वर्ष 1999-2000 के दौरान, केवल 18 पीएसयू में निवेश किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट-3.1.7 (बी)** में दर्शाया गया है

तालिका-3.11: वर्ष 1999-2000 से 2017-18 की अवधि के लिए, राज्य सरकार द्वारा निवेश और सरकारी निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा इक्विटी निवेशित की गई	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा कर मुक्त ऋण दिए गए	वर्ष के दौरान कर मुक्त ऋण परावर्तित	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी उधार <sup>29</sup> पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष <sup>30</sup> के लिए निधियों की लागत वसूली से न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष <sup>31</sup> के लिए कुल आमदनी
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)	7	8=2+6	9={8*(1+7/100)}	10=7*8/100	11
1999-2000 तक	347.29 <sup>32</sup>	7.14	शून्य	शून्य	7.14	11.96	354.43	396.82	42.39	48.40
2000-01	396.82	4.56	शून्य	शून्य	4.56	9.23	401.38	438.43	37.05	92.76
2001-02	438.43	1.82	शून्य	शून्य	1.82	11.20	440.25	489.56	49.31	182.06
2002-03	489.56	13.29	शून्य	शून्य	13.29	10.54	502.85	555.85	53.00	249.26
2003-04	555.85	2.80	शून्य	शून्य	2.80	10.95	558.65	619.82	61.17	304.91
2004-05	619.82	4.03	शून्य	शून्य	4.03	8.97	623.85	679.81	55.96	-4.75
2005-06	679.81	7.55	शून्य	शून्य	7.55	8.15	687.36	743.38	56.02	68.90
2006-07	743.38	2.50	शून्य	शून्य	2.50	11.66	745.88	832.85	86.97	150.32
2007-08	832.85	1.20	11.55	शून्य	12.75	14.07	845.60	964.58	118.98	201.28
2008-09	964.58	7.63	शून्य	शून्य	7.63	7.94	972.21	1049.40	77.19	232.25
2009-10	1049.40	17.09	शून्य	शून्य	17.09	9.45	1066.49	1167.27	100.78	354.68
2010-11	1167.27	11.06	शून्य	शून्य	11.06	9.03	1178.33	1284.73	106.40	499.02
2011-12	1284.73	6.09	शून्य	शून्य	6.09	8.28	1290.82	1397.70	106.88	705.53
2012-13	1397.70	7.00	शून्य	शून्य	7.00	8.19	1404.70	1519.74	115.04	1232.83
2013-14	1519.74	78.08	शून्य	शून्य	78.08	7.14	1597.82	1711.90	114.08	1048.22
2014-15	1711.90	1.21	3.62	शून्य	4.83	7.68	1716.73	1848.57	131.84	378.25
2015-16	1848.57	6.85	शून्य	शून्य	6.85	7.25	1855.42	1989.94	134.52	264.80
2016-17	1989.94	9.56	शून्य	शून्य	9.56	7.83	1999.50	2156.06	156.56	-1809.73
2017-18	2156.06	96.08	50.82	17.50	129.40	7.23	2285.46	2450.70	165.24	32.62
<b>कुल</b>		<b>285.54</b>	<b>65.99</b>	<b>17.50</b>	<b>334.03</b>					

(स्रोत: मार्च 2018 तक संबंधित पीएसयू द्वारा नवीनतम जानकारी के आधार पर संकलित)

<sup>29</sup> सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (जम्मू और कश्मीर सरकार) पर भारत के सीएजी की रिपोर्ट से ली गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर के लिए गणना = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देनदारियां + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]\*100

<sup>30</sup> वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य - वर्ष के अंत में कुल निवेश

<sup>31</sup> वर्ष के लिए कुल आय उन 25 पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ/ हानि) को दर्शाती है, जहां राज्य सरकार द्वारा निधि का निवेश किया गया था। यदि किसी वर्ष के दौरान, किसी भी पीएसयू के वार्षिक लेखे लंबित थे, तो उस वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ/ हानि) संबंधित पीएसयू के नवीनतम लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार ली गई है

<sup>32</sup> जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा 31 मार्च 2018 के अंत तक किये गये निवेश (₹632.83 करोड़) में से वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2017-18 के दौरान निवेश (₹285.54 करोड़) का घटाकर। वर्ष 1999-2000 तक के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹347.29 करोड़ लिया था

इन पीएसयू में राज्य सरकार द्वारा निवेश का शेष, वर्ष 1999-2000 की शुरुआत में ₹347.29 करोड़ से बढ़कर, वर्ष 2017-18 के अंत में ₹681.32 करोड़<sup>33</sup> हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2017-2018 की अवधि के दौरान इक्विटी (₹285.54 करोड़) और ब्याज मुक्त ऋण (₹65.99 करोड़) के रूप में और निवेश किया। 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश किए गए पीवी की राशि ₹2,450.70 करोड़ हो गई।

### 3.1.14 ऐतिहासिक लागत और वर्तमान मूल्य के अनुसार निवेश की तुलना

#### विद्युत क्षेत्र के अलावा

सरकार ने वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 (2016-17 को छोड़कर) के दौरान चार वर्षों में 26 पीएसयू में किए गए निवेश पर सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त किया। इन चार वर्षों के लिए, ऐतिहासिक लागत और वर्तमान मूल्य पर निधि पर प्रतिफल की तुलना हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

तालिका-3.12: निवेश पर प्रतिफल की तुलना

(₹ करोड़ में)

वर्ष*	कुल आय	जीओजेएंडके के द्वारा निधियों का निवेश	जीओजेएंडके के अलावा अन्य द्वारा निधियों का निवेश	कुल निवेश	निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में निवेश का पीवी <sup>34</sup>	निवेश की वर्तमान लागत को ध्यान में रखकर निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
2013-14	1,048.22	405.88	73.90	479.78	218.48	1791.08	58.52
2014-15	378.25	413.04	73.41	486.45	77.76	1933.84	19.56
2015-16	264.80	484.79	73.41	558.20	47.44	2081.39	12.72
2017-18	32.62	508.47	73.41	581.88	5.61	2556.44	1.28

\*जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड को वर्ष 2016-17 के दौरान हानी होने के कारण उसकी कुल आय नकारात्मक थी

वर्ष 2013-14 में ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर अर्जित प्रतिफल, 218.48 प्रतिशत था, और 2017-18 के दौरान, यह 5.61 प्रतिशत तक कम हो गया, जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान निधि पर अर्जित निवेशों के वर्तमान मूल्य को देखते हुए अर्जित लाभ 58.52 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 के दौरान, 1.28 प्रतिशत

<sup>33</sup> ₹347.29 करोड़ + (₹285.54 करोड़ + ₹65.99 करोड़) - ₹17.50 करोड़ (इक्विटी में परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण)

<sup>34</sup> ये आंकड़े राज्य सरकार तथा अन्य निवेश के वर्तमान मूल्य के जोड़ पर आधारित हैं। प्राइवेट इक्विटी के वर्तमान मूल्य की वर्ष 2013-14 से गणना की गई है

तक रह गया। वर्ष 2016-17 के दौरान निवेश पर प्रतिफल नकारात्मक रहा क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड को ₹1,632.29 करोड़ की हानी हुई थी।

### 3.1.15 निवल मूल्य का हास

#### (ए) विद्युत क्षेत्र

निवल मूल्य का अर्थ है कि भुगतान की गई पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि का कुल योग और अधिशेष में से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय की कुल राशि को घटाना। मुख्य रूप से, यह मालिकों को सत्व के मूल्य आकलन का एक पैमाना है। एक नकारात्मक शुद्ध मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा पूरे निवेश को संचित घाटे और आस्थगित राजस्व व्यय से पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। ₹पांच करोड़ के पूंजी निवेश के प्रति, जेकेएसपीडीसी<sup>35</sup> का समग्र संचित घाटा ₹178.81 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹173.81 करोड़ का नकारात्मक निवल मूल्य हास हुआ था जिसका विवरण **परिशिष्ट-3.1.4** में विस्तृत रूप से किया गया है।

तालिका-3.13: वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के दौरान हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार जेकेएसपीडीसी का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी	निःशुल्क भंडार और अधिशेष	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/ हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2013-14	5.00	1,134.66	-922.34	शून्य	217.32
2014-15	5.00	1,134.66	-922.34	शून्य	217.32
2015-16	5.00	शून्य	-519.06	शून्य	-514.06
2016-17	5.00	शून्य	-519.06	शून्य	-514.06
2017-18	5.00	शून्य	-178.81	शून्य	-173.81

राज्य सरकार ने वर्ष 2013-18 की अवधि के दौरान जेकेएसपीडीसी में इक्विटी का निवेश नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-16 में ₹1,134.66 करोड़ 'अन्य रिजर्व' से एक अलग शीर्ष 'रिवेलुवेशन' रिजर्व में हस्तांतरण किए, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 के बाद से कोई भी फ्री रिजर्व नहीं रहा।

<sup>35</sup> सीवीपीपीपी को छोड़कर, जिसमें जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा निवेश नहीं किया गया था और अन्य चार निष्क्रिय थे, हालांकि इन कंपनियों में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा ₹0.20 करोड़ का निवेश किया गया था

**(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा**

20 राज्य पीएसयू<sup>36</sup> (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के अपने अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार पूंजी निवेश, संचित घाटे और निःशुल्क भंडार के क्रमशः ₹525.68 करोड़, ₹2,150.57 करोड़ और ₹100.03 करोड़ थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹1,524.86 करोड़ का नकारात्मक निवल मूल्य रहा था जिसका विवरण **परिशिष्ट-3.1.8** में विस्तृत रूप से किया गया है। निवेश और संचित घाटे के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि पूंजी निवेश के रूप में इन 20 पीएसयू में से, दस में निवल मूल्य का क्षय पूरी तरह से हो गया था क्योंकि इन पीएसयू का पूंजीगत निवेश और संचित घाटा क्रमशः ₹341.53 करोड़ और ₹2,242.53 करोड़ हुआ था। इन दस पीएसयू में से, अधिकतम निवल मूल्य हास, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (₹969.75 करोड़), जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (₹513.13 करोड़), जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹112.18 करोड़) और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹81.52 करोड़) का रहा था। इन दस पीएसयू में जहां निवल मूल्य का पूरी तरह से हास हुआ था, फिर भी वर्ष 2017-18 के दौरान दो<sup>37</sup> पीएसयू ने लाभ अर्जित किया, हालांकि काफी अधिक संचित हानि हुई थी।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित तालिका वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान 20 पीएसयू जहां राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष निवेश किया है, उनकी कुल प्रदत्त पूंजी, कुल संचित लाभ/ हानि, और कुल निवल मूल्य को इंगित करती है।

**तालिका-3.14: वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 20 पीएसयू का निवल मूल्य**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी	मुक्त आरक्षित निधि और अधिशेष	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/ हानि (-)	निवल मूल्य
2013-14	458.16	3.90	-1,645.39	-1,183.33
2014-15	483.30	4.11	-1,851.08	-1,363.67
2015-16	502.00	11.84	-1,885.60	-1,371.76
2016-17	516.37	25.38	-2,049.16	-1,507.41
2017-18	525.68	100.03	-2,150.57	-1,524.86

<sup>36</sup> पांच निष्क्रिय पीएसयू को छोड़कर अर्थात् (1) तवी स्कूटर्स लिमिटेड (2) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड (3) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज आर्गनाइजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक) (4) जम्मू एंड कश्मीर रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (5) जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दो नामित कार्यरत पीएसयू अर्थात् (1) जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, जिन्होंने स्थापना के बाद से कभी अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए

<sup>37</sup> जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉर्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा जम्मू एंड कश्मीर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

जैसा कि देखा जा सकता है, अवधि के दौरान इन पीएसयू का कुल निवल मूल्य नकारात्मक रहा। यह वर्ष 2013-14 में ₹1,183.33 करोड़ से घटकर, वर्ष 2017-18 में ₹1,524.86 करोड़ हो गया। 20 पीएसयू में से, 9 पीएसयू<sup>38</sup> ने सकारात्मक निवल मूल्य दिखाया और वर्ष 2013-14 के दौरान 10 पीएसयू का निवल मूल्य नकारात्मक रहा था, जबकि एक पीएसयू<sup>39</sup> ने अपने लाभ और हानि के लेखे तैयार नहीं किए हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान, जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड का निवल मूल्य नकारात्मक था और उसके पश्चात वर्ष 2014-18 के दौरान सकारात्मक रहा था, जबकि जम्मू एंड कश्मीर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का निवल मूल्य वर्ष 2013-16 के दौरान सकारात्मक था और उसके बाद वर्ष 2016-18 के दौरान नकारात्मक बना रहा। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान, दस पीएसयू का निवल मूल्य घट गया जबकि आठ पीएसयू ने निवल मूल्य में वृद्धि दर्ज की। 31 मार्च 2018 तक, नौ पीएसयू का निवल मूल्य सकारात्मक रहा था जबकि दस पीएसयू का निवल मूल्य नकारात्मक था। एक पीएसयू अर्थात जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में है, जिसने वर्ष 2013-18 के दौरान, वर्ष 2010-11 के एक लेखे को अंतिम रूप दिया था, लेकिन लाभ और हानि लेखे को प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण, इसकी निवल संपत्ति को उजागर नहीं किया जा सका।

### 3.1.16 लाभांश का भुगतान

वर्ष 2017-18 के दौरान हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, एक विद्युत क्षेत्र पीएसयू अर्थात जेकेएसपीडीसी और विद्युत क्षेत्र के अलावा नौ कार्यरत पीएसयू ने क्रमशः ₹160.23 करोड़ और ₹228.92 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया। हालांकि, किसी भी पीएसयू ने लाभांश की घोषणा नहीं की थी।

**यह सिफ़ारिश की जाती है कि राज्य सरकार लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू के लिए लाभांश नीति पर विचार करें।**

### 3.1.17 कंपनियों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण

कंपनियों द्वारा सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण को चुका देने की कंपनियों की क्षमता का आकलन करने के लिए, वर्ष 2013-18 के दौरान लीवरेज

<sup>38</sup> (1) जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड (2) जम्मू एंड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (3) जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (4) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (5) जम्मू एंड कश्मीर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (6) जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (7) जम्मू एंड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड (8) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और (9) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड

<sup>39</sup> जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

वाली कंपनियों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण किया गया। इसका मूल्यांकन, ब्याज कवरेज अनुपात और ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

### 3.1.18. ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और उक्त अवधि के ब्याज व्यय द्वारा कंपनी की आय से पहले ब्याज और कर (ईबीआईटी) को विभाजित करके गणना की जाती है। जितना कम अनुपात होता है, उतनी ही कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता कम होती है। एक से कम का ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर रही थी।

#### (ए) विद्युत क्षेत्र

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार जेकेएसपीडीसी<sup>40</sup> के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका-3.15: ब्याज कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	ईबीआईटी	ब्याज कवरेज अनुपात
2013-14	262.75	460.45	1.75
2014-15	262.75	460.45	1.75
2015-16	227.34	668.95	2.94
2016-17	227.34	668.95	2.94
2017-18	155.78	433.41	2.78

यह देखा जा सकता है कि जेकेएसपीडीसी का वर्ष 2013-14 से 2017-18 की पूर्ण अवधि के दौरान, एक से अधिक की ब्याज कवरेज अनुपात थे, जो यह दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित कर रही है।

<sup>40</sup> शेष पांच विद्युत क्षेत्र की कंपनियों ने किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया था

### (बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार विद्युत क्षेत्र के अलावा अन्य 16 पीएसयू<sup>41</sup> के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका-3.16: राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित ब्याज कवरेज अनुपात  
(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	ईबीआईटी	सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले पीएसयू की संख्या	पीएसयू की संख्या जिनका ब्याज कवरेज अनुपात	
				एक से अधिक	एक से कम
2013-14	186.06	1803.72	16	5	11
2014-15	290.04	965.16	16	5	11
2015-16	248.14	763.93	16	4	12
2016-17	206.27	-1464.76	16	3	13
2017-18	257.83	439.21	16	5	11

वर्ष 2017-18 के दौरान सरकार के साथ-साथ, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋणों की देयता वाले 16 राज्य पीएसयू में से, पांच पीएसयू में एक से अधिक का ब्याज कवरेज अनुपात था, जबकि शेष 11 पीएसयू में ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था, जो इंगित करता है कि अवधि के दौरान ये 11 पीएसयू ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर सके।

### 3.1.19 ऋण-कारोबार अनुपात

#### (ए) विद्युत क्षेत्र

पिछले चार वर्षों के दौरान, जेकेएसपीडीसी के टर्नओवर में ऋण और टर्नओवर की नकारात्मक संयुक्त वार्षिक वृद्धि क्रमशः 9.98 प्रतिशत और 5.04 प्रतिशत दर्ज की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ऋण-कारोबार अनुपात वर्ष 2013-14 में 2.28 से सुधरकर वर्ष 2017-18 में 1.84 हो गया, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

<sup>41</sup> पांच निष्क्रिय पीएसयू को छोड़कर अर्थात् (1) तवी स्कूटर्स लिमिटेड (2) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड (3) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज आर्गेनाइजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक) (4) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और (5) जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड, दो कार्यशील सार्वजनिक उपक्रम अर्थात् (1) जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड (2) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फारेस्ट कॉरपोरेशन, जिन्होंने अपनी स्थापना के बाद से कभी भी अपने लेखाओं प्रस्तुत नहीं किए और चार पीएसयू अर्थात् (1) जम्मू एंड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (2) जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (3) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड और (4) जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जिन्होंने कोई ऋण नहीं लिया है

तालिका-3.17: जेकेएसपीडीसी से संबन्धित ऋण-कारोबार अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार और अन्य (बैंक और वित्तीय संस्थान) से ऋण	2,781.97	2,781.97	1,493.55	1,493.55	1,826.49
टर्नओवर	1,220.62	1,220.62	1,119.90	1,119.90	992.46
ऋण- टर्नओवर अनुपात	2.28:1	2.28:1	1.33:1	1.33:1	1.84:1

(स्रोत: अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के आधार पर संकलित)

**(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा**

पिछले पांच वर्षों के दौरान, 19 पीएसयू<sup>42</sup> के कारोबार में 1.83 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई और ऋण की संयुक्त वार्षिक वृद्धि 3.43 प्रतिशत रही, जिसके कारण ऋण-कारोबार का अनुपात वर्ष 2013-14 में, 0.45 से घटकर वर्ष 2017-18 में, 0.48 हो गया। जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है, इस अवधि के दौरान ऋण-कारोबार अनुपात 0.43 और 0.53 के बीच रहा था:

तालिका-3.18: पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित ऋण-कारोबार अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार और अन्य (बैंक और वित्तीय संस्थान) से ऋण	3,175.63	3,875.23	3,834.30	3,097.52	3,633.37
कारोबार	7,048.17	7,449.34	7,296.59	7,238.03	7,579.22
ऋण-कारोबार अनुपात	0.45:1	0.52:1	0.53:1	0.43:1	0.48:1

(स्रोत: अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के आधार पर संकलित)

**3.1.20 उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत सहायता**

विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (यूडीएवाई) का शुभारंभ (20 नवंबर 2015 में) किया। जम्मू और कश्मीर राज्य में, यद्यपि दो<sup>43</sup> विद्युत क्षेत्र डिस्कॉम, एक<sup>44</sup> ट्रांसमिशन

<sup>42</sup> पांच निष्क्रिय पीएसयू को छोड़कर: (1) तवी स्कूटर्स लिमिटेड (2) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड (3) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज आर्गनाइजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक) (4) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और (5) जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड, दो कार्यरत सार्वजनिक उपक्रम अर्थात (1) जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड (2) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फारेस्ट कॉरपोरेशन, जिन्होंने अपनी स्थापना के बाद से कभी भी अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए और एक कार्यरत पीएसयू अर्थात जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसने लाभ और हानि के लेखे तैयार नहीं किए थे

<sup>43</sup> (1) जम्मू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और (2) कश्मीर पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

<sup>44</sup> जम्मू एंड कश्मीर पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

कंपनी और एक<sup>45</sup> ट्रेडिंग कंपनी को (मार्च/ जून 2013) निगमित किया गया है, हालांकि, मार्च, 2018 तक, इन डिस्कॉम द्वारा अपनी परिचालन गतिविधियों का शुरु किया जाना बाकी है, जिसके अभाव में, विद्युत उत्पादन विभाग द्वारा अभी भी विद्युत ट्रांसमिशन/ वितरण गतिविधियों को पूरा किया जाता है।

### 3.1.21 राज्य के निष्क्रिय पीएसयू को बंद करना

विद्युत क्षेत्र के छह उपक्रमों में से, चार उपक्रम निष्क्रिय थे और 31 मार्च 2018 तक शेयर पूंजी के रूप में कुल ₹0.20 करोड़ का निवेश कर रहे थे।

इसी प्रकार, 27 राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) में से, पांच निष्क्रिय थे और 31 मार्च 2018 तक पूंजी (₹55.57 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण (₹0.83 करोड़) के प्रति कुल ₹56.40 करोड़<sup>46</sup> का निवेश कर रहे थे। 31 मार्च 2018 तक समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में निष्क्रिय पीएसयू की संख्या नीचे दी गई है:

तालिका-3.19: राज्य के निष्क्रिय पीएसयू

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
विद्युत क्षेत्र में निष्क्रिय पीएसयू की संख्या	शून्य	शून्य	2	4	4
निष्क्रिय पीएसयू की संख्या (विद्युत क्षेत्र के अलावा)	3	3	4	5	5

(स्रोत: जम्मू और कश्मीर सरकार के संबंधित वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू), में शामिल जानकारी से संकलित)

विद्युत क्षेत्र के अलावा पांच निष्क्रिय पीएसयू में से, तीन पीएसयू<sup>47</sup> पिछले 17 से 26 वर्षों से निष्क्रिय थे और परिसमापन के अंतर्गत थे। सरकार इन पीएसयू को बंद करने के लिए उचित निर्णय ले सकती है।

### 3.1.22 पीएसयू के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

#### (ए) विद्युत क्षेत्र

1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 के दौरान, दो विद्युत क्षेत्र के पीएसयू ने अपने तीन लेखापरीक्षित लेखाओं को महालेखाकार को अग्रेषित किया। दोनों लेखाओं

<sup>45</sup> जम्मू एंड कश्मीर पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

<sup>46</sup> तवी स्कूटर्स लिमिटेड: ₹1.63 करोड़, हिमालयन वूल कांबर्स लिमिटेड: ₹1.37 करोड़, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक कंपनी): ₹0.40 करोड़, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड: ₹5 करोड़ और जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड: ₹48 करोड़

<sup>47</sup> तवी स्कूटर्स लिमिटेड, हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज आर्गेनाइजेशन लिमिटेड

को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। सीएजी द्वारा किए गए अनुपूरक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। वर्ष 2015-18 के लेखाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की टिप्पणियों का औसत निधि मूल्य का विवरण निम्नलिखित हैं:

तालिका-3.20: विद्युत क्षेत्र के पीएसयू पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में गिरावट	2	517.29	-	-	1	4.19
2.	लाभ में वृद्धि	1	7.50	-	-	1	63.22
3.	हानि में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
4.	हानि में गिरावट	-	-	-	-	-	-
5.	भौतिक तथ्यों का प्रकट न होना	1	9.50	-	-	2	112.83
6.	वर्गीकरण में त्रुटियां	1	1129.01	-	-	-	-

(स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/ सीएजी की टिप्पणियों से संकलित)

वर्ष 2015-16 और 2017-18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन लेखाओं पर क्वालिफाइड प्रमाण-पत्र जारी किए थे। पीएसयू द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन स्तरहीन था क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने चार लेखाओं में लेखांकन मानकों की अननुपालन के चार उदाहरण इंगित किये।

### (बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा

1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान, 12 पीएसयू ने 37 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की टिप्पणियों की औसत निधि मूल्य का विवरण नीचे दिया है:

तालिका-3.21: राज्य पीएसयू पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव (विद्युत क्षेत्र के अलावा)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में गिरावट	2	0.53	2	2.33	2	0.16
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	2	0.05
3.	हानि में वृद्धि	4	12.10	1	0.06	3	1.55

क्र.सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
4.	हानि में गिरावट	2	0.71	1	0.03	2	1.17
5.	भौतिक तथ्यों का प्रकट न होना	3	7.33	1	2.56	4	21.82
6.	वर्गीकरण में त्रुटियां	4	120.06	4	30.98	5	97.39

(स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/ सीएजी की टिप्पणियों से संकलित)

वर्ष 2017-18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दस लेखाओं पर क्वालिफाइड प्रमाण-पत्र जारी किए थे। पीएसयू द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन स्तरहीन रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन लेखाओं में लेखांकन मानकों की अननुपालन के नौ उदाहरण इंगित किये।

राज्य में तीन सांविधिक निगम अर्थात् (i) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (जेएंडकेएसआरटीसी), (ii) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन (जेएंडकेएसएफसी), (iii) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन हैं। जेएंडकेएसआरटीसी के संबंध में सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है।

तीन कार्यरत सांविधिक निगमों में से, एक निगम (जेएंडकेएसएफसी) ने वर्ष 2016-17 के लिए अपने वार्षिक लेखे अग्रेषित किये, जबकि 01 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 के दौरान, जेएंडकेएसआरटीसी और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन किसी भी लेखे को अग्रेषित करने में असफल रहे। वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों ने जेएंडकेएसएफसी के वार्षिक लेखाओं पर योग्यता प्रमाण-पत्र दिए।

सांविधिक निगमों के संबंध में सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा और सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों की औसत निधि का विवरण निम्नलिखित हैं:

तालिका-3.22: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में गिरावट	-	-	-	-	-	-
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	-	-	1	28.04	1	15.14
4.	हानि में गिरावट	-	-	1	0.07	-	-
5.	भौतिक तथ्यों का प्रकट न होना	-	-	1	8.58	-	-
6.	वर्गीकरण में त्रुटियां	-	-	1	12.17	1	5

(स्रोत: सांविधिक निगमों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/ सीएजी की टिप्पणियों से संकलित)

यह सिफ़ारिश की जाती है कि संबन्धित पीएसयू, सांविधिक मानदंडों की सख्त अनुपालना करते हुए लाभ/ हानि के अधिक/ कम विवरण से बचने के लिए त्रुटिमुक्त लेखाओं को सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावा, वित्त और प्रशासनिक विभाग निरीक्षण करें कि इन पीएसयू द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

### 3.1.23 निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ

#### (ए) विद्युत क्षेत्र

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए, छह सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित दो लेखापरीक्षा पैराग्राफ विद्युत विकास विभाग के आयुक्त सचिव, जम्मू और कश्मीर सरकार को जारी किये गये थे। राज्य सरकार से एक लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर उत्तर (फरवरी 2019 में) प्राप्त हुआ है और जिसे प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा पैराग्राफ का कुल वित्तीय प्रभाव ₹46.33 करोड़ है।

#### (बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए (विद्युत क्षेत्र के अलावा) जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेएमएससीएल), जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस, मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित पांच अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ और जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड की कार्यप्रणाली से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में, संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए गए थे। राज्य सरकार से तीन अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर उत्तर प्राप्त हुए हैं और पैराग्राफ को अंतिम रूप देते हुए इनको ध्यान में रखा गया है। इन लेखापरीक्षा पैराग्राफ का कुल वित्तीय प्रभाव ₹3,277.48 करोड़<sup>48</sup> है।

### 3.1.24 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया की पूर्णता को दर्शाती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि वे कार्यकारिणी से उचित और समय पर उत्तर प्राप्त करें। वित्त विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने (जून 1997

<sup>48</sup> जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड: ₹3,142.09 करोड़, जेकेएमएससीएल: ₹126.54 करोड़ और झुफ्ट पैराग्राफ: ₹8.85 करोड़

में) सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए कि विधानमंडल में प्रस्तुत करने के पश्चात निर्धारित प्रारूप में पीएसयू (सीओपीयू) की समिति से किसी भी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, वे अपनी प्रस्तुति के तीन महीने की अवधि के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल पैराग्राफ/ समीक्षाओं के जवाब/ व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित प्रस्तुत करें। सितंबर 2018 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति निम्नानुसार थी:-

तालिका-3.23: पीएसयू से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (30 सितंबर 2018 तक) जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/ पीएसयू)	राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीए) और पैराग्राफ				पीए/ पैराग्राफ की संख्या जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं की गईं			
		पीए		पैराग्राफ		पीए		पैराग्राफ	
		विद्युत	विद्युत के अलावा	विद्युत	विद्युत के अलावा	विद्युत	विद्युत के अलावा	विद्युत	विद्युत के अलावा
2000-01	6 अप्रैल 2002	-	1	1	2	-	-	-	-
2001-02	21 जून 2003	-	1	-	4	-	-	-	-
2002-03	23 अगस्त 2004	-	1	1	2	-	-	-	-
2003-04	23 मार्च 2005	-	-	1	2	-	-	-	-
2004-05	27 मार्च 2006	-	1	-	4	-	-	-	1
2005-06	8 फरवरी 2007/ 31 अगस्त 2009	-	3	1	1	-	1	-	-
2006-07	30 जनवरी 2008	-	1	-	5	-	-	-	-
2007-08	5 मार्च 2009	-	1	-	3	-	-	-	-
2008-09	30 मार्च 2010	-	1	-	3	-	-	-	2
2009-10	31 मार्च 2011	1	-	-	3	-	-	-	-
2010-11	4 अप्रैल 2012	-	1	-	5	-	-	-	-
2011-12	5 अप्रैल 2013	-	2	-	-	-	1	-	-
2012-13	4 मार्च 2014	-	-	1	2	-	-	-	1
2013-14	27 मार्च 2015	-	1	-	6	-	-	-	-
2014-15	27 जून 2016	-	1	4	3	-	-	-	-
2015-16	4 जुलाई 2017	1	-	-	6	1	-	-	3
<b>कुल</b>		<b>2</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>7</b>

उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र के 11 पैराग्राफों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर सिर्फ एक निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (सितंबर 2018 तक) प्रतीक्षित थीं।

इसी प्रकार, विद्युत क्षेत्र के अलावा 66 पैराग्राफों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से, दो विभागों के संबंध में, जिन पर टिप्पणियाँ की जा चुकी थी, नौ पैराग्राफों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (सितंबर 2018 तक) प्रतीक्षित थीं।

### 3.1.25 सीओपीयू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

30 सितंबर 2018, तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाई गई निष्पादन लेखापरीक्षा और पैराग्राफों की चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका-3.24: 30 सितंबर 2018 तक चर्चा किए गए और लेखापरीक्षा रिपोर्टों में प्रस्तुत किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा/ पैराग्राफ

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षा/ पैराग्राफ की संख्या							
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत				पैराग्राफों पर चर्चा की गई			
	पीए		पैराग्राफ		पीए		पैराग्राफ	
	विद्युत क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र के अलावा	विद्युत क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र के अलावा	विद्युत क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र के अलावा	विद्युत क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र के अलावा
2000-01	-	1	1	2	-	1	1	2
2001-02	-	1	-	4	-	1	-	4
2002-03	-	1	1	2	-	1	1	2
2003-04	-	-	1	2	-	-	1	2
2004-05	-	1	-	4	-	1	-	3
2005-06	-	3	1	1	-	2	1	1
2006-07	-	1	-	5	-	1	-	5
2007-08	-	1	-	3	-	1	-	3
2008-09	-	1	-	3	-	1	-	1
2009-10	1	-	-	3	1	-	-	3
2010-11	-	1	-	5	-	1	-	5
2011-12	-	2	-	-	-	1	-	-
2012-13	-	-	1	2	-	-	1	1
2013-14	-	1	-	6	-	1	-	6
2014-15	-	1	4	3	-	1	4	3
2015-16	1	-	-	6	-	-	-	3
<b>कुल</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>13<sup>49</sup></b>	<b>9</b>	<b>44<sup>49</sup></b>

वर्ष 2000-01 से वर्ष 2015-16 के लिए, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये विद्युत क्षेत्र के पीएसयू के 11 लेखापरीक्षा पैराग्राफ (पीए: 2, पैराग्राफ: 9) में से, 30 सितंबर 2018 तक केवल एक निष्पादन लेखापरीक्षा अर्थात् जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर सीओपीयू द्वारा चर्चा के लिए नहीं ली गई है।

इसी प्रकार, वर्ष 2000-01 से 2015-16 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्टों में दर्शाये गये विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू के 66 लेखापरीक्षा पैराग्राफ (पीए:15; पैराग्राफ: 51) में से, 30 सितंबर 2018 तक सीओपीयू द्वारा नौ पैराग्राफ (पीए: 2, पैराग्राफ: 7) चर्चा हेतु नहीं लिये गये हैं।

<sup>49</sup> आंशिक रूप से चर्चा में किये गये पैराग्राफों सहित

### 3.1.26 सीओपीयू की रिपोर्टों का अनुपालन

अप्रैल 2005 से मार्च 2018 के बीच राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत की गई सीओपीयू की दो रिपोर्टों से संबंधित विद्युत क्षेत्र पीएसयू के पांच पैराग्राफ और विद्युत क्षेत्र के अलावा सीओपीयू की आठ रिपोर्टों से संबंधित 45 पैराग्राफों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) को प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति (सितम्बर 2018 तक) को नीचे दर्शाया गया है।

तालिका-3.25: सीओपीयू प्रतिवेदनों की अनुपालना

सीओपीयू प्रतिवेदनों का वर्ष	सीओपीयू प्रतिवेदनों की कुल संख्या	सीओपीयू प्रतिवेदनों में सिफारिशों की संख्या	सिफारिशों की संख्या जहां एटीएन प्राप्त नहीं हुये
<b>विद्युत क्षेत्र के पैरा</b>			
2015-16 (47वां प्रतिवेदन)	01	02	02
2017-18 (49वां प्रतिवेदन)	01	04	03
<b>कुल</b>	<b>02</b>	<b>06</b>	<b>05</b>
<b>गैर-विद्युत क्षेत्र के पैरा</b>			
2004-05 (40वां प्रतिवेदन)	01	06	05
2009-10 (42वां प्रतिवेदन)	01	13	04
2010-11 (43वां प्रतिवेदन)	01	02	01
2011-12 (44वां प्रतिवेदन)	01	05	01
2013-14 (46वां प्रतिवेदन)	01	14	01
2015-16 (47वां प्रतिवेदन)	01	15	06
2016-17 (48वां प्रतिवेदन)	01	06	03
2017-18 (49वां प्रतिवेदन)	01	25	24
<b>कुल</b>	<b>08</b>	<b>86<sup>50</sup></b>	<b>45</b>

सीओपीयू की इन प्रतिवेदनों में 10 विभागों से संबंधित पैराग्राफ के संबंध में सिफारिशें थीं, जो वर्ष 2000-01 से वर्ष 2015-16 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में दर्शाई गई थी।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि: (क) निर्धारित समय-सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदन/ मसौदा पैराग्राफ/ निष्पादन लेखापरीक्षा का जवाब देना और सीओपीयू की सिफारिशों पर अपनी कृत कार्रवाई टिप्पणी देना (ख) निर्धारित अवधि में हानि/ बकाया अग्रिम/ अधिक भुगतानों की वसूली और (ग) लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर देने की प्रणाली का पुनः निर्धारण करना।

<sup>50</sup> 57 पैराग्राफों/ निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित है जो वर्ष 2000-01 से 2015-16 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विशेष रूप से दर्शाए गए हैं



**अध्याय-4**  
**निष्पादन लेखापरीक्षा (पीएसयू)**



## अध्याय-4

### निष्पादन लेखापरीक्षा (पीएसयू)

#### वित्त विभाग

#### 4 जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड की कार्यप्रणाली

जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड (बैंक) को एक बैंकिंग कंपनी के व्यवसाय के रूप में स्थापित करने और जारी रखने; उधार लेना या देना; ऋण और अग्रिम के तहत पैसा उधार देना; विनिमय, हंडियों, प्रॉमिसरी नोट्स, ड्राफ्ट, लेडिंग बिल, ऋणपत्र और अन्य साधनों के बिलों को खरीदने, बेचने, एकत्र करने और सौदा करने के लिए; स्टॉक्स, शेयरों, ऋणपत्र, प्रतिभूतियों और सभी प्रकार के निवेश करने के लिए; विदेशी विनिमय सहित विदेशी मुद्रा खरीदने और बेचने के लिए; और सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से निगमित किया गया था। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों की एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी, जिनमें से प्रमुख हैं:

#### प्रमुख बिन्दु

- बैंक ने निगमित प्रशासन से संबंधित सेबी विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था।  
(पैराग्राफ: 4.5.1 एवं 4.5.2)
- बैंक द्वारा अर्जित लाभ 2013-14 के दौरान ₹1,182.47 करोड़ से घटकर, 2017-18 में ₹202.72 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का बढ़ना था जो 31 मार्च 2013 तक ₹643.77 करोड़ से बढ़कर, 31 मार्च 2018 को ₹6,006.70 करोड़ हो गई थी। सकल अग्रिम के एनपीए की प्रतिशतता भी मार्च 2013 के अंत में 1.62 प्रतिशत से बढ़कर, मार्च 2018 के अंत में, 9.96 प्रतिशत हो गई। 2016-17 के दौरान बैंक को ₹1,632.29 करोड़ की हानि हुई।  
(पैराग्राफ: 4.6)
- बैंक की ऋण नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली समय रहते एनपीए की पहचान करने में विफल रही।  
(पैराग्राफ: 4.6.1 एवं 4.6.2)
- यद्यपि 2013-14 से 2017-18 के दौरान, निधि जमा में 24.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, लेकिन पिछले चार वर्षों के दौरान, मार्च 2017 के अंत तक, बैंक के जमा की वार्षिक वृद्धि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के समग्र राष्ट्रीय औसत से काफी कम थी।  
(पैराग्राफ: 4.7.2)

- बैंक ने 2013-14 से 2017-18 के दौरान, अग्रिम में 51.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी, वार्षिक वृद्धि (-)1.78 प्रतिशत और 18.28 प्रतिशत के बीच अस्थिर थी। कुल निवल अग्रिम के लिए असुरक्षित अग्रिम का प्रतिशत, मार्च 2014 के अंत में 20.16 प्रतिशत से बढ़कर, मार्च 2018 के अंत में 27.90 प्रतिशत हो गया था।

(पैराग्राफ: 4.7.3)

- समग्र बैंकिंग क्षेत्र के औसत की तुलना में, उद्योग-वार एक्सपोजर के लिए बैंक का संकेद्रण जोखिम अधिक था।

(पैराग्राफ: 4.7.4 (i))

- पर्याप्त सुरक्षा कवर, उचित क्रेडिट मूल्यांकन, प्रतिबंधों की पूर्व या बाद की स्थितियों का पालन, नियमित निगरानी आदि के माध्यम से बैंक के हित की सुरक्षा के बिना, ऋण सुविधाओं की स्वीकृति/ जारी करने से न केवल एनपीए को बढ़ावा दिया बल्कि ₹197.98 करोड़ की हानि/ गैर-वसूली, ₹1,599.14 करोड़ की संदिग्ध वसूली और नमूना-जांच किए गए मामलों में, ₹14.10 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ: 4.7.5.2)

- बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों में कमियां पाई गई थीं जिसके कारण, यह अपने कुछ कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान, सुनिश्चित नहीं कर सका।

(पैराग्राफ: 4.7.6)

- बैंक की वसूली नीति के विचलन में, एकमुश्त भुगतान की स्वीकृति के परिणामस्वरूप, नमूना-जांच के मामलों में ₹17.97 करोड़ की मूल राशि को छोड़ना पड़ा।

(पैराग्राफ: 4.7.9.1)

- ₹671.10 करोड़ की मूल राशि और ₹504 करोड़ के अनपेक्षित ब्याज को छोड़ते हुए, बैंक ने 2014-2018 की अवधि के दौरान, परिसंपत्ति पुनःनिर्माण कंपनियों (एआरसी) को दस एनपीए बेचे, आरक्षित मूल्य से नीचे एआरसी को वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री के परिणामस्वरूप, ₹21.89 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ: 4.7.10)

- अविवेकपूर्ण निर्णय लेने, गारंटी को इन्वोक न करने और बैंक के हित की असुरक्षा के कारण, गैर-निष्पादित निवेशों की नमूना-जांच में, ₹180.43 करोड़ की संदिग्ध वसूली/ हानि हुई।

(पैराग्राफ: 4.7.11.2)

- रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव्स और बैंकिंग एसोसिएट्स की भर्ती में अनियमितताएं देखी गईं।

(पैराग्राफ: 4.10.1)

- बैंक ने एक कार्य/ परियोजना पर, 2016-17 और 2017-18 के दौरान, 53.09 प्रतिशत से 83.82 प्रतिशत सीएसआर बजट व्यय किया था और 2015-16 से 2017-18 के दौरान, एकल खंड के तहत 49.33 प्रतिशत से 95.27 प्रतिशत तक व्यय किया था जो सीएसआर नीति का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त, बैंक की सीएसआर नीति और कंपनी अधिनियम 2013 के उल्लंघन में, सीएसआर निधि से ₹46.96 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया था।

(पैराग्राफ: 4.11)

#### 4.1 प्रस्तावना

अक्टूबर 1938 में बैंक को 1977 सम्वत (1920 ई.) के तत्कालीन जम्मू और कश्मीर कंपनी विनियम के प्रावधानों के तहत निगमित किया गया था और 04 जुलाई 1939 से इसने अपना व्यवसाय शुरू किया। जम्मू और कश्मीर राज्य में कंपनी अधिनियम, 1956 के (नवंबर 1956 में) विस्तार के बाद, बैंक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के संदर्भ में एक सरकारी कंपनी बन गई और अब कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा शासित की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक को एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में (1971 में) अधिसूचित किया और इसे आरबीआई अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया है। बैंक को आरबीआई अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा भी विनियमित किया जाता है।

जम्मू एंड कश्मीर बैंक की स्थापना बैंकिंग कंपनी के व्यवसाय जैसा कि उधार लेना, पैसा लेना या देना, पैसे उधार लेना और पैसे को अग्रिम रूप में देना, सरकार या स्थानीय अधिकारियों के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। यह घरेलू, छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए वित्तीय समाधान देने का प्रयास भी करता है।

#### 4.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था:

- लक्ष्य की प्राप्ति और जमा में वृद्धि;
- अग्रिम की वृद्धि, अग्रिम की निगरानी प्रणाली की प्रभावकारिता, एनपीए वसूली नीति और एक मुश्त भुगतान योजना का कार्यान्वयन;
- बैंक की निवेश नीति का कार्यान्वयन और आय की तुलना में निवेश की वृद्धि सीमा;

- आरबीआई द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत लक्ष्यों की उपलब्धियां और अग्रणी बैंक के रूप में बैंक का निष्पादन; और
- क्या लेखापरीक्षा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में, बैंक को नियंत्रित करने वाले विभिन्न अधिनियमों/ विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

#### 4.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए बैंक की कार्यप्रणाली पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा फरवरी और जून 2018 के बीच की गई थी। बैंक के निष्पादन का आकलन करने के लिए, कॉर्पोरेट कार्यालय और पांच क्षेत्रों<sup>1</sup> में अभिलेखों (अग्रिम निधि और एनपीए के आधार पर चयनित) की संवीक्षा की गई। जैसा कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों में चर्चा की गई है कि लेखापरीक्षा में परीक्षण सिर्फ चुने गए नमूना क्षेत्रों से संबन्धित हैं, प्रबंधन अपनी कार्रवाई/ कार्यों के पूरे कार्य क्षेत्र पर इसी तरह के नियंत्रण प्रयोग कर सकता है। प्रबंधन के साथ (फरवरी 2018 में) लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रबंधन को सूचित किया गया और एक एकजट कांफ्रेंस में (दिसंबर 2018 में) चर्चा की गई।

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में अग्रिम, प्राथमिक क्षेत्र के ऋण और निवेश की मुख्य गतिविधियों पर बैंक की एक निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर राज्य विधानमंडल की पीएसयू समिति (सीओपीयू) द्वारा आंशिक रूप से चर्चा की गई थी। इसकी सिफारिशें प्रतीक्षित हैं।

#### 4.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर किया गया था, जो निम्नलिखित से स्रोतबद्ध हैं:


- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश/ मुख्त परिपत्र;
- क्रेडिट पर बैंक की नीतियां, निवेश, एनपीए की वसूली, एक मुश्त भुगतान आदि;
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013;
- भारतीय प्रतिभूति विनियम मंडल (सेबी) के विनियम और समझौते की सूची;
- बैंक द्वारा निर्धारित आंतरिक लक्ष्य और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्य;
- केंद्र/ राज्य और अग्रणी बैंक योजनाओं के दिशानिर्देश।

<sup>1</sup> जम्मू सेंट्रल-1, कश्मीर सेंट्रल-1, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर को कवर करते हुए 272 शाखाएं

## 4.5 कॉर्पोरेट गवर्नन्स

बैंक का प्रबंधन एक मंडल में निहित है जिसमें अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित 13 निदेशक<sup>2</sup> शामिल हैं। 31 मार्च 2018 तक, बैंक के पास 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 904 शाखाओं को नियंत्रित करने वाले 15 ज़ोनल कार्यालय<sup>3</sup> थे। 2014-18 के दौरान, बैंक ने 220 नई शाखाएँ खोलकर अपने नेटवर्क का विस्तार किया, जबकि एक शाखा बंद की गई थी। बैंक की संगठनात्मक संरचना इस प्रकार है:

चार्ट-4.1: संगठनात्मक संरचना



### 4.5.1 सेबी विनियमों की अननुपालना

एक कंपनी में विभिन्न हितधारक अर्थात् निवेशक, शेयरधारक, ग्राहक, कर्मचारी, विक्रेता भागीदार, सरकार और समाज शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे सभी हितधारकों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इसका प्रशासन अपने सभी लेन-देन में सभी हितधारकों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए।

<sup>2</sup> चार गैर-स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक; एक आरबीआई नामिती; एक सरकारी नामिती, बैंक का एक कार्यकारी निदेशक और वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा नियुक्त छह स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक

<sup>3</sup> कश्मीर-सैंट्रल-I, कश्मीर-सैंट्रल-II, कश्मीर-उत्तर, कश्मीर-दक्षिण-I, कश्मीर-दक्षिण-II, जम्मू-सैंट्रल-I, जम्मू-सैंट्रल-II, जम्मू-उत्तर-I, जम्मू-उत्तर-II, जम्मू-पश्चिम, लद्दाख, उत्तरी-दिल्ली, ऊपरी उत्तर-मोहाली, मुंबई, दक्षिण-बैंगलोर

जम्मू एंड कश्मीर बैंक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों-नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक सूचीबद्ध इकाई है। किसी कंपनी के लिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए, उसे एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होता है जिसे **सूचीबद्ध समझौते** के रूप में जाना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां अच्छे निगम प्रशासन का पालन कर रही हैं। अच्छे निगम प्रशासन का सार निगम प्रशासन पर सूचीबद्ध अनुबंध, सेबी (सूचीबद्ध ऑब्लिंगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम 2015 (एलओएंडडीआर) के खंड 49 से लिया गया है। यह देखा गया कि बैंक निम्नलिखित मानदंडों से भटक गया:

#### **i) मंडल में स्वतंत्र निदेशक**

सेबी (एलओएंडडीआर) विनियम 2015 के सूचीकरण समझौते और विनियमन 17 के खंड 49 के संदर्भ में, जहां निदेशक मंडल (बीओडी) का अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक हैं, मंडल के कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। हालाँकि, बैंक के पास 2013-14, 2014-15 और 2016-17 के दौरान मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या नहीं थी जो **तालिका 4.1** में नीचे विस्तृत रूप से दर्शाई गई है:

**तालिका-4.1: स्वतंत्र निदेशकों की स्थिति**

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या	5	5	5	4	6
स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	शून्य	3	6	2	6

प्रबंधन ने (अगस्त 2018 में) उत्तर दिया कि बैंक के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए) के तहत लगाए गए प्रतिबंध के कारण, बैंक 2014-15 और 2016-17 के दौरान आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सका।

यह उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि एओए में संशोधन करने की जिम्मेदारी बैंक के मंडल की है ताकि स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति सुनिश्चित की जा सके।

मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के अभाव में, अच्छे निगम प्रशासन और निगम विश्वसनीयता को बैंक में सुनिश्चित नहीं किया जा सका, जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

#### **ii) स्वतंत्र निदेशक द्वारा ली गई क्रेडिट सुविधाएं**

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20(1)(बी)(i) और (ii) बैंकिंग कंपनी को किसी भी निदेशक या उसके किसी भी फर्म जिसमें वह भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर के रूप में इच्छुक हैं; कोई ऋण या अग्रिम देने के लिए प्रतिबंधित करती है। इसके अतिरिक्त, विनियमन 16(1)(बी)(vi)(ई) के अनुसार, एक

स्वतंत्र निदेशक वह है जो सामग्री आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता या ग्राहक या सूचीबद्ध इकाई का पट्टाकर्ता या पट्टेदार नहीं है।

निदेशक मंडल ने 10 अगस्त 2016 को अपनी बैठक में, अपने विचार के आधार पर मंडल की नामांकन समिति की सिफारिश पर दो निदेशकों के त्याग पत्र के कारण आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए, बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री मोहम्मद अशरफ मीर को नियुक्त किया। परिणामस्वरूप, 17 जून 2017 को आयोजित बैठक में, बैंक के शेयरधारकों ने उन्हें दो वर्ष अर्थात् 16 जून 2019 तक की अवधि के लिए बैंक के मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त, मंडल ने (जून 2019 में) स्वतंत्र निदेशक के रूप में दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए उनकी पुनः नियुक्ति की सिफारिश की।

अगस्त 2016 और जून 2019 के बीच में श्री मीर बैंक से निधि आधारित ऋण सुविधाओं<sup>4</sup> का लाभ उठा रहे थे, इस तथ्य के बावजूद बैंक ने उसको मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और 2015 के सेबी विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था। यह इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि मंडल की नामांकन समिति ने बैंक के निर्देशन के लिए उसकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए पूरी सावधानी बरती थी (अगस्त 2016)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि श्री मीर को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के समय बैंक के पास नियोजित पूंजी की सुविधा थी और उनकी नियुक्ति के बाद, सुविधा का नवीकरण नहीं किया गया था और लेखाओं में आहरण क्षमता शून्य कर दी गई थी, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 20(1)(बी)(iii) और धारा 20(2) के अनुरूप है। बैंक के साथ अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए, निदेशक ने बैंक से कोई क्रेडिट सुविधा प्राप्त किए बिना अपने कैश क्रेडिट (सीसी) खाते को करंट डिपॉजिट (सीडी) लेखाओं के रूप में रखा था।

यद्यपि उनकी नियुक्ति के बाद श्री मीर के सीसी खाते का नवीकरण नहीं किया गया था, सीसी खाते की आहरण क्षमता को शून्य नहीं किया गया था जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि सीसी लेखाओं में नवीनतम डेबिट दिसंबर 2016 और अगस्त 2017 के बीच भी प्राप्त कये गए थे। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2019 तक वर्किंग कैपिटल टर्म लोन में ₹9.62 लाख की बकाया राशि थी। इसे विनियमन 16(1)(बी)(vi)(ई) के मद्देनजर देखा जा सकता है, जो बताता है कि एक स्वतंत्र निदेशक वह है जो सूचीबद्ध इकाई का ग्राहक नहीं है।

<sup>4</sup> नकद क्रेडिट सुविधा, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन और सिक्कोर्ड ओवर ड्राफ्ट सहित अगस्त 2016 तक ₹1.64 करोड़ बकाया

**iii) गैर-स्वतंत्र निदेशक द्वारा मंडल लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता करना**

सूचीबद्ध अनुबंध के खंड 49 और सेबी (एलओएंडडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 18(1)(डी) में निर्धारित किया गया है कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, 2013-14, 2014-15 और 2016-17 के लिए लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक गैर-स्वतंत्र निदेशक था।

चूंकि लेखापरीक्षा समिति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं किया गया था, इसलिए समिति, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर उचित निरीक्षण नहीं कर सकती थी जैसा कि पैरा 4.6.1 और 4.6.2 में चर्चा की गई है।

**iv) सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा समिति की चर्चा**

सूचीबद्ध अनुबंध के खंड 49 और सेबी (एलओएंडडीआर) विनियम, 2015 में निर्धारित किया गया है कि लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के बारे में लेखापरीक्षा शुरू करने से पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करने के साथ-साथ नाजुक क्षेत्र के निर्धारण हेतु पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा आयोजित करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा समिति ने 2014-18 के दौरान लेखापरीक्षा शुरू करने से पहले, सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा नहीं की।

बैंक की लेखापरीक्षा समिति ने 2014-2018 के दौरान लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के बारे में लेखापरीक्षा शुरू करने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा नहीं की।

प्रबंधन ने (दिसम्बर 2018 में) कहा कि लेखापरीक्षा हेतु, लेखाओं को उन्हें अग्रेषित करने से पूर्व, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सोएफओ) और बैंक के उच्च प्रबंधन द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विशेष क्षेत्रों पर पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा आयोजित की गई थी।

लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सीएफओ और प्रबंधन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की बैठक, लेखापरीक्षा समिति के साथ बैठक से अलग होती है, इसमें दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने अपेक्षित होते हैं। इस प्रकार समिति को, लेखापरीक्षा चिंताओं के स्वतंत्र परीक्षण के लिए उपलब्ध अवसर और अभिरूचि के विशिष्ट क्षेत्रों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की राय का उपयोग नहीं किया जा सका।

**v) मुखबिर तंत्र की गैर-समीक्षा**

उपरोक्त उल्लिखित विनियम लेखापरीक्षा समिति द्वारा 'मुखबिर तंत्र'<sup>5</sup> के कामकाज की समीक्षा का प्रावधान करते हैं। तथापि, लेखापरीक्षा समिति ने 2014-2018 के दौरान 'मुखबिर तंत्र' के कामकाज की समीक्षा नहीं की थी।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि भविष्य में मंडल, बैंक की सभी नीतियों के साथ साथ मुखबिर नीति की भी समीक्षा करेगा।

**vi) नामांकन और पारिश्रमिक समिति**

सेबी (एलओएंडडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 19(1) और (2) और सूचीबद्ध अनुबंध के खंड 49(IV)(ए) के अनुसार, निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक कंपनी नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन करेगी और इसका अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा।

तथापि, वर्ष 2014-15 और 2016-17 के दौरान, एनआरसी का अध्यक्ष एक गैर-स्वतंत्र निदेशक था। इसके अतिरिक्त, एनआरसी को मंडल के निदेशकों के लिए पारिश्रमिक से संबंधित एक नीति की सिफारिश करनी थी। तथापि, सरकार के नामित निदेशक को पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में एनआरसी द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई थी जैसा कि रिपोर्ट के पैरा 4.5.3 (ii) में की गई है।

**vii) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक**

सेबी (एलओएंडडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 25 के अंतर्गत आवश्यक है कि स्वतंत्र निदेशक, गैर-स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति के बिना वर्ष में कम से कम एक बैठक करेंगे और (क) गैर-स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन (ख) अध्यक्ष का कार्य-निष्पादन और (ग) प्रबंधन और बीओडी के बीच सूचना के प्रवाह के आकलन की समीक्षा करेंगे।

तथापि, स्वतंत्र निदेशकों ने 2018 के दौरान इस तरह की बैठक आयोजित नहीं की और वर्ष 2017-18 के लिए गैर-स्वतंत्र निदेशकों और अध्यक्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा नहीं की। हमने यह भी देखा कि गैर-स्वतंत्र निदेशकों/ अध्यक्ष के कार्य निष्पादन पर मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा बैंक के मंडल के समक्ष नहीं रखी गई थी।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (VII) (1) में 'एक साल में' शब्द को 'वित्तीय वर्ष में' शब्द से (जुलाई 2017 में)

<sup>5</sup> एक संगठन में किसी कर्मचारी अथवा पूर्व कर्मचारी की दृष्टि में हुए किसी कृत्य, जो अनैतिक प्रकृति या अवैध व्यवहार का हो, को उच्च प्रबंधन या किसी बाहरी प्राधिकरण या जनता के समक्ष प्रकट करने की क्रिया

बदल दिया गया था। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की बैठक वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 26 मार्च 2019 को आयोजित की गई थी।

तथापि, स्वतंत्र निदेशकों ने जनवरी 2018 और फरवरी 2019 के बीच की अवधि के दौरान बैठक नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 के लिए गैर-स्वतंत्र निदेशकों और अध्यक्ष के निष्पादन की समीक्षा नहीं की जा सकी।

#### **viii) स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन**

सेबी (एलओएंडडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 17(10) में निर्धारित किया गया है कि बीओडी स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करेंगे।

तथापि, बैंक के बीओडी ने वर्ष 2016-17 के लिए स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया। यह भी देखा गया कि वर्ष 2015-16 और 2017-18 के लिए स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन पर मूल्यांकन रिपोर्ट को समीक्षा के लिए मंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

#### **4.5.2 कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन न करना**

कंपनी अधिनियम, 2013 के निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था:

##### **i) मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों का अनुमोदन**

कंपनी अधिनियम की धारा 134(1) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के वित्तीय विवरणों को मंडल की ओर से हस्ताक्षर करने से पहले निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और सांविधिक लेखापरीक्षकों को भेजा जाना चाहिए। बैंक ने इन प्रावधानों का अनुपालन किए बिना मंडल के समक्ष लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को रखा था।

चूंकि मसौदा वित्तीय विवरणों को मंडल से अनुमोदित नहीं किया गया था, इसलिए बैंक के मंडल को इस तथ्य के बारे में पता नहीं था कि सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा पहचान किए जाने के बाद ही बैंक ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में अग्रिम पदावनत किए, जैसा कि पैरा 4.6.2. में चर्चा की गई है।

##### **ii) राज्य विधानमंडल में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करना**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के प्रावधानों के अंतर्गत जैसा कि अपेक्षित था, बैंक राज्य विधानमंडल में प्रस्तुति हेतु राज्य सरकार को अपने कार्य और मामलों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट अग्रेषित नहीं कर रहा था। इस प्रकार, राज्य विधानमंडल बैंक में सरकार द्वारा किए गए निवेश के लेखांकन और उपयोग की निगरानी नहीं कर सका।

### iii) वार्षिक आम बैठकों की सूचनाएँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136(1) के अनुसार वित्तीय विवरणों की एक प्रति, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और विधि द्वारा आवश्यक प्रत्येक अन्य दस्तावेज अनुलग्नक या वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न किए जाएं, जो कि कंपनी द्वारा अपनी आम सभा में प्रस्तुत किए जाने होते हैं, और यह सभी दस्तावेज बैठक की तारीख से 21 दिन पहले तक कंपनी के प्रत्येक सदस्य को भेजे जाने आवश्यक है। तथापि, वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का नोटिस भेजते समय भारत के सी एंड एजी की टिप्पणियों को शेयरधारकों को नहीं भेजा गया था।

### iv) वार्षिक रिपोर्ट में सीएंडएजी की टिप्पणियों को शामिल नहीं करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) में यथा आवश्यक सी एंड एजी द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी, या अनुपूरक, सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को उसी समय और उसी तरीके से जैसे कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट को वार्षिक आम बैठक में रखा जाता है। तथापि, सीएंडएजी की टिप्पणियां वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई थीं।

प्रबंधन ने (अगस्त 2018 में) कहा कि भारत के सीएंडएजी की टिप्पणियां शेयरधारकों को नोटिस भेजने के समय उपलब्ध नहीं थीं और एजीएम में सभी शेयरधारकों को टिप्पणियाँ उपलब्ध कराई गईं और उन्हें बैंक के कंपनी सचिव द्वारा पढ़ी गईं थीं।

बैंक ने भारत के सीएंडएजी की टिप्पणियों की प्रतीक्षा किए बिना अपने शेयरधारकों को एजीएम के लिए नोटिस भेजे।

### v) मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013<sup>6</sup> की धारा 203 में निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी में एक मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) होगा। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने (मई 2017 में) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को न्यूनतम योग्यता और अनुभव के आधार पर, बैंक प्रबंधन संरचना में सीएफओ नियुक्त करने की सलाह दी। नियामक ने निर्धारित किया कि केवल एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट को ही सीएफओ के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

तथापि, बैंक ने 1 अप्रैल 2014 और 16 मई 2015 की अवधि के दौरान किसी सीएफओ की नियुक्ति नहीं की, जिससे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। इसके अतिरिक्त हमने पाया कि जुलाई 2017 और जून 2019 के

<sup>6</sup> 1 अप्रैल 2014 से लागू

बीच नियुक्त किए गए सीएफओ अर्हता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे और नियामक द्वारा (मई 2017 में) निर्धारित योग्यता मानदंड पूरा नहीं कर रहे थे।

#### 4.5.3 मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल की बैठकों के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां भी की गई थी:

##### *i) मंडल की बैठकों में नामित निदेशकों की भागीदारी*

जम्मू और कश्मीर सरकार (जीओजेके), बैंक के बहुमत शेयरधारक होने के नाते, बैंक के मंडल में एक नामित निदेशक की नियुक्ति<sup>7</sup> करती है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई, बैंक के मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति<sup>8</sup> भी करता है।

सरकार के नामित निदेशक (प्रधान सचिव, वित्त, जीओजेके) ने 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः 40 प्रतिशत और 55 प्रतिशत मंडल की बैठकों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, आरबीआई के नामित उम्मीदवार ने क्रमशः 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान आयोजित मंडल बैठकों में 64 प्रतिशत, 60 प्रतिशत, 58 प्रतिशत और 67 प्रतिशत भाग लिया था। अभिलेखों से यह भी पता चला है कि सरकार के नामित निदेशक ने मंडल की बैठकों में मंडल द्वारा लिए गए अनुचित निर्णयों जैसे कि सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत अनियमित व्यय, बैंक की ऋण नीति के विचलन में ऋण सुविधाओं को मंजूरी और बैंक आदि की वसूली नीति के उल्लंघन में चूक कर्ताओं के पक्ष में एक मुश्त भुगतान के संबंध में कोई असहमति दर्ज नहीं की गई है जैसा कि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि सरकार/ आरबीआई स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य होने पर नामित निदेशकों ने मंडल/ समिति की बैठक को शायद छोड़ दिया हो। तथापि, मंडल/ समिति की बैठक के कार्यवृत्त संबंधित निदेशकों को भेजे जाते हैं।

हालाँकि, नामांकित व्यक्ति के हित का प्रतिनिधित्व करने और उसे सुरक्षित रखने और बैंक की गतिविधियों और कार्यों की निगरानी में प्रहरी की भूमिका निभाने के लिए एक नामित निदेशक की नियुक्ति का उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सका।

<sup>7</sup> कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) यह निर्धारित करती है कि बीओडी सरकारी कंपनी में अपनी शेयर हॉल्डिंग क्षमता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा नामांकित किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकता है

<sup>8</sup> बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 एबी आरबीआई को बैंक के मंडल में अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति करने हेतु सशक्त करती है

### ii) सरकार के नामित निदेशक को पारिश्रमिक

सरकार के नामित निदेशक को पारिश्रमिक की अनुमति देने के लिए शेयरधारकों की 78 वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) में बैंक के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए) को (जुलाई 2016 में) संशोधित किया गया। परिणामस्वरूप, 2016 -17 से 2018-19 के दौरान सरकार के नामित निदेशक को ₹58.80 लाख<sup>9</sup> का पारिश्रमिक<sup>10</sup> दिया गया।

तथापि, नामांकित निदेशक (प्रमुख सचिव, वित्त, जीओजेके) को पारिश्रमिक का भुगतान विभिन्न सरकारी कंपनियों/ पीएसयू बैंक अर्थात् नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आदि के द्वारा पालन की गई सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त अभिलेखों से पता चला कि शेयरधारकों की एजीएम में एओए का संशोधन मंडल की मंजूरी के बिना किया गया था।

2016-17 से 2018-19 के दौरान सरकार के नामित निदेशक को ₹58.80 लाख के लाभ प्रतिशत के रूप में बैठक शुल्क और कमीशन का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के पश्चात, बैंक ने (सितंबर 2019 में) एओए को संशोधित करके सरकार द्वारा नामित निदेशक को पारिश्रमिक देना बंद कर दिया और वह अब बैंक के मण्डल में पूर्णकालिक सरकारी रोजगार के सहित है। मामले को मुख्य सचिव, जीओजेके के साथ भी उठाया गया था कि पारिश्रमिक भुगतान, मूलभूत और अनुपूरक नियम (एफआर एंड एसआर) के अनुसार था और क्या नामित निदेशक द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक सरकार के संज्ञान में था और इस संबंध में सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया था। उत्तर (दिसंबर 2019 तक) अपेक्षित था।

### iii) मंडल के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रस्तावित मर्दों के रूप में प्रस्तुत करना

कार्यवृत्त पर नोट्स मंडल द्वारा चर्चा के लिए प्रस्ताव की समझ प्रदान करने के प्रयास में कार्यसूची के प्रत्येक मद की व्याख्या करते हैं। यदि निदेशक अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग तथा सक्रिय रूप से मंडल के विचार-विमर्श में योगदान और प्रमाणित निर्णय लेना चाहते हैं तो, यह आवश्यक है कि वे बैठक से उचित समय पहले पर्याप्त जानकारी प्राप्त करें। यद्यपि कार्यसूची और नोट को निदेशकों के पास भेजे बिना, मंडल को कार्यसूची प्रस्तुत करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रस्तावों को बीओडी के सामने प्रस्तावित मर्दों के रूप में

<sup>9</sup> 2016-17: ₹16.30 लाख; 2017-18: ₹14.10 लाख; 2018-19: ₹28.40 लाख

<sup>10</sup> लाभ के प्रतिशत के रूप में सीटिंग फीस और कमीशन

नहीं रखा जाना चाहिए। तथापि, अभिलेखों से पता चला कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात्, ₹100 करोड़ की ऋण सुविधा की मंजूरी, एक कंपनी के पक्ष में रणनीतिक डैब्ट रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज की मंजूरी, सीएसआर के अंतर्गत गोल्फ कोर्स के पुनर्विकास पर पैसा खर्च करने की मंजूरी, एनपीए मामलों में एक मुश्त निपटान, कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्त करने की अध्यक्ष की कार्रवाई की पुष्टि और उनका नियमितीकरण, भर्ती नियमों में संशोधन आदि को मंडल के समक्ष प्रस्तावित मर्दों के रूप में रखा गया था। मार्च 2019 में अपनी बैठक में प्रबंधन और बीओडी के बीच सूचना के प्रवाह का आकलन करते हुए, बैंक के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा भी प्रस्तावित कार्यसूची मर्दों पर प्रकाश डाला गया था।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि प्रस्तावित कार्यसूची को न्यूनतम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

बैंक प्रबंधन को बीओडी के सामने प्रस्तावित मर्दों के रूप में महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखने से बचना चाहिए।

#### **iv) निदेशक मंडल की बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त**

स्वतंत्र निदेशकों ने, मार्च 2019 में अपनी बैठक में, इस बात पर प्रकाश डाला कि निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यसूची नोट्स विश्लेषण के साथ अच्छी तरह से संरचित दस्तावेजों के बजाय, अनुचित रूप से वृहत् थे और कार्यसूची मर्दों के महत्व को देखते हुए उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई थी। इसके अतिरिक्त, मंडल के निर्देशों के अनुपालन के लिए तय की गई समय-सीमा बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज नहीं की गई थी।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि मंडल के सभी निर्णयों का अनुपालन मंडल को अनुवर्ती बैठकों में कार्रवाई की गई नोट्स के माध्यम से सूचित किया जाता है।

बैंक का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कार्यसूची की गुणवत्ता में कई कमियां थी और मंडल के फैसले के अनुपालन के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई थी।

#### **v) बैंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का विभाजन**

समुचित जांच एवं संतुलन लाने और मंडल स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को (अप्रैल 2015 में) अलग करने का निर्णय लिया। अध्यक्ष गैर-कार्यकारी होगा और बैंक को समग्र नीति निदेश देगा, जबकि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यकारी प्रमुख होंगे और दैनिक प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अतिरिक्त, देश के अधिकांश निजी क्षेत्र के बैंकों ने पहले ही अप्रैल 2002 में आरबीआई द्वारा गठित बैंकों/ वित्तीय संस्थानों के निदेशकों के सलाहकार समूह की

रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों के पद को अलग कर दिया था।

यह पाया गया कि बैंक के निदेशक मंडल ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को विभाजित करने के लिए विलंबित सिफारिश (जून 2019 में) की थी जो अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन को सुनिश्चित करने में बैंक के अभाववादी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि आरबीआई ने (अप्रैल 2008 में) बैंक को अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदों के विभाजन के लिए कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी थी। तथापि, बैंक ने आरबीआई द्वारा जारी किए गए निदेश से छूट मांगी थी लेकिन उसे आरबीआई से कोई उत्तर नहीं मिला। आरबीआई द्वारा पद पर अनुवर्ती नियुक्तियों को अनुमोदित किया जाता रहा।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि नियामक की सलाह के बावजूद, बेहतर प्रशासन के लिए पदों के विभाजन के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की गई।


#### 4.6 वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम

31 मार्च 2018 तक, ₹95 करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी के मुकाबले, जो प्रत्येक ₹एक के 95 करोड़ शेयरों में विभाजित की गई, भुगतान की गई पूंजी ₹55.70 करोड़ थी। इसमें से, जीओजेके का हिस्सा ₹32.98 करोड़, संस्थानों<sup>11</sup> का ₹13.74 करोड़ और गैर-संस्थानों<sup>12</sup> का ₹8.98 करोड़ था। 2016-17 और 2017-18 के दौरान, जीओजेके ने ₹250 करोड़ और ₹282 करोड़ की राशि का निवेश किया, जिसके प्रति बैंक ने जीओजेके को ₹एक के अंकित मूल्य वाले 3,65,55,051 और 3,55,25,321 शेयर क्रमशः ₹67.39 और ₹78.38 प्रति शेयर के प्रीमियम पर आवंटित किए। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2015 के अंत तक, जीओजेके की हिस्सेदारी 53.17 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2018 तक 59.23 प्रतिशत हो गई, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट-4.2 में दर्शाया गया है:

<sup>11</sup> विदेशी संस्थागत निवेशक सहित

<sup>12</sup> निवासी और प्रवासी व्यक्तियों सहित और जब्त शेयरों की ₹0.02 करोड़ की राशि सहित

चार्ट-4.2: शेयरहोल्डिंग पैटर्न (प्रतिशत में)



बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी विनियमन अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अनुसार अपने वार्षिक खाते तैयार किए थे।

#### (ए) वित्तीय स्थिति

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट-4.1.1** में दी गई है।

31 मार्च 2014 तक बैंक का निवल मूल्य<sup>13</sup> ₹5,723.61 करोड़ था, जो 31 मार्च 2016 तक बढ़कर ₹6,423.97 करोड़ हो गया और मार्च 2016-17 के दौरान ₹1,632.29 करोड़ के नुकसान के कारण 31 मार्च 2017 तक ₹5,676.50 करोड़ रह गया। ₹202.72 करोड़ के लाभ और 2017-18 के दौरान प्रीमियम पर शेयरों के आवंटन के कारण 31 मार्च 2018 तक निवल मूल्य बढ़कर ₹6,161.21 करोड़ हो गया। मार्च 2014 के अंत तक बैंक की अचल संपत्ति ₹533.80 करोड़ से बढ़कर मार्च 2018 के अंत तक ₹1,614.59 करोड़ हो गई थी। इस अवधि के दौरान दर्ज की गई ₹1,080.79 करोड़ की वृद्धि में से, ₹634.81 करोड़ की वृद्धि 2016-17 के दौरान बैंक द्वारा किए गए अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण दर्ज की गई।

#### (बी) कार्य परिणाम

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार बैंक के कार्य परिणाम **परिशिष्ट-4.1.1** में दर्शाए गए हैं। 2013-14 के दौरान बैंक ने ₹1,182.47 करोड़ का मुनाफा कमाया। 2016-17 में एनपीए


- 2017-18 में बैंक ने ₹202.72 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।
- निवल मूल्य 31 मार्च 2014 को ₹5,723.61 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2018 तक ₹6,161.21 करोड़ हो गया।

<sup>13</sup> प्रदत्त शेयर पूंजी और आरक्षित तथा अधिशेष का जोड़ निवल मूल्य है

के प्रति ₹2,115.93 करोड़ के प्रावधान के कारण इसे ₹1,632.29 करोड़ का नुकसान हुआ। 2017-18 में बैंक ने ₹202.72 करोड़ का लाभ अर्जित किया। बैंक की प्रति शेयर आय 2013-14 में ₹24.39 से घटकर 2017-18 में ₹3.64 हो गई।

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान बैंक की लाभप्रदता नीचे दिए गए चार्ट-4.3: में दर्शायी गई है:

चार्ट-4.3: बैंक की लाभप्रदता



बैंक के सकल एनपीए में वृद्धि के कारण, लाभप्रदता में गिरावट हुई। 01 अप्रैल 2013 को बैंक का सकल एनपीए ₹643.77 करोड़ था, जो 31 मार्च 2017 तक ₹6,000.01 करोड़ और 31 मार्च 2018 को ₹6,006.70 करोड़ हो गया। एनपीए का सकल अग्रिमों के प्रति प्रतिशत, मार्च 2013 के अंत में 1.62 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2018 के अंत में 9.96 प्रतिशत हो गया। पांच वर्षों की अवधि में एनपीए में वृद्धि के परिणामस्वरूप, बैंक ने उच्च प्रावधान किए जिससे इसकी लाभप्रदता प्रभावित हुई।

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक को आरबीआई द्वारा इंगित विचलन के कारण किए गए ₹517.40 करोड़ (2015-16 से संबंधित) अतिरिक्त प्रावधान सहित एनपीए के प्रति ₹2,115.93 करोड़ के प्रावधान के कारण मुख्यतः ₹1,632.29 करोड़ की हानि हुई।

इसके अतिरिक्त, नीचे दिए गए पैरा 4.6.1 में चर्चा के अनुसार, वर्ष 2017-18 के लिए लाभ को अंडर-प्रोविजनिंग के आधार पर ₹85.63 करोड़ अधिक बताया गया है।

#### 4.6.1 गैर-निष्पादित संपत्तियों के विरुद्ध अंडर-प्रोविजनिंग

आरबीआई द्वारा गठित आय मान्यता प्राप्तिकरण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों (आईआरएसी) से संबंधित प्रावधानों पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बैंक को अग्रिमों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता थी। यदि कोई संपत्ति 90 दिनों के लिए अतिदेय बनी रहती है तो एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन जाती है। इसके अतिरिक्त, (जुलाई 2015) के आईआरएसी मानदंडों के अनुसार, एक बैंक को परिसंपत्ति<sup>14</sup> का वर्गीकरण जैसे कि उप-मानक, संदेहस्पद और हानि जनित परिसंपत्ति के अनुसार एनपीए (बकाया राशि) का प्रावधान करना आवश्यक है।

- संदेहस्पद श्रेणी में, बैंक को 100 प्रतिशत तक उस सीमा तक प्रदान करना था जिस सीमा तक अग्रिम को सुरक्षा के यथार्थवादी वास्तविक मूल्य द्वारा कवर नहीं किया जाता है।
- सुरक्षित हिस्से के लिए, उस अवधि के आधार पर दरों<sup>15</sup> पर प्रावधान किया जाना है, जिस अवधि तक परिसंपत्ति संदिग्ध बनी हुई थी।

31 मार्च 2018 तक एनपीए मामलों की एक नमूना जांच से पता चला कि तीन मामलों में (27 नमूना जांच में से) नीचे दी गई तालिका-4.2 में यथावर्णित, निर्धारित मानदंडों के अनुसार ₹226.81 करोड़ के प्रावधान किए जाने आवश्यक थे। तथापि, बैंक ने केवल ₹141.18 करोड़ का प्रावधान किया, जिससे ₹85.63 करोड़ की अंडर-प्रोविजनिंग हुई।

<sup>14</sup> एक परिसंपत्ति जब बारह महीनों की अवधि तक गैर-निष्पादित रहे तब उसे उप-मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बारह महीने से अधिक अवधि तक गैर-निष्पादन परिसंपत्ति को संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हानि जनित परिसंपत्ति वह होती है जो बैंक द्वारा या बाह्य/ सांविधिक लेखापरीक्षकों या आरबीआई निरीक्षण द्वारा पहचानी जाए

<sup>15</sup> जब संदिग्ध अवधि एक वर्ष तक की हो तो (डीएफ-I): अग्रिम के सुरक्षित हिस्से का 25 प्रतिशत प्रावधान अपेक्षित होता है; जब संदिग्ध अवधि एक वर्ष से तीन वर्ष तक की होती है तो (डीएफ-II): अग्रिम के सुरक्षित हिस्से का 40 प्रतिशत प्रावधान अपेक्षित होता है; जब संदिग्ध अवधि तीन वर्ष से अधिक की हो तो (डीएफ-III): अग्रिम के सुरक्षित हिस्से का 100 प्रतिशत प्रावधान अपेक्षित होता है

तालिका-4.2: प्रावधानित मामलों के अंतर्गत परीक्षण-जाँच का विवरण

(₹ करोड़ में)

एनपीए का विवरण	मार्च 2018 तक बकाया (एनपीए) (ए)	प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य (बी)	प्रावधान बनाया जाना <sup>16</sup> (सी)	वास्तव में बनाया प्रावधान (डी)	अंडर-प्रोविजन्ड राशि <sup>17</sup> (ई)
मैसर्स ईटीए इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	174.86	76.87	128.74	69.94	58.80
मैसर्स पैराडाइज एवेन्यू	156.47	118.16	85.57	62.59	22.98
मैसर्स त्रम्बू ट्रेडिंग कंपनी	21.61	15.18	12.50	8.65	3.85
<b>कुल</b>	<b>352.94</b>	<b>210.21</b>	<b>226.81</b>	<b>141.18</b>	<b>85.63</b>

(स्रोत: बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर गणना)

प्रबंधन ने (अगस्त 2018 में) उत्तर दिया कि प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग द्वारा प्रावधान वक्तव्य तैयार किए जा रहे हैं और सुरक्षा विवरण के अनुसार एनपीए खातों के मामले में प्रावधान किया गया है। उन्होंने (दिसंबर 2018 में) कहा कि एनपीए के दो<sup>18</sup> मामलों में, 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक खातों को अंतिम रूप देते समय बैंक डेटाबेस में सुरक्षा विवरण को समय पर अद्यतित नहीं किया गया था। डेटाबेस तब से अद्यतित किया गया है।

परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था, जो कि बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में कमियों को दर्शाता है जैसा कि आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

#### 4.6.2 परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

आरबीआई अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के तहत आईआरएसी मानदंडों का बैंकों द्वारा अनुपालन का निर्धारण करता है। इसके अतिरिक्त, अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, बेहतर अनुशासन को बढ़ावा देना और आईआरएसी मानदंडों का अनुपालन करने हेतु, आरबीआई ने सभी बैंकों को (अप्रैल 2017 में) वित्तीय विवरणों में समुचित खुलासे करने के निदेश दिए जहां (क) संदर्भ अवधि के लिए कर के बाद आरबीआई द्वारा मूल्यांकन की गई अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकताओं को प्रकाशित निवल लाभ का 15 प्रतिशत से अधिक हो, या (ख) आरबीआई द्वारा पहचाना गया अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि, या दोनों के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15 प्रतिशत से अधिक हो। बैंक द्वारा वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए एनपीए की रिपोर्टिंग में विचलन था, जैसा कि नीचे तालिका-4.3 में वर्णित है:

<sup>16</sup> सी = (ए-बी) का 100 प्रतिशत + बी का 40 प्रतिशत

<sup>17</sup> ई = (सी-डी)

<sup>18</sup> मैसर्स पैराडाइज एवेन्यू तथा मैसर्स त्रम्बू ट्रेडिंग कंपनी

तालिका-4.3: बैंक द्वारा एनपीए की रिपोर्टिंग में विचलन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16	2016-17
1.	31 मार्च को सकल एनपीए जैसा कि बैंक ने रिपोर्ट किया	4,368.62	6,000.01
2.	31 मार्च को सकल एनपीए जैसा कि आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किया गया है	6,252.32	6,909.00
<b>3.</b>	<b>सकल एनपीए में विचलन (2-1)</b>	<b>1,883.70</b>	<b>908.99</b>
4.	31 मार्च को एनपीए के लिए प्रावधान जैसा कि बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया है	2,111.80	3,425.29
5.	31 मार्च को एनपीए के लिए प्रावधान जैसा कि आरबीआई द्वारा रिपोर्ट किया गया है	2,629.20	3,546.48
<b>6.</b>	<b>प्रावधान में विचलन (5-4)</b>	<b>517.40</b>	<b>121.19</b>
7.	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए कर (पीएटी) के बाद निवल लाभ	416.04	(1,632.29)
8.	प्रावधान में विचलन को ध्यान में रखते हुए कर (पीएटी) के बाद समायोजित (काल्पनिक) निवल लाभ	(101.36)	(1,753.48)

बैंक ने मार्च 2016 के अंत में ₹4,368.62 करोड़ और मार्च 2017 के अंत में ₹6,000.01 करोड़ के सकल एनपीए का खुलासा किया था और क्रमशः ₹2,111.80 करोड़ और ₹3,425.29 करोड़ की राशि के प्रावधान किए थे। तथापि, आरबीआई ने मार्च 2016 के अंत में ₹6,252.32 करोड़ और मार्च 2017 के अंत में ₹6,909 करोड़ के सकल एनपीए का आकलन किया था, जिसके परिणामस्वरूप 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः 43.12 प्रतिशत और 15.15 प्रतिशत का विचलन हुआ। आरबीआई द्वारा इंगित किए गए विचलन के परिणामस्वरूप, बैंक को 2016-17 और 2017-18 के वित्तीय विवरणों में क्रमशः ₹517.40 करोड़ (2015-16 से संबंधित) और ₹121.19 करोड़ (2016-17 से संबंधित) का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा।

इसके अतिरिक्त, अभिलेखों से पता चला कि 2015-16 में ₹246.89 करोड़, 2016-17 में ₹936.56 करोड़ और 2017-18 ₹305.19 करोड़ के अग्रित जो कुल एनपीए का 11.56 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 10.90 प्रतिशत था जिसे केवल सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा एनपीए के रूप में इसकी पहचान किये जाने के पश्चात ही एनपीए में वर्गीकृत किया गया।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि एनपीए की उचित और समय पर पहचान सुनिश्चित करने के लिए, बैंक के पास एक स्तरीय परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रणाली है, जिसमें मासिक आधार पर, परिसंपत्ति वर्ग के अनुसार, संपत्ति डाउनग्रेड की प्रभावी दिनांक से, लेखे स्वचालित रूप से डाउनग्रेड हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, नियामक नियमों के अनुसार, इन खातों के परिसंपत्ति वर्गीकरण को सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष स्तर पर और जोनज़ में एक विशेष क्रेडिट मॉनिटरिंग सेल (2016 में) स्थापित किया गया था।

तथापि, एक स्तरीय परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रणाली तथा, शीर्ष स्तर पर और जोनज़ में विशेष क्रेडिट मॉनिटरिंग सेल होने के बावजूद, आरबीआई/ सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित/ पाए गए संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में भारी विचलन था।

इस प्रकार, बैंक की ऋण नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली यथासमय में एनपीए खातों की पहचान करने में विफल रही जो यह दर्शाती है कि मंडल की लेखापरीक्षा समिति ने बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया था। बैंक को एनपीए खातों की रिपोर्टिंग के अंतर्गत आने वाले अंतराल को पहचानने और सुधारने के लिए वर्तमान परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रणाली की समीक्षा करने की आवश्यकता है।


#### 4.7 बैंकिंग परिचालन

बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक, ऋण देने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु जमा स्वीकार करना है। बैंक सावधिजमा, बचत बैंक जमा, चालू खाता जमा इत्यादि, विभिन्न रूपों के माध्यम से ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है। बैंक द्वारा ग्राहकों को उनकी जमा राशि पर ब्याज भुगतान किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गई अग्रिम राशि जैसे टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिलों की खरीद या डिस्काउंटिंग आदि विभिन्न रूपों में होती है। अग्रित पर ब्याज एक बैंकिंग कंपनी के लिए आय का प्रमुख स्रोत है।

##### 4.7.1 क्रेडिट डिपॉज़िट अनुपात

क्रेडिट डिपॉज़िट (सीडी) अनुपात बैंकिंग क्षेत्र में ऋण की मांग के अनुपात में कुल जमा वृद्धि के संदर्भ में बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य का एक सूचकांक है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान बैंक का सीडी अनुपात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के समग्र राष्ट्रीय औसत से नीचे रहा जिसका वर्णन चार्ट-4.4 में नीचे किया गया है।

चार्ट-4.4: क्रेडिट डिपॉज़िट अनुपात-तुलना



(स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट)

आंकड़ों के ज़ोन-वार विश्लेषण से पता चला है कि 2017-18 के दौरान, जम्मू सेंट्रल-1 और कश्मीर सेंट्रल-1 में सीडी अनुपात क्रमशः 25.28 प्रतिशत और 52.40 प्रतिशत तक रहा। तुलनात्मक रूप से, 2017-18 के दौरान सीडी अनुपात बेंगलुरु ज़ोन में 350.19 प्रतिशत, मुंबई ज़ोन में 844.21 प्रतिशत और दिल्ली ज़ोन में 230.78 प्रतिशत रहा।

जैसा कि तालिका-4.5 में दर्शाया गया है, राज्य के भीतर जमा मार्च 2014 में ₹45,193.38 करोड़ से बढ़कर मार्च 2018 में ₹71,472.00 करोड़ हो गया था। तथापि, राज्य के भीतर खराब सीडी अनुपात ने संकेत दिया कि बैंक राज्य के भीतर जमा राशि के लिए राज्य की धनराशि को अग्रिम करने में सक्षम नहीं था। इसके बजाय, राज्य के भीतर से निधियों की उगाही की गई थी और राज्य के बाहर अग्रिम दिए गए थे। इस दृष्टिकोण के साथ, बैंक जम्मू और कश्मीर के आर्थिक परिवर्तन को बढ़ाने और उत्प्रेरित करने के लिए अपनी उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हो सका।

प्रबंधन ने 2016-17 के दौरान राज्य के क्षेत्रों में निम्न सीडी अनुपात को वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में विमुद्रीकरण के कार्यान्वयन के दौरान बड़ी जमा राशि के अंतर्वाह को जिम्मेदार ठहराया (दिसंबर 2018)।

प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वर्ष 2016-17 में विमुद्रीकरण का प्रभाव सभी एससीबी के लिए स्पष्ट था। तथ्य यह है कि जम्मू और कश्मीर बैंक का सीडी अनुपात पांच साल में से, चार में सभी श्रेणियों की तुलना में सबसे कम रहा।

अनुवर्ती पैराग्राफ में जमा और अग्रिम पर विस्तार से चर्चा की गई है।

#### 4.7.2 जमा

बैंक के जमा की स्थिति और 2013-14 से 2017-18 के दौरान प्राप्त लक्ष्यों को तालिका-4.4 और तालिका-4.5 में दिया गया है।

तालिका-4.4: जमा की वर्ष-वार वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष का 31 मार्च	जमा	साल दर साल वृद्धि	जमाओं की वृद्धि दर (प्रतिशत)		बैंक की जमा राशि का ब्रेक अप	
			जेएंडके बैंक	सभी एससीबी <sup>19</sup>	राज्य के भीतर	राज्य के बाहर
2013-14	69,335.86	5,115.24 <sup>20</sup>	7.97	14.85	45,193.38 (65.18)	24,142.48 (34.82)
2014-15	65,756.19	(-) 3,579.67	(-) 5.16	10.55	48,724.60 (74.10)	17,031.59 (25.90)

<sup>19</sup> सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट)

<sup>20</sup> 31 मार्च 2013 के अंत में जमा राशि ₹64,220.62 करोड़ थी

वर्ष का 31 मार्च	जमा	साल दर साल वृद्धि	जमाओं की वृद्धि दर (प्रतिशत)		बैंक की जमा राशि का ब्रेक अप	
			जेएंडके बैंक	सभी एससीबी <sup>19</sup>	राज्य के भीतर	राज्य के बाहर
2015-16	69,390.25	3,634.06	5.53	6.98	52,762.34 (76.04)	16,627.91 (23.96)
2016-17	72,463.10	3,072.84	4.43	10.12	61,416.95 (84.76)	11,046.15 (15.24)
2017-18	80,006.00	7,542.91	10.41	6.12	71,472.00 (89.33)	8,534.00 (10.67)
<b>2013-2018 के दौरान वृद्धि</b>		<b>15,785.38</b>	<b>24.58</b>			

(स्रोत: बैंक द्वारा दी गई जानकारी)

कोष्ठक में आंकड़े राज्य के भीतर/ बाहर कुल जमा राशि के प्रतिशत को दर्शाते हैं

तालिका-4.5: जमाओं का लक्ष्य और उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भौगोलिक	लक्ष्य	उपलब्धियां	कमी	कमी (प्रतिशत)
2013-14	राज्य के भीतर	48,431.00	45,193.38	3,237.62	6.69
	राज्य के बाहर	26,706.00	24,142.48	2,563.52	9.60
	<b>कुल</b>	<b>75,137.00</b>	<b>69,335.86</b>	<b>5,801.14</b>	<b>7.72</b>
2014-15	राज्य के भीतर	52,882.00	48,724.60	4,157.40	7.86
	राज्य के बाहर	27,199.00	17,031.59	10,167.41	37.38
	<b>कुल</b>	<b>80,081.00</b>	<b>65,756.19</b>	<b>14,324.81</b>	<b>17.89</b>
2015-16	राज्य के भीतर	57,761.00	52,762.34	4,998.66	8.65
	राज्य के बाहर	19,902.00	16,627.91	3,274.09	16.45
	<b>कुल</b>	<b>77,663.00</b>	<b>69,390.25</b>	<b>8,272.75</b>	<b>10.65</b>
2016-17	राज्य के भीतर	60,728.00	61,416.95	@	-
	राज्य के बाहर	18,546.00	11,046.15	7,499.85	40.44
	<b>कुल</b>	<b>79,274.00</b>	<b>72,463.10</b>	<b>6,810.90</b>	<b>8.59</b>
2017-18	राज्य के भीतर	70,572.00	71,472.00	@	-
	राज्य के बाहर	12,701.00	8,534.00	4,167.00	32.81
	<b>कुल</b>	<b>83,273.00</b>	<b>80,006.00</b>	<b>3,267.00</b>	<b>3.92</b>

(स्रोत: बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना) @ - प्राप्त लक्ष्य

2013-18 की अवधि के दौरान बैंक की जमा राशि में 24.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, बैंक के जमा की वृद्धि दर 2013-17 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राष्ट्रीय औसत से कम रही।

विश्लेषण से पता चला है कि राज्य के बाहर जमा मार्च 2014 के अंत में ₹24,142.48 करोड़ से घटकर मार्च 2018 के अंत तक ₹8,534 करोड़ रह गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य के बाहर जमा का प्रतिशत जो मार्च 2014 के अंत में अपनी कुल जमा का 34.82 प्रतिशत था, मार्च 2018 के अंत तक घटकर 10.67 प्रतिशत हो गया।

- 2013-17 के दौरान बैंक के जमा की वृद्धि दर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीय औसत से कम रही।
- जमा के समग्र लक्ष्य को कवर किए गए किसी भी वर्ष में हासिल नहीं किया गया था, खासकर राज्य के बाहर से।

बैंक ने राज्य के भीतर 2016-18 की अवधि में जमा के संघटन के लक्ष्य को प्राप्त किया। तथापि, 2014-18 के दौरान राज्य के बाहर से जमा के लक्ष्यों की प्राप्ति में 9.60 प्रतिशत से 40.44 प्रतिशत के बीच की कमी थी।

2014-15 के दौरान मुंबई जोन में लक्ष्यों की प्राप्ति में 59.97 प्रतिशत कमी आई। मार्च 2018 के अंत में स्थिति में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि 2017-18 के दौरान 58.66 प्रतिशत की कमी थी। दिल्ली और बेंगलोर जोन में, 2016-17 के दौरान क्रमशः 40.81 प्रतिशत और 69.50 प्रतिशत की कमी थी।

2016-17 के प्रति 2017-18 में जमा की वृद्धि दर 10.41 प्रतिशत थी, इसकी तुलना में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा वृद्धि 6.12 प्रतिशत थी। 2016-17 के प्रति, 2017-18 में बैंक में सरकारी जमा राशि ₹1,929.58 करोड़ (34.61 प्रतिशत) बढ़ी और कॉरपोरेट क्षेत्र से ₹3,401.91 करोड़ (15.70 प्रतिशत) जमा हुए।

इसके अतिरिक्त, हमने पाया कि 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान बैंक ने कम लागत वाली जमाओं को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया था और उच्च लागत वाली थोक जमा रोलओवर नहीं की, जो मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर राज्य के बाहर से उद्ग्रहित किया गया था, जिससे जमा प्रतिशत का हिस्सा जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ राज्य से बाहर की जमा के हिस्से में भी कमी आई।

तथापि, बैंक लगातार वर्षों में राज्य के बाहर से जमा करने के लक्ष्य को कम कर रहा था, लेकिन जमा के न्यूनतम लक्ष्यों को भी हासिल नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, बैंक 2014-18 के दौरान किसी भी वर्ष में जमा के कुल लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहा।

#### 4.7.2.1 आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन में सरकारी विभागों के बचत बैंक खाते

‘आरबीआई (जमा पर ब्याज दर) दिशा-निर्देश, 2016’ के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (मार्च 2016 में) व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता और संगठनों/ एजेंसियों को छोड़कर, संस्थानों के नाम से बचत खाता खोलने के लिए

प्रतिबंधित किया गया था। इसके अतिरिक्त, बैंकों को केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों/ योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी अनुदान/ सब्सिडी के संबंध में सरकारी विभागों/ निकायों/ एजेंसियों के बचत खाते खोलने की अनुमति दी गई थी।

तथापि, अभिलेखों से पता चला है कि बैंक ने मार्च 2016 के आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन में, बैंक के मुविंग सचिवालय शाखा के साथ जीओजेके के विभागों द्वारा अनुरक्षित बचत खातों के संचालन की अनुमति दी हालांकि ये खाते सरकार द्वारा प्रायोजित किसी कार्यक्रम/ योजना के कार्यान्वयन के लिए जारी अनुदान/ सब्सिडी के प्रबंधन के लिए संचालित नहीं किए जा रहे थे, बल्कि इन खातों का संचालन राजस्व के संग्रह के लिए किया जा रहा था।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि बैंक 31 मार्च 2018 से आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा था।

तथापि, मार्च 2016 में आरबीआईके निर्देशों के बावजूद, ऊपर बताए गए दो<sup>21</sup> बचत खाते दिसंबर 2018 तक चालू थे। इसके अतिरिक्त, बैंक ने मार्च 2016 और दिसंबर 2018 के बीच इन खातों में ₹3.06 करोड़ का ब्याज जमा किया था।

### 4.7.3 अग्रिम

2013-14 से 2017-18 के दौरान निजी, सार्वजनिक और एससीबी की तुलना में, बैंक के अग्रिमों (सकल) की स्थिति और उनकी वार्षिक वृद्धि तालिका-4.6 में दी गई है:

तालिका-4.6: अग्रिमों की वर्ष-वार स्थिति

(₹करोड़ में)

वर्ष	अग्रिम (सकल)	साल दर साल वृद्धि	जम्मू और कश्मीर बैंक के अग्रिमों की वृद्धि (प्रतिशत)	अग्रिमों की वृद्धि दर (प्रतिशत) <sup>22</sup>		
				सभी एससीबी	निजी क्षेत्र के बैंक	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
2013-14	47,137.54	7,283.84 <sup>23</sup>	18.28	15.14	18.15	14.38
2014-15	46,300.54	-837.00	-1.78	9.96	18.16	7.68
2015-16	52,493.74	6,193.20	13.38	8.07	22.73	3.65
2016-17	53,573.45	1,079.71	2.06	3.74	14.91	0.76
2017-18	60,298.28	6,724.83	12.55	9.31	20.26	4.69


(स्रोत: बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और आरबीआई की रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी)

<sup>21</sup> जेएंडके सरकार के वित्त विभाग और पीएचई विभाग द्वारा अनुरक्षित बचत बैंक खाते

<sup>22</sup> स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

<sup>23</sup> मार्च 2013 के अंत में अग्रिम ₹39,853.70 करोड़ थे

बैंक ने 2013-14 से 2017-18 के दौरान, अग्रिमों में 51.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि साल दर साल (वाईओवाई) की वृद्धि दर (-) 1.78 प्रतिशत और 18.28 प्रतिशत के बीच थी जो चार्ट-4.5 में दर्शायी गयी है।



राज्य के भीतर अग्रिमों में 2013-14 से 2017-18 के दौरान 82.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, राज्य के बाहर के अग्रिमों में 2013-14 से 2017-18 के दौरान 11.72 प्रतिशत की कमी देखी गई। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, बेंगलूर और मुंबई के क्षेत्रों में अग्रिमों की क्रमशः 29.02 प्रतिशत और 16.26 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि देखी गई। इसके अतिरिक्त, 2014-15 और 2016-17 के दौरान, बैंक के अग्रिमों में वृद्धि सभी एससीबी के राष्ट्रीय औसत से कम रही।

प्रबंधन ने सितंबर 2014 में बाढ़ और राज्य में 2016 में सामाजिक गड़बड़ी को 2014-15 और 2016-17 के दौरान कम क्रेडिट ऑफ टेक के लिए जिम्मेदार ठहराया (दिसंबर 2018)। उन्होंने कहा, कि बैंक ने जम्मू और कश्मीर राज्य में कम टिकट उच्च-मात्रा वाले ऋण वितरण को जारी रखा और देश के बाकी हिस्सों में चयनात्मक बड़े-टिकट ऋण दिए।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 2014-2018 के दौरान अग्रिमों के लक्ष्यों की प्राप्ति में 5.89 प्रतिशत और 19.73 प्रतिशत के बीच कमी रही जो तालिका-4.7 में वर्णित है:

**तालिका-4.7: अग्रिमों के संबंध में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियों की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य (सकल)	उपलब्धियाँ	कमी	
			राशि	(प्रतिशत में)
2013-14	50,304.00	47,137.54	3,166.46	6.29
2014-15	57,679.00	46,300.54	11,378.46	19.73
2015-16	55,778.00	52,493.74	3,284.26	5.89
2016-17	62,117.00	53,573.45	8,543.55	13.75
2017-18	70,822.00	60,298.28	10,523.72	14.86

(स्रोत: बैंक द्वारा दी गई जानकारी)

2014-15 के दौरान, बेंगलोर ज़ोन में 39.15 प्रतिशत, 2017-18 के दौरान, मुंबई ज़ोन में 28.84 प्रतिशत, 2017-18 के दौरान, दिल्ली ज़ोन में 37.26 प्रतिशत, 2015-16 के दौरान, जम्मू सेंट्रल-1 में 16.36 प्रतिशत और 2016-17 के दौरान, कश्मीर सेंट्रल-1 में 16.25 प्रतिशत के अग्रिमों में कमी देखी गई। अग्रिमों के लक्ष्यों की गैर-उपलब्धि के परिणामस्वरूप, निधियाँ कमी की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि अग्रिमों में कम वृद्धि के परिणामस्वरूप, लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी आई और राज्य के बाहर खुदरा उधार पर ध्यान केंद्रित किया गया।

### i) अग्रिमों की गुणवत्ता

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान, सकल अग्रिमों में 51.30 प्रतिशत<sup>24</sup> की वृद्धि हुई और चार्ट-4.6 में यथा वर्णित निवल अग्रिमों<sup>25</sup> में अनुगामी वृद्धि 45.18 प्रतिशत<sup>26</sup> रही।

चार्ट-4.6: निवल अग्रिमों की तुलना में सकल अग्रिमों की वृद्धि



समीक्षा अवधि के दौरान, सकल अग्रिमों और निवल अग्रिमों के बीच बढ़ता अंतर अग्रिमों की बिगड़ती गुणवत्ता का संकेत है क्योंकि बैंक को संदिग्ध अग्रिमों के लिए अधिक प्रावधान करना पड़ा। प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि सितंबर 2014 में बाढ़ और 2016 में सामाजिक गड़बड़ी के कारण बैंक को व्यावसायिक व्यवधानों का सामना करना पड़ा। प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बाढ़ और सामाजिक गड़बड़ियों ने, राज्य के भीतर व्यापार को प्रभावित किया है, जबकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, राज्य के बाहर बैंक का सकल एनपीए अनुपात राज्य के भीतर की तुलना में बहुत अधिक रहा, जो बैंक के अग्रिमों की गुणवत्ता बिगड़ने का संकेत देता है।

<sup>24</sup> मार्च 2013 के अंत में सकल अग्रिम ₹39,853.70 करोड़ थे

<sup>25</sup> निवल अग्रिम सकल अग्रिम माइनस प्रावधान के बराबर है

<sup>26</sup> मार्च 2013 के अंत में अग्रिम ₹39,200.41 करोड़ थे

## ii) असुरक्षित अग्रिमों की स्थिति

31 मार्च 2018 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के लिए असुरक्षित अग्रिमों की स्थिति नीचे तालिका-4.8 में दी गई है:

तालिका-4.8: असुरक्षित अग्रिमों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

निवल अग्रिम की श्रेणी	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वास्तविक परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित	36,983	34,130	37,922	36,584	40,453
बैंक/ सरकारी गारंटी द्वारा कवर किया गया	51	342	583	596	582
असुरक्षित	9,351	10,114	11,688	12,636	15,878
<b>कुल निवल अग्रिम</b>	<b>46,385</b>	<b>44,586</b>	<b>50,193</b>	<b>49,816</b>	<b>56,913</b>
कुल निवल अग्रिमों के लिए असुरक्षित अग्रिमों का प्रतिशत	20.16	22.68	23.29	25.37	27.90

(स्रोत: बैंक द्वारा दी गई जानकारी)

कुल निवल अग्रिमों के लिए, असुरक्षित अग्रिमों का प्रतिशत मार्च 2014 के अंत में 20.16 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2018 के अंत में 27.90 प्रतिशत हो गया, जो असुरक्षित जोखिम के लिए बैंक द्वारा निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक था। वृद्धि इंगित करती है कि बैंक ने ऋणों को एनपीए में परिवर्तित होने के मामले में अग्रिमों की वसूली नहीं होने के जोखिम के प्रति, खुद को सुरक्षित किए बिना, असुरक्षित अग्रिमों के लिए अपने जोखिम को बढ़ा दिया था।

प्रबंधन ने असुरक्षित अग्रिमों में वृद्धि को इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया कि यह जोखिम भरे अग्रिमों (समवर्ती रूप से सुरक्षित) के बजाय, शेष भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अग्रिम देने के लिए प्राथमिकता देता है। प्रबंधन विवाद तथ्यों पे आधारित नहीं है क्योंकि पीएसयू के असुरक्षित अग्रिम मार्च 2014 के अंत तक, कुल असुरक्षित अग्रिमों का मात्र 9.62 प्रतिशत थे जो 31 मार्च 2018 को 6.23 प्रतिशत पर आ गए।

### 4.7.4 जोखिम प्रबंधन ढांचा

वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में बैंक विभिन्न प्रकार के वित्तीय और गैर-वित्तीय जोखिमों के साथ क्रेडिट, बाजार, तरलता, कानूनी, नियामक, प्रतिष्ठित, परिचालन आदि का सामना करते हैं। ये जोखिम अत्यधिक अन्योन्याश्रित हैं और जोखिम के एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली घटनाओं में अन्य जोखिम श्रेणियों के लिए प्रभावी हो सकते हैं। इस प्रकार, बैंकों के शीर्ष प्रबंधन को जोखिम के समग्र स्तर की पहचान करने, मापने, निगरानी करने और नियंत्रित करने की क्षमता में सुधार करने को काफी महत्व देना चाहिए।


### i) ऋण एकाग्रता जोखिम

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो का एक विस्तृत एकाग्रता जोखिम विश्लेषण करता है। विश्लेषण का उद्देश्य सीमा की स्थिति का आकलन करने और इसके अतिरिक्त, उधार रणनीतियों को तैयार करने के लिए विभिन्न खंडों में एकाग्रता की तस्वीर खींचना है।

31 मार्च 2016 को उद्योग-वार जोखिम के लिए बैंक के एकाग्रता जोखिम को 'मध्यम' रूप में वर्गीकृत किया गया था, क्योंकि बुनियादी ढांचे के उद्योग के लिए अग्रिम कुल उद्योग जोखिम का 42.64 प्रतिशत था। अवसंरचना अग्रिम के कारण, इसे 2016-17 और 2017-18 के दौरान 'उच्च' के रूप में वर्गीकृत किया गया था जो मार्च 2017 के अंत में 45.10 प्रतिशत और मार्च 2018 की समाप्ति पर 49.04 प्रतिशत तक बढ़ गया था।

उद्योग-वार एक्सपोजर के लिए बैंक का एकाग्रता जोखिम अधिक था जब समग्र बैंकिंग उद्योग के औसत के साथ इसकी तुलना की गई, जैसा कि चार्ट-4.7 में दिखाया गया है:

चार्ट-4.7: कुल औद्योगिक अग्रिमों के लिए अवसंरचना अग्रिम का प्रतिशत



अवसंरचना क्षेत्र में जोखिम बढ़ने के बावजूद, बैंक ने इस क्षेत्र में आगे कर्ज देने को नियंत्रित करने हेतु कदम नहीं उठाये। इसके अतिरिक्त, बैंक ने एनपीए के बैंकिंग उद्योग-वार वृद्धि का विश्लेषण नहीं किया।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में एकाग्रता जोखिम की बैंक द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है और 31 मार्च 2019 तक, उद्योग एक्सपोजर के लिए, अवसंरचनात्मक अग्रिमों का प्रतिशत घटकर 42.02 प्रतिशत हो गया है।

## ii) मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति

एक बैंक में मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की भूमिका संभावित जोखिमों की समीक्षा और प्रबंधन करना है, जो कि विनियामक परिवर्तन/ या अर्थव्यवस्था/ राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन, बाजार, क्रेडिट और परिचालन जोखिमों के अंतर्संबंधों के विश्लेषण और सुविधा प्रदान करने से उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उसे जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करने और संभावित जोखिमों को कम करने की कार्रवाई को प्राथमिकता देनी होती है।

सर्वोत्तम अभ्यासों के साथ जोखिम प्रबंधन प्रणाली को संरेखित करने के लिए, आरबीआई ने (अप्रैल 2017 में) सभी बैंकों को मंडल के अनुमोदन के साथ एक निश्चित कार्यकाल के लिए, सीआरओ नियुक्त करने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त, बैंकों को सलाह दी गई कि वे सीआरओ की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए, मंडल द्वारा अनुमोदित नीति निर्धारित करें।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अप्रैल 2017 और मई 2018 के बीच सीआरओ का पद रिक्त रहा क्योंकि मई 2018 तक सीआरओ की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर कोई मंडल-अनुमोदित नीति नहीं थी।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि अप्रैल 2017 से मई 2018 की अवधि के दौरान, कार्य की देखरेख, अध्यक्ष, जोखिम प्रबंधन द्वारा की गई थी।

## iii) जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति

आरबीआई ने (दिसंबर 2002 में) बैंकों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) पर मार्गदर्शन नोट जारी किया और सभी बैंकों को जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए मंडल द्वारा अनुमोदित एक अच्छी तरह से परिभाषित नीति विकसित करने की सलाह दी। नीति के लिए, जोखिम मूल्यांकन क्षेत्रों को पहचानने के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति को शामिल करना आवश्यक था जिसके आधार पर लेखापरीक्षा योजना तैयार की जानी थी।

इस तथ्य के बावजूद कि, मंडल की लेखापरीक्षा समिति ने 8 दिसंबर 2013 को हुई बैठक में सिफारिश की थी कि आरबीआईए नीति तैयार करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, बैंक के पास 2013-14 से 2018-19 के दौरान, मंडल द्वारा अनुमोदित आरबीआईए नीति नहीं थी। तथापि, आरबीआईए नीति को मार्च 2019 में मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो खराब अनुपालन ढांचे को दर्शाता है।

आरबीआईए नीति की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा संसाधनों के आवंटन को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती और फील्ड कर्मचारियों के बीच जोखिम संवेदनशीलता पैदा नहीं की जा सकती है।

#### iv) निवारक सतर्कता ढांचा

आरबीआई ने (मई 2011 में) आंतरिक सतर्कता पर निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को आंतरिक सतर्कता (सीआईवी) प्रमुख के रूप में उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करना था जो बैंक के आंतरिक सतर्कता प्रभाग का प्रमुख होगा। तथापि, सीआईवी को प्रसंस्करण और निर्णय लेने की प्रक्रिया का पक्ष या अन्य प्रशासनिक लेनदेन में शामिल नहीं होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट सतर्कता संवेदनशीलता होने की संभावना हो।

अक्टूबर 2016 और मई 2017 की अवधि के दौरान, बैंक के सीआईवी के रूप में नामित अधिकारी, अग्रिम और परिसंपत्ति नियोजन (जम्मू-कश्मीर) पोर्टफोलियो और परिसंपत्ति निगरानी और सूचना विभाग की देख रेख कर रहा था जो उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के अनुसार, सीआईवी को समय-समय पर बैंक की सतर्कता गतिविधियों पर एक रिपोर्ट मंडल को प्रस्तुत करनी आवश्यक थी। तथापि, बैंक का सीआईवी, 2013-14 से 2017-18 के दौरान मंडल को कोई रिपोर्ट देने में विफल रहा। बैंक ने केवल नवंबर 2018 में निवारक सतर्कता ढांचे पर एक नीति दस्तावेज तैयार किया।

प्रबंधन ने स्वीकार किया कि सतर्कता से काम करने की रिपोर्ट को लेखापरीक्षा जांच के दौरान मंडल के सामने नहीं रखा गया और (अगस्त 2019 में) कहा कि अब समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

#### v) मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी की नियुक्ति

तकनीक के क्षेत्र में, बैंकों के जोखिम अभिशासन ढांचे को मजबूत करने के लिए, आरबीआई ने (मई 2017 में) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, बैंकों में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) नियुक्त करने की सलाह दी। नियामक ने निर्धारित किया कि सीटीओ के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या एमसीए या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

तथापि, मई 2017 और जून 2019 के बीच की अवधि के दौरान, बैंक के प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार संभालने वाले अध्यक्ष, नियामक द्वारा निर्धारित अर्हता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) इसके लिए उपाध्यक्ष स्तर पर, आईटी प्रोफेशनल की अनुपलब्धता को जिम्मेदार ठहराया।

#### 4.7.5 गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ

2013-14 से 2017-18 के दौरान, बैंक के सकल एनपीए की प्रवृत्ति को नीचे तालिका-4.9 में दर्शाया गया है

तालिका-4.9: गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	वर्ष की शुरुआत में एनपीए	643.77	783.42	2,764.08	4,368.62	6,000.01
2.	वर्ष के दौरान योग	410.60	2,525.80	2,383.23	3,278.41	3,104.69
3.	वर्ष के दौरान कुल एनपीए	1,054.37	3,309.22	5,147.31	7,647.03	9,104.70
	कम					
4.	उन्नत किए गए लेखे <sup>27</sup>	117.70	343.77	188.92	154.76	185.64
5.	की गई वसूली	146.16	197.53	272.07	664.34	1,300.63
6.	रिटन ऑफ	7.09	3.84	317.70	827.92	1,611.73
7.	एनपीए में कुल कमी (पंक्ति 4+5+6)	270.95	545.14	778.69	1,647.02	3,098.00
8.	प्रत्येक वर्ष के अंत में एनपीए	783.42	2,764.08	4,368.62	6,000.01	6,006.70
9.	सकल अग्रिम	47,137.54	46,300.54	52,493.74	53,573.45	60,298.28
10.	सकल अग्रिम में एनपीए (प्रतिशत)	1.66	5.97	8.32	11.20	9.96

(स्रोत: बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी और बैंक के वार्षिक खाते)

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि बैंक के सकल एनपीए में ₹5,362.93 करोड़ (833.05 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो 01 अप्रैल 2013 को ₹643.77 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2018 तक ₹6,006.70 करोड़ हो गया। 2014-2018 की अवधि के दौरान, बैंक ने ₹11,702.73 करोड़ के अग्रिमों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया। इसमें से, 2014-2017 के दौरान तीन ज़ोन<sup>28</sup> द्वारा ₹7,164.98 करोड़ (61.22 प्रतिशत) का एनपीए में योगदान दिया गया। 2013-14 से 2017-18 के दौरान, एनपीए में ₹6,339.80 करोड़ की समग्र कमी में, ₹2,580.73 करोड़ (40.71 प्रतिशत) की वास्तविक वसूली, ₹990.79 करोड़ उन्नत किए गए लेखों से (15.63 प्रतिशत) और ₹2,768.28 करोड़ (43.66 प्रतिशत) रिटन ऑफ के कारण हुई थी।


सकल अग्रिम में एनपीए का प्रतिशत जो मार्च 2014 के अंत में 1.66 प्रतिशत था, वह मार्च 2018 के अंत में बढ़कर 9.96 प्रतिशत हो गया।

बैंक का सकल एनपीए अनुपात, देश के निजी क्षेत्र के बैंकों और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (2017-18 को छोड़कर) के औसत से ऊपर था जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट-4.8 में दर्शाया गया है:

<sup>27</sup> एक बार पिछला बकाया चुकाने के बाद, खाते को नियमित किया जाएगा और एनपीए से मानक संपत्ति में परिवर्तित किया जाएगा


<sup>28</sup> दिल्ली ज़ोन: ₹3,544 करोड़; मुंबई ज़ोन: ₹2,718.15 करोड़; कश्मीर सेंट्रल-1 ज़ोन: ₹902.83 करोड़

चार्ट-4.8: बैंकिंग उद्योग के साथ बैंक के सकल एनपीए अनुपात की तुलना (प्रतिशत)



डिवीजन-वार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि राज्य के बाहर के ग्राहकों की तुलना में, 31 मार्च 2018 को सकल एनपीए का प्रतिशत राज्य के भीतर कम था। जम्मू डिवीजन में यह 4.37 प्रतिशत, कश्मीर डिवीजन में 5.23 प्रतिशत और राज्य से बाहर 18.10 प्रतिशत था, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट-4.9 में दर्शाया गया है:

चार्ट-4.9: डिवीजन-वार सकल एनपीए (प्रतिशत)



यह दर्शाता है कि बैंक राज्य के बाहर एनपीए के लिए, अग्रिमों की एनपीए में फिसलन को प्रभावी ढंग से जांचने में विफल रहा।

### कंसोर्टियम वित्तपोषण

ऋण जोखिम को साझा करने के लिए कंसोर्टियम व्यवस्था के अंतर्गत बैंक की ऋण नीति बैंक को अग्रिम देने के लिए अधिकृत करती है। कंसोर्टियम के अंतर्गत ऋण का विस्तार करते समय, अग्रणी बैंक के अतिरिक्त, बैंक को भी परियोजना का स्वतंत्र मूल्यांकन करना पड़ता है।

- इस खंड के अंतर्गत, 2014-15 से 2017-18 के दौरान अग्रिमों का प्रतिशत, कुल अग्रिमों के 10.78 प्रतिशत और 16.86 प्रतिशत के बीच था।

- मार्च 2018 के अंत में कंसोर्टियम के अंतर्गत अग्रिमों की बकाया राशि ₹6,502.60 करोड़ थी जिसमें ₹3,312.69 करोड़ का एनपीए शामिल था। 31 मार्च 2018 को 9.96 प्रतिशत के समग्र सकल एनपीए अनुपात के प्रति, कंसोर्टियम अग्रिमों के अंतर्गत एनपीए 50.94 प्रतिशत थे।
- इस तथ्य के बावजूद कि कंसोर्टियम अग्रिमों के अंतर्गत एनपीए एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, बैंक ने कंसोर्टियम ऋण के अंतर्गत ऋण को आगे बढ़ाने के लिए कोई विवेकपूर्ण सीमा/ सीमा तय नहीं की थी।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) अवसंरचना/ इस्पात/ उर्जा क्षेत्रों में मंदी के लिए, एनपीए के उच्च प्रतिशत के लिए राज्य के बाहर दिए गए अग्रिमों को उत्तरदायी ठहराया। प्रबंधन ने कहा कि बैंक ने ज्यादातर कंसोर्टियम फाइनेंस के भाग के रूप में ऋण दिया और देश में आर्थिक मंदी के कारण खाते एनपीए में खिसक गए और कहा कि लिए गए फैसलों के कारण, सकल और निवल एनपीए जो एक वर्ष पूर्व 11.20 प्रतिशत और 4.87 प्रतिशत थे, मार्च 2018 तक इनको 9.96 प्रतिशत और 4.90 प्रतिशत तक ला दिया। राज्य के भीतर विस्तारित अग्रिमों हेतु, उच्च एनपीए अनुपात के लिए प्राकृतिक आपदा और सामाजिक अशांति को जिम्मेदार ठहराया गया।

तथापि, यह पाया गया कि 2014-15 से 2016-17 के दौरान, जम्मू और कश्मीर बैंक के एनपीए अनुपात ने देश के निजी क्षेत्र और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों दोनों के औसत सकल एनपीए अनुपात को पार कर दिया।

मार्च 2017 के अंत में, बैंक का सकल एनपीए अनुपात 11.20 प्रतिशत दर्ज किया गया था, जबकि 31 मार्च 2017 तक सभी एससीबी का सकल एनपीए 9.32 प्रतिशत था। साथ ही, बैंक के तर्क जो

मुख्य रूप से ₹1,611.73 करोड़ के राइट-ऑफ के कारण, मार्च 2018 में एनपीए के प्रतिशत में कमी हुई।

बाढ़ और गड़बड़ी के कारण उच्च एनपीए अनुपात को उत्तरदायी ठहराते हैं, वह भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि राज्य के भीतर बैंक का सकल एनपीए अनुपात 31 मार्च 2014 के अंत में 2.41 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2017 तक 3.90 प्रतिशत हो गया, जबकि राज्य के बाहर सकल एनपीए इस अवधि के दौरान 2.15 प्रतिशत से बढ़कर 22.34 प्रतिशत हो गया था।

2017-18 के दौरान एनपीए के ₹1,611.73 बट्टे खाते डालने के बाद ही, मार्च 2017 के अंत तक बैंक का सकल एनपीए अनुपात 11.20 प्रतिशत से घटकर मार्च 2018 तक 9.96 प्रतिशत हुआ।

#### 4.7.5.1 वसूलियाँ करने में विफलता के कारण संदिग्ध वसूली और हानियाँ

2013-14 से 2017-18 के दौरान, वित्तीय वर्ष के अंत में तीन श्रेणियों के अंतर्गत अर्थात् उप-मानक, संदिग्ध और हानि जनित परिसंपत्तियों के एनपीए की स्थिति नीचे तालिका-4.10 में दी गई हैं:

तालिका-4.10: एनपीए का वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

वर्गीकरण	31.03.2014		31.03.2015		31.03.2016		31.03.2017		31.03.2018	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
उप-मानक	2,909	171.29 (21.86)	11,743	1,317.27 (47.66)	9,655	2,052.08 (46.97)	7,748	614.27 (10.24)	4,721	1,092.53 (18.19)
संदिग्ध	8,751	533.03 (68.04)	8,227	1,215.21 (43.96)	13,112	1,473.84 (33.74)	17,693	5,062.57 (84.38)	18,212	4,864.59 (80.99)
हानि	5,382	79.10 (10.10)	5,365	231.60 (8.38)	4,548	842.70 (19.29)	4,091	323.17 (5.38)	3,327	49.58 (0.82)
कुल	17,042	783.42	25,335	2,764.08	27,315	4,368.62	29,532	6,000.01	26,260	6,006.70

(स्रोत: बैंक द्वारा दी गई जानकारी)

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, संबंधित तारीखों के अनुसार कुल एनपीए के लिए कोष्ठक में प्रतिशत आंकड़े हैं

बैंक पुराने एनपीए के मामलों में वसूली करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2014 के अंत में संदिग्ध और हानि जनित परिसंपत्ति श्रेणी के अंतर्गत एनपीए ₹612.13 करोड़ (कुल एनपीए का 78.14 प्रतिशत) से बढ़कर मार्च 2017 के अंत में ₹5,385.74 करोड़ (कुल एनपीए का 89.76 प्रतिशत) हो गया। तथापि, मुख्य रूप से 2017-18 के दौरान, मुख्यतः एनपीए के ₹1,611.73 करोड़ के बढ़े खाते के कारण, मार्च 2018 के अंत में यह घटकर ₹4,914.17 करोड़ (कुल एनपीए का 81.81 प्रतिशत) पर आ गया था।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि इनमें से अधिकांश खाते कंसोर्टियम बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत हैं और इन खातों में कुल अग्रिमों में बैंक की हिस्सेदारी एक प्रतिशत से लेकर पाँच प्रतिशत तक है, इसलिए बैंक को इन खातों में बकाया वसूली के लिए कंसोर्टियम के फैसले का पालन करना होगा।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि मार्च 2018 के अंत में, संदिग्ध और हानि परिसंपत्ति श्रेणी के अंतर्गत, ₹4,914.17 करोड़ के एनपीए में से, कंसोर्टियम सेगमेंट के अंतर्गत, एनपीए ₹2,627.16 करोड़ था और बैंक, मल्टी-बैंकिंग तथा एकमात्र-बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत, ₹2,287.01 करोड़ रुपये एनपीए के संबंध में वसूल नहीं कर सका।

#### 4.7.5.2 गैर-निष्पादित परिसंपत्ति मामलों का अध्ययन

एनपीए के मामलों<sup>29</sup> की नमूना जांच से पता चला कि बैंक के हितों को अनदेखा करते हुए, ऋण और जमा सुविधाएं बढ़ाई गई थीं। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के गैर-प्रवर्तन, अपर्याप्त सुरक्षा कवर, अनुचित क्रेडिट मूल्यांकन, प्रतिबंधों के पूर्व या बाद के संवितरण की शर्तों का पालन न करने, अनियमित निगरानी आदि के कारण ₹197.98 करोड़ की हानि/ गैर-वसूली, ₹1,599.14 करोड़ की संदिग्ध वसूली और 29 मामलों<sup>30</sup> में ₹14.10 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान **परिशिष्ट-4.1.2** में वर्णित है। इन कारणों से अग्रिम एनपीए में परिवर्तित हुए और यदि समय पर कार्रवाई की होती, तो बैंक को सुधारात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी मिल गई होती। निम्नलिखित मामलों पर प्रकाश डाला गया है:

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
1.	मैसर्स छपरिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> <li>बैंक ने परिसंपत्ति, स्टॉक और देनदारों पर प्रभार द्वारा, नकद क्रेडिट (सीसी), सावधि ऋण (टीएल) और अंतर्देशीय साख पत्र (आईएलसी) सहित ₹41.95 करोड़ की क्रेडिट सुविधा का (फरवरी 2011 तक) विस्तार किया।</li> <li>बैंक ने (अक्टूबर 2011 में) ₹तीन करोड़ की एक और आईएलसी को मंजूरी दी जिसका अनादरण हो गया।</li> <li>बैंक ने क्रेडिट की सर्विसिंग में कंपनी की डिफॉल्ट पर, सुविधाओं का (जुलाई 2012 में) पुनर्गठन किया और कंपनी के 1.23 (औसत) के अनुमानित ऋण सेवा अनुपात<sup>31</sup> (डीएससीआर) को स्वीकार किया जो कि न्यूनतम स्वीकार्य अनुपात<sup>32</sup> से कम था, जो कमजोर क्रेडिट जोखिम नियंत्रण को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने कंपनी के दीर्घकालिक/ अल्पावधि ऋणों के लिए उच्च/ बहुत उच्च जोखिम की बाह्य श्रेणी<sup>33</sup> के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा कवर सुनिश्चित नहीं किया।</li> <li>बैंक ने (जून 2013 में) ₹पांच करोड़ ऋण अनावरण भी बढ़ाया।</li> <li>बैंक ने ऋण सुविधाओं की गैर-सर्विसिंग के बावजूद, स्वीकृत ₹छः करोड़ की तदर्थ नकद ऋण सुविधा को (मई 2014 में) स्वीकृत किया और उधारकर्ता कंपनी द्वारा बैंक के साथ गिरवी रखी अपनी संपत्तियों में से, एक को बेचने की अनुमति दी, जिससे उसका सुरक्षा कवर कम हो गया।</li> </ul>

<sup>29</sup> पांच चयनित क्षेत्रों में, 312 एनपीए मामलों का परीक्षण किया गया था, जहां 31 दिसंबर 2017 तक बकाया राशि ₹पांच करोड़ से अधिक थी

<sup>30</sup> इसमें मेसर्स गो फ्रेश शामिल है जिसने मेसर्स केहवा स्क्वेयर प्राइवेट लिमिटेड की क्रेडिट सुविधा ली थी।

<sup>31</sup> डीएससीआर का तात्पर्य ऋण पर वार्षिक ब्याज और मूल भुगतान को पूरा करने के लिए उपलब्ध नकदी प्रवाह से है

<sup>32</sup> क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार, न्यूनतम डीएससीआर 1.50 के औसत के साथ, 1.30 होना चाहिए

<sup>33</sup> क्रेडिट विश्लेषण और अनुसंधान (सीएआरई), एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा बाह्य अनावरण

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• कंपनी अपने ऋण की अदायगी में विफल रही और बैंक ने खातों को (दिसंबर 2014 में) एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया।</li> <li>• ₹47.20 करोड़ के मूल और अनपेक्षित ब्याज के प्रति, बैंक ने (सितंबर 2016 में) ₹22.15 करोड़ की प्रतिभूति रखी।</li> <li>• यह परिसंपत्तियाँ, एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को ₹19 करोड़ में (फरवरी 2017 में) बेची गई।</li> <li>• अपर्याप्त सुरक्षा कवर और बैंक की ऋण नीति के विचलन में, ऋण सुविधाओं का विस्तार करने के परिणामस्वरूप, ₹28.20 करोड़<sup>34</sup> का नुकसान हुआ</li> </ul>
2.	मेसर्स आरईआई एग्री लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> <li>• बैंक ने ₹400 करोड़<sup>35</sup> के तीन फसल ऋण किसानों के 80 संयुक्त देयता समूहों (जाइंट लायब्लिटी ग्रुप)<sup>36</sup> को (दिसंबर 2012 और अगस्त 2013 के बीच में) स्वीकृत किए। बासमती धान के विपणन में लगी कंपनी को तीन संरचित किशतों में कंपनी को चुकाया जाना था।</li> <li>• कंपनी की कॉरपोरेट गारंटी, कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई बासमती धान के खिलाफ जेएलजी द्वारा प्राप्त रसीदें और उत्तर दिनांकित चेक के प्रति ऋण प्राप्त किया गया था।</li> <li>• कंपनी ब्याज और मूलधन चुकाने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप, ऋण को (जून 2014 में) एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया।</li> <li>• बैंक ने किसानों/ जेएलजी से उद्योषणा प्राप्त नहीं की थी कि प्राप्त धन का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाएगा, तथापि यह मंजूरी की शर्तों में से एक थी।</li> <li>• निधि के अंतिम उपयोग के संबंध में, बैंक ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा प्रमाणन पर भरोसा किया। इसमें कमी पाई गई क्योंकि प्रमाणीकरण केवल जेएलजी के नेताओं द्वारा किसानों को धन के हस्तांतरण के संबंध में था और किसानों द्वारा धन का अंतिम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया था। यह ऋण के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को यह पश्च-मंजूरी पर्यवेक्षण को मजबूत करने और संचालित करने के लिए आरबीआई के दिशा निर्देशों के खराब अनुपालन को दर्शाता है।</li> </ul>

<sup>34</sup> ₹47.20 करोड़ - ₹19 करोड़

<sup>35</sup> दिसंबर 2012 में ₹200 करोड़, फरवरी 2013 में ₹100 करोड़ और अगस्त 2013 में ₹100 करोड़ का फसल ऋण

<sup>36</sup> जाइंट लायब्लिटी ग्रुप (जेएलजी) एक उधार मॉडल है जो एक समूह बनाकर, आय सृजन गतिविधि के लिए ऋण लेने के लिए व्यक्तियों के एक समूह को सक्षम बनाता है

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ऋण के संवितरण के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार, ऋण का अंतरण किसानों/ जेएलजी के बचत खातों में होना था और खाते जेएंडके बैंक में खोले जाने थे, लेकिन यह ऋण जेएलजी के नेताओं के खातों में अंतरण कर दिया जो अन्य बैंकों में खुले थे। इस प्रकार ये खाते, बैंक के नियंत्रण से बाहर हो गए जो परिचालन स्तर पर खराब अनुपालन प्रक्रियाओं को दर्शाता है।</li> <li>• बैंक ने किसानों के अधीन भूमि और उनकी वित्तीय स्थिति का विवरण प्राप्त नहीं किया। ऐसे जेएलजी को ऋण के विस्तार की कोई विशेष नीति लागू नहीं थी। किसानों के केवाईसी विवरण प्राप्त नहीं किए गए थे और अलग-अलग जेएलजी में किसानों के नामों की नकल पाई गई थी (परिशिष्ट-4.1.3)।</li> <li>• बैंक ने अपनी ऋण नीति के विचलन में, रिस्क स्कोर एप्लिकेशन के माध्यम से ₹5 करोड़ के प्रत्येक 80 जेएलजी खातों को रेट नहीं किया था और केवल कंपनी के कॉर्पोरेट गारंटी पर ऋण देना, कमजोर ऋण जोखिम नियंत्रण को दर्शाता है।</li> <li>• बैंक के हित को सुरक्षित रखने के लिए ठोस सुरक्षा प्राप्त न करने के साथ-साथ, फसली ऋणों की मंजूरी/ संवितरण में उचित कार्रवाई न करने के कारण, ₹639.42 करोड़<sup>37</sup> की संदिग्ध वसूली हुई।</li> </ul>
3.	मेसर्स आरईआई एग्री लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> <li>• बैंक ने संपार्श्विक प्रतिभूति, कंपनी की कॉर्पोरेट गारंटी और उत्तरदिनांकित चेकों के प्रति, ₹100 करोड़ रुपये की बिल डिस्काउंटिंग (बीडी) सुविधा को (मई 2011 में) मंजूरी दी।</li> <li>• कंपनी को पहचान प्राप्त आपूर्तिकर्ताओं से बासमती धान की खरीद करनी थी और बैंक को इन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा, ड्रा किए गए बिलों को डिस्काउंट करना था।</li> <li>• जब कंपनी का चालू अनुपात (1.27), बैंक के न्यूनतम स्वीकार्य स्तर (जो 1.33 है) से कम था तब भी बीडी सुविधा का (अक्टूबर 2013 में) नवीकरण करना, कमजोर क्रेडिट जोखिम नियंत्रण को दर्शाता था।</li> <li>• सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना, ₹15 करोड़ का तदर्थ बीडी को (जनवरी 2014 में) विस्तारित करना, इसके बावजूद कि मौजूदा सुविधा 90 दिनों से अधिक लंबित थी जो पहले ही एनपीए के रूप में प्रतिदायी हो गई थी, कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाती है।</li> <li>• अतिदेय डिस्काउंट बिल्स को समायोजित करने में कंपनी विफल रही और खाते को एनपीए के रूप में (जून 2014 में) वर्गीकृत किया गया।</li> </ul>

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>कंपनी द्वारा प्राप्त संपार्श्विक प्रतिभूति पर पहले ही बैंक द्वारा बैंक की अन्य शाखाओं से लिए गए ऋणों के लिए प्रभार किया गया था जो जून 2014 में एनपीए में बदल गए थे। प्रभारित संपत्तियां, जिनका मूल्य ₹149.82 करोड़ की बुक वैल्यू के प्रति, ₹305.38 करोड़ लगाया गया था और उनका (नवम्बर 2015/ मार्च 2016 में) अधिग्रहण ₹168 करोड़ पर निर्धारित किया गया था तथा उन्हें ₹60 करोड़ के आरक्षित मूल्य पर भी नहीं बेचा जा सका।</li> <li>बैंक के वित्तीय हितों की सुरक्षा किए बिना, आपूर्तिकर्ता बिलों को डिस्काउंट करने के कारण, ₹172.45 करोड़<sup>38</sup> की संदिग्ध वसूली हुई।</li> </ul>
4.	मैसर्स आंजनेय लाइफकेयर लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> <li>कंपनी ने (सितंबर 2011 में) चार लाख प्रमोटर्स इक्विटी शेयरों की प्राथमिक प्रतिभूति और दूसरे प्रभार के रूप में, स्थायी परिसंपत्ति और उत्तरदिनांकित चेक पर संपार्श्विक प्रतिभूति के प्रति बैंक से ₹20 करोड़ का लघु अवधि ऋण (एसटीएल) लिया।</li> <li>बैंक ने (दिसंबर 2011 में) आईएलसी/ एफएलसी की ₹15 करोड़ की स्वीकृति दी और अन्य बैंक से ₹10.66 करोड़ का मौजूदा आवधिक ऋण अधीन लिया।</li> <li>कंपनी ने ₹20 करोड़ की एसटीएल की सर्विसिंग में चूक की और बैंक ने (नवंबर 2012 में) खाते का पुनर्गठन किया और इसका पुनर्भुगतान सितंबर 2012 से जून 2014 तक पुनर्निर्धारित किया गया।</li> <li>सितंबर 2013 में ऋण को उप-मानक के रूप में निर्धारित किया गया। तथापि, बैंक ने बिना पर्याप्त सुरक्षा कवर सुनिश्चित किए, ₹8.71 करोड़ के आईएलसी और ₹18.38 करोड़ की एक बार पैकिंग क्रेडिट<sup>39</sup> (पीसी) को (दिसंबर 2013 में) मंजूरी दी जो एक कमजोर ऋण जोखिम नियंत्रण को दर्शाता है।</li> <li>निर्यात शिपमेंट के लिए सुविधा का संवितरण नहीं किया गया और बैंक द्वारा वितरित पीसी सुविधा का उपयोग, कंपनी द्वारा एक अन्य फर्म के माध्यम से लेन-देन करके विभिन्न अन्य खातों (₹20 करोड़ का एसटीएल और ₹10.66 करोड़ का सावधि ऋण)<sup>40</sup> में अतिदेय राशि के ब्याज और किश्तों का उपयोग करने के लिए किया गया था, जो पश्च-संवितरण की अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।</li> </ul>

38 एनपीए ₹111.27 करोड़ और ₹61.18 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज

39 पैकिंग क्रेडिट निर्यातकों को शिपमेंट से पहले माल खरीद को वित्त प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया ऋण है

40 जेएंडके बैंक लिमिटेड द्वारा अग्रिम

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>कंपनी अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रही और उसे (मार्च 2014 में) एनपीए घोषित कर दिया गया।</li> <li>बैंक के हितों की सुरक्षा किए बिना, ऋण सुविधाओं की स्वीकृति/संवितरण से ₹40.32 करोड़<sup>41</sup> की संदिग्ध वसूली हुई।</li> </ul>
5.	मैसर्स पैराडाइज एवेन्यू, एक साझेदारी फर्म (फर्म) नरवाल बाला, जम्मू जो आवासीय टाउनशिप के निर्माण के लिए स्थापित थी	<ul style="list-style-type: none"> <li>बैंक<sup>42</sup> ने ₹177.68 करोड़ के चार सावधिऋण (टीएल-I: जनवरी 2012 में ₹74.27 करोड़; टीएल-II: मई 2014 में ₹68.91 करोड़; टीएल-III: जून 2015 में ₹20 करोड़ और टीएल-IV: फरवरी 2017 में ₹14.50 करोड़,) स्वीकृत किए जिसके प्रति ₹175.60 करोड़ का संवितरण किया गया था।</li> <li>बैंक की ऋण नीति के अनुसार, साझेदारी फर्म के लिए ऋण अनावरण ₹50 करोड़ तक सीमित होना चाहिए और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने पर, असाधारण मामलों में उधारकर्ताओं को रियायतें देने पर मंडल विचार कर सकता है। तथापि, बैंक ने अपनी ऋण नीति के विचलन और मंडल की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना, ₹74.27 करोड़ की टीएल-1 का संवितरण किया।</li> <li>संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त किए बिना ऋण को विस्तारित किया गया था, जिससे ऋण न चुकाने के मामले में होने वाले नुकसान के जोखिम को उजागर किया। स्वतंत्र बाह्य एजेंसी से डेब्ट पोर्टफोलियो की आवश्यक क्रेडिट रेटिंग प्राप्त नहीं की गई थी जिससे बैंक की ऋण नीति का विचलन हुआ।</li> <li>बैंक ने मई 2014 में ₹68.91 करोड़ के टीएल-II के विस्तारण के लिए मंडल की स्वीकृति प्राप्त की। तथापि, इसने बीओडी को (मई 2014 में) इस बात से अवगत नहीं कराया कि यह फर्म अपेक्षित प्रोत्साहक के योगदान<sup>43</sup> को प्रभावित करने में विफल रही है। इसके अतिरिक्त, फर्म को (मार्च/ अप्रैल 2014 में) अध्यक्ष द्वारा, आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के लिए ₹6.59 करोड़, एस्क्रो खाते से आहरण की अनुमति दी गई थी, जिसे केवल आवधिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए नामित किया गया था। तथापि, अध्यक्ष की कार्रवाई को मई 2014 में मंडल द्वारा कार्यान्वयन से स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी।</li> <li>बैंक ने 2:1 के बेंचमार्क के प्रति 2.75:1 के ऋण-इक्विटी अनुपात को (मई 2014 में) स्वीकार किया और अपनी क्रेडिट नीति के अनुसार, आवश्यक होने पर भी तिमाही आधार पर, फर्म के क्रेडिट</li> </ul>

<sup>41</sup> ₹40.96 करोड़ के बकाया के प्रति (मूल राशि: ₹27.96 करोड़ और अनपेक्षित ब्याज: ₹13 करोड़), प्रतिभूतियों का मूल्य ₹0.64 करोड़ था

<sup>42</sup> बिजनेस यूनिट, न्यू यूनिवर्सिटी कैंपस, जम्मू

<sup>43</sup> फरवरी 2014 तक बैंक द्वारा पूरी तरह से जारी किए गए ₹74.27 करोड़ के टर्म लोन के प्रति, प्रमोटर का योगदान ₹22.09 करोड़ होना चाहिए था, जबकि फर्म ने केवल ₹6.96 करोड़ का ही योगदान दिया

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		<p>लेखापरीक्षा का संचालन नहीं किया।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• बैंक ने बार बार, अक्टूबर 2014 से जून 2017 तक टर्म लोन के पुनर्भुगतान को परियोजना के कार्य क्षेत्र और आकार में बदलाव करते हुए ₹96.36 करोड़ से ₹209.90 करोड़ कर दिया।</li> <li>• मई 2017 तक, बैंक ने ₹128.79 करोड़<sup>44</sup> रुपये का संवितरण किया और फर्म को ₹46.72 करोड़ का मार्जिन निहित करना था, यानि कुल ₹175.51 करोड़ (ऋण जमा मार्जिन) की वित्तपोषण करनी थी। तथापि, (जनवरी 2018 में) इस परियोजना का मूल्य ₹118.16 करोड़<sup>45</sup> था, जिससे यह संकेत मिलता है कि फर्म द्वारा मार्जिन धन को नियोजित नहीं किया गया था।</li> <li>• चार्टर्ड इंजीनियरों और चार्टर्ड एकाउंटेंटों की रिपोर्टों के बीच अंतरों की अनदेखी की गई, जो यह इंगित करती है कि निगरानी अपर्याप्त थी।</li> <li>• फर्म ने कोई पुनर्भुगतान नहीं किया और खाते को सेवा देने में उसकी विफलता के कारण, लेखाओं को (दिसंबर 2017 में) एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया।</li> <li>• ₹156.47 करोड़ के बकाया मूलधन और ₹28.19 करोड़ के अनपेक्षित ब्याज के प्रति, इस खाते का निपटान ₹130 करोड़ में तय हुआ।</li> <li>• बैंक ने ₹26.47 करोड़ के मूलधन और ₹28.19 करोड़ के अनपेक्षित ब्याज का परित्याग किया।</li> </ul>
6 (i)	मैसर्स कहवा स्क्वेयर प्राइवेट लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> <li>• बैंक<sup>46</sup> ने नियंत्रित वातावरण भंडारण सुविधाओं की स्थापना के लिए, ₹42.76 करोड़ का सावधिऋण (अगस्त 2013 में) स्वीकृत किया और पूंजीगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ₹7.50 करोड़ की सीसी सीमा को मंजूरी दी।</li> <li>• मंजूरी की संवितरण शर्तों के अनुसार, संयंत्र के चालू होने के बाद ही सीसी को जारी किया जाना था। तथापि, बैंक ने संयंत्र के (नवंबर 2014 में) चालू होने से पहले ही सीसी सीमा के अंतर्गत (जुलाई 2014 और अक्टूबर 2014 में) ₹5.91 करोड़ जारी किए, जो परिचालन स्तर पर खराब अनुपालन परंपरा को दर्शाता है।</li> <li>• रेशम उत्पादों के व्यवसाय में लगी सहयोगी संस्था के लिए, मैसर्स केएसपीएल के सीसी खाते से, ₹3.02 करोड़ (मार्च 2016 में) आहरित किए गए। बैंक ने, उपलब्ध आहरण शक्ति से अधिक धनराशि भी जारी की जो अपर्याप्त मॉनीटरिंग को दर्शाती है।</li> </ul>

44 निर्माण के दौरान ₹46.81 करोड़ के ब्याज को छोड़कर

45 भूमि की लागत सहित: ₹21.96 करोड़

46 बिजनेस यूनिट, एयर कार्गो, श्रीनगर

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• निधियों के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित किए बिना, कंपनी के सीसी खाते से ₹2.30 करोड़<sup>47</sup> की नकद निकासी की अनुमति दी गई थी, और ₹2.45 करोड़<sup>48</sup> के नकद जमा भी सीसी खाते में स्वीकार किए गए थे।</li> <li>• कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए सहयोगी संस्थाओं<sup>49</sup> के लिए (दिसंबर 2015 में) संस्वीकृत ₹6 करोड़ की अस्थाई ओवरड्राफ्ट की राशि को मैसर्स केएसपीएल को भेज दिया गया जो परिचालन स्तर पर खाते की निगरानी की कमी का संकेत है।</li> <li>• कंपनी ने ब्याज/ किस्त की अदायगी में चूक की, जिसके परिणामस्वरूप, बैंक ने (जून 2016 में) खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया।</li> <li>• मैसर्स केएसपीएल द्वारा कार्यान्वित भंडारण सुविधा परियोजना, राष्ट्रीय बागवानी मंडल (एनएचबी) की पूंजी निवेश सब्सिडी योजना के अंतर्गत पात्र थी।</li> <li>• योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, ₹16.50 करोड़ की सब्सिडी एनएचबी द्वारा बैंक को जारी की गई थी, जिसे अलग 'सब्सिडी रिजर्व फंड' में रखा जाना था और उधारकर्ता के टीएल खाते में सब्सिडी राशि को केवल अंतिम किस्त की वसूली के तौर पर समायोजित किया जाना था। तथापि, बैंक ने (मार्च 2016 में ₹चार करोड़ और मार्च 2017 में ₹12.50 करोड़) एनएचबी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में मैसर्स केएसपीएल के आवधिक ऋण को समायोजित करने के लिए सब्सिडी राशि हस्तांतरित की।</li> <li>• 31 मार्च 2017 तक, मैसर्स केएसपीएल के प्रति कुल बकाया राशि, ₹12.50 करोड़ की सब्सिडी के समायोजन से पहले, ₹58.61 करोड़<sup>50</sup> थी।</li> <li>• बैंक ने, कंपनी की परियोजना को प्राप्त करने के लिए मैसर्स गो फ्रेश के पक्ष में ₹40.10 करोड़ के सावधि ऋण को (31 मार्च 2017 में) संस्वीकृत किया।</li> <li>• मंजूरी की शर्तों के अनुसार, मैसर्स गो फ्रेश के पक्ष में संस्वीकृत की गई ऋण राशि को सीधे मैसर्स केएसपीएल के मौजूदा सावधि ऋण खाते में जमा किया जाना था। मैसर्स केएसपीएल के लेखाओं (टीएल - ₹25.64 करोड़ और सीसी - ₹10.30 करोड़) को जमा करके और मैसर्स गो फ्रेश के बराबर राशि डेबिट करके, मैसर्स गो</li> </ul>

<sup>47</sup> 28 जुलाई 2014: ₹0.80 करोड़; 1 सितंबर 2014: ₹1.50 करोड़

<sup>48</sup> 1 सितंबर 2014: ₹2 करोड़; 29 जून 2015: ₹0.45 करोड़

<sup>49</sup> श्री आदिल शोक्त, श्री अब्दुल अजीज और मेसर्स होटल गैंड महल

<sup>50</sup> टीएल: ₹46.62 करोड़ (₹40.04 करोड़ का एनपीए और ₹6.58 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज) और सीसी: ₹11.99 करोड़ (₹10.30 करोड़ का एनपीए और ₹1.69 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज)

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		<p>फ्रेश को ऋण राशि को एक लेखा समायोजन के माध्यम से वितरित किया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• मैसर्स केएसपीएल की ₹10.30 करोड़ से सीसी सीमा का समायोजन सावधि ऋण की मंजूरी की शर्तों के उल्लंघन में था।</li> <li>• मैसर्स केएसपीएल की क्रेडिट सुविधाओं के समायोजन की प्रक्रिया में, बैंक ने मैसर्स केएसपीएल के टीएल खाते में ₹6.58 करोड़ और सीसी खाते में ₹1.69 करोड़ का ब्याज माफ कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹8.27 करोड़ का नुकसान हुआ।</li> <li>• मैसर्स गो फ्रेश का खाता ₹39.56 करोड़ की बकाया राशि के साथ अप्रैल 2019 में एनपीए हो गया।</li> </ul>
6 (ii)	मैसर्स केहवा व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> <li>• बैंक ने राज्य में बस सेवा स्थापित करने और उपलब्ध कराने के लिए मैसर्स केहवा व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड (केडब्ल्यूपीएल) के पक्ष में ₹30.89 करोड़ का टीएल (फरवरी 2013 में) संस्वीकृत किया।</li> <li>• फरवरी 2015 में, बैंक ने मौजूदा टीएल का पुनर्गठन किया और 2014 के 'रिहबीलेशन पैकेज' के अंतर्गत, मैसर्स केडब्ल्यूपीएल के पक्ष में ₹1.76 करोड़ के नए टीएल को भी मंजूरी दी।</li> <li>• कंपनी द्वारा क्रेडिट सुविधाओं की किस्तों की गैर-सर्विसिंग के कारण, बैंक ने मार्च 2016<sup>51</sup> में एनपीए के रूप में खातों को वर्गीकृत किया।</li> <li>• बैंक ने किसी भी बाह्य एजेंसी से कंपनी के डेबिट पोर्टफोलियो की क्रेडिट रेटिंग प्राप्त नहीं की, जिससे उसकी क्रेडिट नीति कमजोर क्रेडिट जोखिम नियंत्रण को दर्शाती है।</li> <li>• बैंक ने दुकानों के पट्टे विलेख नहीं लिए (जो क्रेडिट सुविधा के प्रति प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में रखी गई थी) जिसके परिणामस्वरूप, संपत्ति पर प्रभार का सृजन नहीं हुआ।</li> <li>• प्रवर्तकों द्वारा मार्जिन राशि का उपयोग सुनिश्चित किए बिना, ऋण राशि का संवितरण किया गया था। अप्रैल और जून 2013 के बीच, कंपनी के टीएल से चालू खाते में ₹4.68 करोड़ की निधि का स्थानांतरित किया, जिसके परिणामस्वरूप निधि का परिवर्तन हुआ, जो परिचालन स्तर पर खराब अनुपालन प्रक्रियाँ और अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।</li> </ul>
6 (iii)	केहवा ग्रुप ऑफ कंपनीज	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मैसर्स केएसपीएल और मैसर्स केडब्ल्यूपीएल द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के अतिरिक्त, केहवा ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसे, मैसर्स केहवा एक्सप्रेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (केएसएसपीएल), मैसर्स कश्मीर सनसिल्क इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (केएसआईपीएल), मैसर्स सिल्क एंटरप्राइजेज, मैसर्स केहवा फूड एंड रिटेल, मैसर्स</li> </ul>

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		<p>कश्मीर थ्रेड्स एंड कलर मिल्स और मैसर्स बेंगलोर सिल्क हाउस भी बैंक से विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• केहवा ग्रुप द्वारा ऋण सुविधाओं की किस्तों की गैर-सर्विसिंग के कारण, बैंक ने मार्च 2016<sup>52</sup> में एनपीए के रूप में खातों को वर्गीकृत किया।</li> <li>• बैंक ने वसूली के लिए समूह के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर नहीं किया, इस प्रकार बैंक ने वसूली नीति का विचलन किया।</li> <li>• बैंक ने ₹159.84 करोड़<sup>53</sup> की बकाया राशि के प्रति, केहवा ग्रुप के पक्ष में (मार्च 2017 में) ₹105 करोड़ का एक मुश्त निपटान (ओटीएस) मंजूर किया। ओटीएस के अनुसार, समूह को मार्च 2017 तक ₹50 करोड़ और जून 2017 तक शेष ₹55 करोड़ जमा करना आवश्यक था।</li> <li>• समूह ने सहमति शर्तों के अनुसार निपटान राशि का भुगतान नहीं किया और बैंक द्वारा योजना को (अक्टूबर 2017 में) समाप्त कर दिया गया। इस बीच, समूह ने अपने विभिन्न ऋण खातों (एनपीए) में ₹11 करोड़ (मार्च 2019 में) जमा किए, जिसमें से ₹दो करोड़ की राशि नकद में जमा की गई थी।</li> <li>• संवितरण की शर्तों का, पूर्व-मंजूरी पर निगरानी का और धन के अंतिम उपयोग की सुनिश्चितता का पालन न करने के परिणामस्वरूप, ₹8.27 करोड़ का नुकसान हुआ और केहवा समूह से ₹124.06 करोड़<sup>54</sup> और मैसर्स गो फ्रेश से ₹39.56 करोड़<sup>55</sup> की वसूली संदिग्ध हो गई। बैंक ने, कंपनी को ₹16.50 करोड़ की सब्सिडी भी अनियमित रूप से जारी की।</li> </ul>
7.	मैसर्स हल्दिया कोक एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> <li>• बैंक ने (मार्च 2011 में) ₹12 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट (सीसी) और ₹48 करोड़ की आईएलसी/ एफएलसी की मंजूरी दी और नए सिरे से सुविधाओं का (फरवरी 2013 और जून 2014 में) नवीकरण किया।</li> <li>• बैंक ने बिना संपार्श्विक प्रतिभूति लिए, वर्तमान संपत्तियों, स्टोर्स और स्टॉक्स के प्राथमिक सुरक्षा के प्रति, प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से सुविधाएं विस्तारित की।</li> <li>• सीआरआईएसआईएल ने (मार्च 2012 और अप्रैल 2013 में) कंपनी के डेबिट पोर्टफोलियो के लिए मध्यम से उच्च जोखिम का संकेत</li> </ul>

<sup>52</sup> एनपीए की प्रभावी तिथि 30 सितंबर 2014/ मार्च 2015 के रूप में ली गई थी

<sup>53</sup> फरवरी 2017 तक ₹138.79 करोड़ का एनपीए और ₹21.05 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज (मैसर्स गो फ्रेश द्वारा मैसर्स केएसपीएल के खातों को ग्रहण करने से पहले)

<sup>54</sup> जून 2019 तक ₹71.64 करोड़ का बकाया एनपीए और ₹52.42 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज

<sup>55</sup> ₹39.18 करोड़ का बकाया एनपीए और ₹0.38 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		<p>दिया। बैंक ने सीआरआईएसआईएल रेटिंग्स की अनदेखी करके जिसने क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया में कंपनी की कमियों को उजागर किया था फिर भी (फरवरी 2013 और जून 2014 में) ऋण सुविधाओं का नवीकरण किया।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• आहरण शक्तियों से अधिक निधि जारी की गई थी और अनिवार्य ऋण लेखापरीक्षा नहीं किया गया था जो अपर्याप्त निगरानी तंत्र को इंगित करता है।</li> <li>• गैर-सर्विसिंग के कारण, कंपनी का खाता ₹84.77 करोड़<sup>56</sup> की बकाया राशि के सहित (जुलाई 2016 में) एनपीए घोषित कर दिया गया।</li> <li>• कंपनी ने इंसोल्वेंसी और बैंकरप्शि कोड के अंतर्गत, समाधान के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया और जिससे बैंक को (अप्रैल 2018 में) ₹21.39 करोड़ मिले।</li> <li>• पर्याप्त प्रतिभूतियों को प्राप्त किए बिना और कमजोर पश्च-मंजूरी निगरानी के कारण, बैंक को ₹63.38 करोड़<sup>57</sup> का नुकसान हुआ</li> </ul>
8.	मैसर्स एजीएल टेलिवेन्चर्स और मैसर्स ट्रंक एंड रूट्स	<ul style="list-style-type: none"> <li>• बैंक ने मैसर्स एजीएल और मैसर्स ट्रंक एवं रूट्स को ₹57.40 करोड़ की संचयी ऋण सुविधाएं (दिसंबर 2010 से नवंबर 2013 में) संस्वीकृत की।</li> <li>• आवश्यक मार्जिन राशि की प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना, निधि जारी की गई थी। अपने उत्पादों के खरीदारों और फर्मों के साथ हुए एमओयू प्राप्त नहीं किए।</li> <li>• आहरण शक्तियों से अधिक नकद ऋण सीमा के अंतर्गत कोष जारी किए गए थे जो गलत तरीके से तैयार किए गए थे। नियमित ऋण और स्टॉक की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। फर्मों द्वारा निधि का परिवर्तन किया गया जो खराब अनुपालन प्रक्रिया और अपर्याप्त निगरानी तंत्र का संकेत देता है।</li> <li>• दोनों फर्मों द्वारा सुविधाओं का भुगतान नहीं किया गया और एनपीए के रूप में (दिसंबर 2014 और जून 2015 में) वर्गीकृत किया गया था।</li> <li>• बैंक ने संपत्तियों में से, ₹23 करोड़ की एक संपत्ति पर स्वयं का (दिसंबर 2017 में) कब्जा कर लिया।</li> <li>• उपरोक्त राशि को समायोजित करने के बाद दोनों फर्मों के खिलाफ बकाया राशि ₹51.09 करोड़<sup>58</sup> थी।</li> </ul>

<sup>56</sup> ₹53.54 करोड़ बकाया एनपीए का शेष (सीसी: ₹12 करोड़; आईएलसी/ एफएलसी: ₹41.54 करोड़) और ₹31.23 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज

<sup>57</sup> ₹32.15 करोड़ का मूलधन और ₹31.23 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज

<sup>58</sup> ₹24.92 करोड़ का एनपीए और ₹26.17 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज

क्र.सं.	एनपीए मामले	संक्षिप्त तथ्य और आपत्तियाँ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>संवितरण शर्तों, अनुमोदन के बाद की निगरानी और निधियों के उपयोग की सुनिश्चितता का पालन न करने पर, ₹30.53<sup>59</sup> करोड़ की संदिग्ध वसूली हुई।</li> </ul>
9.	मैसर्स क्रैन सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> <li>बैंक ने मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं<sup>60</sup> के पुनर्गठन और ₹25 करोड़ और ₹19.58 करोड़ के दो कार्यशील पूंजी सावधि ऋण (डबल्यूसीटीएल) को (सितंबर 2010 में) मंजूरी दी। ₹5.58 करोड़ का सावधिऋण (टीएल) और ₹4.55 करोड़ का निधिबद्ध ब्याज सावधिऋण (एफआईटीएल)<sup>61</sup> भी मंजूर किया गया।</li> <li>ऋण सुविधाओं को प्रवर्तकों की अचल संपत्तियों और व्यक्तिगत गारंटी के अतिरिक्त अन्य देनदारों के साथ समरूप आधार पर कंपनी के स्टॉक, बुक डेबिट और स्थिर परिसम्पत्ति के दृष्टिबद्ध के माध्यम से सुरक्षित किया गया था।</li> <li>पुनर्निर्मित ऋण, त्रैमासिक किश्तों में अक्टूबर 2011 से प्रतिदेय थे।</li> <li>बैंक ने ₹32.11 करोड़ की गिरवी प्रतिभूतियों की बिक्री के माध्यम से, जून 2014 तक किश्तों की वसूली की।</li> <li>बैंक ने इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी ने मौजूदा सुविधाओं की पुनर्भुगतान अनुसूची का पालन नहीं किया, ₹10.46 करोड़ के टेम्पररी ओवरड्राफ्ट (टीओडी) को बिना किसी अतिरिक्त प्रतिभूति कवर के साथ समूह की फर्मों के पक्ष में मंजूरी दी।</li> <li>टीओडी को सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना जारी किया गया था, जो कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है।</li> <li>टीओडी से नकद में धन के आहरण की अनुमति देना खराब निगरानी को दर्शाते था।</li> <li>ऋण चुकाने में असमर्थता के परिणामस्वरूप, ऋण खाते की ग्रेडिंग को (सितम्बर 2014 में) कम किया गया।</li> <li>कंपनी ने एक मुश्त निपटान के लिए बैंक से (अगस्त 2017 में) संपर्क किया और उसे ₹23 करोड़ की (सितंबर 2017 में) मंजूरी दे दी।</li> <li>₹41.60 करोड़<sup>62</sup> की (जुलाई 2017 में) बकाया राशि के प्रति, बैंक ने ₹3.92 करोड़ के मूलधन और ₹14.68 करोड़ के अनपेक्षित ब्याज का परित्याग करके, ₹23 करोड़ में खाते को चुकता किया।</li> </ul>

<sup>59</sup> ₹51.09 करोड़ - ₹20.56 करोड़ (संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य)

<sup>60</sup> नकद ऋण, सावधि और पोस्ट शिपमेंट की सीमा

<sup>61</sup> मौजूदा ऋण के ब्याज घटक के पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता को दिया गया विस्तारित ऋण

<sup>62</sup> ₹26.92 करोड़ का एनपीए और ₹14.68 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज

जैसा कि ऊपर पैराग्राफ में चर्चा की गई है, मंजूर आदेशों, ऋण नीतियों, आरबीआई निर्देशों आदि के नियमों और शर्तों का विचलन देखा गया था। मंजूरी की शर्तों के अनुपालन के बिना, ऋणों के वितरण की प्रमुख खामियां देखी गई थी, न्यूनतम स्वीकार्य अनुपात के संबंध में बैंक की ऋण नीति से विचलन, बैंक की ऋण नीति के अनुसार गिरवी संपत्तियों के नए मूल्यांकन का संचालन न करना, आरबीआई के विवेकपूर्ण मानकों के अनुरूप, एनपीए के रूप में खातों का गैर-वर्गीकरण, किसी भी बाहरी एजेंसी से उधारकर्ता के डेबिट पोर्टफोलियो की क्रेडिट रेटिंग प्राप्त न करना जैसा कि बैंक की ऋण नीति के अंतर्गत आवश्यक है, नियमित अंतराल पर क्रेडिट लेखापरीक्षा और स्टॉक लेखापरीक्षा का संचालन न करना, उपलब्ध आहरण शक्तियों की अधिकता, में धनराशि जारी करना, संस्वीकृत आदेशों में निर्दिष्ट के अलावा प्रयोजन के लिए निधियों का विपथन में, गिरवी रखी गई संपत्तियों पर प्रभार का सृजन नहीं करना, आहरण शक्तियों के रजिस्टर का गैर-रखरखाव और प्रवर्तक द्वारा मिलान योगदान सुनिश्चित किए बिना संवितरण करना।

हमने यह भी देखा कि मंडल की लेखापरीक्षा समिति ने तिमाही आधार पर बैंक के शीर्ष एनपीए की समीक्षा करते हुए इस रिपोर्ट में उजागर किए गए एनपीए मामलों की भी समीक्षा की थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा कमेटी के सामने रखे गए कार्यसूचियों के नोटों का विश्लेषण और इन खातों में पाई गई खामियों को उजागर नहीं किया गया, जैसे संवितरण शर्तों का अननुपालन, खराब निगरानी, बैंक की ऋण नीति से विचलन, एनपीए के रूप में खातों का गैर-वर्गीकरण, ऋण लेखापरीक्षा/ स्टॉक लेखापरीक्षा गैर-संचालन, धनराशि का अनियमित निर्गमन जारी/ विचलन, गिरवी संपत्तियों पर प्रभार का सृजन नहीं करना, पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त न करना आदि। विश्लेषण की गई जानकारी के अभाव में, लेखापरीक्षा समिति इन खातों की ठीक से समीक्षा नहीं कर पाई और बैंक की ऋण प्रक्रिया में कमजोरियों को दूर करने के लिए निर्देश जारी करने के अवसर का उपयोग नहीं कर सकी क्योंकि लेखापरीक्षा समिति की प्रमुख भूमिकाओं में से एक कंपनी की आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की निगरानी करना है।

लेखापरीक्षा अवलोकन जहां बैंक द्वारा किए गए अग्रिमों में रिटर्न नहीं मिला है और वसूली संदिग्ध है, भारत के सी एंड एजी की रिपोर्ट में पहले के वर्षों<sup>63</sup> में भी छापा गया था। हालाँकि, बैंक अपनी ऋण प्रक्रिया की कमजोरियों को दूर करने में विफल रहा जैसा कि उपरोक्त चर्चा किए गए एनपीए मामलों से स्पष्ट था।

<sup>63</sup> जम्मू और कश्मीर सरकार की वर्ष 2018 की रिपोर्ट सं. 1 में पैरा सं. 5.2; 2015 की रिपोर्ट सं. 3 में पैरा सं. 5.1; 2016 की रिपोर्ट सं. 2 में पैरा 3.1

#### 4.7.6 सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली

जैसे-जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिक व्यापक होती जा रही है, व्यावसायिक परिचालनों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। आईटी प्रणालियों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के क्रम में, स्वचालित आंतरिक नियंत्रणों का प्रभावी डिजाइन और संचालन भी अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के माध्यम से अपने कार्यों को स्वचालित करने के लिए, बैंक ने वर्ष 2003 में एप्लिकेशन 'फिनेकल' को अपनाया। बैंक की आईटी प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कमियों को देखा गया:

##### i) पैन की गलत लिंकिंग/ नॉन-लिंकिंग

नो योअर कस्टमर (केवाईसी) मानदंडों और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मानकों के बारे में बैंक की नीति बताती है कि बिजनेस यूनिट को बैंक के इंटरनेट के माध्यम से, सक्षम आयकर वेब पोर्टल पर उसी को प्रमाणित करके ग्राहक द्वारा प्रस्तुत परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड की वास्तविकता को सत्यापित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने (नवंबर 2016 में) सभी बैंकों को सलाह दी कि वे नकद में ₹50,000 से अधिक की जमा राशि स्वीकार करते हुए पैन का उद्धरण सुनिश्चित करें।

पैन आयकर विभाग द्वारा जारी दस अंकों का एक विशिष्ट अल्फान्यूमेरिक नंबर है। पैन का चौथा अंक पैन धारक<sup>64</sup> की स्थिति को दर्शाता है। डेटा विश्लेषण से पता चला है कि 3,944 खातों के मामले में, फर्जी पैन दर्ज किए गए थे। इसके अतिरिक्त, खातों<sup>65</sup> की नमूना-जांच से पता चला कि ₹50,000 की सीमा से अधिक की नकद जमा राशि को ऐसे 21 खातों के मामले में स्वीकार किया गया था, जो यह दर्शाता है कि फर्जी पैन से जुड़े खातों में उच्च नकदी जमा का खण्डन करने के लिए, तंत्र नहीं था। हमने यह भी देखा कि फिनेकल में प्रवेश करते समय, पैन के प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करने के लिए बैंक की आईटी प्रणाली में कोई अन्तर्निहित विशेषता नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक पहचान संख्याओं (सीआईडी) के साथ पैन का गैर-लिंकिंग/ गलत लिंकिंग हुआ।

<sup>64</sup> 'पी' व्यक्ति के लिए है, 'सी' कंपनी के लिए है, 'एच' का अर्थ हिंदू अविभाजित परिवार से है, 'ए' का अर्थ है व्यक्तियों का संघ, 'बी' का अर्थ है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, 'जी' का अर्थ है सरकारी एजेंसी, 'जे' का अर्थ है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, 'एल' का मतलब है लोकल अथॉरिटी, 'एफ' का मतलब है फर्म/ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और 'टी' का मतलब है ट्रस्ट

<sup>65</sup> 3,944 खातों में से 138 खातों की नमूना जांच की गई

निम्नलिखित कमियों को भी देखा गया:

- 36 सीआईडी<sup>66</sup> के एक नमूना जाँच से पता चला कि तीन पंजीकृत कंपनियों<sup>67</sup> के सीआईडी के मामले में व्यक्तियों के पैन लिंक किए गए थे। इसके अतिरिक्त, छह पंजीकृत कंपनियों<sup>68</sup> के सीआईडी के मामले में पैन को लिंक नहीं किया गया था।
- छह सीआईडी में से जहां पैन लिंक नहीं किए गए थे, अक्टूबर 2017 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान मैसर्स ग्रीन लैंड सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में ₹2.50 लाख और ₹15 लाख के बीच उच्च मूल्य नकद लेनदेन (क्रेडिट) की अनुमति दी गई थी जिससे नियामक की सलाह का उल्लंघन हो रहा था।
- नवंबर 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान, दो ग्राहकों<sup>69</sup> के खातों में ₹1 लाख और ₹5.82 लाख के बीच नकद लेनदेन (क्रेडिट) की अनुमति दी गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि पैन को सीआईडी के साथ चिन्हित नहीं किया गया था।
- ब्याज माफी योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले 43 सीआईडी के उधारकर्ताओं के नमूना-जाँच ने यह खुलासा किया कि निजी लिमिटेड कंपनियों के तौर पर पंजीकृत पांच ग्राहकों<sup>70</sup> के मामले में, व्यक्तिगत/ फर्मों के पैन जुड़े हुए थे। इन पांच ग्राहकों में से, मैसर्स केहवा एक्सप्रेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के चालू जमा खाते में ₹37 लाख से ₹50 लाख के बीच मार्च/ अप्रैल 2019 में नकद जमा किए गए थे।
- दो सीआईडी<sup>71</sup> के मामलों में, फर्जी पैन (चौथे वर्ण के साथ 'डी' के रूप में) जुड़े हुए थे। इन दोनों ग्राहकों अप्रैल/ मई 2017 के दौरान प्रत्येक को ₹10 लाख के उपभोग ऋण अग्रित किए गए थे।

पैन को न जोड़ने या गलत तरीके से जोड़ने पर व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा कर चोरी हो सकती है क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए सभी वित्तीय लेनदेन पर नज़र नहीं रखी जा सकी। इसके अतिरिक्त, पैन विवरण प्राप्त

<sup>66</sup> पंजीकृत कंपनियों के एनपीए मामलों से संबंधित

<sup>67</sup> सीआईडी-002762993 (मैसर्स मीरा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड), 006167698 (मैसर्स जम्मू केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड) और 001962191 (मैसर्स सुल्तान एगो टेक प्राइवेट लिमिटेड)

<sup>68</sup> सीआईडी-003169820 (मैसर्स एस्ट्रा एशिया थेराप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड), 003169831 (मैसर्स टेनवेल टेनरीज प्राइवेट लिमिटेड), 042916165 (मैसर्स ग्रीन लैंड सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड), 004139797 (मैसर्स समश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड), 000732052 (मैसर्स टेनवेल टेनरीज प्राइवेट लिमिटेड) और 001893604 (मैसर्स बाबा अनमोल फूड प्राइवेट लिमिटेड)

<sup>69</sup> सीआईडी-011425809 (मैसर्स ड्रीम ट्रेवल) और 003816346 (श्री मोहम्मद रमजान डार)

<sup>70</sup> मैसर्स शुहुल ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स हैलिकॉन बिल्डर्स डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स हिमालयन रोलिंग स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स केहवा एक्सप्रेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स शुहुल रोलर फ्लौर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड

<sup>71</sup> सीआईडी-013511049 (श्री अमित वांचू) और 013635494 (श्री रमेश कौल)

किए बिना ₹50,000 से अधिक की जमाओं की स्वीकृति ने आरबीआई के नवंबर 2016 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) उत्तर दिया कि अधिकांश खाते पैन/ फॉर्म 60 के साथ जोड़े गए थे। हालाँकि, सरकारी कार्यालयों, छोटे और अन्य खातों को छोड़कर वे खाते जो पैन/ फॉर्म 60 के साथ नहीं जोड़े गए थे उन्हें सेंट्रली फ्रोजन कर दिया था। इसके अतिरिक्त, एक ग्राहक के पैन की प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए एक अलग एप्लिकेशन जो पैन/ टैन को सत्यापित करता है, उसे व्यावसायिक इकाइयों के लिए उपलब्ध कराया गया है। फर्जी पैन के संबंध में, प्रबंधन ने कहा कि खातों को ठीक किया जा रहा है।

हालाँकि, बैंक की आईटी प्रणाली में अन्तर्निहित विशेषता नहीं थी, जिससे फिनेकल में प्रवेश करते समय पैन का प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली में फर्जी पैन डाले गए और गलत पैन को सीआईडी से जोड़ा गया था।

#### **ii) पीएमजेडीवाई के अंतर्गत लघु खातों में उच्च मूल्य के लेन-देन**

आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति (अगस्त 2014 में) जारी की जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि जिन व्यक्तियों के पास 'आधिकारिक रूप से वैध' दस्तावेज नहीं हैं, वे प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत, बैंकों में 'लघु' खाते खोल सकते हैं। एक 'लघु खाता' एक स्व-सत्यापित तस्वीर के आधार पर खोला जा सकता है और बैंक के एक अधिकारी की उपस्थिति में उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, नियामक ने स्पष्ट किया कि ऐसे खातों में कुल क्रेडिट, एक वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि इन छोटे खातों में कोई रोक नहीं लगाई गई थी और उच्च मूल्य के लेनदेन की अनुमति दी गई थी। 2,271 जन धन खातों में, मार्च 2018 और मार्च 2019 के महीनों के दौरान 2,538 उच्च मूल्य क्रेडिट लेनदेन ₹1 लाख से अधिक और ₹10 लाख तक देखे गए, जिससे आरबीआईके दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) उत्तर दिया कि पीएमजेडीवाई खातों के मामले में इस तरह के खातों में उच्च मूल्य के लेन-देन को रोकने के लिए प्रणाली में जांच की पर्याप्त रोकथाम की गई थी। तथापि, पूर्ण केवाईसी आवश्यकताओं को पूरा करने पर, लेन-देन की सीमाएं ऐसे पीएमजेडीवाई खातों पर लागू नहीं होंगी, जैसा कि नियामक द्वारा अनुमति दी गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 397 पीएमजेडीवाई खातों में, उच्च मूल्य लेनदेन देखे गए थे जहां पूर्ण केवाईसी जून 2019 तक लंबित थी।

### iii) केवाईसी लंबित लघु खातों को बंद नहीं करना

आरबीआई ने (अगस्त 2014 में) स्पष्ट किया कि 'लघु खाते' सामान्य रूप से बारह महीने की अवधि के लिए वैध होंगे। ऐसे खातों को बारह और महीनों की अवधि के लिए जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, यदि खाताधारक यह दिखाने के लिए एक दस्तावेज प्रस्तुत करता है कि उसने लघु खाता खोलने के बारह महीने के भीतर आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) में से किसी एक के लिए आवेदन किया है।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बैंक ने 1,64,816 लघु खातों में परिचालन की अनुमति दी जहां केवाईसी दो साल से अधिक समय से लंबित थी, क्योंकि बैंक की आईटी प्रणाली को इन खातों में परिचालन को निष्क्रिय या बंद करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया था। आंकड़ों के आयु-वार विश्लेषण से पता चला है कि 1,64,816 लघु खातों में से, 1,15,428 खातों में केवाईसी चार साल से अधिक समय से लंबित थी।

लघु खातों का बंद न होना, जहां केवाईसी दो साल से अधिक समय से लंबित है, जिसके परिणामस्वरूप आपराधिक तत्वों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने के जोखिम के साथ-साथ नियामक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) उत्तर दिया कि अधिकांश लघु खाते, सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों और समाज के निम्न आर्थिक स्तर से संबंधित उपभोक्ताओं से जुड़े हैं।

यह जवाब मान्य नहीं है क्योंकि ऊपर जिन मामलों को उजागर किया गया था वे परिचालन लघु खाते थे जहां केवाईसी दो साल से अधिक समय से लंबित थी।

### iv) स्विफ्ट संबंधित नियंत्रणों का गैर-सुदृढीकरण

आरबीआई ने (फरवरी 2018 में) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को समय-बद्ध तरीके में स्विफ्ट<sup>72</sup> से संबंधित परिचालन नियंत्रणों को कार्यान्वित करने और मजबूत करने के लिए कहा। रिकॉर्ड्स से पता चला कि बैंक यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि सीबीएस<sup>73</sup> में लेन-देन में प्रवेश/ पारित/ अधिकृत करने वाले उपयोगकर्ता, स्विफ्ट में काम करने वाले लोगों से अलग हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक यह सुनिश्चित

<sup>72</sup> वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए सोसायटी

<sup>73</sup> कोर बैंकिंग सेवा

करने में विफल रहा कि क्या स्विफ्ट से उत्पन्न लॉग को या तो आंतरिक लेखापरीक्षा या समवर्ती लेखापरीक्षा द्वारा दैनिक रूप से वित्तीय और गैर-वित्तीय संदेशों के लिए पूरी तरह से मेल मिलाप किया गया था। चूंकि बैंक, नियामक द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर स्विफ्ट से संबंधित नियंत्रणों को लागू करने में विफल रहा, इसलिए नियामक द्वारा बैंक पर (फरवरी 2019 में) ₹दो करोड़ का जुर्माना लगाया गया।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) उत्तर दिया कि आरबीआई निर्देश का अनुपालन किया गया है क्योंकि स्विफ्ट के साथ सीबीएस का एकीकरण पूरा हो गया है और स्विफ्ट संदेश अपने आप ही सीबीएस (फिनेकल) से उत्पन्न हो रहे हैं।

हालाँकि, बैंक नियामक द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्देशों का पालन करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप उसे ₹दो करोड़ के जुर्माने का भुगतान करना पड़ा था।

#### **v) फिनेकल सिस्टम में जन्म तिथि को दर्ज करना**

ग्राहक के प्रोफाइल के हिस्से के रूप में जन्म तिथि, बैंक को बैंक खाता खोलने के लिए कानूनी उम्र के संभावित ग्राहक की पहचान करने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त, जब नाबालिग प्रौढ़ता की आयु प्राप्त कर लेता है तो उसे खाता संचालित करने से पहले कुछ नियमों का पालन करना होता है। जन्म की तिथि भी बैंक को वरिष्ठ नागरिकों की पहचान करने में मदद करती है क्योंकि खाताधारक की आयु तक पहुंचने के बाद, बैंक वरिष्ठ नागरिकों को विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है।

डेटा विश्लेषण से पता चला है कि 14,51,988 ग्राहक आईडी (सीआईडी)<sup>74</sup> के मामले में, 'जन्म की तिथि' फिनेकल प्रणाली में दर्ज नहीं की गई थी, जिसके अभाव में, ग्राहक की आयु का पता नहीं लगाया जा सका और सही ब्याज दर की प्रयोज्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

ग्राहक की पहचान में 'जन्म की तिथि' के महत्व को ध्यान में रखते हुए, जन्म तिथि को भरना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

#### **vi) स्कैन किए गए हस्ताक्षरों को अपलोडिंग न करना**

बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय ने (जून 2017 में) सभी परिचालन स्तरों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी कि बैंक की पात्र योजनाओं में नए ग्राहक खाते खोलने पर हस्ताक्षर को स्कैन और प्रणाली में तुरंत अपलोड किया जाए और यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी लंबित विरासत खातों में हस्ताक्षर की स्कैनिंग

<sup>74</sup> 1,17,97,142 सीआईडी में से

युद्धस्तर पर की जाए ताकि पूरी प्रक्रियाँ कम से कम संभव समय में पूरी की जा सकें।

डेटा विश्लेषण से पता चला है कि 17,85,455 खातों के मामले में स्कैन किए गए हस्ताक्षर प्रणाली में अपलोड नहीं किए गए थे। इस प्रकार, इन खातों के संबंध में आईटी प्रणाली के माध्यम से हस्ताक्षर का तत्काल सत्यापन संभव नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक को विशेषकर अंतर-शाखा लेनदेन को संभालने की असुविधा हुई।

हमने आगे देखा कि इन खातों में से, बैंक ने 22,197 खातों के मामले में चेक बुक जारी की थी, जिससे बैंक ने अपने-आप को धोखाधड़ी के जोखिम के प्रति उजागर किया।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि हस्ताक्षर की स्कैनिंग और अपलोडिंग का कार्य युद्धस्तर पर किया गया है।

**vii) एक ग्राहक को बहुल ग्राहक पहचान संख्या आवंटित की गई**

वित्तीय संव्यवहारों की बढ़ती हुई जटिलता और परिमाणता ने यह आवश्यक बनाया कि ग्राहकों की एक बैंक के भीतर बहुल पहचान न हो। आरबीआई ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्रत्येक ग्राहक के लिए एक विशिष्ट पहचान कोड शुरू करने की (जून 2012 में) सलाह दी, जो बैंकों को ग्राहकों की पहचान करने, उपलब्ध सुविधाओं को ट्रैक करने में मदद, एक समग्र तरीके से वित्तीय लेनदेन की निगरानी करने और बैंकों को ग्राहकों की प्रोफाइलिंग के जोखिम को बेहतर तरीके से अपनाने में सक्षम बनाने, इसके अतिरिक्त, ग्राहकों के लिए बैंकिंग कार्यों को सुचारू बनाने में मदद करेगा।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एक ग्राहक को बहुल ग्राहक पहचान संख्या (सीआईडी) आवंटित किए गए हैं। डेटा विश्लेषण से पता चला कि आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) के आधार पर पहचाने गए 9,209 ग्राहकों को दो और 172 सीआईडी के बीच बहुल सीआईडी आवंटित किए गए थे।

डेटाबेस को अविश्वसनीय प्रदान करने के अतिरिक्त, इसने विशिष्ट ग्राहक पहचान बनाने के उद्देश्य को नाकाम कर दिया।

बैंक ने (अगस्त 2019 में) कहा कि वह संबंधित व्यावसायिक इकाइयों के साथ मामलों का अनुसरण कर रहा है।

**viii) वाहन ऋण के मामले में आरसी के विवरणों को न पकड़ना**

पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) प्राप्त करने के जुड़वां उद्देश्यों को पूरा करने के क्रम में, अर्थात्, बैंक वित्त से वाहन की खरीद और बैंक को इसके हाइपोथिकेशन के प्रमाण में, बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय ने (जनवरी 2009 में) सलाह दी कि सभी व्यावसायिक इकाइयों, अपने संवितरण के तुरंत बाद सभी वाहन ऋणों में आरसी की प्रतियां हमेशा प्राप्त करेगी।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंक की आईटी प्रणाली वाहन ऋण<sup>75</sup> के मामले में आरसी के विवरण का पता नहीं लगा पर रही थी, जिसके अभाव में, बैंक प्रबंधन व्यवसाय इकाइयों पर प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से नियंत्रण का प्रयोग नहीं कर सकती थी ताकि उनके द्वारा आर सी प्राप्त किया जा सके।

**ix) वाहन ऋणों के मामलों में बीमा का विवरण**

बैंक के हित को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, वाहन ऋण के मामले में बीमा कवर की प्रति, उधारकर्ताओं से प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त, बैंक के निगम कार्यालय ने सभी व्यापारिक इकाइयों को यह सुनिश्चित करने के लिए (जनवरी 2019 में) सलाह दी कि उनके द्वारा वित्तपोषित वाहनों को बैंक के हितों की सुरक्षा के लिए वित्त के दौरान वाहन का बीमा किया हुआ जाना चाहिए।

हालाँकि, डेटा विश्लेषण से पता चला है कि बैंक की आईटी प्रणाली में फ़ील्ड 'पॉलिसी-एएमटी' में 1,464 वाहन ऋण खातों को नहीं भरा गया था। इसके अतिरिक्त, '0' (28 मामले), '1' (4,551 मामले), '2 से 100' (173 मामले) और '1000000000000000' (215 मामले) जैसे फर्जी डेटा डेटाबेस के 'पॉलिसी-एएमटी' क्षेत्र में दर्ज किए गए थे, जिसने डेटाबेस को अविश्वसनीय बना दिया।

**x) फिनेकल प्रणाली में प्रतिभूतियों के मूल्य को दर्ज न करना**

फिनेकल प्रणाली में कैप्चर डेटा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंक इस डेटा पर विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करने और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पूरी तरह से निर्भर रहता है। बैंक के ऑपरेटिव स्तर को उनके उपलब्ध अभिलेखों के साथ मौजूदा ऋण सुविधाओं के संबंध में फिनेकल में उपलब्ध अन्य विवरणों के साथ-साथ सुरक्षा मूल्य के प्रति-जांच करने और सीबीएस में आवश्यक बदलाव करने की (नवंबर 2017 में) सलाह दी गई थी।

<sup>75</sup> मई 2019 तक 95,385 वाहन ऋण बकाया थे

डेटा विश्लेषण<sup>76</sup> से पता चला है कि प्राथमिक प्रतिभूतियों के मूल्यों को 44 कैश क्रेडिट (सीसी) खातों के मामले में फिनेकल प्रणाली में दर्ज नहीं किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि सीसी सीमाएं स्टॉक/ देनदारों के हाइपोथीकेशन के माध्यम से मुख्य रूप से सुरक्षित थीं। यह भी देखा गया कि 23 खातों के मामले में, प्राथमिक सुरक्षा का मूल्य, स्वीकृत सीमा के 1,038 प्रतिशत और 1,90,533 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया था।

फिनेकल प्रणाली में गलत डेटा दर्ज करने से डेटा बेस अविश्वसनीय हो गया था।

#### ***xi) उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के केवाईसी को अद्यतन न करना***

आरबीआई ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों और संस्थाओं<sup>77</sup> के लिए कम से कम प्रत्येक दो वर्ष में पूर्ण रूप से 'नो योअर कस्टमर' (केवाईसी) का उपयोग करने का (जुलाई 2013 में) निर्देश दिया।

तथापि, डेटा विश्लेषण से पता चला है कि 11,901 उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के केवाईसी का (मई 2019 तक) अद्यतन नहीं किया गया था। डेटा के सामय-वार विश्लेषण से पता चला कि 11,901 ग्राहकों में से, 2,006 ग्राहकों के मामले में, केवाईसी अद्यतन तीन साल से अधिक समय से लंबित था।

उच्च-जोखिम वाले ग्राहकों के केवाईसी अद्यतन के अभाव में, बैंक द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए आपराधिक तत्वों द्वारा, जानबूझकर या अनजाने में, केवाईसी दिशानिर्देशों का उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सकता है।

जवाब में, प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि वह व्यवसाय इकाइयों के साथ मामलों का अनुसरण कर रहा है।

#### ***xii) वरिष्ठ नागरिकों की सावधिजमा के स्वतः नवीकरण पर ब्याज की अधिमाम्य दर का अनुप्रयोग न करना***

बैंक की नीति के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के घरेलू सावधिजमा, अन्य सावधिजमाओं पर लागू होने वाली सामान्य दर से, 0.50 प्रतिशत अधिक अतिरिक्त दर अर्जित करेंगे।

<sup>76</sup> एक करोड़ और ष्पांच करोड़ के बीच स्वीकृत सीमा वाले 2,933 खातों

<sup>77</sup> आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जोखिम की धारणा के मापदंडों पर विचार करते हुए जैसे व्यवसाय गतिविधि की प्रकृति, ग्राहक का स्थान, भुगतान का तरीका, कारोबार की मात्रा, सामाजिक और वित्तीय स्थिति आदि के लिए, प्रत्येक बैंक को, ग्राहकों को कम, मध्यम और उच्च जोखिम में वर्गीकृत करना आवश्यक है

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इस तथ्य के बावजूद कि ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे, स्वतः नवीकरण किए गए सावधि जमा पर 0.50 फीसदी की अतिरिक्त ब्याज दर लागू नहीं की गई थी।

प्रबंधन ने (अगस्त 2019 में) कहा कि फिनेकल वेंडर के साथ इस मामले को उठाया गया है।

### **xiii) फिनेकल प्रणाली में प्रतिभूति के मूल्यांकन की तारीख को दर्ज न करना**

आय प्राप्ति परिसम्पत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर, आरबीआई के विवेकपूर्ण मानकों के संदर्भ में, बैंक के पक्ष में प्रभारित सहायक प्रतिभूतियों को तीन वर्षों में एक बार मूल्यांकित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंक की क्रेडिट नीति यह निर्धारित करती है कि प्राथमिक या सहायक प्रतिभूति के रूप में बैंक को गिरवी रखी गई संपत्ति का नया मूल्यांकन प्रत्येक तीन वर्षों के बाद किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फिनेकल प्रणाली में प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की वास्तविक तारीखों को अंकित नहीं किया गया था, जिसके अभाव में, प्रबंधन प्रतिभूति मूल्यांकन पर एमआईएस के माध्यम से नियंत्रण का प्रयोग नहीं कर सकता था।

यह इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि 14 एनपीए खातों<sup>78</sup> के मामले में, फिनेकल प्रणाली में पकड़ी गई प्रतिभूतियों के मूल्यों को फिनेकल प्रणाली में उनके प्रवेश की तारीख से तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अद्यतन नहीं किया गया है, जिससे नियामक के मानकों का उल्लंघन होता है।

### **4.7.7 ऋण खातों का पुनर्गठन/ पुनर्निर्धारण**

आरबीआई के दिशानिर्देश उन मामलों में ऋणों के पुनर्भुगतान की शर्तों के पुनर्निर्धारण की अनुमति देते हैं जहां उधारकर्ताओं को आंतरिक और बाहरी कारकों के कारण दायित्वों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दिशानिर्देश, ऋणों के पुनरुद्धार को सक्षम बनाने के उद्देश्य से हैं और इन पर विचार इकाइयों की व्यवहार्यता का आकलन करने और पुनर्भुगतान की निश्चितता का पता लगाने के बाद ही किया जाना चाहिए। बैंक नियमित रूप से उनके वित्तीय विवरणों की जांच, उन परियोजनाओं की प्रगति, जिनके लिए ऋण अग्रिम दिया गया है आदि के माध्यम से अपने उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। इसी तरह, जिन ग्राहकों को अग्रिम ऋण दिए हैं और वे ऋणदाताओं के संघ का हिस्सा हैं, उन्हें प्रमुख बैंकों के माध्यम से अनुसरण किया जाता है। बैंक की ऋण नीति यह बताती है कि ऋण

<sup>78</sup> 37 एनपीए खातों में से नमूना-जांच की गई

परिसंपत्तियों के पुनर्गठन के मामले में, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को अगले उच्च प्राधिकारी को बैंक पदानुक्रम में अपने पुनर्गठन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करना होता है।

2014-18 के दौरान, बैंक ने 32,893 ऋण खातों का पुनर्गठन किया, जिसमें ₹5,765.64 करोड़ की राशि शामिल थी। इनमें से, ₹1,906.62 करोड़ (33 प्रतिशत) वाले 1,780 खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां में डाउनग्रेड किया गया और अंततः 79 पुनर्गठन खातों को बंद कर दिया गया, जिसमें ₹344.85 करोड़ की राशि शामिल थी।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि उसे सितंबर 2014 में प्राकृतिक आपदाओं और जुलाई 2016 में अशांति के कारण राज्य में अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो का पुनर्गठन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि 2014 में पुनर्वासित कुछ खाते जुलाई 2016 में सामाजिक अशांति के कारण नकदी प्रवाह के बेमेल के परिणामस्वरूप, एनपीए श्रेणी में चले गए और बैंक, एनपीए ऋण खातों का अनुसरण कर रहा है।

बैंक का जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि जुलाई 2016 में प्रभावित खातों को 2016 के विशेष पुनर्वास पैकेज के अनुसार फिर से पुनर्गठित किया गया था और उनके बेमेल नकदी प्रवाह की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफ में की गई है।

#### 4.7.7.1 दंगों/ उपद्रव से प्रभावित कर्जदारों को पुनर्वास पैकेज

जम्मू और कश्मीर सरकार ने (नवंबर 2016 में) राज्य को, 8 जुलाई 2016 से 15 नवंबर 2016 तक "उपद्रव से प्रभावित घोषित किया। अशांति/ उपद्रव के कारण, प्रभावित कर्जदारों को राहत प्रदान करने के लिए, आरबीआई ने (दिसंबर 2016 में) सलाह दी कि 7 जुलाई 2016 तक के सभी उधारी खातों, जो अतिदेय<sup>79</sup> थे, को छोड़कर, पुनर्गठन के लिए विचार किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, बैंक ने पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत, जनवरी और मार्च 2017 के बीच, ₹3,265.83 करोड़ के 36,132 उधार खातों का पुनर्वास/ पुनर्गठन किया। लेखापरीक्षा ने ₹5 करोड़ और उससे अधिक के बकाया शेष वाले उधारकर्ताओं के सभी 64 मामलों की जाँच की जिनका पुनर्वास किया गया था। उन्होंने ₹333.24 करोड़ की राशि वाले दस अपात्र उधार खातों<sup>80</sup> को शामिल किया,

पुनर्गठित ऋणों को डाउनग्रेडिंग और बंद करने से पता चलता है कि पुनर्गठन के माध्यम से ऋणों के पुनरुद्धार का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ था।

<sup>79</sup> किसी भी क्रेडिट सुविधा के अंतर्गत, बैंक की किसी भी बकाया राशि अतिदेय है यदि उसको बैंक द्वारा तय की गई नियत तारीख पर भुगतान नहीं किया जाता है

<sup>80</sup> मैसर्स हिमालयन रोलिंग स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (2 अकाउंट्स), मैसर्स एचके सीमेंट इंडस्ट्रीज (2 अकाउंट्स), मैसर्स मैगपाई हाइडल कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स वैली फ्रेश कोल्ड चैन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स कश्मीर प्रीमियम एप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स पिनेकल रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (2 अकाउंट्स) और मैसर्स एल्पाइन फ्रेश (पी) लिमिटेड

जो 7 जुलाई 2016 को अतिदेय थे, लेकिन इस पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत शामिल किए गए थे।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए, बैंक ने प्राकृतिक आपदाओं पर आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार पुनर्वास पैकेज लिया। इस प्रकार, बैंक ने यह सुनिश्चित किया कि 7 जुलाई 2016 तक की सभी बकाया राशि को निपटाया गया था और केवल उन्हीं खातों का पुनर्वास किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा बताया गए विशिष्ट दस अयोग्य उधारकर्ताओं के लिए बैंक ने अपनी टिप्पणी की प्रस्तुत नहीं की, जिन्हें पुनर्वास के लिए भी माना गया था।

#### 4.7.8 प्रधान मंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत पुनर्गठित खातों के लिए ब्याज माफी

जम्मू और कश्मीर राज्य में सितंबर 2014 की बाढ़ के दौरान प्रभावित हुए व्यापारियों/ स्वरोजगार/ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि की आजीविका की बहाली के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, 'प्रधान मंत्री विकास पैकेज' के अंतर्गत 7 नवंबर 2015 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा ब्याज माफी के लिए योजना की घोषणा की गई थी। तदनुसार, भारत सरकार ने योजना के अंतर्गत (25 अप्रैल 2016) को ₹800 करोड़ जारी किए। चूंकि जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर राज्य स्तरीय बैंकर समिति (जेकेएसएलबीसी) का संयोजक है, बैंक के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा इस योजना को कार्यान्वित और निगरानी की जानी थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने (29 अप्रैल 2016) को मंजूरी दी कि:

- i. 1 सितंबर 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक की अवधि के लिए, सितंबर 2014 की बाढ़ के बाद विशेष पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत पुनर्गठित खातों के मामले में 50 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज में छूट, प्रति यूनिट रूपांच लाख की उच्चतम सीमा के साथ; तथा
- ii. 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक इन पुनर्गठित खातों को पांच प्रतिशत ब्याज माफी प्रदान करने का प्रावधान, प्रति वर्ष प्रति बिज़नेस यूनिट ₹5 लाख की उच्चतम सीमा के साथ।

#### पुनर्गठित खातों में ब्याज माफी प्रदान करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बैंक ने 1 सितंबर 2014 से 31 दिसंबर 2015 के बीच 11,449 खातों के लिए प्रभारित ब्याज की 50 प्रतिशत की सीमा तक माफी प्रदान की, जो सितंबर 2014 की बाढ़ के बाद पुनर्गठित किए गए थे। हालाँकि, अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि नौ अयोग्य उधारकर्ताओं के खाते जो 30 जून 2014 तक अवमानक थे, सितंबर 2014 की बाढ़ के बाद विशेष पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत

पुनर्गठित किए गए थे। इसके बाद, इन खातों को 1 सितंबर 2014 से 31 दिसंबर 2015 के दौरान प्रभारित ब्याज के 50 प्रतिशत की ब्याज माफी प्रदान की गई, जो ₹0.16 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, बैंक ने 1 जनवरी 2016 से 30 सितंबर 2018 तक इन नौ उधारकर्ताओं के खातों में ₹0.37 करोड़ की राशि के साथ पांच प्रतिशत ब्याज माफी प्रदान की।

चूंकि इन खातों को विशेष पुनर्वास पैकेज के अनुसार पुनर्गठित नहीं किया जाना था, इसलिए ₹0.53 करोड़ की राशि के लिए ब्याज माफी प्रदान करना सही नहीं था।

#### 4.7.9 एकमुश्त निपटान

बैंक ने अपने एनपीए स्तर को कम करने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत समझौता/ बातचीत निपटान और राइट-ऑफ के माध्यम से एनपीए की वसूली के लिए एक नीति<sup>81</sup> बनाई थी। 2014-2018 के दौरान, ओटीएस के अंतर्गत निपटाए गए मामलों की स्थिति, वसूली की गई राशि और छूट (मूलधन और ब्याज) को नीचे तालिका-4.11 में दर्शाया गया है:

तालिका-4.11: एकमुश्त निपटान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निपटाए गए मामलों की संख्या	बकाया शेष		समझौता राशि		माफ कर दी राशि	
		एनपीए	अनपेक्षित ब्याज	एनपीए	अनपेक्षित ब्याज	एनपीए	अनपेक्षित ब्याज
2013-14	1,456	70.02	24.73	59.12	3.64	10.90	21.09
2014-15	1,008	47.89	27.63	44.33	3.39	3.56	24.24
2015-16	1,362	95.47	40.17	75.38	5.44	20.09	34.73
2016-17	1,326	619.95	298.66	547.00	16.26	72.95	282.40
2017-18	2,989	547.35	405.76	388.44	8.78	158.91	396.97
<b>कुल</b>	<b>8,141</b>	<b>1,380.68</b>	<b>796.95</b>	<b>1,114.27</b>	<b>37.51</b>	<b>266.41</b>	<b>759.43</b>

(स्रोत: बैंक द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बैंक ने, एक मुश्त निपटान (ओटीएस) योजना के तहत, 2014-18 के दौरान, ₹2,177.63 करोड़ (एनपीए: ₹1,380.68 करोड़; अनपेक्षित ब्याज: ₹796.95 करोड़) के बकाया शेष राशि सहित, 8,141 एनपीए मामलों को निपटाया और ₹1,151.78 करोड़ (एनपीए: ₹1,114.27 करोड़; अनपेक्षित ब्याज: ₹37.51 करोड़) समझौता/ बातचीत निपटान के माध्यम से वसूल किए और ₹1,025.84 करोड़ (मूलधन राशि: ₹266.41 करोड़; अनपेक्षित ब्याज: ₹759.43 करोड़)

<sup>81</sup> नीति के अनुसार प्राप्त ओटीएस अनुरोध विभिन्न मापदंडों पर किए जाते हैं और अंतिम निपटान राशि अनुरोधों द्वारा प्राप्त अंकों की मात्रा पर निर्भर होती है। न्यूनतम निपटान राशि एनपीए की मूल राशि के 100 प्रतिशत से भिन्न हो सकती है जो किसी भी राशि की वसूली के लिए संभव हो सकती है

का परित्याग किया जो क्रमशः मूलधन (19.30 प्रतिशत) और अनपेक्षित ब्याज (95.29 प्रतिशत) के बकाया शेष राशि का 47.11 प्रतिशत था।

#### 4.7.9.1 एकमुश्त निपटान मामलों का अध्ययन

21 एकमुश्त निपटान (ओटीएस) मामलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जहां बकाया राशि ₹एक करोड़ से अधिक थी) ने खुलासा किया कि निम्नलिखित चार मामलों में, बैंक ने वसूली नीति का विचलन करते हुए, ₹17.97 करोड़ की मूल राशि का त्याग किया।

क्र. सं.	ओटीएस मामले	संक्षिप्त अवलोकन
1.	मैसर्स ओरियंटल ट्राइमेक्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> <li>बैंक ने मैसर्स ओरियंटल ट्राइमेक्स लिमिटेड (कंपनी) के पक्ष में ₹11.60 करोड़ की एक सीसी सीमा को (दिसंबर 2000 में) मंजूरी दी, जिसे (दिसंबर 2012 में) बढ़ाकर ₹25 करोड़ कर दिया। बैंक ने, आईएलसी/एफएलसी ₹1.60 करोड़, बीजी ₹1 करोड़ और ₹3.40 करोड़ का सावधि ऋण भी कंपनी के पक्ष में मंजूर किया।</li> <li>कंपनी ने क्रेडिट सुविधाओं की अदायगी में चूक की और बैंक ने खाते को (मार्च 2016 में) एनपीए घोषित कर दिया। कंपनी के प्रति अगस्त 2017 की समाप्ति पर बकाया राशि, ₹33.56 करोड़ (₹27.22 करोड़ का एनपीए और ₹6.34 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज) थी।</li> <li>कंपनी ने ₹12 करोड़ की कुल राशि के साथ, ओटीएस के लिए बैंक को (अगस्त 2017 में) प्रस्ताव दिया, जिसे बैंक ने स्वीकार कर लिया।</li> <li>बैंक की वसूली नीति के अनुसार, ओटीएस के अंतर्गत ₹20.41 करोड़<sup>82</sup> की न्यूनतम वसूली की जानी थी। हालाँकि, बैंक ने ₹12 करोड़ स्वीकार करके मामले को सुलझा दिया और ओटीएस को मंडल से अनुमोदित करवा लिया। बैंक ने इस दलील पर विचलन को उचित ठहराया कि प्रतिभूति के उपलब्ध मूल्य में उसका हिस्सा ₹9.69 करोड़ था।</li> <li>बैंक में बन्धक रखे होने के बावजूद, संयंत्र और मशीनरी का वास्तविक मूल्य (31 मार्च 2017 तक ₹12.58 करोड़ का बुक वैल्यू) निपटान के समय नहीं माना गया था।</li> <li>बैंक की वसूली नीति के अनुसार, अग्रिम के समय, इसके मूल्यांकन की तुलना में, ओटीएस पर विचार करते समय संपत्तियों के मूल्यांकन में भारी बदलाव की जांच की जानी थी।</li> <li>तथापि, बैंक ने इस तथ्य के बावजूद, संपत्ति के मूल्यांकन में भिन्नता</li> </ul>

<sup>82</sup> ₹27.22 करोड़ का 75 प्रतिशत

क्र.	ओटीएस	संक्षिप्त अवलोकन
		<p>की जांच नहीं की थी कि अग्रिम के समय प्रतिभूतियों का मूल्य ₹42.55 करोड़<sup>83</sup> था जो निपटान के समय घटकर ₹19.38 करोड़<sup>84</sup> पर आ गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>इस प्रकार, बैंक की वसूली नीति के विचलन में एक मुश्त निपटान को मंजूरी देने के परिणामस्वरूप, ₹8.41 करोड़ की मूल राशि को छोड़ दिया गया।</li> </ul>
2.	मैसर्स जैन ऑटोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> <li>बैंक ने संयंत्र और मशीनरी, औजार और उपकरणों आदि की बन्धक प्राथमिक प्रतिभूति के प्रति, मैसर्स जैन ऑटो क्रॉफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) के पक्ष में ₹5.61 करोड़ की सीसी सीमा, ₹0.50 करोड़ का सावधि ऋण और ₹6.26 करोड़ की मूल्य वाली चार अचल संपत्तियों के (मार्च 2013 में) गिरवी रखने की सहायक प्रतिभूति को (मई 2013 में) संस्वीकृत किया। इसके अतिरिक्त, निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी और चार व्यक्तियों की तीसरे पक्ष की गारंटी भी प्राप्त की गई थी।</li> <li>कंपनी ने अदायगी में चूक की और बैंक ने कंपनी के खातों को एनपीए के रूप में (मार्च 2017 में) वर्गीकृत किया। कंपनी के प्रति अक्टूबर 2017 के अंत में बकाया राशि, ₹9.17 करोड़ (₹8.19 करोड़ का एनपीए और ₹0.98 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज) थी।</li> <li>बैंक ने ओटीएस के अंतर्गत (दिसंबर 2017 में) इस खाते का ₹6.15 करोड़ में निपटाया।</li> <li>बैंक की वसूली नीति के अनुसार, न्यूनतम ₹8.19 करोड़<sup>85</sup> की वसूली की जानी थी।</li> <li>बैंक ने ₹6.15 करोड़ स्वीकार करके मामले को निपटा लिया और ओटीएस को निदेशक मंडल से अनुमोदित करवा लिया। बैंक ने इस दलील पर विचलन को उचित ठहराया कि उपलब्ध प्रतिभूति का वास्तविक मूल्य ₹5.87 करोड़ था। हालाँकि, निपटान के समय गारंटियों की कुल संपत्ति ₹5 करोड़ थी, इस तथ्य के बावजूद भी व्यक्तिगत गारंटी पर विचार नहीं किया गया था।</li> <li>इस प्रकार, बैंक की वसूली नीति के उल्लंघन में एक मुश्त निपटान को मंजूरी देने के परिणामस्वरूप, ₹2.04 करोड़ की मूल राशि का परित्याग कर दिया गया।</li> </ul>
3.	मैसर्स हिंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> <li>बैंक ने ओखला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति जिसका मूल्य (जून 2011 में) ₹43.62 करोड़ था के साम्पिक बंधक के प्रति, मैसर्स हिंद एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कॉर्पोरेट गारंटी और उधारकर्ता कंपनी के</li> </ul>

<sup>83</sup> जून 2012/ जनवरी 2013 की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार

<sup>84</sup> जनवरी 2017 की मूल्यांकन रिपोर्ट

<sup>85</sup> एनपीए बकाया का 100 प्रतिशत

क्र.	ओटीएस	संक्षिप्त अवलोकन
		<p>प्रवर्तक निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी के प्रति, मैसर्स हिंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में ₹40 करोड़ रुपये के सावधि ऋण को (जुलाई 2011 में) स्वीकृत किया।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• बैंक ने नरीमन पॉइंट मुंबई में स्थित अचल संपत्ति जिसका मूल्य (जून 2010 में) ₹20.13 करोड़ था, के साम्पिक बंधक के रूप में प्राथमिक प्रतिभूति के प्रति, मैसर्स हिंद एयर लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड<sup>86</sup> के पक्ष में ₹10.60 करोड़ का सावधि ऋण मंजूर किया और कंपनी की वर्तमान परिसंपत्तियों के हाइपोथिकेशन के माध्यम से सहायक प्रतिभूति कंपनी की कॉर्पोरेट गारंटी एवं प्रवर्तक निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी दी।</li> <li>• इसके अतिरिक्त, बैंक ने मैसर्स इंटीग्रेटेड लाइवस्टॉक विलेज फार्म प्राइवेट लिमिटेड<sup>87</sup> के पक्ष में ₹15.60 करोड़ की नकद क्रेडिट सीमा को (जुलाई 2012 में) मंजूरी दी। स्टॉक के हाइपोथीकेशन और कंपनी की वर्तमान परिसंपत्तियों के माध्यम से प्राथमिक प्रतिभूति के प्रति सुविधा को बढ़ाया गया था और अलीगढ़ में स्थित कृषि भूमि, जिसका मूल्य (जनवरी 2011 में) ₹6.20 करोड़ था इसे गिरवी के माध्यम से संपार्श्विक रूप से सुरक्षित किया था।</li> <li>• खातों की गैर-सर्विसिंग के कारण, बैंक ने सभी तीनों कंपनियों के खातों को एनपीए के रूप में (सितंबर 2015 में) वर्गीकृत किया। समूह की कंपनियों के प्रति फरवरी 2017 के अंत में बकाया राशि ₹59.73 करोड़ (₹45.90 करोड़ का एनपीए और ₹13.83 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज) थी।</li> <li>• बैंक ने सभी तीन कंपनियों को एक समेकित इकाई मानकर ओटीएस के अंतर्गत, सभी तीन कंपनियों के खातों को (मार्च 2017 में) ₹35 करोड़ में निपटाया।</li> <li>• वसूली नीति के अनुसार, बैंक को हिंद एयर लिंक प्राइवेट लिमिटेड के मामले में ₹4.13 करोड़<sup>88</sup> का बकाया एनपीए, मैसर्स हिंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में ₹26.17 करोड़<sup>89</sup> का बकाया एनपीए और मैसर्स इंटीग्रेटेड लाइवस्टॉक फार्म प्राइवेट लिमिटेड के मामले में ₹11.69 करोड़<sup>90</sup> का बकाया एनपीए वसूल करना अपेक्षित था।</li> <li>• अपनी वसूली नीति का विचलन करके, बैंक ने समूह की कंपनियों से वसूली की जाने वाली अपेक्षित ₹41.99 करोड़ की न्यूनतम राशि के प्रति, ₹35 करोड़ की राशि स्वीकार की। बैंक ने संपत्तियों के मूल्यांकन</li> </ul>

86 मैसर्स हिंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहयोगी संस्था

87 मैसर्स हिंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहयोगी संस्था

88 एनपीए बकाया का 100 प्रतिशत

89 एनपीए बकाया का 100 प्रतिशत

90 एनपीए बकाया का 75 प्रतिशत

क्र.	ओटीएस	संक्षिप्त अवलोकन
		<p>में भिन्नता की जांच इस तथ्य के बावजूद नहीं की थी कि अग्रिम के समय प्रतिभूतियों का मूल्य ₹57.38 करोड़<sup>91</sup> था जो निपटान के समय घटकर ₹28.09 करोड़<sup>92</sup> हो गया था, इस प्रकार छह वर्षों की अवधि में मूल्य में 51 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>इस प्रकार, बैंक की वसूली नीति में विचलन में, ओटीएस को मंजूरी देने के परिणामस्वरूप, ₹6.99 करोड़ की मूल राशि का परित्याग कर दिया।</li> </ul>
4.	मैसर्स राजेंद्र एक्सपोर्ट्स	<ul style="list-style-type: none"> <li>बैंक ने मैसर्स राजेंद्र एक्सपोर्ट्स (फर्म) के पक्ष में ₹0.90 करोड़ की एक सीसी सुविधा को (फरवरी 2012 में) मंजूरी दी जिसे आगे (नवम्बर 2012 में) ₹2 करोड़ तक बढ़ाया गया था। स्टॉक और बुक डेबिट उपप्राधीयन माध्यम से प्राथमिक प्रतिभूति के प्रति सुविधा को बढ़ाया गया था और संपत्ति के समतुल्य बंधक के रूप में सुरक्षित किया गया था, जिसका मूल्य ₹2.24 करोड़ था।</li> <li>खाते की गैर-सर्विसिंग के कारण, बैंक ने खातों को (सितंबर 2014 में) एनपीए घोषित किया।</li> <li>फर्म के प्रति फरवरी 2017 के अंत में बकाया राशि, ₹3.23 करोड़ (₹2.18 करोड़ का एनपीए और ₹1.05 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज) थी।</li> <li>वसूली नीति के अनुसार, बैंक को ओटीएस के अंतर्गत न्यूनतम ₹2.18 करोड़<sup>93</sup> की वसूली अपेक्षित थी।</li> <li>बैंक ने खाते को (अप्रैल 2017 में) ₹1.65 करोड़ में निपटाया जिससे उसकी वसूली नीति विचलन हो गई।</li> <li>बैंक ने इस तथ्य के बावजूद संपत्ति के मूल्यांकन में भिन्नता की जांच नहीं की थी कि गिरवी संपत्ति के मूल्य में कालावधि में 33 प्रतिशत<sup>94</sup> की गिरावट देखी गई थी।</li> <li>इस प्रकार, बैंक की वसूली नीति के उल्लंघन में, ओटीएस को मंजूरी देने के परिणामस्वरूप, ₹0.53 करोड़<sup>95</sup> की मूल राशि का परित्याग कर दिया।</li> </ul>
	<b>कुल</b>	<b>₹17.97 करोड़ की मूल राशि को छोड़ दिया</b>

(स्रोत: बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर गणना)

<sup>91</sup> ओखला औद्योगिक क्षेत्र में अचल संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य (जून 2011 में) ₹39.26 करोड़ रुपये और नरीमन पॉइंट मुंबई में स्थित अचल संपत्ति का वास्तविक मूल्य (जून 2010 में) ₹18.12 करोड़ है। इसमें अलीगढ़ में कृषि भूमि का मूल्य शामिल नहीं है क्योंकि निपटान के समय इसे बताया नहीं गया था

<sup>92</sup> जून 2016/ जनवरी 2017 की मूल्यांकन रिपोर्ट

<sup>93</sup> एनपीए बकाया का 100 प्रतिशत

<sup>94</sup> अग्रिम (नवंबर 2012) के समय, संपत्ति का मूल्य ₹2.24 करोड़ था और निपटान (जनवरी 2017) के समय, इसकी कीमत ₹1.50 करोड़ थी

<sup>95</sup> ₹2.18 करोड़ माइनस ₹1.65 करोड़

#### 4.7.10 संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को अधिकारों का असाइनमेंट

एसएआरएफ़ईएसआई अधिनियम, 2002 ऐसी वित्तीय सहायता की प्राप्ति के उद्देश्य के लिए किसी वित्तीय सहायता में किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था के किसी अधिकार या हित के किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा अधिग्रहण के लिए प्रदान करता है। बैंक ने एसएआरएफ़ईएसआई अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ एनबीएफ़सी को भी प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्निर्माण कंपनियों को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए एक नीति बनाई थी।

बैंक ने 2014-18 की अवधि के दौरान संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को दस एनपीए बेचे, जबकि ₹671.10 करोड़ की मूल राशि और ₹504 करोड़ के अनपेक्षित ब्याज को छोड़ दिया जिसका विवरण नीचे तालिका-4.12 में विस्तृत है:

तालिका-4.12: संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को अधिकारों का असाइनमेंट

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बेचे गए मामले की संख्या	शेष बकाया		निपटान राशि		त्यागी गई राशि	
		एनपीए	अनपेक्षित ब्याज	एनपीए	अनपेक्षित ब्याज	एनपीए	अनपेक्षित ब्याज
2015-16	1	38.27	1.87	38.27	1.87	0	0
2016-17	3	139.03	35.60	125.83	0	13.20	35.60
2017-18	6	1,606.35	468.40	948.45	0	657.90	468.40
<b>कुल</b>	<b>10</b>	<b>1,783.65</b>	<b>505.87</b>	<b>1,112.55</b>	<b>1.87</b>	<b>671.10</b>	<b>504.00</b>

(स्रोत: बैंक द्वारा दी गई जानकारी)

बैंक द्वारा एआरसी को बेचे गए मामले की एक नमूना जांच के संबंध में, लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर नीचे चर्चा की गई है:

#### 4.7.10.1 एआरसी को आरक्षित मूल्य से नीचे वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के परिणामस्वरूप ₹21.89 करोड़ का नुकसान

बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय ने, बिक्री के लिए मैसर्स यूरोबॉन्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) के खाते की पहचान (अक्टूबर 2016 में) की, जिसके जवाब में सेल इनिसिएटिव कमिटी ने (जनवरी 2017 में) आरक्षित मूल्य को 25:75 आधार (नकद: सुरक्षा प्राप्तियां) पर ₹36.89 करोड़ निर्धारित करने की सिफारिश की। नवंबर 2016 के अंत में, कंपनी के प्रति बकाया राशि ₹73.83 करोड़<sup>96</sup> के प्रति, उपलब्ध प्रतिभूतियाँ ₹53.43 करोड़ की थी। बैंक प्रबंधन ने ₹36.89 करोड़ के आरक्षित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री/ असाइनमेंट के लिए अनुमोदन को (अक्टूबर 2017 में) मंजूरी दे दी। बैंक ने (अक्टूबर 2017 में) बोलियां आमंत्रित कीं, जिसके जवाब में ₹12 करोड़

<sup>96</sup> ₹59.22 करोड़ के एनपीए और ₹14.61 करोड़ का अनपेक्षित ब्याज

की केवल एक बोली प्राप्त हुई। बोलीदाता के साथ बातचीत के बाद, बैंक ने कंपनी की वित्तीय संपत्ति को सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (बोलीदाता) को ₹15 करोड़, नकद (25 प्रतिशत) और एसआर (75 प्रतिशत) की कीमत पर (मार्च 2018 में) बेच दिया।

स्ट्रेसड परिसंपत्ति की बिक्री पर बैंक की नीति यह निर्धारित करती है कि एआरसी को संपत्ति की बिक्री पर वसूली शुद्ध वर्तमान प्राप्त मूल्य (एनपीआरवी)/ आरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, बैंक ने ₹36.89 करोड़ के आरक्षित मूल्य के प्रति, ₹15 करोड़ के बिक्री मूल्य पर कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए बोली स्वीकार की और अपनी नीति से विचलित हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹21.89 करोड़ का नुकसान हुआ।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) जवाब दिया कि सीएफएम (एआरसी) ने ₹12 करोड़ का प्रस्ताव दिया, जो पहले ही यूको बैंक के खाते में 20 प्रतिशत ले चुके थे जो कि कंसोर्टियम में 49.26 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते थे। चूंकि जेएंडके बैंक कंसोर्टियम में 32.36 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता था, इसलिए एनपीए शेष के 25 प्रतिशत पर सीएफएम के प्रस्ताव को स्वीकार करना उचित माना गया। इसके अतिरिक्त, खाता पूरी तरह से प्रदान किया गया था और सौदे से, बैंक के पीएंडएल पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं था।

तथापि, आरक्षित मूल्य से नीचे एआरसी को वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री से ₹21.89 करोड़ का नुकसान हुआ और बैंक की दलील कि खाता पूरी तरह से प्रदान किया गया था और बैंक के पीएंडएल पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि पहले के वर्षों के लिए बैंक के पीएंडएल को प्रभार करके खातों में प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, बैंक आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर वित्तीय संपत्ति बेचने के लिए किसी भी दायित्व के अंतर्गत नहीं था।

#### 4.7.11 निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियाँ<sup>97</sup> और गैर-एसएलआर निवेश<sup>98</sup> शामिल थे। 2014-2018 के दौरान निवेश की स्थिति **परिशिष्ट-4.1.4** में विस्तृत है

बैंक को आरआईडीएफ/ नाबाई/ एसआईडीबीआई के अंतर्गत धन का निवेश करना था क्योंकि यह प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहा।

<sup>97</sup> भारत सरकार का प्रतिभूतियों में निवेश, बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किया गया और बाजार स्थिरीकरण योजना, भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों, राज्य सरकारों के राज्य विकास ऋण बाजार-उधार कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किए गए

<sup>98</sup> पीएसयू बांड, कॉर्पोरेट ऋणपत्र, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) जमा का प्रमाण पत्र (सीडी) आदि गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में शामिल हैं

- 31 मार्च 2013 तक, कुल निवेश (एसएलआर और गैर-एसएलआर) ₹25,770.83 करोड़ के प्रति, 31 मार्च 2018 तक, ₹22,036.41 करोड़ था।
- एसएलआर निवेश मार्च 2013 के अंत में ₹14,067.43 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2018 के अंत में ₹17,201.97 करोड़ हो गया, जिसमें 22.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2014-18 के दौरान एसएलआर निवेश पर वार्षिक रिटर्न 7.57 प्रतिशत और 8.60 प्रतिशत के बीच था।
- मार्च 2013 के अंत में, गैर-एसएलआर निवेश ₹11,703.40 करोड़ से घटकर मार्च 2018 के अंत में ₹4,834.44 करोड़ रह गया जिस पर 58.69 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। गैर-एसएलआर निवेश से वार्षिक रिटर्न 2013-14 में 8.87 प्रतिशत था, जो 2017-18 के दौरान घटकर 6.09 प्रतिशत हो गया।
- बैंक ने 2014-2018 के दौरान ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)/ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड)/ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (एसआईडीबीआई) के अंतर्गत, ₹10,971.30 करोड़ पर 4.45 प्रतिशत से 5.43 प्रतिशत के बीच रिटर्न की दर रखी थी।
- निवेश पर कुल वार्षिक आय 2013-14 में 8.06 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 7.26 प्रतिशत हो गई।

#### 4.7.11.1 गैर-निष्पादित निवेश

एक गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) वह है जिसमें ब्याज/ किस्त (परिपक्वता आय सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहती है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान एनपीआई की गतिविधि को नीचे तालिका-4.13 में दर्शाया गया है:

तालिका-4.13: गैर-निष्पादित निवेशों की गतिविधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1. प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कुल एनपीआई	95.96	144.61	251.24	369.53	569.67
2. वर्ष के दौरान योग	48.80	108.33	209.11	227.95	167.69
<b>3. कुल</b>	<b>144.76</b>	<b>252.94</b>	<b>460.35</b>	<b>597.48</b>	<b>737.36</b>
4. एनपीआई का रिटर्न ऑफ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. वसूली की गई					
(क) पूरे में	0	1.70	90.82	27.81	0.00
(ख) निपटान / बिक्री के माध्यम से	0.15	0	0	0	84.14
(ग) ओटीएस के अंतर्गत माफ की गई राशि	0	0	0	0	0.00
<b>6. कुल समायोजन (4+5)</b>	<b>0.15</b>	<b>1.70</b>	<b>90.82</b>	<b>27.81</b>	<b>84.14</b>
7. प्रत्येक वर्ष के अंत में कुल एनपीआई (3-6)	144.61	251.24	369.53	569.67	653.22
8. प्रत्येक वर्ष के अंत में सकल निवेश	26,215.85	25,126.14	22,882.80	23,553.88	22,036.41

(स्रोत: बैंक द्वारा दी गई जानकारी)

2013-14 से 2017-18 के दौरान, एनपीआई मार्च 2013 के अंत में ₹95.96 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2018 के अंत में ₹653.22 करोड़ हो गया था, जबकि निवेश मार्च 2014 के अंत में ₹26,215.85 करोड़ से घटकर, मार्च 2018 के अंत में ₹22,036.41 करोड़ हो गया था। 2014-2018 के दौरान, बैंक ने ₹204.62 करोड़ की वसूली की थी। 2014-2018 के दौरान, कुल एनपीआई के प्रतिशत के रूप में एनपीआई की वसूली 0.10 प्रतिशत और 19.73 प्रतिशत के बीच रही।

#### 4.7.11.2 गैर-निष्पादित निवेश मामलों का अध्ययन

एनपीआई के मामलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में, अविवेकी निवेश के निर्णयों के कारण, राज्य सरकार की गारंटी को इन्वोक न करना और बैंक के हितों की गैर-सुरक्षा; जिसके कारण 28 एनपीआई मामलों में से चार<sup>99</sup> नमूना जांच किए गए मामलों में ₹180.43 करोड़ की संदिग्ध वसूली हुई, जैसा की नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	एनपीआई के मामले	तथ्य
1.	मैसर्स एल्डर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में सुरक्षित विमोच्य नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) में (दिसम्बर 2010) ₹20 करोड़ का निवेश, जिसमें 10.75 प्रतिशत की ब्याज दर पर अर्धवार्षिक में देय और मूल राशि 12 तिमाही किश्तों में चुकानी थी।	<ul style="list-style-type: none"> <li>उधारकर्ता की अचल संपत्तियों पर पहले प्रभार द्वारा सुरक्षित निवेश।</li> <li>कंपनी ने 23 मार्च 2013, 23 जून 2013 और 23 सितंबर 2013 को मूलधन की पहली तीन तिमाही किश्तों का भुगतान नहीं किया।</li> <li>23 जून 2013 को देय छमाही ब्याज भुगतान में चूक कर दि गई थी और निवेश को (सितंबर 2013 में) एनपीआई घोषित किया गया था।</li> <li>बाहरी रेटिंग एजेंसी (मैसर्स केयर) ने निवेश की पर्याप्त सुरक्षा को दर्शाते हुए सुरक्षा रेटिंग 'ए+' दी थी।</li> <li>बैंक की आंतरिक रेटिंग ठीक नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप, मध्यम सुरक्षा के कम स्कोर के बजाय, उच्च स्कोर (पर्याप्त सुरक्षा) प्रदान किया गया था।</li> <li>निवेश नीति के अनुसार, बाहरी एजेंसी द्वारा ऋणपत्र के लिए प्रवेश स्तर न्यूनतम रेटिंग ए(+) और ऊपर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, निवेश का प्रस्ताव बैंक की आंतरिक रेटिंग प्रणाली के अधीन था।</li> <li>बैंक बाहरी रेटिंग के साथ आंतरिक रेटिंग की समता सुनिश्चित नहीं कर सका।</li> </ul>

<sup>99</sup> 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 5.1 में पहले से ही टिप्पणी की गई मैसर्स डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड (कंपनी) के वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) में ₹48.37 करोड़ के निवेश पर केस अध्ययन शामिल है

क्र. सं.	एनपीआई के मामले	तथ्य
2.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फ़ाइनेंषियल कॉर्पोरेशन (जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार का उपक्रम) के एसएलआर बांड्स में ₹सात करोड़ <sup>100</sup> का निवेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>बांड्स को, जम्मू और कश्मीर सरकार (जीओजेके) की गारंटी के माध्यम से सुरक्षित किया गया था।</li> <li>ब्याज भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर निगम द्वारा किया जाना था और परिपक्वता की तिथि पर मूलधन चुकाना था।</li> <li>निगम पुनर्भुगतान करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप, बैंक ने निवेश को (सितंबर 2012 में) एनपीआई घोषित कर दिया।</li> <li>जून 2016 के अंत तक, कुल बकाया ₹9.14 करोड़ (मूलधन ₹7 करोड़ और ब्याज ₹2.14 करोड़) था।</li> <li>बैंक ने पूर्ण मूलधन और उस पर उपार्जित ब्याज की अदायगी के लिए राज्य सरकार की गारंटी को इन्वोक नहीं किया।</li> <li>₹9.14 करोड़ के कुल बकाया के प्रति, ₹7 करोड़ को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार करते हुए खाते का निपटान किया गया।</li> <li>₹2.14 करोड़ के देय ब्याज का परित्याग।</li> </ul>
3.	मैसर्स लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डीप डिस्काउंट कन्वर्टिबल डिबेंचरो (डीडीसीडी) में (मई 2010 में) ₹100 करोड़ <sup>101</sup> का निवेश ।	<ul style="list-style-type: none"> <li>बाहरी रेटिंग एजेंसी (मैसर्स केयर) ने प्रमोटर कंपनी, मैसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड पर 'पुट ऑप्शन' के वादे के आधार पर पर्याप्त सुरक्षा रेटिंग- 'A+'<sup>102</sup> दी भी।</li> <li>केवल ₹0.50 करोड़ मूल्य की एक एकड़ भूमि पर गिरवी रखकर ₹100 करोड़ का निवेश सुरक्षित किया गया था।</li> <li>असुरक्षित वित्तीय साधनों में निवेश के लिए बैंक के पास कोई विशिष्ट नीति/ दिशानिर्देश नहीं थे।</li> <li>डीडीसीडी को 12 मई 2015 में 10.75 प्रतिशत ब्याज दर पर वार्षिक विमोच्य गैर-परिवर्तनीय डिबेन्चरो (एनसीडी) में (अगस्त 2010 में) परिवर्तित किया गया।</li> </ul>

<sup>100</sup> 20 फरवरी 2012 की परिपक्वता तिथि के साथ ब्याज दर 8.30 प्रतिशत पर ₹तीन करोड़ के अंकित मूल्य के बांडों, 26 जुलाई 2012 की परिपक्वता की तारीख के साथ ब्याज दर 7.92 प्रतिशत पर ₹दो करोड़ अंकित मूल्य के बांडों और 12 मार्च 2013 की परिपक्वता तिथि के साथ ब्याज दर 6.50 प्रतिशत पर ₹दो करोड़ के अंकित मूल्य के बांडों में निवेश

<sup>101</sup> ₹छ: करोड़ की छूट पर

<sup>102</sup> इस रेटिंग के साथ साधन ऋण दायित्वों की समय पर सर्विसिंग के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं

क्र. सं.	एनपीआई के मामले	तथ्य
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रस्ताव के समापन की तारीख से बैंक के पास 39वें, 48वें और 60वें महीने के अंत में या अनुबंध की सामग्री भंग होने पर यदि 60 दिनों के भीतर ठीक नहीं होने पर मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए 'पुट ऑप्शन' का प्रयोग करने का अधिकार था।</li> <li>• कंपनी ने अगस्त 2011 तक ब्याज भुगतान किया और आगे ब्याज का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए 'पुट ऑप्शन' के प्रयोग न करने का अनुरोध किया।</li> <li>• पुट ऑप्शन न लेने की एवज में, ब्याज की दर 10.75 प्रतिशत प्रति वर्ष से बढ़ाकर 12.50 प्रतिशत कर दी।</li> <li>• कंपनी फरवरी 2015 को देय ब्याज का भुगतान नहीं कर सकी और बैंक ने 60वें महीने में उपलब्ध पुट ऑप्शन का प्रयोग किया।</li> <li>• कंपनी ने एनसीडी के पुनर्भुगतान में असमर्थता व्यक्त की, बैंक ने एनसीडी को (जून 2015 में) एनपीआई घोषित किया।</li> <li>• निवेश को एआरसी को (अक्टूबर 2018 में) ₹13.50 करोड़ में बेच दिया गया था।</li> <li>• बैंक को बिक्री में ₹130.87 करोड़ (मूलधन: ₹82.89 करोड़ और ब्याज: ₹47.98 करोड़) का नुकसान हुआ।</li> </ul>
4.	मैसर्स डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड (कंपनी) के वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) में ₹48.37 करोड़ का निवेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>• आरबीआई के दिशा-निर्देशों के विचलन में (27 मार्च 2012 में) निवेश किया गया था क्योंकि बैंक द्वारा सीपी का आंतरिक क्रेडिट विश्लेषण नहीं किया गया था और यह मैसर्स क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई) द्वारा 'A1+'<sup>103</sup> की बाहरी रेटिंग पर निर्भर था।</li> <li>• सीपी ₹50 करोड़ की परिपक्वता मूल्य के साथ मोचन के लिए (26 जून 2012 में) देय थे।</li> <li>• कंपनी मोचन राशि का भुगतान करने में विफल रही और बैंक ने निवेश को (सितंबर 2012 में) गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के रूप में घोषित किया।</li> <li>• बैंक ने (नवंबर/ दिसंबर 2012 में) डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल-1 (डीआरटी), मुंबई में बकाया की वसूली के लिए आवेदन</li> </ul>

<sup>103</sup> इस रेटिंग के साथ साधन ऋण दायित्वों की समय पर सर्विसिंग के लिए सुरक्षा की बहुत मजबूत डिग्री प्रदान करते हैं

क्र. सं.	एनपीआई के मामले	तथ्य
		<p>और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में समापन के लिए याचिका दायर की। अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसार, बैंक का हिस्सा ₹0.95 करोड़ था। हालाँकि, संकल्प योजना का कार्यान्वयन (अक्टूबर 2019 तक) लंबित था।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• बैंक ने मैसर्स सीएआरई द्वारा उजागर की गई बाधाओं<sup>104</sup> को नजर अंदाज कर दिया जबकि उसने कंपनी को A1+ की रेटिंग दी थी।</li> <li>• दिसंबर 2011 में समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ में 73.87 प्रतिशत की गिरावट के साथ-साथ ही दिसंबर 2010 की समाप्ति अवधि के लिए लाभ का संज्ञान बैंक ने नहीं लिया।</li> <li>• बैंक ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया कि अप्रैल 2010 के दौरान मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में ₹180 पर कारोबार करने वाली कंपनी के शेयर, दिसंबर 2011 में गिरकर ₹49.20 पर आ गए थे।</li> <li>• बैंक द्वारा कंपनी को जारी समान मूल्य ₹50 करोड़ के सीपी डिफाल्ट हो गए, जिसकी निपटान तिथि 27 मार्च 2012 थी व रोल ओवर से जो वर्तमान सीपी की प्रारम्भ तिथि है। इसने संकेत दिया कि सीपी का ताज़ा निर्गम कंपनी के पहले सीपी में पुनर्भुगतान की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए धन मुहैया कराने का एक नवीकरण या साधन था।</li> <li>• इस प्रकार, आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सीपीमें निवेश और सीएआरई की रेटिंग पर पूरी निर्भरता रखने के कारण, ₹47.42<sup>105</sup> करोड़ की संदिग्ध वसूली हुई।</li> </ul>
	<b>कुल</b>	<b>संदिग्ध वसूली/ हानि: ₹180.43 करोड़</b>

(स्रोत: बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर गणना)

<sup>104</sup> उच्च संग्रह के दिनों में कार्यशील पूंजी चक्र की ओर अग्रसर, लाभप्रदता मार्जिन में गिरावट और निहित उद्योग जोखिम, आंध्र प्रदेश में अपने प्रकाशन व्यवसाय के लिए राजनीतिक अनिश्चितता, मार्च 2010 और मार्च 2011 के बीच वर्तमान अनुपात और त्वरित अनुपात में गिरावट आई और कंपनी ने 2010-11 में प्रकाशन प्रभाग में 11.15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जो कंपनी का मुख्य व्यवसाय था

<sup>105</sup> ₹48.37 करोड़ - ₹0.95 करोड़

#### 4.7.12 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

सभी वाणिज्यिक बैंकों को समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर पर समायोजित निवल बैंक क्रेडिट (एएनबीसी)<sup>106</sup> के 40 प्रतिशत पर प्राथमिकता क्षेत्र<sup>107</sup> को ऋण देने के लिए आरबीआई द्वारा सलाह दी जाती है। प्राथमिकता क्षेत्र के लिए विस्तारित अग्रिमों का विवरण **परिशिष्ट-4.1.5** में दिया है।

कृषि क्षेत्र को ऋण देने में, 2014-2018 के दौरान सभी वर्षों में कमी रही थी। सबसे अधिक कमी ₹4,601.56 करोड़ (2016-17 में) और सबसे कम ₹1,815.63 करोड़ (2017-18 में) थी। सूक्ष्म और लघु और अन्य उद्यम क्षेत्र के अंतर्गत, कमी 2013-14 के दौरान ₹828.72 करोड़ (लक्ष्य का 14.57 प्रतिशत) की कमी थी। 2016-17 के दौरान कमजोर वर्गों के लिए ऋण देने में ₹756.20 करोड़ (लक्ष्य का 13.81 प्रतिशत) की कमी देखी गई।

बैंक ने वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था और 2013-2018 के दौरान, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत एनपीए की गतिविधि से संबंधित डेटा नहीं रखा था। मार्च 2014 के अंत में, इस क्षेत्र के अग्रिमों के लिए एनपीए अनुपात 2.28 प्रतिशत और मार्च 2018 के अंत में 4.77 प्रतिशत हो गया था।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) कहा कि बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत ऋण संवितरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। बैंक को अशांति/आपदाओं का सामना करना पड़ा, जिसे प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

राज्य में अशांति/आपदाओं के कारण प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत ऋण लक्ष्यों को प्राप्त न रकने का प्रबंधन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, 2013-14 और 2015-16 के दौरान, क्रमशः 44.06 प्रतिशत और 31.66 प्रतिशत की कमी थी, जो कि कठिन कारोबारी उद्भूत अवधि के पहले था।

#### 4.8 अनुपालन ढांचा

बैंक की गतिविधियाँ, अपने स्वयं के आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के अलावा विभिन्न नियामक और सांविधिक निकायों के अधीन और नियंत्रित की जाती हैं। बैंक में अपने स्वयं के व्यापक आंतरिक नियंत्रण हैं जैसे कि:

<sup>106</sup> कृषि क्षेत्र, समाज के कमजोर वर्ग और सूक्ष्म, लघु और अन्य उद्यम

<sup>107</sup> निवल बैंक क्रेडिट (सकल अग्रिम माइनस प्रावधान) बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर बॉन्ड में किए गए निवेश को 'हेल्ड टू मैच्योरिटी' श्रेणी में रखा गया है

- **स्टॉक लेखापरीक्षा**, जिसमें बैंक समय-समय पर, स्टॉकों के भौतिक सत्यापन के माध्यम से उधारकर्ता की क्रेडिट प्राप्त करने की क्षमता की समीक्षा करता है जिनके प्रति बैंक ने क्रेडिट बढ़ाया है;
- **ऋण लेखापरीक्षा** जिसमें बैंक ऋण का विस्तार करते समय निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन की समीक्षा करता है;
- **समवर्ती लेखापरीक्षा**, इसकी शाखा स्तर के संचालन और **जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए)** यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिचालन जोखिम स्तर स्वीकार्य सीमा के भीतर हैं।

बैंक पर बाहरी नियंत्रणों का विभिन्न अधिनियमों और नीति ढांचों<sup>108</sup> के संचालन द्वारा उपयोग किया जाता है और नियामक, अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए है। इसके अतिरिक्त, बैंक अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है जो सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सीएजी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत बैंक के खातों का अनुपूरक लेखापरीक्षा करता है।

सीएजी बैंक की अनुपालन लेखापरीक्षा भी करता है और लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण मुद्दों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से राज्य विधानमंडल को सूचित किया जाता है।

#### 4.8.1 अग्रिमों की पश्च-मंजूरी की जांच करना

बैंक आंतरिक नियंत्रण के एक भाग के रूप में नियमित आधार पर अपने अग्रिम पोर्टफोलियो की समीक्षा करता है। बैंक की क्रेडिट नीति निकट पर्यवेक्षण को निर्धारित करती है और चेतावनी संकेतों का समय पर पता लगाने और एनपीए में संभावित फिसलन से बचने के लिए निवारक उपाय करने के लिए पश्च संवितरण अग्रिमों का पालन करती है। अग्रिमों की समीक्षा के लिए प्रक्रियाओं पर नीचे चर्चा की गई है:

##### 4.8.1.1 कार्यशील पूंजी सीमाओं की गैर-आवधिक समीक्षा

बैंक कार्यविधियाँ, सभी कार्यशील पूंजी क्रेडिट सीमाओं की बकायों का नवीकरण/समीक्षा, वर्ष में कम से कम एक बार अनुमोदित करती हैं। सभी स्वीकृत कार्यशील पूंजी का नवीकरण नियत तारीखों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा और खातों में नियत तारीख के तीन महीने बाद नहीं किया जाएगा, जहां यह विशिष्ट कारणों से संभव नहीं था।

<sup>108</sup> आय प्राप्त, सम्पत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) और अग्रिम से संबंधित प्रावधान अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानक, आरबीआईए आदि पर विवेकपूर्ण मानक

बैंक ने सभी कार्यशील पूंजी (डबल्यूसी) सीमा खातों की समीक्षा/ नवीकरण नहीं किया था, जैसा कि क्रेडिट नीति में निर्धारित था। 2013-14 से 2017-18 के दौरान, खातों की समीक्षा/ नवीकरण में कमी 3,612 (2.33 प्रतिशत) और 37,126 (7.42 प्रतिशत) के बीच रही। खातों के समय-वार विश्लेषण से पता चला है कि 5,00,403 खातों में से, 3,143 खाते मार्च 2018 तक तीन महीने से अधिक समय तक असमीक्षित/ अनवीकृत रहे, जिससे इन खातों के एनपीए में फिसलन की संभावना बढ़ गई।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) कार्यशील पूंजी सीमा के नवीकरण में लम्बित में मुख्य हिस्से केसीसी को बताया जहां समीक्षा वार्षिक आधार पर होती है, लेकिन सुविधाओं का नवीकरण पांच साल बाद किया जाता है। बैंक ने कहा कि खातों की समीक्षा/ नवीकरण के लिए अनुवर्ती तंत्र को मजबूत किया गया है।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केसीसी खाते तीन महीने से अधिक समय तक असमीक्षित/ अनवीकृत रहे, जो 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान कुल कार्यशील पूंजी खातों का क्रमशः 21.96 प्रतिशत, 36.53 प्रतिशत और 30.26 प्रतिशत है।

नियत तारीख के तीन महीने के बाद ऋणों की कार्यशील पूंजी सीमाओं की गैर-समीक्षा/ नवीकरण ने, 3,143 खातों की अपर्याप्त निगरानी की और अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण का संकेत दिया।

#### 4.8.1.2 स्टॉक लेखापरीक्षा

बैंक की क्रेडिट नीति (2013) एक करोड़ और उससे अधिक की कार्यशील पूंजी की सीमा का निधि आधारित लाभ लेने वाले सभी खातों का वार्षिक स्टॉक लेखापरीक्षा<sup>109</sup> करती हैं। उन खातों में जहां कार्यशील पूंजी की सीमा ₹0.50 करोड़ और उससे अधिक है, लेकिन उच्च जोखिम के रूप में नामित, वार्षिक स्टॉक लेखापरीक्षा किया जाता है।

**तालिका-4.14**, 2013-18 के दौरान योजनाबद्ध और संचालित स्टॉक लेखापरीक्षा की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें एक करोड़ और उससे अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा है:

<sup>109</sup> जिसमें बुक डेट्स शामिल हैं

तालिका-4.14: स्टॉक लेखापरीक्षा

वर्ष	लक्ष्य/ योजना	वास्तव में संचालित	कमी	कमी की प्रतिशतता
2013-14	838	777	61	7.28
2014-15	687	610	77	11.21
2015-16	765	697	68	8.89
2016-17	500	354	146	29.20
2017-18	810	731	79	9.75

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) समय पर पात्र खातों की स्टॉक लेखापरीक्षा को पूरा करने का आश्वासन दिया।

समय पर स्टॉक लेखापरीक्षा के अभाव में, बैंक प्रबंधन खातों के निष्पादन की समीक्षा और धन का अंतिम उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सका। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया है कि जिन मामलों में स्टॉक लेखापरीक्षकों द्वारा कमियों को इंगित किया गया था, कार्यशील पूंजी ऋण सुविधाओं को नवीनीकृत करने से पहले बैंक द्वारा सुधारात्मक उपाय किए गए थे।

#### 4.8.1.3 क्रेडिट लेखापरीक्षा

बैंक की क्रेडिट नीति यह भी निर्धारित करती है कि सभी उधार खाते जहां बैंक का एक करोड़ का ऋण जोखिम है, वार्षिक आंतरिक क्रेडिट लेखापरीक्षा के अधीन होगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि बैंक ने 2013-2018 के दौरान सभी पात्र खातों की न तो क्रेडिट लेखापरीक्षा की योजना बनाई और न ही इस अवधि के दौरान कवरेज के लिए योजनाबद्ध सभी खातों की क्रेडिट लेखापरीक्षा की गई। यह कमी 50.78 प्रतिशत से 70.80 प्रतिशत के बीच थी, जैसा कि तालिका-4.15 में विस्तृत है:

तालिका-4.15: क्रेडिट लेखापरीक्षा

वर्ष	₹ एक करोड़ और उससे अधिक के ऋण जोखिम वाले खातों की संख्या (ए)	लक्ष्य/ योजना (बी)	वास्तव में संचालित (सी)	कमी (ए-सी)	कमी का प्रतिशत
2013-14	3,264	1,615	953	2,311	70.80
2014-15	3,159	1,831	1,516	1,643	52.01
2015-16	3,471	1,818	1,585	1,886	54.34
2016-17	3,692	1,749	1,332	2,360	63.92
2017-18	4,145	2,571	2,040	2,105	50.78

फरवरी 2018 तक, प्रलेखन और प्रतिभूतियों की कमियों, बाहरी क्रेडिट रेटिंग के गैर-संचालन, बीमा कवरों में उल्लंघन, संपत्तियों के नए मूल्यांकन के गैर-प्राप्तियों आदि में कमियों से संबंधित 109 टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया जो अनुपालन के लिए लंबित थी।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) जवाब दिया कि विशेष वर्ष के दौरान सभी खातों को कवर करने के लिए ध्यान रखा जाता है लेकिन समय पर पूरा होने में कुछ कमियां थीं। उन्होंने कहा कि क्रेडिट लेखापरीक्षा में उठाए गए 109 टिप्पणियों में से, 50 प्रतिशत से अधिक अवलोकन संबंधित इकाइयों द्वारा सुधारा गया और बाकी प्रक्रियाधीन हैं।

मुद्दा यह है कि बैंक निर्धारित समय अवधि के भीतर लक्षित खातों के क्रेडिट लेखापरीक्षा को पूरा करने में सक्षम नहीं था। क्रेडिट लेखापरीक्षा में उठाए गए टिप्पणियां, अभी भी अप्राप्य हैं, जिनका समय-समय पर लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि टिप्पणियों के समय-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

नियमित आधार पर क्रेडिट लेखापरीक्षा के गैर-संचालन करने से, बैंक प्रबंधन को प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को लेने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के अवसर से वंचित किया गया। नमूना जांच से यह भी पता चला कि रिपोर्ट में उजागर किए गए 29 एनपीए मामलों में से, 13 एनपीए मामलों में नियमित रूप से क्रेडिट लेखापरीक्षा नहीं किया गया था।

#### 4.8.2 मुकदमे के अंतर्गत कानूनी लेखापरीक्षा और मामलों की स्थिति

बैंक की क्रेडिट नीति (अप्रैल 2013) निर्धारित करती है कि शीर्षक विलेखों और अन्य दस्तावेज, जो ₹पांच करोड़ के सभी क्रेडिट ऋण जोखिम के संबंध में प्राप्त होते हैं, वार्षिक कानूनी लेखापरीक्षा के अधीन होंगे। संबंधित अधिकारियों के साथ शीर्षक विलेखों का पुनः सत्यापन नियमित लेखापरीक्षा अभ्यास का हिस्सा बनना था, जब तक कि ऋण पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता। हालाँकि, कानूनी लेखापरीक्षा विभाग अप्रैल 2016 तक ही स्थापित किया गया था और बैंक ने 2016-17 और 2017-18 के दौरान कानूनी लेखापरीक्षा के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, बैंक के पास जुलाई 2018 तक कोई अनुमोदित कानूनी लेखापरीक्षा नीति नहीं थी, जब बैंक के मंडल द्वारा कानूनी लेखापरीक्षा की पहली नीति को मंजूरी दी गई थी।

प्रबंधन ने (अगस्त 2018 में) कहा कि बैंक ने शुरू में ₹50 करोड़ के क्रेडिट ऋण जोखिम के साथ सभी ऋण खातों के लिए कानूनी दस्तावेजों के लेखापरीक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था जो 31 मार्च 2018 तक प्राप्त किया गया था। उन्होंने कहा

(दिसंबर 2018) कि जुलाई 2018 में निदेशक मंडल द्वारा बैंक की कानूनी लेखापरीक्षा नीति को मंजूरी दी गई थी और अब, ₹पांच करोड़ से अधिक के ऋण जोखिम वाले सभी खातों की कानूनी लेखापरीक्षा को कवर किया जाएगा।

इस प्रकार, कानूनी दस्तावेजों के नियमित सत्यापन की क्रेडिट नीति में निर्धारित की गई नियंत्रण आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी।

#### 4.8.2.1 मुकदमेबाजी के तहत एनपीए के मामलों की स्थिति

मार्च 2018 तक, ₹2,117.61 करोड़ की राशि से जुड़े 1,686 मामले मुकदमेबाजी के अधीन थे। पांच वर्ष से अधिक पुराने दर्ज ₹194.71 करोड़ की राशि से जुड़े 378 मामले मुकदमेबाजी में लंबित थे, जहां सक्षम अदालतों से अंतिम निर्णय प्रतिष्ठित था। बैंक ₹26.84 करोड़ से जुड़े 518 मामलों में अपने पक्ष में पारित आदेशों को निष्पादित नहीं कर सका। यह ₹241.91 करोड़ से जुड़े 620 मामलों में ऋण की वसूली या संपत्तियों का निपटान प्रभावित नहीं कर सका, जहां बैंक के पक्ष में आदेशों को निष्पादित किया गया था।

प्रबंधन ने (सितम्बर 2018 में) गिरवी संपत्तियों के निपटान में आदेशों और प्रक्रियाओं में देरी को निष्पादन करने के लिए ऋणी/ गारंटर्स की अनुपस्थिति में गिरवी संपत्तियों को न लेने में हुई देरी को जिम्मेदार ठहराया।

#### 4.9 अग्रणी बैंक योजना

आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, अग्रणी बैंक योजना, शाखा विस्तार, वित्तीय समावेशन, जमा में सुधार और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण/ अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऋण देने के उद्देश्यों के साथ अस्तित्व में आई।

##### i) वित्तीय साक्षरता शिविर

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों (जून 2013) के अनुसार, ग्रामीण शाखाओं को हर महीने कम से कम एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना अपेक्षित था और बैंकों को 2016-17 के दौरान पांच लक्षित समूहों<sup>110</sup> के लिए विशेष शिविर आयोजित करने की (जनवरी 2016 में) सलाह भी दी गई थी।

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले चार वर्षों के दौरान, बैंक द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविरों का विवरण नीचे तालिका-4.16 में दिया गया है:

<sup>110</sup> किसान, एसएचजी, सूक्ष्म और लघु उद्यमी, वरिष्ठ नागरिक और स्कूली बच्चे

तालिका-4.16: वित्तीय साक्षरता शिविर

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लक्ष्य	5,070	5,295	33,264	5,676
उपलब्धियां	2,750	2,759	2,182	3,745
कमी	2,320	2,536	31,082	1,931
प्रतिशत	45.76	47.89	93.44	34.02

(स्रोत: बैंक द्वारा दी गई जानकारी)

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) वित्तीय साक्षरता शिविरों का लक्ष्य हासिल करने में आई कमी को, प्राकृतिक आपदा और सामाजिक कारणों को जिम्मेदार ठहराया। बैंक के सामाजिक पहुंच बेहतर बनाने के लिए प्रबंधन प्रयास कर सकता है।

### ii) 'भूमिहीन किसान' के संयुक्त देयता वाले कृषि समूहों को वित्त

भारत सरकार द्वारा 'खेती भूमिहीन किसान के कृषि संयुक्त देयता' नामक एक योजना भूमिहीन किसानों के लिए (अक्टूबर 2014 में) शुरू की जिसे नाबार्ड के माध्यम से लागू किया जाना था। बैंक 2016-2018 के दौरान, संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के गठन के लिए नाबार्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। यह कमी 12.02 प्रतिशत और 81.82 प्रतिशत के बीच थी, जैसा कि नीचे तालिका-4.17 में विवरण दिया गया है:

तालिका-4.17: भूमि हीन किसान योजना के लिए जेएलजी के तहत वित्त

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य	गठित जेएलजी की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता	जेएलजी क्रेडिट से जुड़े खाते	क्रेडिट की राशि
2015-16	641	304	337	52.57	207	3.14
2016-17	749	659	90	12.02	546	10.21
2017-18	2,112	384	1,728	81.82	310	3.71

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) सामाजिक कारणों को, जेएलजी योजना की धीमी शुरुआत के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिससे ऋण वितरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।

### iii) जम्मू और कश्मीर राज्य की वित्तीय समावेशन योजना

आरबीआई ने (दिसंबर 2015 में) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के संयोजक बैंकों को जहां अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की किसी भी शाखा के बिना 5,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों की पहचान करने की सलाह दी और इन्हें 31 मार्च 2017 तक यहां शाखाएँ खोलने के लिए बैंकों को आवंटित किया। जम्मू और कश्मीर राज्य में, जेएंडके एसएलबीसी द्वारा 104 ऐसे गाँवों की पहचान की गई

और 48 गांव बैंक को आवंटित किए गए। आरबीआई ने (मई 2017 में) 'सीबीएस-सक्षम बैंकिंग आउटलेट'<sup>111</sup> खोलकर इन गांवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी। रिकॉर्ड्स से पता चला है कि बैंक ने मई 2018 के अंत तक, केवल ऐसे नौ गांवों में ही सेवाएं दी थी।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) बताया कि बैंक द्वारा इन स्थानों को शामिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है तथा 12 और स्थानों को शामिल किया गया, इस प्रकार कुल गांवों की संख्या 21 हो गई है। अन्य गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोलने की प्रक्रिया चल रही है।

#### 4.10 मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक की भर्ती नीति के अनुसार, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स (पीओ), रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव्स (आरई) और बैंकिंग एसोसिएट्स (बीए) के पदों को इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस) या किसी अन्य एजेंसी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से भरना होता है, जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया जाता है। लिखित परीक्षा के बाद, बैंक की चयन समिति द्वारा साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, प्रचलन के अनुसार, बैंक के अध्यक्ष ने सहायक/ उप-कर्मचारियों की आवश्यकता-आधारित नियुक्ति की थी। चूंकि भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, कश्मीर द्वारा सहायक/ उप-कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित रिकॉर्ड जब्त किए गए थे, इसलिए इन्हें लेखापरीक्षा जांच के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था।

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए, बैंक के व्यवसाय और श्रम-बल का विवरण नीचे तालिका-4.18 में दिया गया है:

तालिका-4.18: बैंक का व्यवसाय और मानव संसाधन

विवरण	मार्च 2014	मार्च 2015	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2018
कर्मचारियों की संख्या <sup>112</sup>	10,418	10,281	10,161	10,022	11,422
कुल व्यापार <sup>113</sup> (₹ करोड़ में)	1,09,913.17	1,06,061.64	1,15,252.88	1,21,725.15	1,37,870.78
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़ में)	10.55	10.32	11.34	12.15	12.07
व्यावसायिक इकाइयों की संख्या	777	817	857	865	904
कर्मचारी प्रति व्यापार इकाई	13.41	12.58	11.86	11.59	12.63
कर्मचारी लागत (₹ करोड़ में)	743.91	894.03	1,057.4	1,122.54	1,286.88
प्रति कर्मचारी लागत (₹ करोड़ में)	0.07	0.09	0.10	0.11	0.11

(स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए बैंक और बैंक की वार्षिक रिपोर्ट द्वारा प्रदान किये गए आंकड़े)

<sup>111</sup> कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) बैंकिंग आउटलेट को एक निश्चित बिंदु सेवा वितरण इकाई के रूप में सक्षम करता है, जोकि बैंक के कर्मचारियों या इसके बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट द्वारा संचालित होती है, जहां जमा की स्वीकृति, चेक/ नकदी निकासी, ऋण के हस्तांतरण, सप्ताह में कम से कम पांच दिन प्रतिदिन न्यूनतम चार घंटे पैसे के हस्तांतरण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं

<sup>112</sup> जिसमें संविदा कर्मचारी भी शामिल हैं

<sup>113</sup> अग्रिम प्लस जमा (नेट-ऑफ इंटरबैंक जमा)

विश्लेषण से पता चला कि बैंक के कर्मचारियों की संख्या मार्च 2014 के अंत तक, 10,418 से बढ़कर मार्च 2018 के अंत तक 11,422 हो गई थी और प्रति कर्मचारी व्यवसाय, मार्च 2014 के अंत तक, ₹10.55 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2018 के अंत तक, ₹12.07 करोड़ हो गया था। मार्च 2014 में प्रति कर्मचारी लागत, ₹0.07 करोड़ थी जो मार्च 2018 में बढ़कर ₹0.11 करोड़ हो गई।

#### 4.10.1 भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएँ

अपनी श्रमबल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, बैंक के बीओडी ने, 1,014 रिलेशनशिप एग्जिक्यूटिव्स (आरई) और 554 बैंकिंग एसोसिएट्स (बीए) की भर्ती के लिए (दिसंबर 2014 में) निश्चय किया। बैंक ने आरई के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन (मार्च 2015 में) आमंत्रित किए। तथापि बीए के पदों को विज्ञापित नहीं किया। आरई परीक्षाओं के लिए, लिखित परीक्षा, जो सितंबर 2015 में, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) के माध्यम से आयोजित की गई थी, में तीन पेपर्स थे अर्थात्, अंग्रेजी भाषा (30 अंक), तर्कशक्ति (35 अंक) और मात्रात्मक योग्यता (35 अंक), कुल मिलाकर 100 अंक के लिए थी। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले 38,000 अभ्यर्थियों में से, आईबीपीएस ने परीक्षण-वार मानदंडों<sup>114</sup> को लागू करते हुए (सितंबर 2015 में) 6,155 उम्मीदवारों को सूचीबद्ध किया।

हालांकि, बैंक ने (दिसंबर 2015 में) जिले-वार आधार पर आरई के पदों की आवश्यकता के लिए 1,327 पदों तक संशोधित किया, जिसमें से 760 रिक्तियां (57 प्रतिशत) कश्मीर प्रभाग को, जम्मू प्रभाग को 520 (39 प्रतिशत) और लद्दाख डिवीजन को 47 (चार प्रतिशत), जो प्रत्येक प्रभाग द्वारा संभाले गए कुल व्यापार के आधार पर आवंटित की गई थी।

हालाँकि बैंक ने नए मापदंड लागू करते हुए, लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30 अंक (समग्र)<sup>115</sup> वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार करने का निर्णय लिया और साक्षात्कार के लिए (दिसंबर 2015 में) 3,107 उम्मीदवारों को बुलाया। सूचीबद्ध 2,851 उम्मीदवारों<sup>116</sup> के साक्षात्कार जून 2016 और सितंबर 2016 के बीच आयोजित किए गए थे।

इस बीच, बीओडी ने दो मूल्यांकनों (दिसंबर 2014/ 2015 और मार्च 2017) के बीच अधिक समय अंतराल का हवाला देते हुए 350 आरई और 1,250 बीए को सृजन सह नियुक्ति के लिए (मार्च 2017 में) मंजूरी दे दी।

<sup>114</sup> प्रत्येक परीक्षा में प्राप्त होने वाले न्यूनतम अंक

<sup>115</sup> प्रत्येक परीक्षण के लिए कोई न्यूनतम अंक मानदंड के बिना

<sup>116</sup> 256 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं हुए

बैंक ने 350 आरई के पद के लिए अंतिम परिणाम (मार्च 2017) में घोषित किया। 1,250 उम्मीदवारों को (मार्च 2017 में) बीए के पद की पेशकश की गई, जिसके प्रति केवल 872 ने कार्यभार ग्रहण किया। बैंक ने संवर्ग में रिक्त पदों को भरने के लिए, बीओडी की मंजूरी के बाद, 2,851 साक्षात्कार करने वाले उम्मीदवारों में से, मेरिट के क्रम के अनुसार ओर 378 उम्मीदवारों को पद की पेशकश की।

इसके अलावा, बीओडी ने 1,200 बीए और 250 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स (पीओ) की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए (सितंबर 2018 में) मंजूरी दी। बैंक ने अक्टूबर 2018 में रिक्त पदों के लिए भर्ती अधिसूचना का विज्ञापन दिया। बीओडी ने 2,851 साक्षात्कार वाले उम्मीदवारों में से, 582 बचे उम्मीदवारों को भी बीए के रूप में नियुक्त करने के लिए (अक्टूबर 2018 में) स्वीकृति प्रदान की।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित को देखा:

- बैंक में अधिकारी सेवा नियमावली, 2000 थी जिसमें मानव संसाधन (मानव संसाधन) संबंधित मुद्दों के लिए नीतिगत दस्तावेज थे। मैनुअल में अन्य बातों के साथ-साथ, जेएंडके बैंक लिमिटेड अधिकारी भर्ती, अनुशासन, आचरण और अपील नियम, 2000 शामिल थे। हालांकि, जुलाई 2000 और अगस्त 2018 की अवधि के दौरान, मैनुअल की समीक्षा नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, इस अवधि के दौरान अधिकारियों/ कर्मचारियों की भर्ती उन नियमों के आधार पर की गई थी जिसे अद्यतन नहीं किया गया था, जैसा कि उत्तरवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।
- बैंक ने भर्ती की जाने वाली रिक्तियों की संख्या बताए बिना आरई के पद के लिए (मार्च 2015 में) विज्ञापन दिया, क्योंकि प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार उसे बताने की आवश्यकता नहीं थी। रिक्तियों की संख्या को सूचित करने की आवश्यकता को केवल सितंबर 2018 में निगमित किया गया था।
- बैंक ने 3,107 उम्मीदवारों की जिले-वार मेरिट सूची तैयार की। तथ्य यह था कि भर्ती जिले-वार होगी, विज्ञापन अधिसूचना में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। बैंक की भर्ती नीति में जिले-वार आधार पर योग्यता सूची तैयार करना निर्दिष्ट नहीं किया और बीओडी की स्वीकृति के बिना अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया गया था।
- जिले-वार तैयार योग्यता सूची में, बैंक ने जम्मू प्रभाग से 1,377 उम्मीदवारों (44 प्रतिशत), कश्मीर प्रभाग से 1,614 उम्मीदवारों (52 प्रतिशत) और लद्दाख मंडल से 116 उम्मीदवारों (चार प्रतिशत) को बुलाने की अनुमति दी, जबकि व्यक्तिगत परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर, आईबीपीएस द्वारा सूचीबद्ध के

अनुसार, 57.60 प्रतिशत सफल उम्मीदवार जम्मू प्रभाग से, 39.80 प्रतिशत कश्मीर प्रभाग से और 2.60 प्रतिशत लद्दाख प्रभाग से थे। इस प्रकार, उम्मीदवारों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं थी।

- बैंक के पास साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए बीओडी द्वारा अनुमोदित कोई परिभाषित मानदंड नहीं थे, जिससे उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करने में लचीलेपन की गुंजाइश रहती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि आईबीपीएस ने शुरू में (सितंबर 2015 में) 6,155 उम्मीदवारों<sup>117</sup> को सूचीबद्ध किया था, जिन्हें लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30 अंकों के साथ जिले-वार उम्मीदवारों को कॉल करने का निर्णय लेने के बाद 3,107 तक संशोधित किया गया था। इसके अलावा, अध्यक्ष द्वारा नए मानदंडों को लागू करके उम्मीदवारों की लघु सूची को बीओडी के समक्ष रखे बिना, अनुमोदित किया गया था।
- दिसंबर 2014 में बीओडी द्वारा पूर्व में स्वीकृत 1,014 आरई और 554 बीए की भर्ती के प्रति, 350 आरई और 1,250 बीए की सृजन सह नियुक्ति के लिए अपनी मंजूरी मांगने के लिए बैंक ने बीओडी के समक्ष (मार्च 2017 में) कोई भी कार्यसूची दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये थे। श्रमबल आवश्यकता के विस्तृत विश्लेषण के बिना बीओडी से इसे अनुमोदित किया गया था। बैंक ने यह भी बीओडी को सूचित नहीं किया कि उसने आरईके पद के लिए (मार्च 2015 में) ही विज्ञापन दिया था और 1,250 बीए के पद की नियुक्तियां, शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों से की जाएगी जो आरई के पद के लिए उपस्थित हुए थे।
- बीओडी चाहता था (20 मार्च 2017) कि चयनित उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण, जो रिक्त रह गई थी, उन रिक्तियों के संबंध में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी। मंडल ने आगे निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। हालांकि, बीओडी ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और उपलब्ध सूचिबद्ध उम्मीदवारों से, बीए कैडर में 378 रिक्तियों को भरने के लिए (सितंबर 2017 में) मंजूरी दे दी।
- बैंक ने 1,200 बीए के पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया (6 अक्टूबर 2018 में) शुरू की। हालांकि, बैंक ने सितंबर 2015 में आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर, चयनित 2,851 में से, 582 बचे हुए उम्मीदवारों को बीए के रूप में (16 अक्टूबर 2018 में) नियुक्त किया।
- बैंक ने आरई के पदों का (मार्च 2015 में) विज्ञापन किया जबकि सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को बीए के पदों की पेशकश की गई थी, जो कर्मचारियों की भर्ती

<sup>117</sup> बैंक की आवश्यकता के अनुसार परीक्षा-वार और श्रेणी-वार मापदंड लागू करने के बाद

में बैंक के अतिविशिष्ट दृष्टिकोण का संकेत देता है। यह आरई और बीए के पदों से जुड़ी विभिन्न भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, योग्यता आदि के आलोक में देखा जा सकता है।

- बैंक की भर्ती नीति के अनुसार, लिपिक कर्मचारी (बैंकिंग एसोसिएट) के पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम योग्यता स्नातक थी। हालांकि, बैंक ने ग्रेजुएशन में 55 फीसदी अंक या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 फीसदी अंक की न्यूनतम योग्यता के साथ आरईए के पद के लिए (मार्च 2015 में) आवेदन आमंत्रित किए। बीए पदों के विज्ञापन के बिना, बैंक ने आरई के विज्ञापित पदों के प्रति, सूचीबद्ध उम्मीदवारों के लिए बीए के पदों की पेशकश से राज्य के अपेक्षित योग्यता मानदंड प्राप्त स्नातकों को चयन प्रक्रिया से वंचित कर दिया था।

इस प्रकार, विज्ञापन में पदों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया था और इसे खुला रखा गया था जिसके परिणामस्वरूप, बैंक ने बिना विस्तृत विश्लेषण के समय-समय पर श्रमबल की आवश्यकता को संशोधित किया। मंडल द्वारा जिला-वार/ परीक्षा-वार आधार पर उम्मीदवारों की सूचीबद्ध के संबंध में अनुमोदित नीति नहीं थी। बैंक ने सितम्बर 2015 में, आरई के पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करते हुए मार्च 2017 से अक्टूबर 2018 के दौरान कई हिस्सों<sup>118</sup> में आरई/ बीए के 2,560 उम्मीदवारों को नियुक्त करने की पेशकश की। साक्षात्कार आयोजित करने का उद्देश्य भी विफल हो गया क्योंकि साक्षात्कार के 90 प्रतिशत<sup>119</sup> उम्मीदवारों को, आरई/ बीए के पद के लिए नियुक्ति की पेशकश की गई थी।

प्रबंधन ने माना कि विज्ञापन अधिसूचना में आरई के लिए पदों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था और बताया (नवम्बर 2019) कि भर्ती नीति 2018 में अब विज्ञापन अधिसूचना में रिक्तियों की संख्या अधिसूचित करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक वार्षिक आधार पर भर्ती नियमों की समीक्षा करेगा। इसके अलावा विज्ञापन अधिसूचना में बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली किसी भी चयन प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि मंडल के प्रस्ताव के अनुसार आवश्यकता के आधार पर आरई/ बीए का चयन किया गया। प्रबंधन ने आगे बताया कि आरई के पद के लिए जिन अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया गया, उन्हें बीए में

<sup>118</sup> 350 उम्मीदवारों को आरई के पद की पेशकश की गई और 1,250 उम्मीदवारों को मार्च 2017 में बीए के पद की पेशकश की गई, 378 उम्मीदवारों को सितंबर 2017 में बीए के पद की पेशकश की गई और 582 उम्मीदवारों को अक्टूबर 2018 में बीए के पद की पेशकश की गई

<sup>119</sup> 2,851 में से 2,560 उम्मीदवारों ने साक्षात्कार दिया

रिक्तियों को भरने के लिए बीए के पद की पेशकश की गई थी, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया एक महंगा और समय लेने वाला मामला है।

चूंकि जिलेवार/ परीक्षावार आधार पर अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करने के संबंध में मंडलद्वारा अनुमोदित कोई नीति नहीं थी, इसलिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आवेदन किए गए मापदंड को बीओडी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, दिसम्बर 2014 में बीओडी द्वारा पूर्व में अनुमोदित 1,014 आरई और 554 बीए की भर्ती के प्रति, 350 आरई और 1,250 बीए की नियुक्ति को श्रमबल की आवश्यकता के विस्तृत विश्लेषण के बिना बीओडी से अनुमोदित कर दिया गया था। आरई के विज्ञापित पदों के प्रति चुने गए उम्मीदवारों को बीए के पदों की बैंक की पेशकश ने राज्य के 55 प्रतिशत से कम अंकों वाले सनातकों को इस अवसर से वंचित कर दिया था, जिससे प्रतियोगिता सीमित हो गई।

#### 4.11 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति नियम, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक ने सीएसआर गतिविधियों के तहत व्यय के लिए सीएसआर नीति तैयार की। बैंक की सीएसआर नीति के मुख्य उद्देश्य में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय की दृष्टि में टिकाऊ तरीके से काम करने की निरंतर प्रतिबद्धता की परिकल्पना की गई थी, ताकि समाज के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों का उत्थान सुनिश्चित किया जा सके।

बैंक ने 2014-15 से 2017-18 के दौरान सीएसआर के तहत परियोजनाओं/ गतिविधियों पर प्रत्यक्ष या विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, ₹95.80 करोड़ खर्च किए। बैंक की सीएसआर नीति यह निर्धारित करती है कि वह एकल गतिविधि / परियोजना के लिए निर्धारित सीएसआर बजट का अधिकतम 15 प्रतिशत खर्च करेगा और एक ही खंड में, 35 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं करेगी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि अपनी सीएसआर नीति के उल्लंघन में, बैंक ने क्रमशः 2016-17 और 2017-18 के दौरान

बैंक ने सीएसआर नीति का उल्लंघन करते हुए, 2015-16 से 2017-18 के दौरान, जीओजेके के स्वामित्व वाले कश्मीर गोल्फ कोर्स के विकास पर ₹39.17 करोड़, पहलगाम में मनोरंजन पार्क पर ₹6.28 करोड़, राज्य सरकार द्वारा 2015-16 में जारी राशन कार्ड (आरसी) की छपाई पर ₹1.51 करोड़ खर्च किए।

एकल गतिविधि/ परियोजना (कश्मीर गोल्फ कोर्स डेवलपमेंट) पर 53.09 प्रतिशत और 83.82 प्रतिशत खर्च किए थे। इसके अलावा, बैंक ने क्रमशः 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान एकल खंड (पारिस्थितिकी और पर्यावरण) के तहत 49.33 प्रतिशत, 75.99 प्रतिशत और 95.27 प्रतिशत खर्च किए थे।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि सीएसआर एक मंडल स्तर की गतिविधि है और सीएसआर गतिविधियों/ कार्यक्रमों के बारे में सभी निर्णय मंडल के संज्ञान में रहते हैं। तदनुसार, खंड/ परियोजना अनुमोदन का विचलन मंडल द्वारा अपनी शक्तियों के दायरे में किया जाता है।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मंडल को इस तथ्य से अवगत नहीं कराया गया था कि विशेष गतिविधि/ कार्यक्रम पर खर्च सीएसआर नीति के तहत निर्धारित सीमा से अधिक था।

बैंक द्वारा सीएसआर फंड के व्यय में निम्नलिखित अनियमितताओं को देखा गया:

**i) सीएसआर निधि से कश्मीर गोल्फ कोर्स के पुनर्विकास पर व्यय**

बैंक की सीएसआर नीति जो समाज के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों के उत्थान पर केंद्रित है, इसके विपरीत बैंक ने सीएसआर नीति का उल्लंघन करके, जीओजेके के स्वामित्व वाले कश्मीर गोल्फ कोर्स के पुनर्विकास पर 2015-16 से 2017-18 के दौरान ₹39.17 करोड़ की राशि व्यय की। हमने यह भी देखा कि सीएसआर गतिविधियों के तहत गोल्फ कोर्स के पुनर्विकास को मंडल द्वारा मंडल की सीएसआर समिति के समक्ष रखे बिना ही अनुमोदित किया गया था, जिससे बैंक की सीएसआर नीति से विचलन हो गया था।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) बताया कि 2014 की बाढ़ ने गोल्फ कोर्स को नुकसान पहुंचाया और बैंक ने एक जागरूक कॉर्पोरेट के रूप में सीएसआर के तहत इसका पुनर्विकास शुरू किया।

हमारा विचार है कि जैसे कि बैंक की सीएसआर नीति समाज के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों के उत्थान पर केंद्रित है, गोल्फ कोर्स के पुनर्विकास पर होने वाला व्यय, जिसपर अभिजात वर्ग का संरक्षण है, व्यवस्थित नहीं था। इसके अलावा, 2016-18 के दौरान गोल्फ कोर्स पर व्यय इस अवधि के दौरान बैंक द्वारा सीएसआर गतिविधियों के तहत व्यय किए गए कुल धन का 47.73 प्रतिशत था।

**ii) पहलगाम के मनोरंजन पार्क पर व्यय**

बैंक ने 2015-16 से 2017-18 के दौरान परिस्थितिकी/ पर्यावरण खंड के तहत पहलगाम मनोरंजन पार्क पर ₹6.28 करोड़ का व्यय किया। मनोरंजन पार्क एक मनोरंजन स्थल है और इस पर हुआ व्यय पारिस्थितिकी और पर्यावरण गतिविधियों से संबंधित नहीं था।

**iii) राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्डों की छपाई पर व्यय**

बैंक ने 2015-16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए राशन कार्ड (आरसी) की छपाई पर सीएसआर निधि से ₹1.51 करोड़ का व्यय किया था, बावजूद इसके कि वह राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसके लिए लाभार्थियों से लागत वसूल की गई थी। प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) उत्तर दिया कि इस मुद्दे को संबंधित विभागों के साथ उठाया जाएगा।

**iv) सीएसआर परियोजनाओं की निगरानी**

सीएसआर नियमों, के 2014 का नियम 5(2) यह निर्धारित करता है कि सीएसआर समिति, सीएसआर परियोजनाओं या कंपनी द्वारा किए गए कार्यक्रमों या गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करेगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंक द्वारा किए गए व्यय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक पर्याप्त और पारदर्शी निगरानी तंत्र मौजूद नहीं था।

प्रबंधन ने (दिसंबर 2018 में) बताया कि निगरानी प्रणाली को ओर मजबूत किया जाएगा।

**4.12 निष्कर्ष और सिफारिशें**

- बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित सेबी विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था। गुड कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए बैंक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपना सकता है;
- आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की अनदेखी और गैर-प्रवर्तन, अपर्याप्त सुरक्षा कवर, अनुचित ऋण मूल्यांकन, प्रतिबंधों की पूर्ण या संवितरण के बाद की स्थितियों का पालन न करने, अनियमित निगरानी आदि को देखा गया, जिससे एनपीए में वृद्धि में योगदान हुआ। ₹197.98 करोड़ मामलों में हानि/ गैर-वसूली, ₹1,599.14 करोड़ की संदिग्ध वसूली और 29 मामलों में ₹14.10 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान था। बैंक ऋण सुविधाओं का विस्तार करते हुए समयक उद्यम कर सकता है, ताकि अपने हितों की रक्षा कर सके;
- बैंक की ऋण नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में कमी थी। बैंक अग्रिमों की निगरानी प्रणाली में सुधार कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च जोखिम वाले खातों की समय पर पहचान की जाए और एनपीए को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाएं;
- बैंक की आईटी प्रणालियों में कमियों को देखा गया। बैंक अपने सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कदम उठा सकता है;

- बैंक ने अपनी वसूली नीति के विचलन में ओटीएस को मंजूरी दे दी जिसके परिणामस्वरूप परीक्षण-जांच के मामलों में ₹17.97 करोड़ की मूल राशि की हानि हुई। बैंक नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार, ओटीएस मामलों को सख्ती से निपटा सकता है और मूल राशि की पूरी वसूली सुनिश्चित कर सकता है;
- अविवेक पूर्ण निर्णय लेने, गारंटी इन्वोक न करने और बैंक के हितों की सुरक्षा न करने के कारण जांचे गये एनपीआई मामलों में ₹180.43 करोड़ की संदिग्ध वसूली/हानि हुई;
- बैंक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। बैंक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं;
- भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं पाई गईं। बैंक अपनी भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कदम उठा सकता है; तथा
- बैंक ने अपनी सीएसआर नीति का उल्लंघन करते हुए, गतिविधियों पर अनियमित व्यय किया। बैंक अपनी सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के तहत धन व्यय कर सकता है।

**इंगित मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। बैंक समान मामलों की व्यापक जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है।**

**अध्याय-5**  
**अनुपालन लेखापरीक्षा (पीएसयू)**



## अध्याय-5

### अनुपालन लेखापरीक्षा (पीएसयू)

#### स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग

#### जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड

### 5.1 जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दवाइयों तथा उपकरणों की खरीद में कमियाँ

दर के संविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी एवं ड्रग्स/ दवाओं, उपकरणों, मशीनरी, उपकरणों की खरीद में देरी/ खरीद न होने का पता चला जिससे कंपनी के सृजन का उद्देश्य सार्थक नहीं हुआ। विलम्ब से आपूर्ति में ₹7.92 करोड़ की परिसमापित क्षति की वसूली न करने के मामले, सात बोलीकर्ताओं को अस्वीकृत करते हुए और आठवें बोलीकर्ता से वार्ता के आधार पर ₹25.48 करोड़ के सीवन मर्दों को खरीदकर आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ देना, ₹3.18 करोड़ की प्राप्ति के बाद भी तीन वर्षों से अधिक समय से राज्य में '102 एंबुलेंस सेवा' का प्रचालन में न होना, जांच प्रयोगशालाओं को पैनल में लेने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने के कारण ₹9.47 लाख के अधिक व्यय के मामले लेखापरीक्षा में सामने आए।

राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी कॉलेजों और अस्पतालों को दवाओं, सर्जिकल उपकरणों, मशीनरी/ वाहन की खरीद और आपूर्ति करने तथा सेवा प्रदाताओं (विभागों के मुखिया/ डॉक्टरों) को खरीदी और वितरण के अतिरिक्त भार से मुक्त करने हेतु राज्य सरकार ने (मई 2013 में) जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) की स्थापना की, जिसको 5 मार्च 2014 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शामिल किया गया और जो स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा (एचएमई) विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। कंपनी द्वारा 2014-15 से 2017-18 की अवधि में खरीदी हुई दवाओं और उपकरणों की लेखापरीक्षा मार्च 2018 से जून 2018 के दौरान की गई जो निगमित कार्यालय और पाँच<sup>1</sup> (13<sup>2</sup> में से) ड्रग वेयर हाउस (डीडब्ल्यूएच) की नमूना जांच द्वारा की गई जो 2015-16 से 2017-18

<sup>1</sup> जम्मू प्रांत में तीन (i) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच नगरोटा (ii) जीएमसी डीडब्ल्यूएच नगरोटा (iii) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच राजौरी और दो कश्मीर प्रांत में (iv) जीएमसी डीडब्ल्यूएच श्रीनगर और (v) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच अनंतनाग

<sup>2</sup> जम्मू प्रांत में सात (i) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच जम्मू (ii) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच नगरोटा (iii) जीएमसी डीडब्ल्यूएच नगरोटा (iv) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच कठुआ (v) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच राजौरी (vi) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच डोडा और (vii) आईएसएम प्रांतीय जम्मू और कश्मीर प्रांत में छह (i) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच अनंतनाग (ii) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच बारामूला (iii) जीएमसी डीडब्ल्यूएच श्रीनगर (iv) डीडब्ल्यूएच डेंटल कॉलेज श्रीनगर (v) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच श्रीनगर और (vi) आईएसएम प्रांतीय, श्रीनगर

की अवधि के दौरान दवाओं/ उपकरणों/ डिस्पोजल हैंडल्ड की कीमत के आधार पर और जम्मू व कश्मीर राज्य के दो व्यापक क्षेत्रों (कश्मीर एवं जम्मू) के क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए चुना गया।

2014-15 से 2017-18 के दौरान एचएमई विभाग के 11<sup>3</sup> विभागाध्यक्षों ने ड्रग्स/ दवा, मशीनरी/ उपकरण, फर्नीचर इत्यादि की खरीद के लिए व्यय किए गए कुल ₹573.63 करोड़ में से केवल ₹236.07 करोड़ (41 प्रतिशत) कंपनी को हस्तांतरित किए गए थे और ₹337.56 करोड़ (59 प्रतिशत) की खरीद इन एचओडी द्वारा स्वयं की गई थी, जिससे संकेत मिलता है कि सेवा प्रदाताओं को खरीद/ वितरण के अतिरिक्त बोझ से मुक्त करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वार्षिक दर संविदा (एआरसी) को अंतिम रूप देने में देरी के कारण ड्रग्स/ दवा, मशीनरी/ उपकरणों को खरीदने में विलम्ब हुआ। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है:

1. पहले चरण में, कंपनी द्वारा ड्रग्स/ दवाओं/ तरल पदार्थों की खरीदी के लिए जून 2015, जनवरी 2016 और जुलाई 2016 में 870 मर्दों (940<sup>4</sup> तक बढ़ाई गई) के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें से केवल तीन मामलों में कंपनी ने नवम्बर 2015 और जून 2017 में केवल 592 मर्दों (63 प्रतिशत) के लिए एआरसी को एनआईटी (नोटिस आमंत्रण निविदा) के जारी होने के बाद 87 दिनों और 320 दिनों के बीच का समय लगाकर अंतिम रूप दिया गया था। इसी प्रकार, दूसरे चरण में विज्ञापित (फरवरी 2017) 723 मर्दों में से, केवल 362 मर्दों के लिए एआरसी को नवंबर 2017 और मार्च 2018 के दौरान 273 दिनों और 403 दिनों के बीच का समय लगाकर अंतिम रूप दिया था। पहले चरण में 348 ड्रग्स और दवाओं और दूसरे चरण में 361 ड्रग्स और दवाओं के संबंध में एआरसी की देरी और अंतिम रूप न दिए जाने का अर्थ है कि इन मर्दों को कंपनी द्वारा मांगकर्ता विभाग के लिए नहीं खरीदा जा सका, जिससे कंपनी के गठन का उद्देश्य सार्थक नहीं हुआ।

प्रबंधन ने पहले चरण में देरी के लिए बोलीदाताओं की प्रतिक्रियाओं के अभाव को कारण (मार्च 2019) माना। दूसरे चरण के निविदा को जारी करने में देरी के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन को जिम्मेदार ठहराया गया था, क्योंकि योग्य

<sup>3</sup> (i) डायरेक्टर हेल्थ सर्विस (डीएचएस ) कश्मीर (ii) डीएचएस जम्मू (iii) और (iv) प्रिंसिपल जीएमसी और संबद्ध हॉस्पिटल, जम्मू (v) और (vi) प्रिंसिपल जी एम सी और संबद्ध हॉस्पिटल, श्रीनगर (vii) सरकारी दन्त कॉलेज, श्रीनगर (viii) सरकारी दन्त कॉलेज, जम्मू (ix) डायरेक्टर, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जम्मू और कश्मीर (x) कंट्रोलर ड्रग एंड फूड और (xi) परिवार कल्याण निदेशालय एमसीएच और प्रतिरक्षा

<sup>4</sup> 2015 के शुरुआत में एनआईटी-01 में 870 मर्दों, 2016 के एनआईटी-356 में 45 अतिरिक्त मर्दों और 2016 के एनआईटी-26 में अतिरिक्त 25 मर्दों

बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें पूर्व-जीएसटी वाली थीं और बोलियां खोलने के बाद मांगी गई मूल दरों के स्पष्टीकरण और उनकी मैनुअल गणना में अतिरिक्त समय लगा था। जवाब को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि दर संविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए 87 से 403 दिनों का समय लिया गया था और एआरसी को समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप देने के लिए एक तंत्र तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि ड्रग्स/ दवाओं की समय पर खरीद सुनिश्चित की जा सके।

2. कंपनी ने अपनी मानक खरीद प्रक्रियाओं (एसपीपी) में तकनीकी/ वित्तीय मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए, राज्य स्तरीय खरीद समिति (एसएलपीसी) की बैठक और एआरसी जारी करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की थी। नमूना लेखापरीक्षा (जून 2018) में 16 एनआईटी की 11 प्रकार की मदें जैसे ड्रग्स/ दवाओं, सीवन, डिस्पोजल, यंत्रों, मशीनरी, उपकरण, आदि की जांच की तथा देखा कि खरीद प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में काफी समय लिया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट-5.1.1** में विस्तृत वर्णन दिया गया है। एनआईटी के जारी होने की तिथि से तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक (14 एनआईटी के संबंध में) आयोजित करने के लिए 26 दिनों और 284 दिनों के बीच का समय लिया गया, तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि से वित्तीय मूल्यांकन समिति की बैठक (11 एनआईटी के संबंध में) आयोजित करने के लिए एक से 194 दिनों के बीच का समय लिया गया और वित्तीय मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि से एसएलपीसी की बैठक (11 एनआईटी के संबंध में) के लिए तीन दिन से 253 दिनों के बीच समय लिया गया। एनआईटी जारी होने की तिथि से एआरसी/ आरसी (15 मामलों में) को अंतिम रूप देने के लिए कुल 77 दिनों और 487 दिनों के बीच का समय लिया गया। इसके अलावा, एक मामले में एनआईटी जारी करने की तारीख से 737 दिनों की अवधि तक एआरसी/ आरसी को अंतिम रूप (मार्च 2019) नहीं दिया गया। इस प्रकार, एआरसी को अंतिम रूप देने में देरी के कारण, कंपनी मांगकर्ता विभाग के लिए समयबद्ध तरीके से खरीद सुनिश्चित नहीं कर सकी।

प्रबंधन ने (मार्च 2019 में) कहा कि निविदाओं को अंतिम रूप देने और एआरसी जारी करने में देरी कुछ कारणों से हुई जैसे कि कुछ विषयों में तकनीकी विशेषज्ञों के साथ-साथ प्रयोगशालाओं, परिवादों/ शिकायतों और अदालती आदेशों की मंजूरी आवश्यक थी। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कंपनी अपने एसपीपी में विभिन्न चरणों के लिए कोई भी समय-सीमा को निर्धारित करने में विफल रही।

3. कंपनी ने मांगकर्ता स्वास्थ्य संस्थानों को आपूर्ति की जाने वाली मशीनरी/ उपकरणों/ यंत्रों की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की। कंपनी द्वारा नवंबर 2015 से दिसंबर 2017 के दौरान आमंत्रित 17 एनआईटी की लेखापरीक्षा जांच में पता चला

है कि कंपनी द्वारा 463 विभिन्न प्रकार के यंत्रों, मशीनरी, उपकरणों आदि की आवश्यकता के लिए दी गई निविदा के विपरीत 118 मर्दों (25 प्रतिशत) की दर संविदा को (मार्च 2018 तक) अंतिम रूप देने के लिए तीन से 28 महीने के बीच का समय लगा। शेष 345 मर्दों (75 प्रतिशत) के संबंध में दर संविदा को एनआईटी के जारी होने की तारीख से 2 से 27 महीने की अवधि की समाप्ति के बावजूद अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

प्रबंधन ने (जुलाई 2018 में) विभिन्न अवस्थाओं पर जिसमें तकनीकी मूल्यांकन, नमूनों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन, तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा अस्वीकरण आदि में विलंब माना है। प्रबंधन ने यह भी बताया (मार्च 2019) कि बोलीदाताओं के भाग न लेने और कश्मीर घाटी में इंटरनेट सुविधा की बारंबार अनुपलब्धता के कारण भी विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप प्रत्याशित बोलीदाताओं के अनुरोध पर एनआईटी को कई बार विस्तार प्रदान करना पड़ा। इस तथ्य के मद्देनजर उत्तर पर विचार किया जा सकता था कि एनआईटी के जारी करने की तारीखों से 2 से 27 महीने बीतने के बावजूद 75 प्रतिशत मशीनरी/ उपकरण मर्दों के सम्बन्ध में एआरसी/ आरसी को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

4. कंपनी ने सीवन<sup>5</sup> सामग्री (विभिन्न विनिर्देशों की 208 मर्दों) की खरीद के लिए (दिसंबर 2015 में) निविदाएं आमंत्रित की, जिसमें आठ<sup>6</sup> निर्माताओं ने भाग लिया और 10 फरवरी 2016 को तकनीकी बोलियां खोली गईं। हालांकि, यह मनमाने ढंग से तय किया गया था (अप्रैल 2016 में) कि पिछले अनुभव और रोगी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अन्य सात बोलीदाताओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करते हुए केवल मैसर्स जॉनसन एंड जॉनसन (जेएंडजे) की वित्तीय बोली खोलेगी। भाग लेने वाले किसी भी बोलीकर्ता की सीवन सामग्री, जो अखिल भारतीय मेडिकल साइंस संस्थान (एम्स) नई दिल्ली और तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएमएससीएल) द्वारा प्रयोग/ खरीद की जाती है, की गुणवत्ता के प्रतिकूल कोई टिप्पणी नहीं पाए जाने के बावजूद ऐसा किया गया। कंपनी ने वित्तीय बोली खोलने के बाद, 197 मर्दों के संबंध में वार्ता के आधार पर जेएंडजे के पक्ष में लेटर ऑफ इंटेन्ट (एलओआई) (जुलाई 2016 में) जारी किया तथा ₹27.03 करोड़ की खरीदी के लिए आदेश (अक्टूबर 2016 से मार्च 2018) जारी किया, जिसके

<sup>5</sup> विभिन्न प्रकार के धागे (शोषक/ गैर-अवशोषक) सुई, जाल, आदि सहित

<sup>6</sup> 1) जॉनसन एण्ड जॉनसन प्रा. लिमिटेड, (2) लोटस सर्जिकल प्रा. लि., (3) फुचरा सर्जिकेयर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से डॉल्फिन सीवन लिमिटेड, (4) श्रीम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बी. ब्रॉन मेडिकल (इंडिया) प्रा. लिमिटेड (5) सुतुर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड, (6) संयोग इन्टरप्राइजेज के माध्यम से मेरिल एंडो सर्जरी प्रा. लिमिटेड (7) एमसीओ अस्पताल एड्स प्रा. लिमिटेड और (8) क्राउन फार्मास्यूटिकल्स के माध्यम से स्टेरिकैट गटस्ट्रिंग्स प्रा. लिमिटेड

प्रति मार्च 2019 तक ₹25.48 करोड़ की आपूर्ति प्राप्त हुई। शेष 11 वस्तुओं के लिए एआरसी को (मार्च 2019 तक) अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि गुजरात मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमएससीएल) और राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) ने भी (26 अप्रैल 2017/ 28 मार्च 2018 को) कंपनी द्वारा अस्वीकार किए गए बोलीदाताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ फर्मों के साथ सीवन मदों का दर ठेका किया था।

प्रबंधन ने (मार्च 2019 में) कहा कि सैंपल आधारित मदों की खरीद के लिए निविदा को अंतिम रूप देना तकनीकी विशेषज्ञों की राय पर निर्भर करता है और कई बार एकल बोली को मंजूरी मिल सकती है। हालांकि, 2018-19 के दौरान मौजूदा प्रणाली में सुधार करने के लिए, कंपनी ने उचित प्रतिस्पर्धा के हित में अंतिम उपयोगकर्ताओं से देश में सीवन सामग्री के सभी प्रतिष्ठित निर्माताओं को उचित मौका प्रदान करने का अनुरोध किया है। यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एम्स, नई दिल्ली और टीएमएससीएल ने उन निर्माताओं के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की थी जिन्हें कंपनी द्वारा मनमाने ढंग से अस्वीकार कर दिया गया था। सात बोलीदाताओं को अस्वीकृति और जेएंडजे से सीवन मदों की बातचीत की दरों पर खरीदी ने प्रतिस्पर्धा बोली के मुख्य उद्देश्य को सार्थक नहीं किया और परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ मिला।

5. कंपनी के एसपीपी के पैरा 6.1 के अनुसार, खरीदी आदेश की आपूर्ति 60 दिनों (भारतीय मदों के संबंध में) में और 90 दिनों (आयातित मदों के संबंध में) में 100 प्रतिशत की जानी चाहिए जिसके विफल रहने पर अधिकतम<sup>7</sup> 10 प्रतिशत की सीमा तक जुर्माना/ परिसमापित क्षति लगाया जाएगा। 120 दिनों के भीतर आपूर्ति न होने की स्थिति में आपूर्ति को गैर-निष्पादित माना जाएगा। कंपनी 120 दिन बाद आपूर्ति को या तो गैर-प्रदत्त आपूर्ति पर 20 प्रतिशत का जुर्माना लगाकर स्वीकार कर सकती है या आपूर्तिकर्ता पर रोक लगा सकता है।

10 निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं (108 में से), जिन्होंने 47 प्रतिशत आपूर्ति की तथा जिनके पक्ष में सितंबर 2017 तक ₹88.71 करोड़ के 2,421 खरीद आदेश जारी किए गए जिनमें ₹79.25 करोड़ की आपूर्ति की प्राप्ति हुई, की नमूना-जांच से पता चला कि निर्धारित 60 दिनों के अंदर ₹19.30 करोड़ (24 प्रतिशत) की लागत वाले 1,017 खरीद आदेशों की आपूर्ति की गई तथा ₹59.95 करोड़ (76 प्रतिशत) के ड्रग्स/ दवाओं की शेष आपूर्ति 60 दिनों के बाद हुई (परिशिष्ट-5.1.2)। विलंबित आपूर्तियों में

<sup>7</sup> एक से 15 दिनों के बीच देरी के मामले में 2.5 प्रतिशत और बाद के विलंब पर 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त एलडी प्रत्येक 15 दिनों की देरी के लिए 60 दिनों तक

₹35.97 करोड़ (45 प्रतिशत) की आपूर्ति 61 से 120 दिनों में, ₹14.14 करोड़ (18 प्रतिशत) की आपूर्ति 121 से 200 दिनों में, ₹9.53 करोड़ (12 प्रतिशत) की आपूर्ति 201 से 400 दिनों में और ₹0.31 करोड़ (एक प्रतिशत) की आपूर्ति 400 दिनों बाद प्राप्त हुई। कंपनी द्वारा प्रस्तुत ई-औषधि के माध्यम से जारी ट्रेक परचेज ऑर्डर के आंकड़ों के अनुसार, इन 10 आपूर्तिकर्ताओं पर ₹7.92 करोड़<sup>8</sup> के परिसमापित क्षति का प्रभार/ उद्ग्रहण करना था जो उद्ग्रहित नहीं किया गया और इसे 29 दिसंबर 2017 तक की गई सभी आपूर्तियों के संबंध में कंपनी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान करने में विफल रहने के कारण माफ़ कर दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि भुगतान करने में देरी प्रबंधन की ओर से लापरवाही के कारण हुई थी, जबकि कंपनी के पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त निधियां थी। इस प्रकार, निधियों की उपलब्धता के बावजूद आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान करने के लिए कंपनी की विफलता के कारण, आपूर्ति में देरी के लिए परिसमापित क्षति का उद्ग्रहण नहीं किया गया और संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में ड्रग्स/ दवाओं की उपलब्धता प्रभावित हुई।

प्रबंधन ने (मार्च 2019 में) कहा कि असमान फंडिंग प्रतिमान और एचओडी द्वारा निधि जारी करने में देरी के कारण, कंपनी आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान करने में सक्षम नहीं थी और 29 दिसंबर 2017 तक की विलम्बित आपूर्तियों के लिए निर्णीत हर्जाने को कंपनी के अध्यक्ष की मंजूरी द्वारा माफ़ कर दिया गया था। हालांकि, 2018-19 के दौरान, कंपनी ने देरी से आपूर्ति के लिए ₹81 लाख की परिसमापित क्षति लगायी।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि किसी विशेष तिथि तक सभी विलंबित आपूर्तियों के लिए परिसमापित क्षति को माफ़ करने का निर्णय मनमाना था। इसके अलावा, वित्तीय वर्षों 2015-16 (₹71.54 करोड़) और 2016-17 (₹19.75 करोड़) के समापन पर पर्याप्त नकदी/ नकदी समकक्षों<sup>9</sup> की उपलब्धता और साथ ही 2016-17 (₹82.85 करोड़) और 2017-18 (₹59.83 करोड़) में राज्य सरकार से प्राप्त सिविल डिपॉजिट में रखी गयी राशि से पता चलता है कि पूंजी की उपलब्धता में कोई कमी नहीं थी।

6. कंपनी ने (नवंबर 2015 में) 'राज्य में 102 एंबुलेंस सेवाओं के परिचालन' हेतु हेल्थकेयर उपकरणों का प्रतिष्ठापन, 150 एम्बुलेंस में जीपीएस व्यवस्था (बीएलएस<sup>10</sup>: 123 और एएलएस<sup>11</sup>: 27) और दो डाटा केन्द्रों की स्थापना और उनके संचालन के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी जिसमें केवल दो बोलीदाताओं ने भाग

<sup>8</sup> सितंबर 2017 तक दिए गए खरीद आदेशों पर जुर्माना लगाया गया था

<sup>9</sup> कंपनी के अंतिम लेखों के अनुसार

<sup>10</sup> बेसिक लाइफ सपोर्ट

<sup>11</sup> एडवांस लाइफ सपोर्ट

लिया। तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) ने (अप्रैल 2016 में) वित्तीय बोली को खोलने का फैसला किया जिसमें एल1 ने ₹37.10 करोड़ में परियोजना के क्रियान्वयन की पेशकश की। वित्तीय मूल्यांकन समिति की बैठक के 253 दिनों के बाद एसएलपीसी ने 7 जनवरी 2017 को दर संविदा को मंजूरी दी और कंपनी ने (जनवरी 2017 में) ₹25.48 करोड़<sup>12</sup> की लागत पर सफल बोलीदाता को एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन के लिए एलओआई जारी किया। हालांकि, बोलीकर्ता ने परियोजना की शुरुआत को सुविधाजनक बनाने में असामान्य देरी और इसके अलावा बिल्डिंग और एंबुलेंस को न सौंपना और इनपुट कॉस्ट<sup>13</sup> में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए, टर्मिनेशन नोटिस (मार्च 2017 में) भेजा और (सितंबर 2017 में) दर संविदा को रद्द कर दिया गया। कंपनी ने फिर से एनआईटी (नवंबर 2017 में) आमंत्रित किया; हालांकि मार्च 2016 में कंपनी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से ₹3.18 करोड़ मिलने के बावजूद दर संविदा को (मार्च 2018 तक) अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इस प्रकार दर-संविदा को अंतिम रूप देने और परियोजना के प्रारंभ को सुविधाजनक बनाने के लिए इमारतों/ एंबुलेंसों को सौंपने में देरी के परिणामस्वरूप संविदा निरस्त हो गयी और निधियों की उपलब्धता के बावजूद परियोजना को निष्पादित नहीं किया जा सका।

प्रबंधन ने जवाब दिया (जुलाई 2018 में) कि करार के क्रियान्वयन के बाद मांगकर्ता विभाग द्वारा स्थान और एम्बुलेंस उपलब्ध कराए जाने थे जो कि करार के न होने के मद्देनजर नहीं सौंपे जा सके। यह भी कहा गया कि निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ कश्मीर और निदेशक एनएचएम ने सेवा के प्रचालन के संबंध में अपना बचाव व्यक्त किया क्योंकि देश में ऐसा कोई मॉडल मौजूद नहीं था। यह भी आगे कहा गया (मार्च 2019 में) कि निविदा एक बार फिर से अगस्त 2018 में आमंत्रित की गई थी और खरीद समिति ने एल1 बोलीदाता को मंजूरी दी थी, जिसके लिए जल्द ही एलओआई जारी किया जाएगा। तथ्य यह है कि, निधियों की उपलब्धता के बावजूद उक्त परियोजना को एनआईटी के जारी होने के तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी (मार्च 2019 तक) अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

<sup>12</sup> संशोधित निर्णय (सितम्बर 2016) के अनुसार, 100 बीएलएस एम्बुलेंसों और एक कॉल सेंटर का कैपेक्स कास्ट (हेल्थकेयर उपकरण, जीपीएस यंत्र और रेडो फिटिंग प्रभार): ₹7.30 करोड़; 125 एम्बुलेंसों (100 बीएलएस और 25 एएलएस) और एक कॉल सेंटर का ओपेक्स कास्ट (मैनपावर, संचालन और एक साल के लिए रखरखाव): ₹18.18 करोड़

<sup>13</sup> जैसे ईंधन, जीएसटी का कार्यान्वयन, कर देनदारियाँ और मैनपावर

7. कंपनी ने 1,336 मदों (विज्ञापित 2,043 ड्रग्स, दवाओं, शल्य चिकित्सा के सीवनों में से) की जांच और विश्लेषण के लिए चार प्रयोगशालाओं<sup>14</sup> को (दिसंबर 2015 में) सूचीबद्ध किया और दर ठेका अगस्त/ सितम्बर 2017 में समाप्त हो गया था। तीन महीने के विस्तार की अवधि के बाद भी मार्च 2018 तक नयी निविदा नहीं निकाली गयी थी। ड्रग्स की जांच और विश्लेषण का कार्य आरएमएससीएल के साथ सूचीबद्ध एक फर्म<sup>15</sup> को (अक्टूबर 2017 में) सौंपा गया था और गुणवत्ता नियंत्रण नीति और एल1 दरों पर प्रयोगशालाओं का पैनेल निर्धारित करने वाली प्रक्रियाओं का पालन किए बिना संविदा (दिसंबर 2017) क्रियान्वित की गयी। लेखापरीक्षा में पता चला है कि फर्म द्वारा की गयी 608 जांच (112 दवाओं के) के लिए ₹15.71 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। 608 जांच<sup>16</sup> में से, 487 जांच में (87 दवाओं को शामिल करते हुए) फर्म की दरें पहले वाली पैनेल प्रयोगशालाओं की दरों की तुलना में 1.04 गुना से 12.54 गुना (₹9.51 लाख) अधिक थी, जबकि 46 टेस्ट (8 दवाओं/ ड्रग्स को मिलाकर) की दरें (₹0.04 लाख) कम थी, इस प्रकार कुल मिलाकर ₹9.47 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। इस प्रकार, जांच प्रयोगशालाओं के पैनेल के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण प्रतिस्पर्धी दरों को सुनिश्चित नहीं किया गया।

प्रबंधन ने (मार्च 2019 में) कहा कि नमूने कंपनी के अध्यक्ष<sup>17</sup> की मंजूरी लेने के बाद पूर्व सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं और आरएमएससीएल के साथ सूचीबद्ध प्रयोगशाला द्वारा जांचे जा रहे थे। यह भी कहा गया कि राज्य स्तरीय खरीद समिति ने अब प्रयोगशालाओं के पैनेल प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है, लेकिन दर ठेका (मार्च 2019 तक) जारी नहीं किया गया था। तथ्य यह है कि कंपनी लगभग 18 महीने (अक्टूबर 2017 से मार्च 2019) तक जांच प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध करने में विफल रही थी, जिसके दौरान प्रतिस्पर्धी बोली के बिना चयनित प्रयोगशालाओं द्वारा जांच और विश्लेषण किया गया था।

8. पैनेल प्रयोगशालाओं को टेबलेटों, कैप्सूलों, मलहमों, पाउडर और ओरल सिरप की टेस्ट रिपोर्टों को प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर और आई.वी फ़्ल्यूड और इंजेक्शन के मामले में 21 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक था। निर्धारित समय में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रयोगशालाओं के विफल रहने पर, देय प्रयोगशाला शुल्क

<sup>14</sup> (i) इंटरनेशनल टेस्टिंग सेंटर, पंचकुला (ii) डॉव रिसर्च एण्ड एनालिटिकल, पंचकुला (iii) ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बहादुरगढ़ (iv) मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार

<sup>15</sup> मैसर्स ओएसिस टेस्ट हाउस लिमिटेड

<sup>16</sup> सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं की दरें उपलब्ध नहीं होने के कारण 75 टेस्ट (17 दवाइयों को शामिल करके) में तुलना नहीं हो पाई

<sup>17</sup> स्वास्थ्य एवम् चिकित्सा शिक्षा मंत्री

का 10 प्रतिशत<sup>18</sup> जुर्माना/ परिसमापित क्षति लगाया जाएगा। लेखापरीक्षा ने सात महीने<sup>19</sup> के डाटाबेस (24 महीनों में से) की नमूना जांच में पाया कि टैबलेट/ कैप्सूल/ओरल सिरप/ पाउडर आदि के 566 नमूनों (कुल 714 में से) को प्रयोगशालाओं में भेजने में एक से 184 दिनों के बीच की देरी हुई थी। इसी तरह, इंजेक्शन/ आई.वी.फ्ल्यूड के 279 मामलों (377 में से) में एक से 309 दिनों के बीच देरी हुई थी। मगर चुककर्ता प्रयोगशालाओं पर ₹ 0.47 लाख<sup>20</sup> तक का जुर्माना/ परिसमापित क्षति नहीं लगाई गई। प्रयोगशालाओं द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी से मांगकर्ता विभागों को ड्रग्स/ दवाओं को जारी करने में देरी हुई।

प्रबंधन ने (मई 2018 में) कहा कि मामले पर प्रयोगशालाओं के साथ बातचीत की गई। आगे (मार्च 2019 में) कहा गया कि विलंबित रिपोर्टों का विवरण अद्यतन किया गया है ताकि जुर्माना/ परिसमापित क्षति लगाई जा सके। हालाँकि, (मार्च 2019 तक) कोई जुर्माना/ परिसमापित क्षति नहीं लगाई गई थी।

इस प्रकार दर संविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ परिणामस्वरूप ड्रग्स/ दवाओं, यंत्रों, मशीनरी, उपकरणों की खरीद में देरी हुई; जिससे कंपनी के गठन का उद्देश्य विफल हुआ। कंपनी ने दर ठेकों को अंतिम रूप देने और समयबद्ध तरीके से खरीद करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की थी। परिसमापित क्षति के न लगाने, ठेकेदारों को अनुचित लाभ, निधि की उपलब्धता के बावजूद 'राज्य में 102 एम्बुलेंस सेवा' के गैर-परिचालन, जांच प्रयोगशालाओं के पैनल करने हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने के मामले पाए गए।

मामला सितंबर 2018 में सरकार/ कंपनी को भेजा गया था। प्रबंधन ने मार्च 2019 में अपना जवाब भेजा, जिसे उपयुक्त स्थानों पर रिपोर्ट में शामिल किया गया है। हालाँकि, सरकार का जवाब (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

**इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित की गई नमूना जांच पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के मामलों का गहन परीक्षण तथा सुधारात्मक कार्रवाई करना आरंभ कर सकता है।**

<sup>18</sup> निर्धारित डिलीवरी अवधि की एक चौथाई अवधि तक देरी के मामले में 2.5 प्रतिशत, निर्धारित डिलीवरी अवधि के एक चौथाई से अधिक लेकिन आधे से अधिक नहीं देरी के मामले में 5 प्रतिशत, और निर्धारित अवधि के आधे से अधिक लेकिन तीन चौथाई से अधिक नहीं की देरी के मामले में 10 प्रतिशत

<sup>19</sup> फरवरी 2016, मई 2016, सितंबर 2016, जनवरी 2017, अप्रैल 2017, अगस्त 2017 तथा दिसंबर 2017

<sup>20</sup> गोलियों, कैप्सूलों, मलहमों, पाउडर और ओरल सिरप (521 मामलों) में ₹0.30 लाख और आई.वी फ्ल्यूड्स और इंजेक्शन (254 मामलों) में ₹0.17 लाख का जुर्माना/ परिसमापित क्षति

## बागवानी विभाग

(जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड)

### 5.2 बिक्री न किए गए जूस कंसंट्रेट के कारण निधियों का नुकसान और अवरोधन

गुणवत्ता स्वीकार्य नहीं होने के कारण खरीददार द्वारा सेब जूस कंसंट्रेट की अस्वीकृति और बाद में कीमतों में कमी होने के कारण ₹7.93 लाख का नुकसान होने के अतिरिक्त बिक्री न किए गए स्टॉक के कारण ₹2.03 करोड़ की पूंजी अवरुद्ध हुई।

जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कारपोरेशन (जेएंडकेएचपीएमसी) लिमिटेड (निगम), जिसका दोआबगाह सोपोर में संयंत्र है, का 01 अक्टूबर 2013 से 30 सितंबर 2014 तक एक वर्ष की अवधि के लिए ₹86,000 प्रति एमटी की दर से 450 एमटी सेब जूस की आपूर्ति के लिए एक खरीददार<sup>21</sup> के साथ (अगस्त 2013 में) एक करार हुआ। निगम के पास अप्रैल 2012 तक 15 मीट्रिक टन सेब के जूस का शुरुआती स्टॉक था और 2012-13 से 2014-15 के दौरान 429<sup>22</sup> एमटी का उत्पादन किया और उसके बाद लगभग तीन वर्षों तक कोई उत्पादन नहीं किया गया था। संयंत्र का संचालन 23 अक्टूबर 2017 से 03 दिसंबर 2017 के दौरान 41 दिनों की संक्षिप्त अवधि के लिए फिर से शुरू हुआ और कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता के कारण 73 एमटी जूस के उत्पादन के बाद बंद हो गया।

निगम के रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि 2012-13 से 2017-18 के दौरान 517 एमटी सेब जूस के उपलब्ध स्टॉक के प्रति यह केवल 183 एमटी बेच सका। खरीददार, जिसने 450 एमटी की खरीद के लिए सहमति व्यक्त की थी, ने नवंबर 2013 से मई 2014 के दौरान केवल 114 एमटी ही खरीदा और शेष माल अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं होने के कारण खरीदने से इन्कार कर दिया। जून 2014<sup>23</sup> में पहले ही 18 महीने के अपने शेल्फ लाईफ को पार करने के साथ इसकी नष्ट होने वाली प्रकृति की जानकारी होते हुए, निगम ने 51 एमटी की बिक्री की जिसमें मई/अगस्त 2016 के दौरान एक अन्य खरीददार<sup>24</sup> को ₹60,000 प्रति एमटी की कम दर पर 45 एमटी स्टॉक की बिक्री शामिल थी, परिणामस्वरूप ₹7.93 लाख<sup>25</sup> का नुकसान

<sup>21</sup> मैसर्स यूनीक फूड्स

<sup>22</sup> 280 एमटी: 21.07.2012 से 12.12.2012 के दौरान, 135 एमटी: 6.10.2013 से 02.12.2013 के दौरान, 14 एमटी: 27.10.2014 से 27.11.2014 के दौरान

<sup>23</sup> दिसंबर 2012 की तारीख से माना जाएगा, जब पहली खेप तैयार की गयी थी

<sup>24</sup> मैसर्स. केशव एग्री प्रा. लि.

<sup>25</sup> 45 एमटी का मूल्य ₹17,620 प्रति एमटी अंतर दर पर (₹77,620 प्रति एमटी की औसत उत्पादन दर और ₹60,000 प्रति एमटी की कम बिक्री दर के बीच)

हुआ। निगम के 334 एमटी के शेष स्टॉक को बेचने के अगले प्रयास मार्च 2018 तक सफल नहीं हुए, जिसमें 2012-15 के दौरान उत्पादित 261 एमटी का स्टॉक शामिल था परिणामस्वरूप ₹2.03 करोड़<sup>26</sup> की पूंजी अवरुद्ध हुई। नाशवान प्रकृति के आलोक में, स्टॉक इसकी समाप्ति-अवधि के कारण निगम को नुकसान पहुँचा सकता है।

इंगित किए जाने पर, महाप्रबंधक जेएंडकेएचपीएमसी ने (जनवरी 2017 में) इसके लिए वैश्विक उत्पादन में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया, जिससे दरों में भारी कमी आई। यह भी (मई 2018 में) कहा गया था कि निगम को (अप्रैल 2018 में) बिक्री न किए गए पुराने स्टॉक को ₹40 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने के लिए प्रस्ताव मिला था और इसे निदेशक मंडल की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि निगम पिछले पांच वर्षों के अधिक समय से कीमतों में कमी के बावजूद पड़े स्टॉक का निपटान नहीं कर सका, जिससे ₹2.03 करोड़ अवरुद्ध हुए। इसके अलावा, ₹40 प्रति किलोग्राम की कम कीमत पर स्टॉक बेचने के बाद भी कार्पोरेशन ₹0.98 करोड़<sup>27</sup> का नुकसान उठाने जा रहा है।

मामला जुलाई 2018 में सरकार/ कंपनी को भेजा गया था। उत्तर में सचिव बागवानी विभाग ने (जनवरी 2019 में) कहा कि 2013 से 2017 के दौरान, राष्ट्रीय बाजार में बहुत कम लागत पर आयातित कंसट्रेट की मौजूदगी के कारण बिक्री प्रभावित हुई। इसके अलावा, वर्तमान में सेब के जूस की कीमतें बढ़ गई थी और निगम को 254 एमटी के पुराने स्टॉक को और 73 एमटी के ताजा स्टॉक को खरीदने के लिए क्रमशः ₹48,000 प्रति एमटी और ₹77,540 प्रति एमटी की दर से नए ऑफर मिले थे और बिक्री को निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। तथ्य यह है कि निगम छह वर्षों में भी स्टॉक का निपटान नहीं कर सका, जिसके कारण ₹2.03 करोड़ की पूंजी अवरुद्ध हो गई।

<sup>26</sup> ₹77,620 प्रति एमटी की औसत उत्पादन दर से 261 एमटी का मूल्य

<sup>27</sup> 261 एमटी का मूल्य ₹37,620 प्रति एमटी की अंतर दर पर (₹77,620 की औसत उत्पादन दर और ₹40,000 प्रति एमटी की घटी हुई दर के बीच)

**उद्योग तथा वाणिज्य विभाग  
(जम्मू एंड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड)**

**5.3 सीमेन्ट पीसने और पैकिंग की सांबा यूनिट की क्षमता का कम उपयोग**

जम्मू एंड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड द्वारा सीमेन्ट पीसने और पैकिंग की सांबा यूनिट की इष्टतम क्षमता का उपयोग करने और निजी पार्टियों/ सरकारी विभागों को उत्पादित सीमेन्ट का विपणन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 2015-18 के दौरान ₹1.26 करोड़ का परिचालनात्मक नुकसान।

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (2016 की रिपोर्ट संख्या 2, जम्मू और कश्मीर सरकार) में पैरा 2.1.10.2 में दिखाए गए "सीमेन्ट पीसने और पैकिंग यूनिट सांबा की स्थापना में देरी" के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी की गई जिसमें फरवरी 2013 से फरवरी 2015 के दौरान ₹113.40 करोड़ मूल्य वाली ₹1.57 लाख एमटी सीमेन्ट उत्पादन के नुकसान को इंगित किया गया था।

डिवीज़नल कार्यालय, जम्मू एंड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड, जम्मू (कंपनी) के रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा जांच से पता चला (फरवरी 2018 में) कि सीमेन्ट की पीसने और पैकिंग यूनिट सांबा का उत्पादन सितंबर 2015 में शुरू हुआ था और मार्च 2017 तक कंपनी ने अपने संयंत्र पर ₹26.10 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया था। हालाँकि, उत्पादन के पहले तीन वर्षों के दौरान क्रमशः 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत की क्षमता उपयोग के माध्यम से 1,93,050 एमटी सीमेन्ट के अनुमानित उत्पादन के प्रति अक्टूबर 2015 से मार्च 2018 के दौरान वास्तविक उत्पादन केवल 34,619 एमटी (18 प्रतिशत) था जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

**तालिका-5.3.1: सीमेन्ट का वर्ष-वार उत्पादन**

अवधि	यूनिट की उत्पादन क्षमता एमटी में	परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार क्षमता उपयोग	तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित उत्पादन एमटी में	वास्तविक उत्पादन एमटी में (प्रतिशत)
अक्टूबर 2015 से मार्च 2016	99,000	प्रथम वर्ष: 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष: 80 प्रतिशत तृतीय वर्ष: 90 प्रतिशत	34,650 <sup>28</sup>	6,705 (19.35)
2016-17			74,250 <sup>29</sup>	19,271 (25.95)
अप्रैल 2017 से मार्च 2018			84,150 <sup>30</sup>	8,643 (10.27)
<b>कुल</b>			<b>1,93,050</b>	<b>34,619 (17.93)</b>

<sup>28</sup> 6 महीने के लिए 99,000 एमटी की वार्षिक क्षमता का 70 प्रतिशत: 34,650 एमटी

<sup>29</sup> 6 महीने के लिए 99,000 एमटी की वार्षिक क्षमता का 70 प्रतिशत: 34,650 एमटी और 6 महीने के लिए 99,000 एमटी की वार्षिक क्षमता का 80 प्रतिशत: 39,600 एमटी का जोड़ है 74,250 एमटी

<sup>30</sup> 6 महीने के लिए 99,000 एमटी की वार्षिक क्षमता का 80 प्रतिशत: 39,600 एमटी और 6 महीने के लिए 99,000 एमटी की वार्षिक क्षमता का 90 प्रतिशत: 44,550 एमटी का जोड़ है 84,150 एमटी

कम क्षमता के उपयोग ने संकेत दिया कि मांग की स्थिति का पता लगाए बिना संयंत्र का निर्माण किया गया था और कंपनी सीमेन्ट की बिक्री का विपणन और निजी पार्टियों या सरकारी विभागों से बिक्री आदेश प्राप्त नहीं कर सकी थी। निर्मित सीमेन्ट की बिक्री को बाजार का समर्थन प्रदान करने के लिए सरकार ने जम्मू डिवीजन में सभी विभागों को (अप्रैल 2016 में) निर्देश दिया कि वे अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता में जम्मू एंड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड से खरीदें और कंपनी द्वारा अपेक्षित मांग की पूर्ति करने में असमर्थ रहने और अनुपलब्धता प्रमाणपत्र प्रदान करने की स्थिति में खुले बाजार को चुने। इन निर्देशों के बावजूद कंपनी अपनी बिक्री में वृद्धि और संयंत्र का अपने इष्टतम स्तर तक उपयोग नहीं कर सकी। संयंत्र के संचालन के पहले तीन वर्षों के दौरान ₹178.19 करोड़<sup>31</sup> की अनुमानित बिक्री की प्राप्ति, जैसा कि तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट में अनुमानित था, हासिल नहीं की जा सकी। रिकॉर्ड्स से पता चला कि वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान ₹27.13 करोड़<sup>32</sup> की राजस्व आय प्राप्ति के प्रति कंपनी ने संयंत्र चलाने के लिए ₹28.39 करोड़<sup>33</sup> का व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.26 करोड़ का परिचालन घाटा हुआ।

जवाब में, (मार्च 2018 में) संयंत्र के अल्प उपयोग के लिए संयंत्र के संचालन में असुविधाएं, तकनीकी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और उन सरकारी विभागों से बिक्री प्राप्तियों में विलंब जिनको उधार पर सीमेन्ट बेचा गया था, जिसके कारण कंपनी संयंत्र की निर्बाध रूप से परिचालन के लिए आवश्यक सामग्री खरीद पाने में समर्थ नहीं थी को कारण माना गया। आगे (मार्च 2019 में) यह कहा गया कि 2015-18 के दौरान 35,926 एमटी<sup>34</sup> सीमेन्ट की मांग के प्रति बिक्री 34,618 एमटी<sup>35</sup> (96 प्रतिशत) थी और सिविल लेखा प्रणाली के क्रियान्वयन के कारण सीमेन्ट की बुकिंग के लिए कंपनी सरकारी विभागों से अग्रिम राशि प्राप्त नहीं कर सकी और उधार पर बिक्री करने के लिए विवश होना पड़ा। तथ्य यह है कि संयंत्र की अनुमानित क्षमता का 82 प्रतिशत तक कम उपयोग किया जा रहा था और कंपनी निजी पार्टियों या सरकारी विभागों से पर्याप्त आपूर्ति आदेश नहीं प्राप्त कर सकी थी, जिसके कारण संयंत्र का खर्च राजस्व आय से अधिक हो गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.26 करोड़ का सीधा नुकसान हुआ। प्रति बैग सीमेन्ट की बिक्री दर<sup>36</sup>, निजी सीमेन्ट विक्रेताओं<sup>37</sup> की तुलना

<sup>31</sup> प्रथम वर्ष: ₹51.97 करोड़; द्वितीय वर्ष: ₹59.40 करोड़; तृतीय वर्ष: ₹66.82 करोड़

<sup>32</sup> 2015-16: ₹5.04 करोड़; 2016-17: ₹15.02 करोड़; 2017-18: ₹7.07 करोड़

<sup>33</sup> 2015-16: ₹6.56 करोड़; 2016-17: ₹15.15 करोड़; 2017-18: ₹6.68 करोड़

<sup>34</sup> 2015-16: 6,704.07 एमटी, 2016-17: 19,761.35 एमटी; 2017-18: 9,460.45 एमटी

<sup>35</sup> 2015-16: 6,704.07 एमटी, 2016-17: 19,270.90 एमटी; 2017-18: 8,642.65 एमटी

<sup>36</sup> ₹425 प्रति बैग

<sup>37</sup> ₹435 से लेकर ₹470 प्रति बैग के बीच

में कम होने के बावजूद कंपनी अपनी बिक्रीयों को बढ़ाने में विफल रही। इसके अलावा, 2015-18 के दौरान, सीमेन्ट की 77 प्रतिशत नकदी बिक्री<sup>38</sup> के मद्देनजर, उधार बिक्री के संबंध में भी तर्क मान्य नहीं था।

अगस्त 2018 में यह मामला सरकार/ कंपनी को भेजा गया था; उनका उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

## उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

### (एसआईडीसीओ और जेएंडके इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर)

#### 5.4 निधियों का अवरोधन और अलाभप्रद व्यय

पंपोर में इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (आईटीसी) की स्थापना के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप लगभग दस वर्षों के लिए ₹3.94 करोड़ अवरुद्ध हो गए। इसके अलावा, भूमि पर बाड़ लगाने पर ₹1.06 करोड़ का व्यय हुआ और पंजीकरण शुल्क का भुगतान अलाभप्रद रहा और राज्य, राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, क्रेता/ विक्रेता वार्ता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संव्यवहारों के साथ ही विदेशी बाजारों के इंटरफ़ेस से मिलने वाली परिकल्पित सुविधा का लाभ नहीं मिल सका।

भारत सरकार (जीओआई) के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पंपोर में इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (आईटीसी) की स्थापना के लिए राज्यों को निर्यात संरचना के विकास तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए सहायता (एसआईडीई) के अन्तर्गत अनुदान के रूप में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईडीसीओ) को पांच करोड़ रुपये की पहली किस्त (दिसंबर 2008 में) जारी की। परियोजना में एक ऐसे सुविधा केंद्र के सृजन की परिकल्पना की गई जहां पर राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, क्रेता/ विक्रेता वार्ता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संव्यवहारों का आयोजन हो सके और राज्य के निर्यातकों का विदेशी बाजारों के साथ एक इंटरफ़ेस हो सके। परियोजना की कुल लागत और एसआईडीई के तहत भारत सरकार का योगदान क्रमशः ₹40 करोड़ और ₹30 करोड़ था। एसआईडीई अंशदान के ऊपर और अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी थी। इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना था और राज्य सरकार को 31 मार्च 2010 से पहले इसके उपयोग के तुरंत बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना था।

एसआईडीसीओ के रिकार्ड लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि दिसंबर 2008 में जीओआई द्वारा जारी ₹पाँच करोड़ की राशि को निगम ने लगभग दो साल के लिए

<sup>38</sup> 2015-18 के दौरान कुल बिक्री; ₹27.13 करोड़ (नकद बिक्री: ₹20.99 करोड़ + उधार बिक्री: ₹6.14 करोड़)

रोके रखा था। जीओआई द्वारा (जुलाई 2010 में) राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र की मांग पर इसे प्रबंध निदेशक (निदेशक, हस्तशिल्प विभाग, जेएंडके सरकार), जेएंडके इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, के बैंक खाते में (जनवरी 2011 में) हस्तांतरित किया गया जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक, नया सचिवालय, श्रीनगर में है। राशि के निवेश, अर्जित ब्याज, साथ ही एसआईटीसीओ द्वारा रोकी गई अवधि के दौरान खर्च की गई राशि के संबंध में इंगित करने वाला बैंक विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। हालाँकि, आईटीसी खाते के बैंक विवरण के अनुसार राशि को 11 जनवरी 2011 से चालू खाते में रखा गया था, जिससे कोई ब्याज अर्जित नहीं हुआ।

यद्यपि 371 कनाल और 6.5 मरला भूमि<sup>39</sup> आईटीसी की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा निदेशक हस्तशिल्प के पक्ष में (सितंबर 2004 में) हस्तांतरित की गई थी। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्पेशल पर्पज वेहिकल<sup>40</sup> (एसपीवी) को इसकी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए अप्रैल 2012 में गठित किया गया और परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जनवरी 2014 में तैयार की गई। परियोजना कार्य को शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि एसआईटीसीओपी<sup>41</sup> और जेकेपीसीसी<sup>42</sup> में से निष्पादन एजेंसी की पहचान के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया और डीपीआर को (नवंबर 2018 तक) अंतिम रूप नहीं दिया गया। यह (सितंबर 2017 में) कहा गया था कि संशोधित डीपीआर को तकनीकी पुनरीक्षण के लिए इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑफिस (आईटीपीओ) को सौंप दिया गया था, लेकिन अनुमोदन (नवंबर 2018 तक) प्रतीक्षित था। भूमि के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आर एंड बी विभाग को रूपांच करोड़ में से ₹1.01 करोड़ की राशि (सितंबर 2012 से जनवरी 2016) अग्रिम की थी और शेष ₹3.99 करोड़ रुपये चालू जमा खाते में रखे गए थे। हालाँकि, अनुमोदित डीपीआर की अनुपस्थिति में, बाड़ लगाने के निर्माण पर खर्च किए गए ₹1.01 करोड़ (नवंबर 2018) की राशि को इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह (मई 2018 में) कहा गया था कि राज्य सरकार ने अब (अक्टूबर 2017 में) जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (जेकेटीपीओ) नाम की एक कंपनी बनाई है तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए ₹0.05 करोड़ खर्च किए।

इस प्रकार, पंपोर में इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (आईटीसी) स्थापित करने के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप लगभग दस वर्षों के लिए ₹3.94 करोड़ अवरुद्ध हुए। इसके अलावा, भूमि पर बाड़ लगाने और पंजीकरण शुल्क के

<sup>39</sup> जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रबंधन वाली प्लाई बोर्ड फैक्ट्री की

<sup>40</sup> परियोजना शुरू करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के तहत

<sup>41</sup> स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

<sup>42</sup> जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन

भुगतान पर ₹1.06 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया और राज्य, राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, क्रेता/ विक्रेता वार्ता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संव्यवहारों के साथ ही विदेशी बाजारों के साथ इंटरफ़ेस करने की परिकल्पित सुविधा का लाभ नहीं मिल सका।

इस मामले को जुलाई 2018 में सरकार/ कंपनी को भेजा गया था और जवाब में, निदेशक वित्त, उद्योग और वाणिज्य विभाग ने (अक्टूबर 2018 में) कहा कि राशि एसआईडीसीओ द्वारा दो साल से कम समय के लिए रखी गई थी और इसे हस्तशिल्प निदेशालय को उनके इस आश्वासन के आधार पर हस्तांतरित कर दिया गया था कि एसपीवी का औपचारिक पंजीकरण हफ्तों के अन्दर किया जाएगा।

हालांकि, तथ्य यह है कि निधियों की उपलब्धता के बावजूद, परिकल्पित सुविधा स्थापित नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप निधियां अवरुद्ध हुईं और व्यय निष्फल हुआ।

### श्रम एवं रोजगार विभाग

#### (जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड)

#### 5.5 नई दिल्ली में कार्यालय स्थापित करने पर अनुत्पादक व्यय

बिना किसी सार्थक गतिविधि के जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का नई दिल्ली में अपना कार्यालय स्थापित करने की अनुचित योजना के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के वेतन, परिसर को किराए पर लेने और अन्य खर्चों के लिए ₹47.86 लाख का अनुत्पादक व्यय हुआ।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने राज्य के शिक्षित/ कुशल श्रमबल के लिए देश के अन्दर और बाहर रोजगार को सुगम बनाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसओईसीएल) की स्थापना के लिए (नवंबर 2009 में) स्वीकृति प्रदान की थी। प्रधान कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवारों को पासपोर्ट प्राप्त करने, पासपोर्ट वैधता में विस्तार करने, वीजा अनुमोदन, एयरलाइन्स आरक्षण और संबंधित एजेंसियों से दस्तावेजों के प्रमाणीकरण जैसे औपचारिकताओं के पूरा होने में सहायता/ सुविधा प्रदान करने के लिए दिसंबर 2010 से महाप्रबंधक (विपणन) का कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया। हालांकि, इसे मार्च 2012 से क्रियाशील बनाया गया।

एक महाप्रबंधक (विपणन), एक सहायक विपणन प्रबंधक, एक कंप्यूटर सहायक और एक अर्दली (संविदात्मक) के पद के प्रति, केवल एक महाप्रबंधक (विपणन) और एक अर्दली दिल्ली कार्यालय में तैनात थे।

कंपनी ने ₹ 30,000 के मासिक किराए पर कार्यालय परिसर को (दिसंबर 2010 में) किराए पर लिया। महाप्रबंधक (विपणन) को अगस्त 2011 से दिसंबर 2013 तक 28 महीनों की संक्षिप्त अवधि के लिए तैनात किया गया, जबकि जून 2016 तक यानी 2½ साल की अवधि के लिए परिसर किराए पर रहा।

प्रबंध निदेशक, जेकेएसओईसीएल, जम्मू के रिकॉर्डों की (फरवरी 2018 में) लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि कंपनी का प्रधान कार्यालय पूरी अवधि (दिसंबर 2010 से जून 2016) के दौरान नई दिल्ली कार्यालय में किसी भी उम्मीदवार का चयन करने और उसकी सिफारिश करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, नई दिल्ली कार्यालय किसी भी उम्मीदवार को सेवाएं प्रदान नहीं कर सका। इससे पता चला कि कार्यालय बिना किसी योजना के बनाया गया था और बिना किसी सार्थक गतिविधि के अस्तित्व में था। कर्मचारियों के वेतन के भुगतान पर और कार्यालय परिसर के किराए पर हुआ ₹47.86 लाख<sup>43</sup> का व्यय इस प्रकार अनुत्पादक रहा।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर, प्रबंधन ने (मार्च/ जुलाई 2018 में) कहा कि सरकार के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव के बाद उम्मीदवारों को विदेशी नौकरी प्रदान करने की गतिविधियों को जारी रखने के लिए स्पष्ट नीति के अभाव के कारण प्रत्याशित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी भी उम्मीदवार का चयन/ सिफारिश करने में प्रधान कार्यालय की विफलता के कारण नई दिल्ली में स्थापित कार्यालय अपने अनिवार्य कार्य नहीं कर सका।

इस प्रकार, आवश्यकता का आकलन किए बिना नई दिल्ली में कार्यालय स्थापित करने की अनुचित योजना के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के वेतन, परिसर को किराए पर लेने और अन्य व्ययों के लिए ₹47.86 लाख का अनुत्पादक व्यय हुआ।

इस मामले को अगस्त 2018 में सरकार/ कंपनी को भेजा गया था। निदेशक वित्त, श्रम और रोजगार विभाग ने प्रबंधन के पहले (जुलाई 2018) के उत्तर को (फरवरी 2019 में) अग्रोषित किया और अनुचित योजना व अनुत्पादक व्यय के कारणों का उल्लेख नहीं किया।

<sup>43</sup> कार्यालय परिसर का किराया: ₹20.10 लाख; महाप्रबंधक का वेतन: ₹19.17 लाख; अर्दली का वेतन: ₹ 2.49 लाख; रखरखाव व्यय: ₹0.76 लाख; विज्ञापन और यात्रा व्यय: ₹5.34 लाख

## विद्युत विकास विभाग

### (जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड)

#### 5.6 ब्याज का परिहार्य भुगतान

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 के दौरान कर योग्य आय पर अग्रिम कर जमा करने में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विफलता के परिणामस्वरूप ₹3.26 करोड़ का परिहार्य ब्याज का भुगतान हुआ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234 (बी) और 234 (सी) में कहा गया है कि जहां किसी भी वित्तीय वर्ष में एक कर निर्धारिती जो धारा 208 के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है ऐसे कर का भुगतान करने में विफल रहता है या, जहां धारा 210 के प्रावधानों के तहत ऐसे निर्धारिती द्वारा प्रदत्त अग्रिम कर निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम है, तो निर्धारिती अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज का भुगतान करने और अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगी।

जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेएंडकेएसपीडीसीएल) के रिकॉर्ड की (जुलाई 2017 में) नमूना जांच से पता चला कि निगम वित्तीय वर्ष 2014-15 (निर्धारण वर्ष 2015-16) के दौरान अग्रिम कर जमा कराने में विफल रहा जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की इन धाराओं में निर्धारित किया गया था। परिणामस्वरूप, निगम को आयकर विभाग द्वारा (दिसंबर 2016 में) यथा निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए (मार्च 2017 में) ₹3.26 करोड़ का ब्याज चुकाना पड़ा। अग्रिम कर के समय पर भुगतान से ब्याज के भुगतान से बचा जा सकता था।

जवाब में निदेशक वित्त, जेएंडकेएसपीडीसीएल ने (जुलाई 2017/ मई 2018 में) कहा कि विद्युत की बिक्री के प्रति, राज्य सरकार से अल्प राशि प्राप्त करने के बावजूद निगम ने ₹68.05 करोड़ के आयकर का भुगतान किया। यह भी कहा गया कि ब्याज का भुगतान, अवधि के दौरान उपलब्ध कम नकद शेष के कारण था। आगे यह कहा गया कि निगम की मूल राशि और ब्याज भुगतान के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों के प्रति वचनबद्ध देयताएं थीं।

हालांकि, तथ्य यह है कि अर्जित आय पर आयकर का भुगतान किया जाना होता है और राज्य सरकार से देयों की प्राप्ति न होने पर निगम को इसके वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में इसकी विफलता से विमुक्त नहीं करता है। इसके अलावा अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए निगम के पास 31 मार्च 2015 को ₹100.24 करोड़ की पर्याप्त नकदी और नकदी समकक्ष उपलब्ध थी। अग्रिम कर के गैर/ विलंबित भुगतान

के लिए निगम को परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा जो कि अविवेकी वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता था।

मामला मई 2018 में सरकार/ कंपनी को भेजा गया था उनका उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

### 5.7 अलाभप्रद व्यय/ परिहार्य व्यय

48 मेगावाट लोअर कलनई हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के डिजाइन, इंजीनियरिंग और कमीशनिंग के लिए संविदा के निष्पादन पर शिथिल पर्यवेक्षण और नियंत्रण के कारण ₹25.30 करोड़ का अलाभप्रद व्यय हुआ। कंपनी प्रति वर्ष 219.30 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाई और परियोजना हेतु लिए गए सावधि ऋण पर ₹17.49 करोड़ का ब्याज देना पड़ा। कंपनी संविदा के कार्य की प्रगति के साथ पीएमसी को परामर्शी शुल्क का चरणबद्ध तरीके से भुगतान करने में विफल रही, जिसके कारण ₹6.57 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। ₹79.20 करोड़ की बैंक/ निष्पादन गारंटी के नकदीकरण के बावजूद कंपनी को ₹11.20 करोड़ का न्यूनतम नुकसान हुआ।

राज्य सरकार ने निर्माण के दौरान वृद्धि सहित ₹576.87 करोड़ की अनुमानित समापन लागत के साथ 48 मेगावाट, लोअर कलनई हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एलकेएचईपी) के डिजाइन, इंजीनियरिंग और कमीशनिंग के लिए (अगस्त 2013 में) मंजूरी दी। परियोजना की अपेक्षित डिजाइन ऊर्जा 219.30 मिलियन यूनिट (एमयू) प्रति वर्ष के रूप में परिकल्पित की गई थी। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) ने ईपीसी<sup>44</sup> मोड पर एलकेएचईपी के डिजाइन, इंजीनियरिंग और कमीशनिंग के लिए ₹396 करोड़<sup>45</sup> की लागत पर एक फर्म<sup>46</sup> को ठेका देने की तारीख अर्थात् सितंबर 2013 से 48 महीनों के अन्दर पूरा करने का (सितम्बर 2017 में) जिम्मा दिया। अवार्ड की अधिसूचना की शर्तों के अनुसार संविदा करार पर अवार्ड की अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर हस्ताक्षर किए जाने थे। कंपनी ने काम के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेन्ट (पीएमसी) के रूप में ₹10.39 करोड़ की लागत पर अन्य फर्म<sup>47</sup> को भी (अक्टूबर 2013 में) लगाया। कार्यपालक अभियंता, सिविल कंस्ट्रक्शन डिवीजन-II एलकेएचईपी, ठाठरी के रिकार्डों की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि संविदाकार निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल रहा और संविदा करार करने की अधिसूचना जारी करने (12 सितम्बर 2013)

<sup>44</sup> इंजीनियरिंग, खरीदी तथा कमीशनिंग

<sup>45</sup> ईपीसी ठेका पैकेज के संयंत्र और उपकरणों की आपूर्ति के लिए ₹103.02 करोड़ की पहली संविदा और अंतर्देशीय परिवहन, बीमा, प्रतिष्ठापन, नियोजन, डिजाइन और इंजीनियरिंग, सिविल कार्य, आदि के लिए ₹292.98 करोड़ का दूसरी संविदा

<sup>46</sup> मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

<sup>47</sup> मैसर्स इंडो कैनेडियन कंसल्टेन्सी सर्विसेज जो रोडिक कंसल्टेन्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ सह-व्यवस्था में है

और हस्ताक्षर करने (23 अप्रैल 2014) के बीच साढ़े सात महीने नष्ट हो गए। मई/जून 2014 में शुरू किया गया कार्य बहुत धीमी गति से निष्पादित किया गया, चूंकि केवल 6.39 प्रतिशत (₹25.30 करोड़) प्रगति (अक्टूबर 2017 तक) हासिल की गई थी। आश्वासन के बावजूद, संविदाकार डिजाइन और इंजीनियरिंग गतिविधियों को अंतिम रूप देने और कार्य के निष्पादन में तेजी लाने में विफल रहा। कंपनी ने देरी के लिए संविदाकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। संविदाकार द्वारा (जुलाई 2017 में) मांगा गया समय विस्तार प्रदान नहीं किया गया और कंपनी ने (सितंबर 2017 में) संविदा को समाप्त करने का निर्णय लिया। हालांकि, कंपनी के पास उपलब्ध ₹79.20 करोड़ की बैंक/ निष्पादन गारंटी को (सितंबर 2017 में) ही भुनाया गया और संविदा को समाप्त नहीं किया गया। ₹65.68 करोड़<sup>48</sup> व्यय करने के बाद परियोजना का कार्य (अक्टूबर 2017 में) स्थगित कर दिया गया और फिर से (दिसंबर 2018 तक) शुरू नहीं किया जा सका। कंपनी वार्षिक रूप से ₹78.73 करोड़<sup>49</sup> मूल्य के अनुमानित 219.30 एमयू ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकी और परियोजना के लिए प्राप्त ₹45 करोड़ के सावधि कर्ज पर 2015-19 के दौरान ₹17.49 करोड़ का ब्याज देना पड़ा। ₹79.20 करोड़ की बैंक/ निष्पादन गारंटी के बावजूद, कंपनी परियोजना पर अब तक व्यय हुए ₹90.40 करोड़<sup>50</sup> की वसूली नहीं कर पाई और ₹11.20 करोड़ का न्यूनतम नुकसान हुआ।

लेखापरीक्षा जांच में यह भी पता चला कि त्रुटिपूर्ण संविदा प्रबंधन के कारण, ईपीसी संविदा के कार्य की प्रगति के साथ पीएमसी को परामर्शी शुल्क का चरणबद्ध तरीके से भुगतान नहीं किया गया था। अन्य चीजों के साथ भुगतान खंड में प्रावधान था कि दी गई परामर्शी सेवाओं के लिए अंतरिम भुगतान परामर्शदाता द्वारा मासिक बीजकों के प्रस्तुत/ संकलन करने पर मासिक अंतराल पर किए जाने थे। कंपनी ने ईपीसी संविदाकार द्वारा (फरवरी 2018 तक) निष्पादित 6.39 प्रतिशत (₹25.30 करोड़) कार्य के प्रति 70 प्रतिशत (₹7.23 करोड़) परामर्शी शुल्क निर्मुक्त किया, परिणामस्वरूप ₹6.57 करोड़<sup>51</sup> का परिहार्य व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा में बताए जाने पर, कार्यपालक अभियंता, सिविल कंस्ट्रक्शन डिविजन-II एलकेएचईपी, ठाठरी ने (दिसंबर 2017 में) स्वीकार किया कि परियोजना पूरी न होने के कारणों में करार पर हस्ताक्षर करने में देरी, परियोजना के कार्य निष्पादन में धीमी प्रगति, ठेकेदार द्वारा व्यक्तियों, मशीनरी, उपकरण और सामग्री की अपर्याप्त लामबंदी थी और आगे कहा गया कि संविदाकार की बैंक/ निष्पादन गारंटी को भुना

<sup>48</sup> सिविल कार्य: ₹54.85 करोड़ (₹28.87 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम सहित), ईएम कार्य: ₹9.87 करोड़ (संविदाकार को प्रारंभिक अग्रिम भुगतान), निर्माण के दौरान लागत में वृद्धि: ₹0.96 करोड़

<sup>49</sup> 219.30 एमयू को ₹3.59 प्रति केडब्ल्यूएच के लेवलाइज्ड टैरिफ के साथ गुणा किया गया है

<sup>50</sup> परियोजना कार्य पर व्यय: ₹65.68 करोड़; सावधि कर्ज पर ब्याज: ₹17.49 करोड़ और परामर्शी शुल्क: ₹7.23 करोड़

<sup>51</sup> ईपीसी संविदाकार द्वारा प्रतिशत में कार्य समापन होने के आधार पर गणना अर्थात् 6.39 प्रतिशत

लिया गया था। सरकार/ कंपनी को (अक्टूबर 2018 में) मामला भेजे जाने के बाद (दिसंबर 2018/ फरवरी 2019 में) यह भी कहा गया था कि संविदाकार ने कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि से पहले समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया था, जिसकी सिफारिश कॉरपोरेशन द्वारा की गई थी, लेकिन अभी तक उसे अमल में नहीं लाया जा सका। इसके अलावा, निदेशक मंडल को (सितंबर 2017 में) प्रस्तुत किए गए संविदा को समाप्त करने के प्रस्ताव को संविदा की अवधि समाप्त होने से पहले अनुमोदित नहीं किया जा सका। उत्तर पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है कि कार्य (फरवरी 2019 में) विराम पर आ गया था और प्रबंधन ने संविदा को या तो समाप्त करने या इसे विस्तारित करने के लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि में भी कोई निर्णय नहीं लिया, परिणामस्वरूप ₹25.30 करोड़ का अलाभप्रद व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, संविदात्मक दायित्वों के अनुसार परिसमापित क्षतियाँ, जो परियोजना के कमीशन होने के बाद देय थीं, वे भी संविदाकार से वसूल नहीं की जा सकीं।

श्रीनगर/जम्मू  
दिनांक: 3 फरवरी 2020

  
(सुशील कुमार ठाकुर)  
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)  
जम्मू व कश्मीर और लद्दाख

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 6 फरवरी 2020

  
(राजीव महर्षि)  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट



परिशिष्ट-1.1.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 1.10; पृष्ठ: 12)

वर्ष 2017-18 के दौरान स्वीकार की गई वसूली और वसूली किए गये मामलों का इकाई-वार विवरण

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	वसूली स्वीकार किए गए मामले		वसूली की गई	
		मामलों की संख्या	वसूली की राशि स्वीकृत	मामलों की संख्या	वसूल की गई राशि
1.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-एल, जम्मू	01	7.14	-	-
2.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-ई, जम्मू	04	35.59	-	-
3.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, बडगाम	05	10.37	-	-
4.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल, अनंतनाग-II	11	29.97	01	0.20
5.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-एल, श्रीनगर	02	0.06	-	-
6.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-डी, श्रीनगर	04	2.79	-	-
7.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-जे, श्रीनगर	06	0.73	-	-
8.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-राजौरी	02	7.73	-	-
9.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, कारगिल	09	4.93	-	-
10.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-जी, श्रीनगर	08	4.54	-	-

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और सा.क्षे.उ.)

क्र. सं.	इकाई का नाम	वसूली स्वीकार किए गए मामले		वसूली की गई	
		मामलों की संख्या	वसूली की राशि स्वीकृत	मामलों की संख्या	वसूल की गई राशि
11.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-के, जम्मू	04	6.53	-	-
12.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-जे, जम्मू	01	0.16	01	0.16
13.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-एल, जम्मू	07	6.47	01	0.03
14.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-बी, जम्मू	02	0.17	02	0.17
15.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-डी, जम्मू	02	1.60	02	1.60
16.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-एफ, जम्मू	03	9.94	01	0.50
17.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-आई, अनंतनाग	03	2.15	-	-
18.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, राजौरी	05	6.37	02	2.59
19.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-के, जम्मू	02	0.14	02	0.14
20.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-जी, जम्मू	02	23.63	01	0.03
21.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-बी, श्रीनगर	01	1.14	-	-
22.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, लेह	08	13.53	-	-

क्र. सं.	इकाई का नाम	वसूली स्वीकार किए गए मामले		वसूली की गई	
		मामलों की संख्या	वसूली की राशि स्वीकृत	मामलों की संख्या	वसूल की गई राशि
23.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल-एफ़, जम्मू	01	0.09	-	-
24.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, पुलवामा	-	-	01	1.34
25.	उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी, सांबा	-	-	01	0.04
26.	उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी, कठुआ	01	0.07	01	0.07
27.	उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी, न्यू इंडिया आसवनी	01	13.65	01	13.65
28.	उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी, तवी बाटलर्स	01	10.28	01	10.28
29.	क्षेत्रीय यातायात अधिकारी, जम्मू	01	22.58	01	22.58
	<b>कुल</b>	<b>97</b>	<b>222.35</b>	<b>19</b>	<b>53.38</b>

परिशिष्ट-2.3.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.3.9 और 2.3.11; पृष्ठ: 26 और 29)

मोटरवाहन कर की दर

क्र.सं.	मोटरवाहनों की श्रेणी	मोटरवाहन कर की दर
1.	गियर के साथ मोटर साइकिल	₹4,000 लाईफ टाइम टैक्स
2.	बिना गियर के मोटर साइकिल/ स्कूटर	₹2,400 लाईफ टाइम टैक्स
3.	लाइट मोटर व्हीकल (एनटी)	₹6,000 लाईफ टाइम टैक्स
4.	ऑटो रिक्शा (सवारी)	₹250 प्रति क्वाटर
5.	ऑटो रिक्शा (माल) (10,000 किग्रा)\ सकल वाहन वजन से कम)	1,000 किग्रा तक पंजीकृत सकल वाहन भार वाले वाहन, वह ₹400 है
6.	लाइट गुड्स व्हीकल (10,000 किग्रा सकल वाहन वजन से कम)	जो वाहन जीवीडब्ल्यू 1000 किग्रा से अधिक है लेकिन 3600 किग्रा से अधिक नहीं है, वह ₹900 है
7.	मध्यम माल वाहन	जीवीडब्ल्यू 3,600 किग्रा से अधिक लेकिन 8,100 किलोग्राम से अधिक नहीं वाले वाहन, वह ₹1,000 है
8.	भारी माल वाहन	8,100 किलोग्राम के जीवीडब्ल्यू से अधिक के वाहन ₹1,100 है
9.	कॉन्ट्रैक्ट कैरिज	₹250 उन वाहनों के लिए जिनकी बैठने की क्षमता 4 से अधिक नहीं है। ₹375 उन वाहनों के लिए जिनकी बैठने की क्षमता 7 से अधिक नहीं है और ₹600 उन वाहनों के लिए जिनके बैठने की क्षमता 12 से अधिक नहीं है।
10.	स्टेज कैरिज	₹600 उन वाहनों के लिए जिनकी बैठने की क्षमता 22 से अधिक नहीं है। ₹1,000 उन वाहनों के लिए जिनकी बैठने की क्षमता 38 से अधिक नहीं और ₹1,100 उन वाहनों के लिए जिनकी बैठने की क्षमता 39 से अधिक है।

सीएमवी नियम, 1989 के नियम 81 के तहत शुल्क लागू (₹ में)

मद	28.12.2016 तक की दरें	29.12.2016 से संशोधित दरें
1.वाहन के प्रत्येक वर्ग के संबंध में व्यापार प्रमाणपत्र का अनुदान या नवीकरण		
(क) मोटरसाइकिल	50	500
(ख) अवैध गाड़ी	50	500
(ग) अन्य	200	1000

सीएमवी नियम, 1989 के नियम 81 के तहत शुल्क लागू (₹ में)		
मद	28.12.2016 तक की दरें	29.12.2016 से संशोधित दरें
2. अनुलिपि व्यापार प्रमाण-पत्र:		
(क) मोटरसाइकिल	30	300
(ख) अवैध गाड़ी	30	300
(ग) अन्य	100	500
3. नियम 46 के तहत अपील	100	1000
4. पंजीकरण के प्रमाण पत्र के जारी या नवीकरण और नए पंजीकरण चिह्न का अभिहस्तांकन		
(क) अवैध गाड़ी	20	50
(ख) मोटरसाइकिल	60	300
(ग) तीन पहिया वाहन/क्वार्ड्रिसाइकल /लाइट मोटर वाहन /		
(i) गैर परिवहन	200	600
(ii) परिवहन	300	1,000
(घ) मध्यम माल वाहन	400	1,000
(ङ) मध्यम यात्री मोटर वाहन	400	1,000
(च) भारी माल वाहन	600	1,500
(छ) भारी यात्री मोटर वाहन	600	1,500
(ज) आयातित मोटर वाहन	800	5,000
(झ) आयातित मोटर साइकल	200	2,500
(ञ) कोई अन्य वाहन जिन्हें ऊपर उल्लेखित नहीं किया गया	300	3,000
5. पंजीकरण के डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करना	क्रमांक संख्या 4 के प्रति दर्शाये गए शुल्क का आधा हिस्सा	क्रमांक संख्या 4 के प्रति दर्शाये गए शुल्क का आधा हिस्सा
6. स्वामित्व का हस्तांतरण		
7. निवास का परिवर्तन		
8. पंजीकरण के प्रमाण पत्र में परिवर्तन की रिकॉर्डिंग		
9. किराया-खरीद/ पट्टे/ हाइपोथीकेशन अनुबंध का समझौता करना।	100	मोटरसाइकिल: ₹500, तीन पहिया/ क्वार्ड्रिसाइकिल/ हल्के मोटर वाहन: ₹1,500, मध्यम या भारी वाहन: ₹3,000

सीएमवी नियम, 1989 के नियम 81 के तहत शुल्क लागू (₹ में)		
मद	28.12.2016 तक की दरें	29.12.2016 से संशोधित दरें
10. किराया-खरीद/ पट्टे/ हाइपोथीकेशन समझौते को रद्द करना या पंजीकरण के नए प्रमाण पत्र जारी करना	100	शून्य
11. फिटनेस प्रमाण पत्र के अनुदान और नवीकरण के लिए वाहन का परीक्षण आयोजित करना:		
(i) दो/ तीन पहिया वाहन	100	200
(ii) लाइट मोटर वाहन	200	200
(iii) मध्यम मोटर वाहन	300	400
(iv) भारी मोटर वाहन	400	600
12. मोटर वाहन के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र का अनुदान या नवीकरण	100	200
13. प्राधिकरण पत्र का अनुदान या नवीकरण	5000	15000
14. प्राधिकरण के डुप्लिकेट पत्र जारी करना	5000	7500
15. नियम 70 के तहत अपील	4000	3000

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान परमिट देने के संबंध में शुल्क (₹ में)

जम्मू और कश्मीर मोटर वाहन नियम 1991 के नियम 79 परमिट के लिए आवेदन शुल्क (₹ में)			
क्र. सं.	परमिट का प्रकार	वाहन का प्रकार	राशि
i	राज्य की गाड़ी	(क) बड़ी बसे (एचटीवी)	350
		(ख) मध्यम बसे	225
		(ग) छोटी बसे	150
ii	विशेष सेवा स्टेज गाड़ी		350
iii	अनुबंध गाड़ियां (जिसमें पर्यटक वाहन भी शामिल हैं)	(क) छोटी बसें	350
		(ख) मध्यम बसें	225
		(ग) टैक्सी कैब और ऑटो रिक्शा	150
iv	माल गाड़ी		350
v	निजी सेवा वाहन		350
vi	विशेष परमिट		60
vii	माल ढुलाई के लिए राष्ट्रीय परमिट		350
viii	आंचलिक प्राधिकरण		50
ix	अस्थायी परमिट या काउंटर हस्ताक्षर की अनुमति		20
x	परमिट की प्रत्येक श्रेणी के लिए नवीकरण शुल्क		30

जम्मू और कश्मीर मोटर वाहन नियम 1991 के नियम 79 परमिट के लिए आवेदन शुल्क (₹ में)				
क्र. सं.	परमिट का प्रकार	वाहन का प्रकार	राशि	
xi	वाहनों का प्रतिस्थापन		60	
जम्मू-कश्मीर मोटर वाहन नियम 1991 के नियम 80 के तहत विभिन्न परमिटों के लिए शुल्क (₹ में)				
(क)	प्रथम वर्ष की वैधता के लिए परमिट शुल्क			
(i)	स्टेज कैरिज़	(क) बड़ी बसें	10000	
		(ख) मध्यम बसें	7000	
		(ग) शहरी मार्ग के लिए छोटी बसें	5000	
		(घ) ग्रामीण मार्गों के लिए छोटी बसें	3000	
(ii)	अनुबंध गाड़ियां	(क) ऑल इंडिया ओमनी बसें (भारी/ मध्यम)	10000	
		(ख) ऑल इंडिया ट्यूरिस्ट टैक्सी कैब	750	
		(ग) टैक्सी कैब	750	
		(घ) थ्री-व्हीलर्स (ऑटो रिक्शा)		
		(i) शहरी मार्ग	1000	
		(ii) ग्रामीण मार्ग	500	
(iii)	माल गाड़ियां	(क) माल ढुलाई (व्यापार और व्यवसाय) सहित माल गाड़ियां	7000	
		(ख) राष्ट्रीय परमिट के लिए माल ढुलाई	7000	
(iv)	निजी सेवा वाहन		3500	
(ख)	रूट बदलने के लिए शुल्क			
(क)	स्टेज कैरिज़	1. स्टेज कैरिज़ (बड़ी बसें)		1500
		2. मध्यम गाडी यात्री बसें		
		(i) ग्रामीण मार्ग	1750	
		(ii) शहरी मार्ग	3000	
(ख)	राज्य की गाड़ियां	छोटी बसें		
		(i) ग्रामीण मार्ग	500	
		(ii) शहरी मार्ग	750	
(ग)	माल गाड़ी (व्यापार और व्यवसाय)		500	

जम्मू-कश्मीर मोटर वाहन नियम 1991 के नियम 80 के तहत विभिन्न परमिटों के लिए शुल्क (₹ में)			
क्र. सं.	परमिट का प्रकार	वाहन का प्रकार	राशि
(ग)	अस्थायी परमिट के लिए शुल्क	(i) हल्के परिवहन वाहनों (माल/ यात्री) के लिए	20 प्रति दिन
		(ii) मध्यम परिवहन वाहनों (माल/ यात्री) के लिए	25 प्रति दिन
		(iii) भारी परिवहन वाहनों (माल/ यात्री) के लिए	40 प्रति दिन
(घ)	प्रतिहस्ताक्षर और परमिट के लिए शुल्क	(i) हल्के परिवहन वाहनों (माल/ यात्री) के लिए	मूल आधार पर= ½ (मुक्त परमिट की स्वीकृति हेतु निर्धारित राशि का)
		(ii) मध्यम परिवहन वाहनों (माल/ यात्री) के लिए	अस्थायी आधार पर ₹20 प्रति दिन या ₹100 प्रति सप्ताह या ₹250 प्रति माह या उसके भाग पर अधिकतम 4 महीने तक
		(i) भारी परिवहन वाहनों (माल/ यात्री) के लिए	
		(ii) टैक्सी/ मैक्सी कैब के लिए राष्ट्रीय परमिट और नौ साल पूरे होने के बाद स्थानीय परमिट में परिवर्तित किया जाना	4000
		(iii) राष्ट्रीय परमिट रखने वाली बसों के लिए और नौ साल पूरे होने के बाद स्थानीय परमिटों में परिवर्तित किया जाना	10000
(इ)	परमिटों का नवीकरण	(i) भारी और मध्यम यातायात वाहन	300 प्रति वर्ष
		(ii) हल्के मोटर वाहन	125 प्रति वर्ष
(च)	परमिट के प्रतिस्थापन के लिए शुल्क	(i) हल्के मोटर वाहन	100
		(ii) भारी माल वाहन और अन्य	500
(छ)	परमिट के नवीकरण के लिए विलंबित किए गए आवेदनों के लिए अतिरिक्त शुल्क	परमिट के सभी श्रेणियों के नवीकरण के लिए विलंबित आवेदनों के संबंध में अतिरिक्त शुल्क प्रभार्य निम्नानुसार होंगे:	10 दिनों के प्रति ₹45 तथा प्रत्येक बाद के दिन के लिए ₹20
		ऐसे वाहनों के लिए नए परमिट प्रदान करने हेतु निर्धारित शुल्क की अधिकतम राशि के अधीन।	

जम्मू-कश्मीर मोटर वाहन नियम 1991 के नियम 80 के तहत विभिन्न परमिटों के लिए शुल्क (₹ में)			
क्र. सं.	परमिट का प्रकार	वाहन का प्रकार	राशि
(ज)	(क)	जम्मू और कश्मीर राज्य में पेश करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के राष्ट्रीय परमिट वाले माल गाड़ी के संबंध में समेकित शुल्क प्रति वर्ष ₹15,000 होगा।	
	(ख)	पूर्वोक्त समेकित शुल्क वार्षिक आधार पर एकत्र किया जाएगा। उक्त अवधि के भीतर शुल्क जमा करने में विफलता के मामले में ₹100 प्रति माह या उसके भाग की एक अतिरिक्त राशि शुल्क के अतिरिक्त जुर्माना के रूप में वसूली योग्य होगी और	
	(घ)	जम्मू व कश्मीर के अलावा किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वाहन चलाने के प्रयोजन हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण (जम्मू व कश्मीर) द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय परमिट रखने वाले माल ढुलाई वाहनों से संबंधित समेकित शुल्क राज्य परिवहन प्राधिकरण (जम्मू व कश्मीर) द्वारा ₹1,5000 की दर पर प्रति वर्ष एकत्रित किया जाएगा तथा राज्य जम्मू व कश्मीर के प्रति ₹1,000 प्राधिकरण शुल्क के रूप में भी एकत्रित किए जाएंगे। संशोधित नियम <sup>1</sup> प्रति वाहन ₹16,500 प्रति वर्ष के राष्ट्रीय परमिट शुल्क की उगाही का उपबंध करता है (संशोधित दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी)।	

<sup>1</sup> सरकारी आदेश संख्या आरटी-16031/6/2010-टी दिनांक 2 अप्रैल 2012 का आवलोकन करें

पृशिष्ट-2.3.2

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.3.20.1; पृष्ठ: 39)

सरकारी लेखे में राजस्व जमा करने में देरी के महत्वपूर्ण उदाहरण

क्र.सं.	राशि (₹ में)	विभाग के पास जमा	सरकारी लेखे में जमा	प्रेषण में विलंब
<b>सिविल सचिवालय खाता संख्या 00846</b>				
1.	3,58,78,125	06.01.2018	08.01.2018	2 दिन
2.	3,26,40,940	05.01.2018	08.01.2018	3 दिन
3.	2,98,85,065	04.01.2018	08.01.2018	4 दिन
4.	2,66,69,090	03.01.2018	08.01.2018	5 दिन
5.	2,28,54,565	02.01.2018	08.01.2018	6 दिन
6.	97,19,690	30.12.2017	08.01.2018	9 दिन
7.	61,18,670	29.12.2017	08.01.2018	10 दिन
<b>आरटीओ जम्मू</b>				
1.	2,79,86,001	11.15.2015	15.12.2015 (₹55,22,126)	4 दिन
<b>सिविल सचिवालय खाता संख्या 00817</b>				
1.	1,77,09,565	16.09.2017	20.11.2017	65 दिन
2.	1,62,65,985	14.08.2017	20.11.2017	97 दिन

## परिशिष्ट-2.3.3

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.3.20.2; पृष्ठ: 40)

सरकारी लेखे में बैंक ड्राफ्ट के विलंबित जमा के उदाहरण

(क) परिवहन आयुक्त द्वारा बैंक ड्राफ्ट के विलंबित जमा के उदाहरण

बैंक ड्राफ्ट संख्या	दिनांकित	राशि	बैंक में जमा और विलंबन की दिनांक (दिनों में)	सरकारी बैंक खाते में जमा और विलंबन की दिनांक (दिनों में)
68133	28.02.2016	3,000	06.03.2017 (371)	09.03.2017 (3)
533521	05.11.2016	1,330	03.03.2017(119)	09.03.2017(6)
533520	05.11.2016	1,330	03.03.2017(119)	09.03.2017(6)
282517	20.10.2016	1,620	04.03.2017(136)	09.03.2017(5)
299906	19.10.2016	1,370	04.03.2017(137)	20.05.2017 (77)
533210	24.11.2016	1,330	03.03.2017(100)	09.03.2017(6)
352723	15.11.2016	1,500	03.03.2017(109)	29.06.2017(118)
352744	29.11.2016	1,350	03.03.2017(95)	29.06.2017(118)

(ख) आरटीओ कठुआ द्वारा देरी से जमा करने और बैंक द्वारा विलंबित ऋण के उदाहरण

खाता संख्या सीडी-51			
ड्राफ्ट प्राप्त करने की तिथि	ड्राफ्ट की राशि	बैंक में प्रस्तुत करने की तिथि और विलंब (दिनों में)	बैंक में जमा करने की तिथि और विलंब (दिनों में)
04.05.2016	2,24,680.00	16.06.2016 (43 दिन)	11.07.2016 (25 दिन)
1.05.2016 to 08.05.2016	33,390.00	09.05.2016 (08 दिन)	20.07.2016 (72 दिन)
10.05.2016	4,52,150.00	-	30.05.2016 (20 दिन)
12.05.2016	4,19,620.00	16.06.2016 (35 दिन)	14.07.2016 (28 दिन)
13.05.2016	1,43,640.00	16.06.2016 (34 दिन)	14.07.2016 (28 दिन)
16.05.2016	1,09,750.00	16.06.2016 (30 दिन)	07.07.2016 (21 दिन)
09.05.2016 to 15.05.2016	37,440.00	16.05.2016 (07 दिन)	15.06.2016 (29 दिन)
16.05.2016 to 23.05.2016	35,130.00	23.05.2016 (07 दिन)	15.06.2016 (29 दिन)
18.05.2016	2,09,520.00	16.06.2016 (28 दिन)	07.07.2016 (21 दिन)
19.05.2016	66,720.00	16.06.2016 (27 दिन)	20.06.2016 (04 दिन)
20.05.2016	67,880.00	16.06.2016 (27 दिन)	20.06.2016 (04 दिन)
24.05.2016	2,17,800.00	16.06.2016 (22 दिन)	29.06.2016 (13 दिन)
26.05.2016	1,37,100.00	16.06.2016 (20 दिन)	15.07.2016 (29 दिन)
27.05.2016	85,780.00	16.06.2016 (19 दिन)	05.07.2016 (19 दिन)

**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और सा.क्षे.उ.)**

ड्राफ्ट प्राप्त करने की तिथि	ड्राफ्ट की राशि	बैंक में प्रस्तुत करने की तिथि और विलंब (दिनों में)	बैंक में जमा करने की तिथि और विलंब (दिनों में)
23.05.2016 to 31.05.2016	38,690.00	02.06.2016 (09 दिन)	20.07.2016 (48 दिन)
8.03.2017 to 14.03.2017	11,710.00	15.03.2017 (07 दिन)	06.06.2017 (81 दिन)
<b>खाता संख्या सीडी-245:</b>			
04.05.2016	29,870.00	16.06.2016 (43 दिन)	11.07.2016 (26 दिन)
12.05.2016	11,970.00	16.06.2016 (35 दिन)	16.07.2016 (30 दिन)
19.05.2016	30,280.00	16.06.2016 (27 दिन)	20.06.2016 (04 दिन)
20.05.2016	15,440.00	16.06.2016 (26 दिन)	20.06.2016 (04 दिन)
26.05.2016	18,150.00	16.06.2016 (20 दिन)	15.07.2016 (29 दिन)
27.05.2016	41,600.00	16.06.2016 (19 दिन)	05.07.2016 (19 दिन)
<b>खाता संख्या सीडी-176:</b>			
1.05.2016 to 08.05.2016	29,700.00	09.05.2016 (07 दिन)	10.06.2016 (31 दिन)
09.05.2016 to 15.05.2016	33,000.00	16.05.2016 (07 दिन)	27.06.2016 (42 दिन)
16.05.2016 to 22.05.2016	31,020.00	23.05.2016 (07 दिन)	10.06.2016 (17 दिन)
23.05.2016 to 31.05.2016	34,980.00	02.06.2016 (09 दिन)	15.07.2016 (43 दिन)
08.03.2017 to 14.03.2017	79,20.00	15.03.2017 (07 दिन)	30.06.2017 (105 दिन)
23.03.2017 to 31.03.2017	59,40.00	31.03.2017 (09 दिन)	07.04.2017 (07 दिन)

## परिशिष्ट-2.3.4

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.3.20.3; पृष्ठ: 41)

राजस्व प्राप्तियों के उचित लेखांकन के लिए आवश्यक अभिलेखों के रख-रखाव के संबंध में  
कार्यालय-वार स्थिति

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	नकदी संभालने के लिए निर्धारित रिकॉर्ड के रखरखाव के संबंध में स्थिति				
		राजस्व रोकड़ बही	सहायक रोकड़ बही	प्रेषण रजिस्टर	जीआर पुस्तकों का स्टॉक रजिस्टर	बैंक मिलान किया गया
1.	आरटीओ जम्मू	हाँ	नहीं	हाँ	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं
2.	आरटीओ कठुआ	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं	हाँ	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं
3.	एआरटीओ राजौरी	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं
4.	एआरटीओ सांभा	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
5.	एआरटीओ उधमपुर	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
6.	एआरटीओ लेह	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
7.	आरटीओ श्रीनगर	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
8.	एआरटीओ अनंतनाग	हाँ	नहीं	हाँ	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं
9.	एआरटीओ बारामूला	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं	हाँ	हां, लेकिन ठीक से नहीं	नहीं
10.	परिवहन आयुक्त	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
11.	एआरटीओ बडगाम	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
12.	एआरटीओ कुपवाडा	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं

परिशिष्ट-2.3.5

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.3.21; पृष्ठ: 41)

पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रतिवेदनों में मोटर वाहन करों पर दर्शाये गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों का धन मूल्य

क्र.सं.	पैरा संख्या	पैरा शीर्षक	अवलोकन	निधि मूल्य (₹ करोड़ में)
<b>(क) पैरा 6.2: "मोटर वाहनों पर कर" 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल है।</b>				
1	6.2.7.1	वाहनों का पंजीकरण	अप्रैल 1988 और 1992 के बीच पंजीकृत 932 गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के गैर-नवीकरण के कारण नवीकरण शुल्क की गैर-वसूली	0.0151
2	6.2.7.2	परमिट जारी करना	वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 के दौरान 126 परमितों के गैर-नवीकरण के कारण गैर-वसूली	0.0609
			550 मामलों में परमिट शुल्क की अल्प वसूली	0.0226
			55 मामलों में परमिट प्राप्त नहीं होने के कारण गैर-वसूली	0.0450
3	6.2.7.3	वाहनों के फिटनेस/ निरीक्षण	वर्ष 2003-04 से वर्ष 2006-07 के दौरान निरीक्षण में कमी के कारण निरीक्षण/ फिटनेस शुल्क की गैर-वसूली	9.2500
4	6.2.7.4	कर की उगाही	वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 के दौरान 2,782 वाहनों के संबंध में ब्याज के साथ साथ टोकन टैक्स की गैर-वसूली	1.1500
5	6.2.8.1	संवाहक लाइसेंस जारी करना	संवाहक लाइसेंस जारी करने और उसके नवीकरण के कारण गैर-वसूली	0.3769
6	6.2.8.2	ड्राइविंग संस्थाओं द्वारा लाइसेंस जारी	2 से 11 वर्ष के बीच की अवधि के लिए 11 ड्राइविंग संस्थानों के लाइसेंस शुल्क की गैर-वसूली	0.0047
7	6.2.8.3	एजेंट लाइसेंस (माल)	पिछले 1 से 11 वर्षों में 70 मामलों में एजेंट लाइसेंस का गैर-नवीकरण	0.1069
8	6.2.8.4	मोटर परिवहन सेवा लाइसेंस	अप्रैल 2003 से मार्च 2008 के बीच 81 मामलों में लाइसेंस शुल्क की अल्प वसूली	0.0528
			अप्रैल 2003 से मार्च 2008 के बीच 56 मामलों में लाइसेंस का नवीकरण नहीं होने के कारण लाइसेंस शुल्क की गैर-वसूली।	0.0835

क्र.सं.	पैरा संख्या	पैरा शीर्षक	अवलोकन	निधि मूल्य (₹ करोड़ में)
9	6.2.9	व्यापार प्रमाण-पत्र	अगस्त 2001 से मार्च 2008 के दौरान 40 मामलों में व्यापार प्रमाण पत्र के गैर-नवीकरण के कारण फीस की गैर-वसूली।	0.0046
10	6.2.10	प्रदूषण जांच केंद्र	1 और 8 साल के बीच 4 प्रदूषण जांच केंद्रों के लाइसेंस शुल्क के गैर-नवीकरण के कारण नवीकरण शुल्क की गैर-वसूली।	0.0048
11	6.2.11	दंड और अपराध	अप्रैल 2004 और मार्च 2008 के बीच बुक किए गए 1,28,620 मामलों में वाहनों की लोडिंग के लिए जुर्माने की वसूली नहीं होने के कारण राजस्व घाटा	25.7200
			अप्रैल 2004 से मार्च 2008 के बीच मोटर वाहन विभाग के नोटिस से बचे 10,919 ओवरलोड वाहनों पर जुर्माने की उगाही नहीं होने के कारण राजस्व का नुकसान	2.7300
12	6.2.12.1	रोकड़ बही	उचित जाँच न होने के कारण अल्प लेखांकन	0.0163
			<b>कुल</b>	<b>39.6441</b>
<b>(ख) पैरा 6.3: "परिवहन विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार में कम्प्यूटरीकरण की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा" 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल</b>				
1	6.3.13.2	रोड टैक्स की दरों को गलत लगाना	मई 2005 से मार्च 2008 तक 1,859 मामलों में मार्ग कर की लघु उगाही/ अधिक्य उगाही	0.0828
				0.0109
2	6.3.13.5	वाहनों के विलंबित पंजीकरण	17,181 वाहनों के पंजीकरण में विलंबन के लिए जुर्माने की गैर उगाही के-परिणामस्वरूप राजस्व घाटा	0.1718
			<b>कुल</b>	<b>0.2655</b>
<b>(ग) पैरा: 3.5: "मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण" 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल</b>				
1	3.5.9.6	चूककर्ताओं की सूची का सृजन और अतिरिक्त कर की गणना के लिए प्रावधान	13,369 माल और यात्री वाहनों के कर के भुगतान में चूक	12.3600
			<b>कुल</b>	<b>12.3600</b>

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और सा.क्षे.उ.)

क्र.सं.	पैरा संख्या	पैरा शीर्षक	अवलोकन	निधि मूल्य (₹ करोड़ में)
<b>(घ) पैरा 2.6: "मोटर वाहन विभाग पर कर जुटाना" 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल</b>				
1	2.6.3	बकाया टोकन कर	मार्च 2013 तक 7123 वाहनों के प्रति बकाया कर 3 से 69 महीने के बीच की अवधि के लिए	3.1900
2	2.6.4 (i)	माल ढुलाई के लिए राष्ट्रीय परमिटों का गैर-नवीकरण	वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 के दौरान 1,391 माल गाड़ियों के गैर-नवीकरण के कारण गैर-वसूली	0.2464
3	2.6.4 (ii)	जम्मू और कश्मीर सड़क परिवहन निगम के परमिटों का गैर-नवीकरण	मार्च 2013 तक एसआरटीसी वाहनों के 378 परमिटों के गैर-नवीकरण के कारण बकाया राजस्व	0.3128
4	2.6.4 (iii)	जिला मार्ग परमिटों का गैर-नवीकरण	मार्च 2013 तक पिछले 1 से 12 वर्षों के लिए 404 जिला मार्गों के गैर-नवीकरण के कारण बकाया राजस्व	0.2026
5	2.6.4 (iv)	वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीकरण	मार्च 2013 तक परिवहन वाहनों के 4,245 फिटनेस प्रमाणपत्रों के गैर-नवीकरण के कारण बकाया राजस्व	0.3911
6	2.6.6	यात्री कल्याण निधि	वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान यात्री कल्याण निधि के लिए योगदान की अल्प उगाही	4.7600
7	2.6.7	माल एजेंट व्यवसाय लाइसेंस का गैर-नवीकरण	मार्च 2013 तक 64 व्यावसायिक लाइसेन्स के गैर-नवीकरण होने के कारण राजस्व की गैर-वसूली	0.2593
8	2.6.8	मोटर परिवहन सेवा लाइसेंस का गैर-नवीकरण	वर्ष 1997-1998 से वर्ष 2012-13 के बीच 83 मोटर परिवहन सेवा लाइसेन्सों के गैर-नवीकरण के कारण राजस्व की गैर-वसूली	0.4187
			<b>कुल</b>	<b>9.7809</b>
			<b>कुल योग</b>	<b>62.0505</b>

परिशिष्ट-3.1.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.7; पृष्ठ: 70)

31 मार्च 2018 तक राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋणों की स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम और क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह और वर्ष	वर्ष 2017-18 के अंत में इक्विटी				वर्ष 2017-18 के अंत में दीर्घकालिक ऋणों का बकाया			
				जम्मू और कश्मीर सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल	जम्मू और कश्मीर सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (ए)	5 (बी)	5 (सी)	5 (डी)	6 (ए)	6 (बी)	6 (सी)	6 (डी)
<b>ए.</b>	<b>सामाजिक क्षेत्र</b>										
	<b>I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ</b>										
1.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	कृषि उत्पादन	30 जनवरी 1970	2.60	0.94	0	3.54	61.25	0	0	61.25
2.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	कृषि उत्पादन	10 अप्रैल 1978	6.00	3.20	0	9.20	109.64	0	0	109.64
3.	जम्मू एंड कश्मीर एससी, एसटी एंड ओबीसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	सामाजिक कल्याण	1 अप्रैल 1986	18.87	28.05	0	46.92	0	0	43.08	43.08
4.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	सामाजिक कल्याण	10 मई 1996	10.00	0	0	10.00	0	0	48.78	48.78
5.	जम्मू एंड कश्मीर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	उद्योग और वाणिज्य	28 नवंबर 1975	3.12	0	0	3.12	10.38	0	0	10.38
6.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	उद्योग और वाणिज्य	17 मार्च 1969	17.65	0	0	17.65	8.05	0	0	8.05
7.	जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	उद्योग और वाणिज्य	4 अक्टूबर 1960	16.27	0	0	16.27	622.35	0	0	622.35
8.	जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	वित्त	10 अक्टूबर 2010	4.06	0	0	4.06	0	0	0	0

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और पीएसयू)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम और क्षेत्र	विभाग का नाम	संयोजन का माह और वर्ष	वर्ष 2017-18 के अंत में इक्विटी				वर्ष 2017-18 के अंत में दीर्घकालिक ऋणों का बकाया			
				जम्मू और कश्मीर सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल	जम्मू और कश्मीर सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (ए)	5 (बी)	5 (सी)	5 (डी)	6 (ए)	6 (बी)	6 (सी)	6 (डी)
9.	जम्मू एंड कश्मीर हेंडीक्राफ्ट (सेल्स एंड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	उद्योग और वाणिज्य	6 जनवरी 1970	7.08	0.89	0	7.97	137.80	0	0	137.80
10.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हेंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	उद्योग और वाणिज्य	29 जून 1981	3.49	1.50	0	4.99	148.58	0	0	148.58
11.	जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड	स्वास्थ्य	31 मार्च 2014	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
<b>कुल ए I</b>				<b>89.19</b>	<b>34.58</b>	<b>0</b>	<b>123.77</b>	<b>1098.05</b>	<b>0</b>	<b>91.86</b>	<b>1189.91</b>
<b>II. निष्क्रिय कंपनी</b>											
12.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हेंडलूम हेंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज आर्गनाइजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक)	उद्योग और वाणिज्य	29 नवंबर 1991	0.40	0	0	0.40	उपलब्ध नहीं			
<b>कुल ए II</b>				<b>0.40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>कुल ए (I+II)</b>				<b>89.59</b>	<b>34.58</b>	<b>0</b>	<b>124.17</b>	<b>1098.05</b>	<b>0</b>	<b>91.86</b>	<b>1189.91</b>
<b>बी.</b>	<b>प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र</b>										
<b>I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ</b>											
13.	जम्मू एंड कश्मीर सीमेंटस लिमिटेड	उद्योग और वाणिज्य	24 दिसंबर 1974	52.01	0	0	52.01	9.22	0	37.58	46.80
14.	जम्मू एंड कश्मीर मिनरल लिमिटेड	उद्योग	5 फरवरी 1960	8.00	0	0	8.00	462.35	0	0	462.35
15.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	28 नवंबर 1988	23.57	0	0	23.57	0	0	0	0
16.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	वित्त	10 अक्टूबर 1938	32.98	0	22.72	55.70	0	0	1628.34	1628.34
17.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड	वित्त	27 अगस्त 2009	0	0	20.00	20.00	0	0	0	0
18.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंसियल कॉरपोरेशन	वित्त	2 दिसंबर 1959	157.35	0	28.72	186.07	0.81	0	0	0.81
19.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन	यातायात	1 सितंबर 1976	178.05	15.01	24.79	217.85	645.45	0	0	645.45

क्र. सं.	पीएसयू का नाम और क्षेत्र	विभाग का नाम	संयोजन का माह और वर्ष	वर्ष 2017-18 के अंत में इक्विटी				वर्ष 2017-18 के अंत में दीर्घकालिक ऋणों का बकाया			
				जम्मू और कश्मीर सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल	जम्मू और कश्मीर सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (ए)	5 (बी)	5 (सी)	5 (डी)	6 (ए)	6 (बी)	6 (सी)	6 (डी)
20.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	13 फरवरी 1970	23.50	0	0	23.50	4.26	0	0	4.26
21.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फारेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	वन	1 जुलाई 1979	9.03	0	0	9.03	62.14	0	0	62.14
	<b>कुल बी I</b>			<b>484.49</b>	<b>15.01</b>	<b>96.23</b>	<b>595.73</b>	<b>1184.23</b>	<b>0</b>	<b>1665.92</b>	<b>2850.15</b>
	<b>II. निष्क्रिय कंपनी</b>										
22.	तवी स्कूटर्स लिमिटेड	उद्योग और वाणिज्य	15 दिसंबर 1976	0.80	0	0	0.80	0.83	0	0	0.83
23.	हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड	उद्योग और वाणिज्य	24 जनवरी 1978	1.37	0	0	1.37	0	0	0	0
	<b>कुल बी II</b>			<b>2.17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.17</b>	<b>0.83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.83</b>
	<b>कुल बी (I+II)</b>			<b>486.66</b>	<b>15.01</b>	<b>96.23</b>	<b>597.90</b>	<b>1185.06</b>	<b>0</b>	<b>1665.92</b>	<b>2850.98</b>
<b>सी.</b>	<b>अन्य</b>										
	<b>I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ</b>										
24.	जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	लोक निर्माण	22 मई 1965	1.53	0	0	1.53	0	0	0	0
25.	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गृह	26 दिसंबर 1997	2.05	0	0	2.05	0	0	0	0
	<b>कुल सी I</b>			<b>3.58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. निष्क्रिय कंपनियाँ</b>										
26.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	लोक निर्माण	31 मार्च 2013	5.00	0	0	5.00	कंपनियों ने स्थापना के बाद से अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए अभी तक इस कार्यालय में अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं।			
27.	जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड	उद्योग और वाणिज्य	1 फरवरी 2014	48.00	0	0	48.00				
	<b>कुल सी II</b>			<b>53.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>कुल सी (I+II)</b>			<b>56.58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>कुल योग (ए+बी+सी)</b>			<b>632.83</b>	<b>49.59</b>	<b>96.23</b>	<b>778.65</b>	<b>2283.11</b>	<b>0</b>	<b>1757.78</b>	<b>4040.89</b>

(स्रोत: सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संकलित)

परिशिष्ट-3.1.2

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.9; पृष्ठ: 73)

31 मार्च 2018 तक राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के रिकॉर्ड्स की तुलना में, जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार बकाया इन्विटी, ऋण, गारंटी का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू के नाम	राज्य पीएसयू के रिकॉर्ड्स के अनुसार			जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्तीय लेखाओं के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूंजी	ऋण बकाया	गारंटी प्रतिबद्ध	प्रदत्त पूंजी	ऋण बकाया	गारंटी प्रतिबद्ध	प्रदत्त पूंजी	ऋण बकाया	गारंटी प्रतिबद्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2.60	61.25	0	2.60	7.95	0	0	53.30	0
2.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	6.00	109.64	0	6.00	12.67	0	0	96.97	0
3.	जम्मू एंड कश्मीर एससी, एसटी एंड ओबीसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	18.87	0	43.07	17.57	0	43.07	1.30	0	0
4.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	10.00	0	55.21	13.66	0	55.21	-3.66	0	0
5.	जम्मू एंड कश्मीर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	3.12	10.38	0	4.12	0	0	-1.00	10.38	0
6.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	17.65	8.05	0	45.81	0	0	-28.16	8.05	0

क्र. सं.	पीएसयू के नाम	राज्य पीएसयूएज के रिकॉर्ड्स के अनुसार			जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्तीय लेखाओं के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूंजी	ऋण बकाया	गारंटी प्रतिबद्ध	प्रदत्त पूंजी	ऋण बकाया	गारंटी प्रतिबद्ध	प्रदत्त पूंजी	ऋण बकाया	गारंटी प्रतिबद्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	16.27	622.35	0	18.09	383.99	0	-1.82	238.36	0
8.	जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4.06	0	0	1.35	0	0	2.71	0	0
9.	जम्मू एंड कश्मीर हेंडीक्राफ्ट (सेल्स एंड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7.08	137.80	0	6.70	0	0	0.38	137.80	0
10.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3.49	148.58	0	12.81	0	0	-9.32	148.58	0
11.	जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0	0
12.	जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड	52.01	9.22	0	30.27	0	0	21.74	9.22	0
13.	जम्मू एंड कश्मीर मिनरल लिमिटेड	8.00	462.35	0	26.73	1.86	0	-18.73	460.49	0
14.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	23.57	0	0	23.82	0	0	-0.25	0	0
15.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	32.98	0	0	32.98	0	0	0	0	0
16.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और पीएसयू)

क्र. सं.	पीएसयू के नाम	राज्य पीएसयूएज़ के रिकॉर्ड्स के अनुसार			जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्तीय लेखाओं के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूंजी	ऋण बकाया	गारंटी प्रतिबद्ध	प्रदत्त पूंजी	ऋण बकाया	गारंटी प्रतिबद्ध	प्रदत्त पूंजी	ऋण बकाया	गारंटी प्रतिबद्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन	157.35	0.81	0	148.85	0	0	8.50	0.81	0
18.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन	178.05	645.45	0	164.85	346.73	0	13.20	298.72	0
19.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	23.50	4.26	0	23.51	0	0	-0.01	4.26	0
2.0	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9.03	62.14	0	9.03	0	0	0	62.14	0
21.	जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.53	0	0	1.53	0	0	0	0	0
22.	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2.05	0	0	2.05	0	0	0	0	0
						14.94 <sup>2</sup>			14.94	
	<b>कुल</b>	<b>577.26</b>	<b>2282.28</b>	<b>98.28</b>	<b>592.38</b>	<b>768.14</b>	<b>98.28</b>	<b>-15.12</b>	<b>1514.14</b>	<b>0</b>

<sup>2</sup> वित्त लेखाओं के अनुसार ₹14.94 करोड़ की ऋण राशि पर्यटन के लिए अग्रिम ऋण (सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों के लिए ऋण) के तहत थी।

## परिशिष्ट-3.1.3 (ए)

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.10: पृष्ठ: 75)

सितंबर 2018 तक बकाया लेखाओं वाले राज्य के कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू के नाम	अवधि जहाँ तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	बकाया लेखाओं की संख्या	नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूंजी	उस अवधि के दौरान जहाँ तक लेखे बकाया हैं राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश		
					ऋण	सब्सिडी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
ए.	<b>कार्यशील सरकारी कंपनियाँ</b>						
1.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्री इंस्ट्रूज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2003-04	14	3.54	6.05	0.43	6.48
2.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉटिकल्चर प्रोडूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2004-05	13	9.20	21.77	0	21.77
3.	जम्मू एंड कश्मीर स्माल स्केल इंस्ट्रूज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2006-07	11	3.12	0	0	0
4.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंस्ट्रूज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	5	14.47	0	0	0
5.	जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	4	1.97	0	0	0
6.	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2009-10	8	2.00	0	0	0
7.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	7	4.66	22.64	0.44	23.08
8.	जम्मू एंड कश्मीर हैंडीक्राफ्ट (सेल्स एंड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1999-2000	18	5.71	30.37	0	30.37
9.	जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूज लिमिटेड	2008-09	9	16.27	78.75	0	78.75
10.	जम्मू एंड कश्मीर मिनरल लिमिटेड	1996-97	21	8.00	62.12	0	62.12
11.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	5	15.96	0	0	0

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और पीएसयू)

क्र. सं.	पीएसयू के नाम	अवधि जहाँ तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	बकाया लेखाओं की संख्या	नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूंजी	उस अवधि के दौरान जहाँ तक लेखे बकाया हैं राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश		
					ऋण	सब्सिडी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	जम्मू एंड कश्मीर एससी, एसटी एंड ओबीसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2001-02	16	10.63	19.37	4.54	23.91
13.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	1	10.00	3.00	0	3.00
14.	जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड	2009-10	8	41.77	0	0	0
15.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	7	23.57	0	0	0
16.	जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	7	2.56	0	0	0
17.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पॉवर डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	4	5.00	258.58	15.54	274.12
	<b>कुल ए</b>		<b>158</b>	<b>178.43</b>	<b>502.65</b>	<b>20.95</b>	<b>523.60</b>
<b>बी.</b>	<b>कार्यशील सांविधिक निगम</b>						
18.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन	2013-14	4	178.37	131.08	0	131.08
19.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन	2016-17	1	98.19	2.48	0	2.48
	<b>कुल बी</b>		<b>5</b>	<b>276.56</b>	<b>133.56</b>	<b>0</b>	<b>133.56</b>
	<b>कुल (ए+बी)</b>		<b>163</b>	<b>454.99</b>	<b>636.21</b>	<b>20.95</b>	<b>657.16</b>

**परिशिष्ट-3.1.3 (बी)**  
**(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.10; पृष्ठ: 75)**  
**लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति**

क्र. सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	पीएसयू की संख्या <sup>3</sup>	23	23	24	24	24
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए गए लेखाओं की संख्या	14	19	29	24	40
3.	पीएसयू की संख्या जिन्होंने चालू वर्ष के लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया	3	3	3	3	3
4.	पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया	11	16	26	21	37 <sup>4</sup>
5.	पीएसयू की संख्या जहाँ लेखाओं में बकाया है	20	20	21	21	21
6.	बकाया लेखाओं की संख्या	183	190	183	181	163

<sup>3</sup> दो विद्युत क्षेत्र के पीएसयू के संबंध में लेखाओं का बकाया अर्थात् जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जो मार्च 2013 में निगमित किए गए और अन्य दो विद्युत क्षेत्र के पीएसयू यानि जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो जून 2013 में निगमित किए गए, इन पीएसयू पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि न तो ये क्रियाशील हुए और न ही इन्होंने स्थापना के बाद से अपने लेखाओं को प्रस्तुत किया है।

<sup>4</sup> चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जेएंडके बैंक लिमिटेड और जेएंडके बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

परिशिष्ट-3.1.4

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.11 (ए) और 3.1.15 (ए); पृष्ठ: 76 और 85)

30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार विद्युत क्षेत्र की छह कंपनियों के कार्य परिणामों और वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विद्युत क्षेत्र के उपक्रम का नाम और गतिविधि	लेखाओं की अवधि	ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि	ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ/हानि	कारोबार	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	नियोजित <sup>5</sup> पूंजी	निवल कीमत <sup>6</sup>	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ए.</b>	<b>विद्युत उत्पादन पीएसयू</b>									
1.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	433.41	160.23	992.46	5	1826.49	1652.68	-173.81	-178.81
2.	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (डीमंड सरकारी कंपनी)	2017-18	5.66	3.95	0	1051.44	0	1076.67	1076.67	25.23
<b>उप-कुल</b>			<b>439.07</b>	<b>164.18</b>	<b>992.46</b>	<b>1056.44</b>	<b>1826.49</b>	<b>2729.35</b>	<b>902.86</b>	<b>-153.58</b>
<b>बी.</b>	<b>विद्युत पारेषण पीएसयू</b>									
3.	जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड					0.05	यद्यपि कंपनी मार्च 2013 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है।			
<b>उप-कुल</b>						<b>0.05</b>				

<sup>5</sup> पूंजी नियोजित = शेयर पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियाँ - स्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं जिनके लिए सार्वजनिक उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

<sup>6</sup> निवल मूल्य = भुगतान की गई शेयर पूंजी और मुक्त भंडार का कुल योग और अधिशेष माइनस संचित हानियाँ और स्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं जिनके लिए सार्वजनिक उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

क्र. सं.	विद्युत क्षेत्र के उपक्रम का नाम और गतिविधि	लेखाओं की अवधि	ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि	ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ/हानि	कारोबार	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	नियोजित पूंजी	निवल कीमत	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>सी.</b>	<b>विद्युत वितरण पीएसयू</b>									
4.	जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड					0.05	यद्यपि कंपनी जून 2013 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है।			
5.	कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड					0.05	यद्यपि कंपनी जून 2013 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है।			
<b>उप-कुल</b>						<b>0.10</b>				
<b>डी.</b>	<b>अन्य पीएसयू</b>									
6.	जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड					0.05	यद्यपि कंपनी मार्च 2013 में निगमित हुई फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है।			
<b>उप-कुल</b>						<b>0.05</b>				
<b>कुल योग</b>			<b>439.07</b>	<b>164.18</b>	<b>992.46</b>	<b>1056.64</b>	<b>1826.49</b>	<b>2729.35</b>	<b>902.86</b>	<b>-153.58</b>

परिशिष्ट-3.1.5

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.11 (बी); पृष्ठ: 78)

30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप दिए गए नवीनतम खातों के अनुसार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के वित्तीय परिणामों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	पीएसयू का नाम, प्रकार और क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/ हानि	लाभांश, ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ/ हानि	कारोबार	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ए.	सामाजिक क्षेत्र										
	<b>I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ</b>										
1.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एगो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2003-04	2015-16	-3.51	-3.52	44.45	3.54	11.48	-3.44	-14.92	-18.46
2.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉटिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2004-05	2018-19	1.08	0.39	4.56	9.20	49.68	-7.19	-56.87	-75.49
3.	जम्मू एंड कश्मीर एससी, एसटी एंड ओबीसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2001-02	2016-17	-0.85	-1.27	0.11	10.63	10.76	16.38	5.62	-5.01
4.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	2018-19	2.29	0.89	3.24	10.00	91.52	119.26	27.74	8.87
5.	जम्मू एंड कश्मीर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2006-07	2018-19	1.66	1.09	218.68	3.12	8.63	-2.77	-11.40	-14.52
6.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	2018-19	-11.59	-11.65	27.24	14.47	22.72	-89.46	-112.18	-126.80
7.	जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2008-09	2018-19	-11.36	-43.50	3.66	16.27	489.06	-24.07	-513.13	-529.40
8.	जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2013-14	0	0	0	2.56	0	2.56	2.56	0

क्र.सं.	पीएसयू का नाम, प्रकार और क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/ हानि	लाभांश, ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ/ हानि	कारोबार	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	जम्मू एंड कश्मीर हेंडीक्राफ्ट (सेल्स एंड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1999-2000	2016-17	-3.15	-5.40	2.39	5.71	26.54	-3.78	-30.32	-36.03
10.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हेंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2018-19	-1.03	-6.75	6.63	4.66	83.57	2.05	-81.52	-86.18
11.	जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड						0.05	कंपनी यद्यपि मार्च 2014 में निगमित हुई फिर भी अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है।			
	<b>कुल ए-I</b>			<b>-26.46</b>	<b>-69.72</b>	<b>310.96</b>	<b>80.21</b>	<b>793.96</b>	<b>9.54</b>	<b>-784.42</b>	<b>-883.02</b>
	<b>II. निष्क्रिय सरकारी कंपनी</b>										
12.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हेंडलूम हेंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज आर्गनाइजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक)	1991-92	1999-2000	0	0	0	0.40	NA	0	0	0
	<b>कुल ए-II</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>कुल ए(I+II)</b>			<b>-26.46</b>	<b>-69.72</b>	<b>310.96</b>	<b>80.61</b>	<b>793.96</b>	<b>9.54</b>	<b>-784.42</b>	<b>-883.02</b>
<b>बी.</b>	<b>प्रतिस्पर्धी पर्यावरण क्षेत्र</b>										
	<b>I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ</b>										
13.	जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड	2009-10	2018-19	10.84	5.23	92.51	41.77	51.16	111.08	59.92	18.15
14.	जम्मू एंड कश्मीर मिनरल लिमिटेड	1996-97	2016-17	-5.44	-28.92	4.16	8.00	68.17	4.30	-63.87	-72.03
15.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2013-14	6.23	6.23	12.51	23.57	0	19.60	19.60	-3.97
16.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	2017-18	2018-19	497.98	202.72	6621.40	55.69	1628.34	1684.03	55.69	0
17.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	2018-19	-0.03	-0.02	5.49	20.00	0	16.37	16.37	-3.63

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और पीएसयू)

क्र.सं.	पीएसयू का नाम, प्रकार और क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/ हानि	लाभांश, ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ/ हानि	कारोबार	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	2015-16	0.26	0.26	30.74	15.96	4.26	16.34	12.08	-3.88
	<b>कुल बी-I</b>			<b>509.84</b>	<b>185.50</b>	<b>6766.81</b>	<b>164.99</b>	<b>1751.93</b>	<b>1851.72</b>	<b>99.79</b>	<b>-65.36</b>
	<b>II. कार्यशील सांविधिक निगम</b>										
19.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन	2016-17	2017-18	-1.00	-1.02	5.00	98.19	2.81	-34.50	-37.31	-135.50
20.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन	2013-14	2017-18	-44.74	-92.90	87.18	178.37	1079.45	109.70	-969.75	-1148.12
21.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फारेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड						9.03				
	<b>कुल बी-II</b>			<b>-45.74</b>	<b>-93.92</b>	<b>92.18</b>	<b>285.59</b>	<b>1082.26</b>	<b>75.20</b>	<b>-1007.06</b>	<b>-1283.62</b>
	<b>III. निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ</b>										
22.	तवी स्क्वर्स लिमिटेड	1989-90	1991-92	-0.06	-0.06	0	0.80	0.83	-	-	-1.04
23.	हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड	1999-2000	2000-01	-1.29	-1.29	0	1.37	0	-	-	-10.49
	<b>कुल बी-III</b>			<b>-1.35</b>	<b>-1.35</b>	<b>0</b>	<b>2.17</b>	<b>0.83</b>			<b>-11.53</b>
	<b>कुल बी (I+II+III)</b>			<b>462.75</b>	<b>90.23</b>	<b>6858.99</b>	<b>452.75</b>	<b>2835.02</b>	<b>1926.92</b>	<b>-907.27</b>	<b>-1360.51</b>
<b>सी.</b>	<b>अन्य</b>										<b>-</b>
	<b>I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ</b>										
24.	जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	2018-19	7.77	4.78	402.13	1.97	0.33	125.44	125.11	61.57
25.	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2009-10	2018-19	10.87	7.33	7.14	2.00	0	41.72	41.72	19.86

क्र.सं.	पीएसयू का नाम, प्रकार और क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/ हानि	लाभांश, ब्याज और कर के पश्चात निवल लाभ/ हानि	कारोबार	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	नियोजित पूंजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	कुल सी-I			18.64	12.11	409.27	3.97	0.33	167.16	166.83	81.43
	<b>II. निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ</b>										
26.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड						5.00				यद्यपि कंपनी मार्च 2014 में निगमित हो गई थी फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है।
27.	जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड						48.00				यद्यपि कंपनी फरवरी 2014 में निगमित हो गई थी फिर भी कंपनी ने अभी तक अपने लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया
	<b>कुल सी-II</b>						<b>53.00</b>	<b>-</b>			
	<b>कुल सी (I+II)</b>			<b>18.64</b>	<b>12.11</b>	<b>409.27</b>	<b>56.97</b>	<b>0.33</b>	<b>167.16</b>	<b>166.83</b>	<b>81.43</b>
	<b>कुल योग (ए+बी+सी)</b>			<b>454.93</b>	<b>32.62</b>	<b>7579.22</b>	<b>590.33</b>	<b>3629.31</b>	<b>2103.62</b>	<b>-1524.86</b>	<b>-2162.10</b>
<b>I</b>	<b>कार्यशील सरकारी कंपनियाँ</b>			<b>502.02</b>	<b>127.89</b>	<b>7487.04</b>	<b>249.17</b>	<b>2546.22</b>	<b>2028.42</b>	<b>-517.80</b>	<b>-866.95</b>
<b>II</b>	<b>कार्यशील सांविधिक निगम</b>			<b>-45.74</b>	<b>-93.92</b>	<b>92.18</b>	<b>285.59</b>	<b>1082.26</b>	<b>75.20</b>	<b>-1007.06</b>	<b>-1283.62</b>
<b>III</b>	<b>कार्यशील पीएसयू (I+II)</b>			<b>456.28</b>	<b>33.97</b>	<b>7579.22</b>	<b>534.76</b>	<b>3628.48</b>	<b>2103.62</b>	<b>-1524.86</b>	<b>-2150.57</b>
<b>IV</b>	<b>निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ</b>			<b>-1.35</b>	<b>-1.35</b>	<b>0</b>	<b>55.57</b>	<b>0.83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.53</b>

परिशिष्ट-3.1.6

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.12 (बी); पृष्ठ: 81)

30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप दिए गए नवीनतम खातों के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य के पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा)

2013-14	कंपनी का नाम	जम्मू एंड कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर एससी, एसटी एंड ओबीसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
	पीबीआईटी (₹ करोड़ में)	3.61	6.23	1861.14	0.13	0.21	0.89	1.38	1.43
2014-15	कंपनी का नाम	जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	
	पीबीआईटी (₹ करोड़ में)	0.01	0.6	3.61	1.38	0.89	6.23	1014.71	
2015-16	कंपनी का नाम	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	
	पीबीआईटी (₹ करोड़ में)	0.26	0.97	1.22	2.18	5.86	6.23	818.50	

2016-17	कंपनी का नाम	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
	पीबीआईटी (₹ करोड़ में)	0.26	0.82	4.10	5.86	6.23	8.00	
2017-18	कंपनी का नाम	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
	पीबीआईटी (₹ करोड़ में)	0.26	2.29	6.23	7.77	10.84	10.87	497.98

परिशिष्ट-3.1.7 (ए)

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.13 (ए); पृष्ठ: 82)

पाँच विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में उनके स्थापना से 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड			जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	कुल		
	इक्विटी	आईएफएल <sup>7</sup>	इक्विटी में परिवर्तित आईएफएल	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी में परिवर्तित आईएफएल
1994-95	5.00	0	0	0	0	0	0	5.00	0	0
1995-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996-97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>7</sup> ब्याज मुक्त ऋण

वर्ष	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड			जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	कुल		
	इक्विटी	आईएफएल <sup>8</sup>	इक्विटी में परिवर्तित आईएफएल	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी में परिवर्तित आईएफएल
2010-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	0	0	0.05	0	0	0.05	0.10	0	0
2013-14	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0.10	0	0
2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>कुल</b>	<b>5.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	<b>5.20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>8</sup> ब्याज मुक्त ऋण

परिशिष्ट-3.1.7 (बी)

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.13 (बी); पृष्ठ: 82)

वर्ष 1999-2000 से 2017-18 तक, राज्य के पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) में राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	1		2		3		4		5		6	
	इक्विटी	आईएफएल <sup>9</sup>	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल
वर्ष	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर एससी, एसटी एंड ओबीसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
1999-2000	0	0	0.10	0	0.03	0	1.00	0	0	0	0	0
2000-01	0	0	0.10	0	0.03	0	0	0	0	0	0	0
2001-02	0	0	0.10	0	0.03	0	0.80	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0.35	0	0.23	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	1.50	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	1.53	0	0.90	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	2.80	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0.70	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0.70	0	0.50	0	0	11.55	0	0	0	0
2008-09	0	0	0.20	0	0.16	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	1.00	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	0	1.00	0	1.00	0	0	0	0	0	4.06	0
2011-12	0	0	1.00	0	1.09	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	0	1.00	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	0.90	0	0.63	0	0	0	0	0	0	0
2014-15	0	0	0.90	0	0.31	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0	0	0.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017-18	0	3.50	0.90	0	0	3.00	0	0	0	1.37	0	0
<b>कुल</b>	<b>0</b>	<b>3.50</b>	<b>16.58</b>	<b>0</b>	<b>8.41</b>	<b>3.00</b>	<b>1.80</b>	<b>11.55</b>	<b>0</b>	<b>1.37</b>	<b>4.06</b>	<b>0</b>

<sup>9</sup> ब्याज मुक्त ऋण

क्र.सं.	7		8		9		10		11		12	
वर्ष	जम्मू एंड कश्मीर हैंडीक्राफ्ट (सेल्स एंड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर मिनरल लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल
1999-2000	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.16	0
2000-01	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0
2001-02	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.14	0
2002-03	0.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.15	0
2003-04	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.60	0
2004-05	0.20	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0
2005-06	0.25	0	0	0	0	0	4.00	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0.30	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	0	0	0	7.27	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	1.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	0	0	0	0	0	4.00	0	0	0	0	0
2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	0	0.05	0	2.25	0	0	0	0	0
2014-15	0	0	0	0	0	0	0	3.62	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017-18	0	4.25	0	5.11	0	0	0	0	0	1.11	0	0
<b>कुल</b>	<b>1.88</b>	<b>4.25</b>	<b>2.21</b>	<b>5.11</b>	<b>0.05</b>	<b>0</b>	<b>18.52</b>	<b>3.62</b>	<b>0</b>	<b>1.11</b>	<b>10.45</b>	<b>0</b>

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और पीएसयू)

क्र.सं.	13		14		15		16		17		18	
	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल	इक्विटी	आईएफएल
वर्ष	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन		जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
1999-2000	0	0	0	0	5.00	0	0.50	0	0	0	0	0
2000-01	0	0	0	0	3.38	0	0.45	0	0	0	0	0
2001-02	0	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	3.43	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	0	0	13.53	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	0	0	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	0	0	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	17.50	0	3.75	0	0	0	5.00	0	48.00	0
2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	0	5.95	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	3.66	0	0	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0
2017-18	3.55	0	87.88	2.48	3.75	30.00	0	0	0	0	0	0
<b>कुल</b>	<b>7.21</b>	<b>0</b>	<b>106.18</b>	<b>2.48</b>	<b>50.81</b>	<b>30.00</b>	<b>4.38</b>	<b>0</b>	<b>5.00</b>	<b>0</b>	<b>48.00</b>	<b>0</b>

## परिशिष्ट-3.1.8

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.1.15 (बी) पृष्ठ: 86)

30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार राज्य के पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के वित्तीय परिणामों का विवरण  
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	पीएसयू का नाम, क्षेत्र और प्रकार	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	मुक्त आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	संचित लाभ/ हानि	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए.	सामाजिक क्षेत्र							
	<b>I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ</b>							
1.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्री इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2003-04	2015-16	3.54	0	-18.46	0	-14.92
2.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2004-05	2018-19	9.20	9.42	-75.49	0	-56.87
3.	जम्मू एंड कश्मीर एससी, एसटी एंड ओबीसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2001-02	2016-17	10.63	0	-5.01	0	5.62
4.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	2018-19	10.00	8.87	8.87	0	27.74
5.	जम्मू एंड कश्मीर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2006-07	2018-19	3.12	0	-14.52	0	-11.40
6.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	2018-19	14.47	0.15	-126.80	0	-112.18
7.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2008-09	2018-19	16.27	0	-529.40	0	-513.13
8.	जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2013-14	2.56	0	0	0	2.56
9.	जम्मू एंड कश्मीर हैंडीक्राफ्ट (सेल्स एंड एक्सपोर्ट) डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1999-2000	2016-17	5.71	0	-36.03	0	-30.32
10.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2018-19	4.66	0	-86.18	0	-81.52
	<b>कुल ए-1</b>			<b>80.16</b>	<b>18.44</b>	<b>-883.02</b>	<b>0</b>	<b>-784.42</b>

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और पीएसयू)

क्र .सं.	पीएसयू का नाम, क्षेत्र और प्रकार	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	मुक्त आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	संचित लाभहानि /	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>बी.</b>	<b>प्रतिस्पर्धी पर्यावरण क्षेत्र</b>							
	<b>I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ</b>							
11.	जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड	2009-10	2018-19	41.77	0	18.15	0	59.92
12.	जम्मू एंड कश्मीर मिनरल लिमिटेड	1996-97	2016-17	8.00	0.16	-72.03	0	-63.87
13.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2013-14	23.57	0	-3.97	0	19.60
14.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	2017-18	2018-19	55.69	0	0	0	55.69
15.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	2018-19	20.00	0	-3.63	0	16.37
16.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	2015-16	15.96	0	-3.88	0	12.08
	<b>कुल बी-I</b>			<b>164.99</b>	<b>0.16</b>	<b>-65.36</b>	<b>0</b>	<b>99.79</b>
	<b>II. कार्यशील सांविधिक निगम</b>							
17.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	98.19	0	-135.50	0	-37.31
18.	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	2017-18	178.37	0	-1148.12	0	-969.75
	<b>कुल बी II</b>			<b>276.56</b>	<b>0</b>	<b>-1283.62</b>	<b>0</b>	<b>-1007.06</b>
	<b>कुल बी (I+II)</b>			<b>441.55</b>	<b>0.16</b>	<b>-1348.98</b>	<b>0</b>	<b>-907.27</b>
<b>सी.</b>	<b>अन्य</b>							
	<b>I. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ</b>							
19.	जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	2018-19	1.97	61.57	61.57	0	125.11
20.	जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2009-10	2018-19	2.00	19.86	19.86	0	41.72
	<b>कुल सी</b>			<b>3.97</b>	<b>81.43</b>	<b>81.43</b>	<b>0</b>	<b>166.83</b>
	<b>कुल योग (ए+बी+सी)</b>			<b>525.68</b>	<b>100.03</b>	<b>-2150.57</b>		<b>-1524.86</b>

परिशिष्ट-4.1.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 4.6; पृष्ठ: 114)

बैंक की वित्तीय और कार्य परिणामों की स्थिति

(I) वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>क. देयताएँ</b>					
(क) प्रदत्त पूंजी	48.49	48.49	48.49	52.15	55.70
(ख) आरक्षित और अधिशेष	5675.12	6061.56	6375.48	5624.35	6105.51
(ग) जमा	69335.87	65756.19	69390.25	72463.09	80006.50
(घ) उधार	1765.00	2339.67	2240.00	1276.05	1628.34
(ङ) अन्य देयताएँ और प्रावधान	1795.25	1879.54	2213.85	2603.03	1891.57
<b>कुल</b>	<b>78619.73</b>	<b>76085.45</b>	<b>80268.07</b>	<b>82018.67</b>	<b>89687.62</b>
<b>ख. परिसंपत्तियाँ</b>					
(क) भारतीय रिजर्व बैंक से नकद और शेष	3045.60	2373.05	3126.74	3590.97	4328.36
(ख) कॉल और शॉर्ट नोटिस पर बैंकों से शेष और निधि	1168.31	1360.71	76.27	1794.96	3924.52
(ग) निवेश	26195.07	25124.30	20353.62	21290.89	18880.03
(घ) निवल अग्रिम	46384.60	44585.82	50193.29	49816.11	56912.75
(ङ) अचल संपत्ति	533.80	688.91	763.71	1543.32	1614.59
(च) अन्य परिसंपत्तियाँ	1292.35	1952.66	5754.44	3982.42	4027.37
<b>कुल</b>	<b>78619.73</b>	<b>76085.45</b>	<b>80268.07</b>	<b>82018.67</b>	<b>89687.62</b>
<b>निवल मूल्य<sup>10</sup></b>	<b>5723.61</b>	<b>6110.05</b>	<b>6423.97</b>	<b>5676.50</b>	<b>6161.21</b>

(II) कार्य परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>1. आमदनी</b>					
(क) ब्याज अर्जित	6767.00	7061.13	6843.57	6685.80	6621.40
(ख) अन्य आमदनी	390.26	593.96	504.02	492.86	495.31
<b>कुल</b>	<b>7157.26</b>	<b>7655.09</b>	<b>7347.59</b>	<b>7178.66</b>	<b>7116.71</b>
<b>2. व्यय</b>					
(क) ब्याज व्यय किया गया	4082.52	4410.22	4133.48	4173.86	3750.61
(ख) संचालित व्यय	1174.99	1409.05	1546.20	1710.46	1984.23
(ग) प्रावधान और आकस्मिकताएँ	717.28	1327.23	1251.88	2926.63	1179.15
<b>कुल</b>	<b>5974.79</b>	<b>7146.50</b>	<b>6931.56</b>	<b>8810.95</b>	<b>6913.99</b>

<sup>10</sup> प्रदत्त पूंजी और आरक्षित एवं अधिशेष का संचय

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और पीएसयू)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
3. निवल लाभ/ (हानि)	1182.47	508.59	416.03	(1632.29)	202.72
<b>4. विनियोजन</b>					
(क) सांविधिक भंडार	295.62	127.15	104.00	-	50.68
(ख) राजस्व और अन्य भंडार	596.20	247.00	207.46	(1640.01)	152.04
(ग) लाभांश प्रस्तावित	242.39	101.80	84.84	-	-
(घ) लाभांश पर कर	41.19	20.35	17.27	-	-
(इ) निवेश भंडार	7.07	12.29	2.46	-	-
(च) पूंजी भंडार	-	-	-	7.72	-
<b>कुल</b>	<b>1182.47</b>	<b>508.59</b>	<b>416.03</b>	<b>(1632.29)</b>	<b>202.72</b>
प्रति शेअर आमंदनी (₹ में)	24.39 <sup>11</sup>	10.49	8.58	(33.59)	3.64

(स्रोत: बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन)

(कोष्ठक में आंकड़े नकारात्मक आंकड़े/ हानि को दर्शाते हैं)

<sup>11</sup> प्रति शेयर कमाई की गणना प्रत्येक शेयर के अंकित मूल्य को ₹एक मानकर की गई है

## परिशिष्ट-4.1.2

(संदर्भित पैराग्राफ: 4.7.5.2; पृष्ठ: 134)

परीक्षण जांच किए गए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति मामलों में देखी गई कमियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	एनपीए मामले	एनपीए की राशि			अवलोकन का संक्षेप
		मूल	ब्याज	कुल	
<b>संदिग्ध वसूली के मामले</b>					
1.	मैसर्स आरईआई एगो लिमिटेड	400.00	239.42	639.42	अपर्याप्त सुरक्षा कवर के साथ साथ उचित कर्मठता का प्रयोग ना करने के कारण ₹639.42 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
2.	मैसर्स आरईआई एगो लिमिटेड	111.27	61.18	172.45	अपर्याप्त सुरक्षा कवर के साथ साथ उचित कर्मठता का प्रयोग ना करने के कारण ₹172.45 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
3.	मैसर्स अंजया लाइफ केयर लिमिटेड	27.96	13.00	40.96	बैंक के वित्तीय हितों की सुरक्षा के बिना कंसोर्टियम ब्याज की सुरक्षा के बाहर ऋण सुविधाओं की स्वीकृति/ संवितरण से ₹40.32 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
4.	मैसर्स हिमगिरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	28.10	1.21	29.31	संवितरण के बाद की शर्तों के गैर-अनुपालन और ऋण मूल्यांकन में कमी के परिणामस्वरूप ₹20.90 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
5.	मैसर्स एजीएल टेलीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स ट्रक्स एंड रूट्स	24.92	26.17	51.09	अपर्याप्त निगरानी और संवितरण की शर्तों के गैर-अनुपालन के कारण ₹30.53 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
6.	मैसर्स बिलकेयर लिमिटेड	65.94	26.64	92.58	स्वीकृति के समय उचित कर्मठता का प्रयोग और मंजूरी की शर्तों का पालन न करने के कारण ₹92.58 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
7.	मैसर्स मनीष शर्मा	20.00	4.04	24.04	ऋण मूल्यांकन में कमी के कारण ₹2.27 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
8.	मेसर्स एस.एल. टेलीकॉम और एस.पी. एंटरप्राइजेज	3.59	2.39	5.98	गिरवी रखी गई संपत्तियों का अनुचित मूल्यांकन, स्वीकृति के नियम और शर्तों के अनुसार सही तरीके से निधि का जारी न करने और स्वीकृति के बाद की कमजोर निगरानी के कारण ₹10.33 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
		4.84	2.86	7.70	

क्र.सं.	एनपीए मामले	एनपीए की राशि			अवलोकन का संक्षेप
		मूल	ब्याज	कुल	
<b>संदिग्ध वसूली के मामले</b>					
9.	मैसर्स हांडा आभूषण हाउस	7.02	5.82	12.84	स्वीकृति/ वृद्धि के समय गिरवी रखी गई संपत्तियों का अनुचित मूल्यांकन, मंजूरी के नियम और शर्तों के अनुसार सीसी को जारी न किए जाने और और खराब निगरानी के कारण ₹7.31 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
10.	मैसर्स कश्मीर बीएमजी स्टील एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	5.22	2.97	8.19	वितरण के बाद की निगरानी की कमी के कारण ₹3.70 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
11.	मैसर्स सनशाइन इंटरनेशनल	3.52	2.53	6.05	स्वीकृति के बाद की शर्तों के गैर-अनुपालन के कारण ₹6.05 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
12.	मैसर्स क्रिएशन कम्प्यूटर टेक प्राइवेट लिमिटेड	4.38	4.86	9.24	अपर्याप्त सुरक्षा कवर के साथ वितरण के बाद की निगरानी की कमी के कारण ₹7.59 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
13.	मैसर्स फर्स्ट वैल्यू इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	14.97	7.76	22.73	पर्याप्त सुरक्षा कवर और खराब निगरानी के बिना ऋण सुविधाओं का विस्तार करने के परिणामस्वरूप ₹7.91 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
14.	मैसर्स कैलेक्स रसायन और फार्मास्यूटिकल्स	49.82	25.07	74.89	बैंक को अपने हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रतिभूतियां प्राप्त होने में विफलता के कारण ₹64.18 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
15.	मैसर्स मीर ग्रुप	100.32	32.05	132.37	संवितरण की शर्तों का पालन न करने, स्वीकृति के बाद की निगरानी और निधियों के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित न करने के परिणामस्वरूप ₹25.08 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
16.	मैसर्स के. एस. ऑयल्स लिमिटेड	90.47	46.41	136.88	मूल्यांकन में कमी के आधार पर ऋण सुविधा की स्वीकृति/ संवितरण और उचित कर्मठता का प्रयोग न करने के कारण ₹98.98 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
17.	मैसर्स ब्रम्बू ट्रेडिंग कंपनी	21.61	5.44	27.05	संवितरण से पहले की शर्तों की पूर्ति न होने, अपर्याप्त सुरक्षा कवर के साथ कमजोर निगरानी के कारण ₹11.87 करोड़ की संदिग्ध वसूली।

क्र.सं.	एनपीए मामले	एनपीए की राशि			अवलोकन का संक्षेप
		मूल	ब्याज	कुल	
<b>संदिग्ध वसूली के मामले</b>					
18.	मैसर्स ट्यूलिप डाटा सेंटर	41.86	17.97	59.83	ऋण की स्वीकृति/ विमोचन के समय उचित कर्मठता का प्रयोग न करने के कारण ₹29.50 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
19.	मैसर्स फेयरडेल सप्लाइज़ लिमिटेड	25.58	16.22	41.80	पर्याप्त प्रतिभूतियाँ प्राप्त करने में बैंक की विफलता और कमजोर पश्च-अनुमोदन निगरानी के कारण ₹34.97 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
20.	मैसर्स ईटीए इंजीनियरिंग	174.86	31.59	206.45	पर्याप्त सुरक्षा कवर के बिना ऋण सुविधाओं के नवीकरण करने और कमजोर निगरानी के कारण ₹129.58 करोड़ की संदिग्ध वसूली।
21.	मैसर्स केहवा ग्रुप	71.64	52.42	124.06	संवितरण की शर्तों का पालन, पश्च अनुमोदन की निगरानी और निधि के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित न करने के परिणामस्वरूप ₹8.27 करोड़ का नुकसान हुआ, केहवा समूह और और मैसर्स गो फ्रेश से ₹163.62 करोड़ की संदिग्ध वसूली और ₹16.50 करोड़ की सब्सिडी को अनियमित रूप से जारी करना।
<b>संदिग्ध वसूली की कुल राशि: ₹1,599.14 करोड़</b>					
<b>हानी/ गैर-वसूली के मामले</b>					
1.	मैसर्स छपरिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	36.57	10.63	47.20	अपर्याप्त सुरक्षा कवर के साथ-साथ बैंक की ऋण नीति के विचलन में ऋण का विस्तार करने के परिणामस्वरूप ₹28.20 करोड़ का नुकसान हुआ।
2.	मैसर्स पैराडाइज एवेन्यू	156.47	28.19	184.66	संवितरण के समय उचित कर्मठता का प्रयोग न करने के साथ-साथ क्रेडिट पॉलिसी के विचलन में ऋण का विस्तार करने के कारण ₹26.47 करोड़ के मूलधन और ₹28.19 करोड़ के अनपेक्षित ब्याज का परित्याग हुआ।
3.	मैसर्स हल्दिया कोक एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	53.54	31.23	84.77	अपर्याप्त सुरक्षा कवर और कमजोर पश्च-स्वीकृति निगरानी के परिणामस्वरूप ₹63.38 करोड़ की वसूली नहीं हुई।
4.	मैसर्स क्रेन सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड	26.92	14.68	41.60	बैंक के हितों की रक्षा के बिना कंपनी की सहयोगी संस्था को अस्थायी ओवरड्राफ्ट जारी करने से ₹18.60 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और पीएसयू)

क्र.सं.	एनपीए मामले	एनपीए की राशि			अवलोकन का संक्षेप
		मूल	ब्याज	कुल	
<b>संदिग्ध वसूली के मामले</b>					
5.	मैसर्स ग्रेमैच इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	3.23	1.80	5.03	अपर्याप्त सुरक्षा कवर और कमजोर पश्च-वितरण की निगरानी के कारण ₹4.11 करोड़ की वसूली नहीं हुई।
6.	मैसर्स चौधरी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	9.98	18.78	28.76	सांविधिक मंजूरी से पहले ऋण सुविधाओं की स्वीकृति और कमजोर पश्च-वितरण की निगरानी के कारण ₹20.76 करोड़ की वसूली नहीं हुई।
<b>हानि/गैर-वसूली की कुल राशि: ₹197.98 करोड़</b>					
<b>आधिक्य जारी करने का मामला</b>					
1.	मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड	75.96	18.99	94.95	बिना किसी आंतरिक मूल्यांकन के लीड बैंक की सलाह पर कंसोर्टियम बैंकिंग के तहत ₹14.10 करोड़ का अधिकाय ऋण जारी करना।
<b>आधिक्य जारी करने की कुल राशि: ₹14.10 करोड़</b>					

(स्रोत: बैंक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर गणना)

## परिशिष्ट-4.1.3

(संदर्भित पैराग्राफ: 4.7.5.2; पृष्ठ: 136)

किसानों/ संयुक्त देयता समूहों की सूची में देखी गई कमियों का विवरण

क्र.सं.	खाता संख्या	जेएलजी लीडर का नाम	जेएलजी लीडर का पता	कमी देखी गई	ऋण राशि शामिल (₹ करोड़ में)
1.	530266000000036	मनीष कुमार शर्मा	नरेला, दिल्ली	23 किसानों तथा उनके माता-पिता के नाम भी अलग/ समान पते के साथ खाता संख्या 77, 121 और 125 में दिखाई दे रहे हैं।	4.60
2.	530266000000033	सुशील शर्मा	नरेला, दिल्ली	चार किसानों तथा उनके माता-पिता के नाम भी अलग पते के साथ खाता संख्या 35 में दिखाई दे रहे हैं।	0.80
3.	530266000000039	रवि कुमार	नरेला मंडी, दिल्ली	32 किसानों तथा उनके माता-पिता के नाम भी अलग/ समान पते के साथ खाता संख्या 71, 78, 85, 118 और 119 में दिखाई दे रहे हैं।	6.40
4.	530266000000052	रामदयाल जैन	नरेला मंडी, दिल्ली	43 किसानों तथा उनके माता-पिता के नाम समान पते के साथ खाता संख्या 40 में दिखाई दे रहे हैं।	8.60
5.	530266000000059	संदीप कुमार	नया बाज़ार, दिल्ली	49 किसानों तथा उनके माता-पिता के नाम भी समान पते के साथ खाता संख्या 51 में दिखाई दे रहे हैं।	9.80
6.	530266000000068	पावन कुमार	जगतपुरी एक्स्टेंसन, दिल्ली	34 किसानों तथा उनके माता-पिता के नाम भी अलग पते के साथ खाता संख्या 123 में दिखाई दे रहे हैं।	6.80

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और पीएसयू)

क्र.सं.	खाता संख्या	जेएलजी लीडर का नाम	जेएलजी लीडर का पता	कमी देखी गई	ऋण राशि शामिल (₹ करोड़ में)
7.	530266000000074	रोहित गुप्ता	पहाड़ी धिराज, दिल्ली	11 किसानों तथा उनके माता पिता के नाम भी समान पते के साथ खाता संख्या 120 में दिखाई दे रहे हैं।	2.20
8.	530266000000075	रत्तन शर्मा	नया बाज़ार, दिल्ली	47 किसानों तथा उनके माता-पिता के भी नाम अलग पते के साथ खाता संख्या 114 और 122 में दिखाई दे रहे हैं।	9.40
9.	530266000000077	साधु राम	सोनीपत, हरियाणा	34 किसानों तथा उनके माता-पिता के नाम भी अलग पते के साथ खाता संख्या 109 में दिखाई दे रहे हैं।	6.80
10.	530266000000078	अजय कुमार	झज्जर, हरियाणा	37 किसानों तथा उनके माता-पिता के नाम भी अलग पते के साथ खाता संख्या 108 में दिखाई दे रहे हैं।	7.40
11.	530266000000085	नरेश कुमार यादव	बेगमपुर, दिल्ली	35 किसानों तथा उनके माता-पिता के नाम भी अलग पते के साथ खाता संख्या 110 में दिखाई दे रहे हैं।	7.00
	<b>कुल</b>				<b>69.80</b>

## परिशिष्ट-4.1.4

(संदर्भित पैराग्राफ: 4.7.11; पृष्ठ: 163)

सांविधिक चल निधि अनुपात (एसएलआर) और गैर-एसएलआर उपकरणों में निवेश

(₹ करोड़ में)

निवेश	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>(क) एसएलआर निवेश</b>					
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	14304.24	13084.73	13107.29	16340.94	16572.67
2. राज्यकोष बिल	643.74	369.95	840.75	0.00	629.30
3. ट्रस्टी प्रतिभूतियाँ	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
<b>कुल (क)</b>	<b>14954.94</b>	<b>13461.64</b>	<b>13955.00</b>	<b>16340.94</b>	<b>17201.97</b>
<b>(ख) गैर-एसएलआर निवेश</b>					
1. आरआईडीएफ, नाबार्ड, सिडबी	2140.42	2210.00	2348.08	1765.24	2507.56
2. अन्य					
(i) इक्विटी	151.05	153.91	165.09	329.68	510.12
(ii) अधिमान शेयर	86.65	83.08	82.52	74.86	83.68
(iii) बॉन्ड और डिबेंचर (दायर मुकदमा सहित)	2051.84	1770.12	1864.27	1804.00	1045.09
(iv) वाणिज्यिक पत्रों / जमा प्रमाणपत्र दायर मुकदमा सहित	6747.79	7344.94	4373.40	3059.26	471.08
(v) प्रतिभूति प्राप्तियाँ	15.20	14.23	9.99	103.50	151.22
(vi) प्रायोजित संस्थानों में निवेश	34.01	45.67	45.67	45.67	45.67
(vii) सहायक में निवेश	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00
(viii) उद्यम पूंजी	23.94	22.54	18.77	10.73	0.02
<b>कुल (ख)</b>	<b>11260.90</b>	<b>11664.49</b>	<b>8927.79</b>	<b>7212.94</b>	<b>4834.44</b>
<b>कुल योग (क+ख)</b>	<b>26215.84</b>	<b>25126.13</b>	<b>22882.79</b>	<b>23553.88</b>	<b>22036.41</b>
साल-दर-साल विकास	445.01	(-) 1089.71	(-) 2243.34	671.09	(-) 1517.47
साल दर साल विकास दर का प्रतिशत	1.73	(-) 4.16	(-) 8.93	2.93	(-) 6.44
<b>आय</b>					
एसएलआर निवेश पर आय	1093.67	1104.04	1049.25	1238.91	1219.92
एसएलआर निवेश पर प्रतिलाभ	7.71	8.25	8.60	8.31	7.57
<b>गैर-एसएलआर निवेश पर आय</b>					
(i) आरआईडीएफ, नाबार्ड, सिडबी	90.81	102.12	122.64	108.08	103.26
(ii) गैर-एसएलआर	506.49	626.03	587.86	492.04	250.43
(iii) अंतर-बैंक निधि	58.95	60.88	36.91	80.74	106.55
(iv) व्यापार आय	45.64	109.85	143.06	139.53	39.74
(v) ऋणामुक्ति आय	8.07	12.87	20.28	31.97	9.46
<b>गैर-एसएलआर निवेश पर कुल आय</b>	<b>709.96</b>	<b>911.75</b>	<b>910.75</b>	<b>852.36</b>	<b>509.44</b>
गैर-एसएलआर निवेश पर प्रतिलाभ	8.87	8.74	8.00	6.83	6.09

(स्रोत: बैंक के द्वारा प्रदान की गई सूचना)

परिशिष्ट-4.1.5  
(संदर्भित पैराग्राफ: 4.7.12; पृष्ठ: 169)  
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण निर्धारण के लिए एएनबीसी	47406.00	48845.00	48545.00	54742.00	51269.86
<b>प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए लक्ष्य (40 प्रतिशत)</b>	<b>18962.40</b>	<b>19538.00</b>	<b>19418.00</b>	<b>21896.80</b>	<b>20507.94</b>
क) कृषि और संबद्ध क्षेत्र (18 प्रतिशत)	8533.08	8792.10	8738.10	9853.56	9228.57
ख) सूक्ष्म और लघु और अन्य उद्यम (12 प्रतिशत)	5688.72	5861.40	5825.40	6569.04	6152.38
ग) कमजोर क्षेत्र (10 प्रतिशत)	4740.60	4884.50	4854.50	5474.20	5126.99
<b>कुल</b>	<b>18962.40</b>	<b>19538.00</b>	<b>19418.00</b>	<b>21896.80</b>	<b>20507.94</b>
प्राथमिक क्षेत्र के तहत अग्रिम					
क) कृषि और संबद्ध क्षेत्र	4773.00	5667.00	5972.00	5252.00	7412.94
ख) सूक्ष्म और लघु और अन्य उद्यम	4860.00	6148.00	8338.00	7112.00	6239.78
ग) कमजोर क्षेत्र	5639.00	5733.00	4917.00	4718.00	5173.63
<b>कुल</b>	<b>15272.00</b>	<b>17548.00</b>	<b>19227.00</b>	<b>17082.00</b>	<b>18826.35</b>
<b>कमी</b>					
क) कृषि और संबद्ध क्षेत्र (प्रतिशत में कमी)	3760.08 (44.06)	3125.10 (35.54)	2766.10 (31.66)	4601.56 (46.70)	1815.63 (19.67)
ख) सूक्ष्म और लघु और अन्य उद्यम (प्रतिशत में कमी)	828.72 (14.57)	-	-	-	-
ग) कमजोर क्षेत्र (प्रतिशत में कमी)	-	-	-	756.20 (13.81)	-

(स्रोत: बैंक के द्वारा प्रदान की गई सूचना)

## परिशिष्ट- 5.1.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.1; पृष्ठ: 187)

वार्षिक दर संविदा/ दर संविदा को अंतिम रूप देने में लिए गए समय का विवरण

क्र. सं.	श्रेणी	एनआईटी की तिथि	तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक		वित्तीय मूल्यांकन समिति की बैठक		राज्य स्तरीय खरीद समिति की बैठक		दर संविदा जारी करना	
			तिथि	कॉलम 3 के संदर्भ में लिया गया समय	तिथि	कॉलम 4 के संदर्भ में लिया गया समय	तिथि	कॉलम 6 के संदर्भ में लिया गया समय	तिथि	कॉलम 3 के संदर्भ में लिया गया समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	औषधि/ दवा/ तरल पदार्थ	01.06.2015	20.10.2015	141	17.11.2015	28	23.11.2015	6	25.11.2015	177
		19.01.2016	एनए	-	एनए	-	16.04.2016	-	16.04.2016	88
		16.07.2016	10.12.2016	147	19.12.2016	9	07.01.2017	19	07.01.2017	175
		02.02.2017	29.03.2017	55	20.09.2017	175	05.10.2017	15	03.11.2017 , 15.11.2017, 13.03.2018	404
2.	सीवान मद	18.12.2015	10.02.2016/ 23.04.2016	127	23.04.2016	-	19.10.2016	179	19.10.2016	306
3.	अस्पताल फर्नीचर	28.11.2015	04.03.2016	97	11.03.2016	7	14.03.2016	3	16.03.2016	109
		07.04.2017	16.01.2018	284	13.06.2018	148	04.07.2018	21	07.08.2018	487
4.	दूत सामाग्री	09.12.2015	एनए	-	एनए	-	01.06.2016	-	01.06.2016	175
		18.01.2017	07.04.2017/ 29.06.2017	162	09.01.2018	194	15.03.2018	65	18.04.2018	455
5.	प्रयोगशाला किट, रासायनिक अभिकर्मकों और कांच के बने पदार्थ	24.03.2017	01.11.2017	222	03.11.2017	2	एनए	-	*लंबित	737
6.	102 एम्बुलेंस सेवा का संचालन	27.11.2015	29.04.2016	154	29.04.2016	0	07.01.2017	253	11.01.2017	411
7.	अस्पताल परिसर (जम्मू प्रांत) में फार्मसी की दुकानें खोलना / चलाना	27.11.2015	09.01.2016	43	11.01.2016	2	27.01.2016	16	09.03.2016	103
8.	16 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की खरीद	28.01.2017	02.11.2017	278	03.11.2017	1	09.11.2017	6	18.11.2017	294
9.	प्रयोगशाला उपकरणों और मोबाइल खाद्य परीक्षण वैन की खरीद	28.09.2016	24.10.2016	26	एनए	-	16.11.2016	-	14.12.2016	77
10.	रक्त बैग की खरीद के लिए दर संविदा को अंतिम रूप देना	23.11.2017	19.02.2018	88	13.06.2018	114	04.07.2018	21	04.09.2018	285
11.	दवाओं के परीक्षण और विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं का पैनल में लाना	14.09.2015	17.11.2015	64	23.11.2015	6	23.11.2015	0	15.12.2015	92

\* 31.03.2019 तक की स्थिति (एनए: उपलब्ध नहीं कराए गए)

परिशिष्ट-5.1.2

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.1; पृष्ठ: 189)

विलंबित आपूर्ति के लिए फर्मों के प्रति परिसमापित क्षति के गैर-अधिरोपण का विवरण

क्र.सं.	फर्म का नाम	खरीद आदेशों जांच परीक्षण की संख्या	खरीद आदेशों की संख्या जहां विलंब देखा गया	जुमाने की राशि (₹ लाख में)	आपूर्ति प्राप्त करने के लिए लिए गए दिनों की सीमा(दिनों में मामले)											
					0-60 दिन	मूल्य (₹ लाख में)	61-120 दिन	मूल्य (₹ लाख में)	121-200 दिन	मूल्य (₹ लाख में)	201-400 दिन	मूल्य (₹ लाख में)	400 दिनों से ऊपर	मूल्य (₹ लाख में)	आपूर्तियों की कुल संख्या	मूल्य (₹ लाख में)
1.	भारत सीरम और वैक्सीन लिमिटेड	11	3	1.87	19	346.63	6	56.76	0	0	0	0	0	0	25	403.39
2.	डेनिस केम लैब लिमिटेड	84	53	103.74	4	4.21	344	295.32	302	175.26	210	217.12	22	12.46	882	704.37
3.	मॉडर्न लैबोरेटरीज़	493	449	146.28	3	1.67	872	844.63	497	407.54	61	24.31	2	0.50	1435	1278.65
4.	मैसर्स एलाइड हॉस्पिटल ट्रेडर्स	129	69	27.42	42	141.52	51	117.45	27	34.39	14	19.17	0	0	134	312.53
5.	मैसर्स जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड	554	481	167.21	263	517.02	230	506.16	117	167.35	240	271.34	0	0	850	1461.87
6.	मैसर्स लाल सर्जिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स	89	58	80.04	26	112.20	55	244.52	26	109.83	17	128.13	1	9.63	125	604.31
7.	मैसर्स नेशनल सर्जिको	138	126	24.57	8	1.24	624	442.89	49	17.59	34	4.83	3	3.94	718	470.49
8.	मैसर्स विक्रान्त लाइफ साइंसेज (प्राइवेट) लिमिटेड	58	38	21.37	30	177.19	31	148.70	11	19.29	7	2.75	1	0.34	80	348.27
9.	थेओन फार्मास्यूटिकल्स	61	39	17.36	98	388.31	133	210.41	15	14.49	0	0	2	1.27	248	614.48
10.	यूनिक्वोर इंडिया लिमिटेड	804	563	201.75	524	239.57	1258	730.18	674	467.95	260	285.85	8	2.71	2724	1726.26
<b>कुल</b>		<b>2421</b>	<b>1879</b>	<b>791.61</b>	<b>1017</b>	<b>1929.56</b>	<b>3604</b>	<b>3597.02</b>	<b>1718</b>	<b>1413.69</b>	<b>843</b>	<b>953.50</b>	<b>39</b>	<b>30.85</b>	<b>7221</b>	<b>7924.62</b>







© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.agjk.nic.in](http://www.agjk.nic.in)